खण्ड–489, अंक–4
मंगलवार, 03 आषाढ़, शक संवत् 1936
(24 जून, 2014 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(सोलहवीं विधान सभा, द्वितीय सत्र, 2014)

(खण्ड 489 में 10 अंक हैं)

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2014

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे ।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 रुपये, महसूल सहित रु0 724.25 रुपये ।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ-संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
प्रश्नकाल में सम्बन्धित मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री की अनुपस्थित पर आपत्ति ...	7
प्रश्नोत्तर	7-86
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	86-88
गाजियाबाद के हिण्डन बिहार में जी0टी0 रोड से बालाजी मन्दिर तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	88
जनपद हाथरस के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	88-89
वाराणसी के मडुआडीह स्टेशन के ओवरब्रिज पर बिजली की पर्याप्त व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	89
जनपद बरेली के विधान सभा आंवला की अरिल नदी पर ग्राम महमूदपुर व ग्राम चकरपुर घई के मध्य रपटा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	89
कानपुर महानगर में व्याप्त ट्रैफिक जाम की समस्या के निराकरण हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	89-90
जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत वर्ष 2012-2013 एवं 2013-14 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित कतिपय ग्राम पंचायतों में धनाभाव के कारण रुके हुए कार्यों हेतु धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	90
जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सवागी पट्टी, सिगना व सहवाजपुर के मौन नाले पर पक्का पुल बनवाने जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	90-91
जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में पेयजल संकट के निराकरण हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	91
जनपद मथुरा में उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग निगम के बस स्टैण्ड को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	91-92
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी अन्तर्गत ग्राम शेखनपुरवा व उत्तरांवा के क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद झांसी के थाना चिरगांव में दिनांक 14-6-2014 को दर्ज मुकदमें के आरोपियों की गिरफ्तारी किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	92-93
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	93
जनपद फिरोजाबाद की नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत आने वाले कतिपय मोहल्लों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	93-94
गोरखपुर महानगर स्थित मानवेला के 3000 कास्तकारों की जमीन जबरन अधिग्रहीत किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	94
जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में एन0एच0-24 पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	94-95
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	95
दिनांक 19 जून, 2014 को सत्र के पहले दिन भाजपा के सदस्य उत्तर प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में अध्यक्ष के सदन में आने के कारण मार्ग को रोकने तत्पश्चात् सदन के दरवाजे पर खड़े होकर वन्दे मातरत् को समाप्त होने की प्रतिक्षा करते रहने के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न	95-101
उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2014 (दिनांक 19 फरवरी, 2014 से 26 फरवरी, 2014 तक) नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण	101-102
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत एफ0एस0 ब्रांच से गढ़िया-साचान तक बने कच्चे नाले को पक्का कराये जाने विषयक श्री जोगेन्द्र सिंह आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	102
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ग्राम रिठौरा व गहर्रा खुर्द के बीच खारी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री केशव सिंह आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	102
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ग्राम गुढ़ा व सलेमाबाद के बीच खारी नदी पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री कान्ता प्रसाद प्रधान आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	102
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-11 से भड़कौल व्यारा होते हुए भरतपुर मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने विषयक श्री सुखवीर आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	102

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत चांदपुर नसीरपुर शेख मार्गा पर स्थित ग्राम हातमपुर के आबादी भाग में टूटे एवं जर्जर मार्ग को नाले सहित सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मोहम्मद मेराज आदि निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	102-103
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के विकास खण्ड हल्दौर अन्तर्गत ग्राम मबारपुर कला में विद्युत खम्भों व विद्युत तारों की कमी को पूर्ण कराते हुए विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप से चलाये जाने विषयक श्री असद मुस्तकीम आदि निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	103
जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता के अन्तर्गत ग्राम पूरे तोरई भरहरणनाथ धाम के पास बकुलाही नदी पर चेकडैम का निर्माण कराये जाने विषयक श्रीमती उर्मिला चौधरी आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गयी)	103
विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनाएं ...	103
श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) सदस्य विधान सभा द्वारा मा0 नगर विकास मंत्री एवं सचिव नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना	104
श्री दीपक पटेल, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के कुण्डा क्षेत्र के कतिपय पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना	104
श्रीमती अनुप्रिया पटेल, सदस्य, विधान सभा द्वारा जिलाधिकारी, वाराणसी तहसीलदार श्री रामजीत मौर्य नायब तहसीलदार सुश्री रश्मि गुप्ता और लेखपाल श्री गिरीश सिंह तहसील सदर के विरुद्ध दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 को अधिसूचित विशेषाधिकार की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय ...	104-107
विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के प्रथम मंगलवार दिनांक 11 मार्च, 2013 को श्री ब्रजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या-46 के उत्तर के सम्बन्ध में निदेश संख्या-168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना के सम्बन्ध में निदेश संख्या-168 (2) के अन्तर्गत उक्त प्रश्न का संशोधित उत्तर	107-109
उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 (पुरःस्थापित)	110
कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं	110-115
वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा	115-168

विषय	पृष्ठ-संख्या
नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं	168-171
जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम देउम तथा थरिया आदि में सिंचाई विभाग द्वारा लिफ्ट कैनाल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती आराधना मिश्र ''मोना'' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य ...	171-172
जिला सहकारी बैंक देवरिया, कसया से किसी प्रकार का भुगतान न होने से उत्पन्न विषम वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में श्री पूर्णमासी देहाती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य	172-174
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में बंधा बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश अंचल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य	174-175
जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में स्थित श्रमिक उद्योगों के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाली मिट्टी की आपूर्ति में हो रही बाधाओं के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य...	176-177
जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत किराना मण्डी में खाली पड़े प्लाट में कूड़े को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश बंसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य	177-178
जनपद चन्दौली के मुगलसराय अन्तर्गत ग्राम सभा अमोधपुर विकास खण्ड नियमताबाद में चकिया मेन रोड से पंचायत भवन अमोधपुर तथा पिच रोड का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन	178
जनपद मुरादाबाद के कांठ क्षेत्र में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनीसुर्रहमान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मा0 मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य	178
जनपद लखीमपुर के धौरहरा क्षेत्र अन्तर्गत निलम्बित/निरस्तीकृत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को नजदीक की दुकानों से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य	179-180
नगरपालिका परिषद् गाजियाबाद की अध्यक्ष नगर पालिका के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर भी उनके द्वारा अध्यक्ष के पद पर कार्य करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुदेश शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य	180-181

विषय	पृष्ठ-संख्या
जनपद इलाहाबाद के मेजा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य	181-182
नत्थी	183-187

उत्तर प्रदेश विधान सभा

सोलहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 24 जून, 2014

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष, श्री माता प्रसाद पाण्डेय की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-350

1. अंसार अहमद, श्री — इलाहाबाद
2. अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
3. अखिलेश प्रताप सिंह, श्री — देवरिया
4. अगयश राम सरन वर्मा, श्री — पीलीभीत
5. अजय कपूर, श्री — कानपुर नगर
6. अजय कुमार, डा0 — इलाहाबाद
7. अजय कुमार 'लल्लू', श्री — कुशीनगर
8. अजीत कुमार, श्री — फर्रुखाबाद
9. अजीमुल हक पहलवान अंसारी, हाजी — अम्बेडकर नगर
10. अताउररहमान, श्री — बरेली
11. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
12. अनिल कुमार दोहरे, श्री — कन्नौज
13. अनिल वर्मा, श्री — उन्नाव
14. अनीसुर्ररहमान, श्री — मुरादाबाद
15. अनुग्रह नारायण सिंह, श्री — इलाहाबाद
16. अनूप कुमार गुप्ता, श्री — सीतापुर
17. अनूप सण्डा, श्री — सुल्तानपुर
18. अबरार अहमद, श्री — सुल्तानपुर
19. अब्दुल मशहूद खाँ, श्री — बलरामपुर
20. अभय नरायन सिंह पटेल, श्री — आजमगढ़
21. अभय सिंह, श्री — फैजाबाद
22. अभिषेक मिश्र, श्री — लखनऊ
23. अमर पाल शर्मा, श्री — गाजियाबाद
24. अमित गौरव यादव, श्री — एटा
25. अयोध्या प्रसाद पाल, श्री — फतेहपुर
26. अरविन्द कुमार सिंह 'गोप', श्री — बाराबंकी
27. अरविन्द सिंह यादव, श्री — कन्नौज
28. अराधना मिश्र 'मोना' श्रीमती — प्रतापगढ़
29. अरूण कुमार, डा0 — बरेली
30. अरूण वर्मा, श्री — सुल्तानपुर
31. अलगू प्रसाद चौहान, श्री — सन्तकबीर नगर
32. अली यूसूफ अली, श्री — रामपुर
33. अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह, श्री — गोण्डा
34. अवधेश प्रसाद, श्री — फैजाबाद
35. अवस्थी बाला प्रसाद, श्री — लखीमपुर खीरी
36. अविनाश कुशवाहा, श्री — सोनभद्र
37. अशफाक अली खां, श्री — अमरोहा
38. आनन्द सिंह, कुंवर — गोण्डा
39. आबिद रजा खां, श्री — बदायूं
40. आरिफ अनवर हाशमी, श्री — बलरामपुर
41. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
42. आलोक कुमार शाक्य, श्री — मैनपुरी
43. आशा किशोर, श्रीमती — अमेठी
44. आशीष कुमार यादव, श्री — एटा
45. आशीष यादव, श्री — बदायूं
46. आशुतोष उपाध्याय, श्री — देवरिया
47. आशुतोष मौर्य उर्फ राजू, श्री — बदायूं
48. इकबाल, श्री — बिजनौर
49. इकबाल महमूद, श्री — संभल
50. इन्दल कुमार, श्री — लखनऊ

51. इन्द्रजीत कोरी, श्री कानपुर नगर
52. इन्द्रजीत सरोज, श्री कौशाम्बी
53. इन्द्राणी देवी, श्रीमती श्रावस्ती
54. इरफान सोलंकी, हाजी कानपुर नगर
55. उत्कर्ष वर्मा मधुर, श्री लखीमपुर खीरी
56. उदयराज, श्री उन्नाव
57. उपेन्द्र तिवारी, श्री बलिया
58. उमाकान्ती, श्रीमती जालौन
59. उमाशंकर, श्री बलिया
60. उमेश पाण्डेय, श्री मऊ
61. ओमकार सिंह, श्री बदायूं
62. ओम प्रकाश, श्री गाजीपुर
63. ओम प्रकाश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
64. कमाल अख्तर, श्री अमरोहा
65. काली चरन सुमन, श्री आगरा
66. कुलदीप सिंह सेंगर, श्री उन्नाव
67. कृष्ण कुमार ओझा, श्री बहराइच
68. कृष्णपाल सिंह राजपूत, श्री झांसी
69. कृष्णा पासवान, श्रीमती फतेहपुर
70. कैलाश, श्री गाजीपुर
71. कैलाश चौरसिया, श्री मिर्जापुर
72. कौशल सिंह कुंवर, श्री महराजगंज
73. गंगा सिंह कुशवाहा, श्री कुशीनगर
74. गजराज सिंह, श्री हापुड़
75. गजेन्द्र सिंह, श्री बुलन्दशहर
76. गयादीन अनुरागी, श्री हमीरपुर
77. गायत्री प्रसाद, श्री अमेठी
78. गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय, श्रीइलाहाबाद
79. गुटियारी लाल दुवेश, श्री आगरा
80. गुलाब चन्द, श्री जौनपुर
81. गुलाम मौहम्मद, श्री मेरठ
82. गेंदा लाल चौधरी, श्री हाथरस
83. गोरख पासवान, श्री बलिया
84. चन्द्रभान सिंह पटेल, श्री चित्रकूट
85. चन्द्रा रावत, श्रीमती लखनऊ
86. चितरंजन स्वरूप, श्री मुजफ्फरनगर
87. छोटेलाल वर्मा, श्री आगरा
88. जगतम्बा सिंह, श्री मिर्जापुर
89. जगन प्रसाद गर्ग, श्री आगरा
90. जगपाल, श्री सहारनपुर
91. जगराम पासवान, श्री बलरामपुर
92. जन्मेजय सिंह, श्री देवरिया
93. जफर आलम, श्री अलीगढ़
94. जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री फर्रुखाबाद
95. जमीर उल्ला खां, श्री अलीगढ़
96. जय प्रकाश अंचल, श्री बलिया
97. जय प्रताप सिंह, श्री सिद्धार्थनगर
98. जाकिर अली, श्री गाजियाबाद
99. जाहीद बेग, श्री सन्तरविदास नगर (भदोही)
100. जियाउद्दीन रिजवी, श्री बलिया
101. जीतेन्द्र कुमार उर्फ नन्दू चौधरी, श्री बस्ती
102. ज्योत्सना श्रीवास्तव, श्रीमती वाराणसी
103. तेज नारायण पाण्डेय उर्फ पवन पाण्डेय, श्री फैजाबाद
104. त्रिभुवन राम, श्री वाराणसी
105. त्रिलोकीराम, श्री अलीगढ़
106. दयाशंकर वर्मा, श्री जालौन
107. दलजीत सिंह, श्री बांदा
108. दलवीर सिंह, श्री अलीगढ़
109. दिलनवाज खान, श्री बुलन्दशहर
110. दीपक पटेल, श्री इलाहाबाद
111. दीपनारायण सिंह (दीपक यादव), श्री झांसी
112. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री आजमगढ़
113. देवनरायन उर्फ जी0एम0 सिंह, श्री महराजगंज

114. देवेन्द्र अग्रवाल, श्री हाथरस
115. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री रायबरेली
116. धर्मपाल सिंह, श्री बरेली
117. धर्मपाल सिंह, डा0 आगरा
118. धर्मराज, श्री बाराबंकी
119. धर्मसिंह सैनी, डा0 सहारनपुर
120. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
121. नजीवा खान जीनत, श्रीमती कासगंज
122. नन्दिता शुक्ल, श्रीमती गोण्डा
123. नरेन्द्र सिंह यादव, श्री फर्रुखाबाद
124. नवाजिश आलम खान, श्री मुजफ्फरनगर
125. नागेन्द्र सिंह ''मुन्ना यादव'', श्री प्रतापगढ़
126. नारद राय, श्री बलिया
127. नीरज (कुशवाहा) मौर्य, श्री शाहजहांपुर
128. पंकज कुमार मलिक, श्री शामली
129. पंकज गुप्ता, श्री उन्नाव
130. परवेज अहमद (टंकी), हाजी इलाहाबाद
131. पारस नाथ यादव, श्री जौनपुर
132. पिंकी सिंह, श्रीमती संभल
133. पीतमराम, श्री पीलीभीत
134. पूजा पाल, श्रीमती इलाहाबाद
135. पूनम सोनकर, श्रीमती चन्दौली
136. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
137. पूर्णमासी देहाती, श्री कुशीनगर
138. प्रदीप चौधरी, श्री सहारनपुर
139. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
140. प्रदीप माथुर, श्री मथुरा
141. प्रभूदयाल वाल्मीकि, श्री मेरठ
142. प्रमोद कुमार गुप्ता, श्री औरैया
143. प्रशान्त कुमार सिंह (राहुल सिंह), श्री इलाहाबाद
144. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
145. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
146. ''फसीहा मंजर''
''गजाला लारी'', सुश्री देवरिया
147. बंशी सिंह पहाड़िया, श्री बुलन्दशहर
148. बजरंग बहादुर सिंह, श्री महराजगंज
149. बदलू खां, श्री उन्नाव
150. बाबू खां, श्री हरदोई
151. बाबूलाल, श्री गोण्डा
152. बावन सिंह, श्री गोण्डा
153. बिमला सिंह सोलंकी, श्रीमती बुलन्दशहर
154. बृज लाल सोनकर, श्री आजमगढ़
155. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
156. बृजेश कुमार, श्री हरदोई
157. बेचई सरोज, श्री आजमगढ़
158. बैजनाथ, श्री मऊ
159. ब्रह्माशंकर त्रिपाठी, श्री कुशीनगर
160. भगवती प्रसाद, श्री अलीगढ़
161. भगवान सिंह कुशवाहा, श्री आगरा
162. भाई लाल कोल, श्री मिर्जापुर
163. भीम प्रसाद सोनकर, श्री अम्बेडकरनगर
164. मदन गोपाल वर्मा, श्री फतेहपुर
165. मदन चौहान, श्री गाजियाबाद
166. मदन सिंह उर्फ सन्तोष, श्री औरैया
167. मधुबाला, श्रीमती सन्त रविदास नगर (भदोही)
168. मनबोध, श्री देवरिया
169. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
170. मनीष रावत, श्री सीतापुर
171. मनोज कुमार, श्री चन्दौली
172. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
173. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
174. ममतेश शाक्य, श्री कासगंज
175. महबूब अली, श्री अमरोहा
176. महावीर सिंह, कुं0 हरदोई
177. महावीर सिंह राणा, श्री सहारनपुर
178. महेन्द्र अरिदमन सिंह, राजा आगरा
179. महेन्द्र कुमार सिंह उर्फ
झीन बाबू, श्री सीतापुर

180. माइकल चन्द्रा, श्री अमरोहा
181. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
182. माधुरी वर्मा, श्रीमती बहराइच
183. मानपाल सिंह, श्री कासगंज
184. मित्रसेन यादव, श्री फैजाबाद
185. मुकुट बिहारी वर्मा, श्री बहराइच
186. मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप, श्री बहराइच
187. मुख्तार अंसारी, श्री मऊ
188. मुनीन्द्र शुक्ला, श्री कानपुर नगर
189. मुसर्रत अली बिट्टन, श्री बदायूं
190. मुहम्मद गाजी, श्री बिजनौर
191. मुहम्मद रमजान, श्री श्रावस्ती
192. मो0 अयूब, डा0 सन्तकबीर नगर
193. मो0 जासमीर अंसारी, श्री सीतापुर
194. मो0 मुस्लिम, श्री अमेठी
195. मो0 रेहान, श्री लखनऊ
196. मोहम्मद आजम खां, श्री रामपुर
197. मोहम्मद रिजवान, श्री मुरादाबाद
198. मौ0 अलीम खां, श्री बुलन्दशहर
199. मौ0 इरफान, श्री मुरादाबाद
200. मौहम्मद युसुफ अंसारी, श्री मुरादाबाद
201. यासर शाह, श्री बहराइच
202. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
203. योगेन्द्रपाल सिंह, श्री कानपुर देहात
204. योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया', श्री गोण्डा
205. रघुनन्दन सिंह भदौरिया, श्रीकानपुर नगर
206. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
207. रघुराज सिंह शाक्य, श्री इटावा
208. रणजीत सुमन, श्री एटा
209. रमेश चन्द बिन्द, डा0 मिर्जापुर
210. रमेश चन्द्र दुबे, श्री सोनभद्र
211. रमेश प्रसाद कुशवाहा, श्री ललितपुर
212. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
213. रविन्द्र कुमार मोल्हू, श्री सहारनपुर
214. रविन्द्र भडाना, श्री मेरठ
215. रवि शर्मा, श्री झांसी
216. रश्मि आर्य, डा0 झांसी
217. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
218. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
219. राकेश बाबू, श्री फिरोजाबाद
220. राजकिशोर सिंह, श्री बस्ती
221. राजकुमार उर्फ राजू यादव, श्री मैनपुरी
222. राजकुमार रावत, श्री मथुरा
223. राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज, श्री महोबा
224. राजबली जैसल, श्री इलाहाबाद
225. राजमती, श्रीमती गोरखपुर
226. राजीव कुमार सिंह, श्री बाराबंकी
227. राजेन्द्र, श्री गोरखपुर
228. राजेन्द्र सिंह राणा, श्री सहारनपुर
229. राजेश अग्रवाल, श्री बरेली
230. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
231. राजेश यादव, श्री शाहजहांपुर
232. राजेश्वरी, श्रीमती हरदोई
233. राधा मोहन दास अग्रवाल, डा0 गोरखपुर
234. राधेलाल रावत, श्री उन्नाव
235. राधे श्याम, श्री अमेठी
236. राधेश्याम सिंह, श्री कुशीनगर
237. राधेश्याम जायसवाल, श्री सीतापुर
238. राम करन आर्य, श्री बस्ती
239. रामखिलाड़ी सिंह यादव, श्री संभल
240. रामगोपाल, श्री बाराबंकी
241. राम गोविन्द, श्री बलिया
242. रामचन्द्र चौधरी, श्री सुल्तानपुर
243. रामचन्द्र यादव, श्री फैजाबाद

244. रामपाल यादव, श्री सीतापुर
245. रामपाल राजवंशी, श्री सीतापुर
246. राम प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
247. राम मगन, श्री बाराबंकी
248. राममूर्ति वर्मा, श्री अम्बेडकर नगर
249. राममूर्ती सिंह वर्मा, श्री शाहजहांपुर
250. रामलाल अकेला, श्री रायबरेली
251. रामवीर उपाध्याय, श्री हाथरस
252. रामवीर सिंह, श्री फिरोजाबाद
253. रामशरन, श्री लखीमपुर खीरी
254. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
255. रामस्वरूप सिंह, श्री कानपुर देहात
256. रामहेत भारती, श्री सीतापुर
257. रामेश्वर सिंह यादव, श्री एटा
258. रूबी प्रसाद, श्रीमती सोनभद्र
259. रोशन लाल वर्मा, श्री शाहजहांपुर
260. लक्ष्मीकान्त उर्फ पप्पू निषाद, श्री सन्तकबीर नगर
261. लक्ष्मीकान्त बाजपेयी, डा0 मेरठ
262. लक्ष्मी गौतम, श्रीमती संभल
263. ललितेश पति त्रिपाठी, श्री मिर्जापुर
264. लोकेन्द्र सिंह, श्री बिजनौर
265. लोकेश दीक्षित, श्री बागपत
266. वसीम अहमद, श्री आजमगढ़
267. वहाब चौधरी, श्री गाजियाबाद
268. विक्रम सिंह, श्री फतेहपुर
269. विजमा यादव, श्रीमती इलाहाबाद
270. विजय कुमार पासवान, श्री सिद्धार्थनगर
271. विजय मिश्र, श्री सन्त रविदास नगर (भदोही)
272. विजय कुमार, डा0 गोरखपुर
273. विजय कुमार मिश्र, श्री गाजीपुर
274. विजय बहादुर पाल, श्री कन्नौज
275. विजय बहादुर यादव, श्री गोरखपुर
276. विजय सिंह, श्री रामपुर
277. विजय सिंह पुत्र प्रेम सिंह, श्री फर्रुखाबाद
278. विनय तिवारी, श्री लखीमपुर खीरी
279. विनोद सरोज, श्री प्रतापगढ़
280. विनोद कुमार उर्फ पण्डित सिंह, श्री गोण्डा
281. विवेक कुमार सिंह, श्री बांदा
282. विशम्भर सिंह, श्री बांदा
283. वीरपाल राठी, श्री बागपत
284. वीर सिंह, श्री चित्रकूट
285. वीरेन्द्र सिंह, श्री बरेली
286. वीरेश यादव, श्री अलीगढ़
287. वेदराम भाटी, श्री गौतमबुद्ध नगर
288. शंखलाल मांझी, श्री अम्बेडकरनगर
289. शकुन्तला देवी, सुश्री शाहजहांपुर
290. शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, श्री लखीमपुर खीरी
291. शमीमुल हक, श्री मुरादाबाद
292. शहजिल इस्लाम, श्री बरेली
293. शाकिर अली, श्री देवरिया
294. शारदा प्रताप शुक्ला, श्री लखनऊ
295. शाह आलम उर्फ गुड्डु जमाली, श्री आजमगढ़
296. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
297. शिव कुमार बेरिया, श्री कानपुर देहात
298. शिव पाल सिंह यादव, श्री इटावा
299. शिव प्रताप यादव, डा0 बलरामपुर
300. शिवाकान्त ओझा, प्रो0 प्रतापगढ़
301. शिवेन्द्र सिंह उर्फ शिव बाबू, श्री महाराजगंज
302. शेर बहादुर, श्री अम्बेडकरनगर
303. शैलेन्द्र यादव 'ललई', श्री जौनपुर
304. श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री वाराणसी

305. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
306. श्याम बहादुर सिंह यादव, श्री आजमगढ़
307. श्याम सुन्दर शर्मा, श्री मथुरा
308. श्रद्धा यादव, श्रीमती जौनपुर
309. संगीत सिंह सोम, श्री मेरठ
310. संग्राम यादव, डा0 आजमगढ़
311. संजय कपूर, श्री रामपुर
312. संजय प्रताप जयसवाल, श्री बस्ती
313. सईद अहमद, श्री इलाहाबाद
314. सचीन्द्र नाथ त्रिपाठी, श्री जौनपुर
315. सतवीर सिंह गुर्जर, श्री गौतमबुद्ध नगर
316. सतीश कुमार निगम 'एडवोकेट', श्री कानपुर नगर
317. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
318. सत्यदेव पचौरी, श्री कानपुर नगर
319. सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले), श्री मेरठ
320. सत्यवीर मुन्ना, श्री इलाहाबाद
321. सन्त प्रसाद, श्री गोरखपुर
322. सन्तराम कुशवाहा, श्री जालौन
323. सन्तोष पाण्डेय, श्री सुल्तानपुर
324. सलिल विश्नोई, श्री कानपुर नगर
325. सिनोद कुमार शाक्य (दीपू), श्री बदायूं
326. सिबगतुल्ला अंसारी, श्री गाजीपुर
327. सियाराम सागर, डा0 बरेली
328. सीमा, श्रीमती जौनपुर
329. सुखदेव प्रसाद वर्मा, श्री फतेहपुर
330. सुखदेवी वर्मा, श्रीमती इटावा
331. सुदामा प्रसाद, श्री महराजगंज
332. सुदेश शर्मा, श्री गाजियाबाद
333. सुनील कुमार सिंह यादव, श्री सोनभद्र
334. सुनील कुमार लाला, श्री लखीमपुर खीरी
335. सुभाष पासी, श्री गाजीपुर
336. सुरेन्द्र विक्रम सिंह, श्री रायबरेली
337. सुरेन्द्र सिंह पटेल, श्री वाराणसी
338. सुरेश राणा, श्री शामली
339. सुरेश कुमार खन्ना, श्री शाहजहांपुर
340. सुरेश बंसल, श्री गाजियाबाद
341. सुल्तान बेग, श्री बरेली
342. सुशील सिंह, श्री चन्दौली
343. सूरज पाल सिंह, श्री आगरा
344. सैय्यदा शादाब फातिमा, श्रीमती गाजीपुर
345. सोबरन सिंह यादव, श्री मैनपुरी
346. स्वामी प्रसाद मौर्य, श्री कुशीनगर
347. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ रोमी साहनी, श्री लखीमपुर खीरी
348. हरिओउम् यादव, श्री फिरोजाबाद
349. हेमराज वर्मा, श्री पीलीभीत
350. हेमलता चौधरी, श्रीमती बागपत

नोट :-मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव), पिछड़ा वर्ग कल्याण व विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी), चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, मातृ एवं शिशु कल्याण मंत्री (श्री अहमद हसन), कारागार मंत्री (श्री बलराम यादव), राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी) तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन राज्य मंत्री (श्री राम सकल गूजर) भी सदन में उपस्थित थे।

[11:00] प्रश्नकाल में सम्बन्धित मंत्री एवं संसदीय कार्य मंत्री की अनुपस्थिति पर आपत्ति

श्री अध्यक्ष-

नत्थी (क) अल्पसूचित तारांकित प्रश्न-1

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, 11:00 बज गये हैं, न संसदीय कार्य मंत्री जी हैं, न मंत्री जी हैं, ऐसी स्थिति में सदन के प्रति सरकार कितनी गंभीर है, यह स्पष्ट हो रहा है।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

मान्यवर, सदन के प्रति क्या गंभीरता है, यह जाहिर हो रहा है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, मंत्री जी मौजूद हैं, वह उत्तर देंगे।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोबिन्द चौधरी)-

मान्यवर, इसी की तैयारी में थोड़ी देर हो गयी।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

प्रश्नोत्तर

अल्पसूचित तारांकित प्रश्न

नत्थी (क)

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के अधीन विद्यालयों में मिड-डे-मील योजना लागू किये जाने की रूप रेखा की जानकारी

**1-श्री प्रदीप माथुर तथा श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन विद्यालयों में मिड-डे-मील योजना लागू है ? यदि हां, तो सरकार ने इस योजना को सम्यक् रूप से कार्यान्वित कराने की कोई रूपरेखा तैयार कर उसको लागू किया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? क्या सरकार यह भी बतलायेगी कि मिड-डे-मील योजना के कार्यान्वयन में शिक्षकों की भागीदारी तय की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षा के स्तर पर इसके प्रभाव का आंकलन कराते हुये किसी संस्था के माध्यम से उक्त कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोबिन्द चौधरी)-

जी हां।

जी हां।

शासनादेश संख्याः 1429/79-6-04-01(6)/2000 टी0सी0 दिनांक 25 जून, 2004 एवं शासनादेश संख्याः 1981/79-04-01(6)/2000 टी0सी0 08 सितम्बर, 2004 द्वारा भोजन पकाने हेतु ग्राम पंचायत स्तर पर एक समिति का गठन किया गया है, जो निम्नवत् हैः-

1-ग्राम प्रधान-अध्यक्ष-

2-ग्राम पंचायत द्वारा मनोनीत दो महिलाएं जो अभिभावक भी हों-सदस्य

3-संयुक्त प्रान्त पंचायती राज अधिनियम 1947 के अन्तर्गत गठित ग्राम पंचायतों की शिक्षा समित के सदस्य-सदस्य

4-स्कूल के प्रधानाध्यापक-सदस्य/सचिव

5-ग्राम पंचायत द्वारा मनोनीति दो पुरूष जो अभिभावक भी हों-सदस्य

इसके अतिरिक्त नगर निगम/नगर पालिकाएं/नगर पंचायतों के क्षेत्रों के अन्तर्गत पड़ने वाले विद्यालयों के बच्चों हेतु पका-पकाया भोजन तैयार करने तथा उसे बच्चों को उपलब्ध कराये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित किये जाने हेतु वार्ड समिति निम्नवत् गठित की गयी हैं:-

1-सम्बन्धित वार्ड सभासद-अध्यक्ष

2-सम्बन्धित वार्ड सभासद द्वारा मनोनीत दो महिलाएं जो अभिभावक भी हों-सदस्य

3-सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक-सदस्य

4-दो पुरुष अभिभावक प्रतिनिधि जो वार्ड के सभासद द्वारा मनोनीत होंगे-सदस्य

उक्त दोनों शासनादेशों में यह व्यवस्था है कि भोजन पकाने के कार्य में अध्यापकों एवं छात्रों की सहायता नहीं ली जायेगी, अपितु ग्राम पंचायतों की सहायता ली जायेगी, तथा भोजन पकाने हेतु महिला स्वयं सहायता समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप)/एन0जी0ओ0 की सेवाएं भी प्राप्त की जा सकेगी।

मिड-डे-मील योजना के कार्यान्वयन में प्रत्यक्ष रूप से शिक्षकों की भागीदारी नहीं है। शिक्षकों की भूमिका मध्यान्ह भोजन की गुणवत्ता को चखना एवं अपनी उपस्थिति में उसका वितरण कराना है। केवल ''मध्यान्ह भोजन निधि'' के संचालन हेतु प्रधानाध्यापक सह खातेदार हैं।

इस प्रकार का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

उक्तवत।

उक्तवत।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, मंत्री जी ने जो बातें कहीं, जो जवाब दिया है, वह कागजों पर तो ठीक है, परन्तु वास्तविकता में ऐसा हो नहीं रहा है। स्थिति क्या है कि प्राइमरी और जूनियर हाईस्कूल में मिड डे मील योजना-बच्चों के उचित पोषण, छात्र संख्या को बढ़ाने, स्कूल में आने और रुकने तथा जातिगत भेदभाव को कम करने तथा ड्रापआउट घटाने के लिए लागू की गयी थी। मान्यवर, जो इन्होंने बताया कि इस-इस तरह की कमेटियां बनायी गयी हैं, लेकिन स्थिति क्या है, जब प्राइमरी स्कूल खुलता है, शिक्षा का कार्य तो होता नहीं है, शिक्षक और छात्र मिलकर यह पूछते हैं कि आज का मीनू क्या होगा और भोजन क्या बनेगा ? शिक्षा का कार्य नहीं होता है उसके कारण शिक्षा का कार्य पूर्ण रूप से प्रभावित होता है, पढ़ाई स्कूलों में नहीं होती है। मंत्री जी, क्या कोई इसकी जांच कमेटी बनायेंगे और वह रेण्डम जांच करायें कि वहां पर क्या हो रहा है ? क्या सारे दिन भोजन ही बनता रहता है या बच्चों की शिक्षा भी होती है ? यह बहुत गंभीर मामला है? क्या इसमें एक जांच कमेटी बैठायेंगे ?

दूसरा प्रश्न यह है, अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि जो एन0जी0ओ0 लगायें हैं, वह बहुत अच्छा प्रस्ताव है, जो बच्चों को भोजन खिला रहे हैं, वृन्दावन की एक एन0जी0ओ0 है, अक्षयपात्र, उसको प्रदेश सरकार ने 3-4 जिलों में लागू भी किया है। वह एन0जी0ओ0 वृन्दावन में बहुत अच्छा काम कर रही है।

क्या उस एन0जी0ओ0 को प्रदेश में और जिलों को भी आवंटित करेंगे जिससे वहां के बच्चों को अच्छा भोजन मिल सके और बच्चों की शिक्षण कार्यों पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

मान्यवर, सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर यह मिड डे मील योजना सभी बच्चों के लिए चलायी जा रही है और सरकार की यह मंशा है कि बच्चों को स्वच्छ, गरम और गुणवत्तापरक भोजन मिले। उसमें अध्यापक की कहीं संलिप्तता नहीं है। बिहार में जब काण्ड हुआ उसके बाद हमने यहां पर एक व्यवस्था की कि जब भोजन बनेगा तो स्कूल का टीचर, या रसोइया या अभिभावक में से पहले कोई चखेगा और चखने के 15 मिनट बाद बच्चों को भोजन परोसा जाएगा। चूंकि हेडमास्टर और प्रधान की सहखातेदारी है। भोजन बनाने में भोजन खिलाने में बर्तन साफ करने में कोई भी अध्यापक की कोई भूमिका नहीं है। दूसरी बात आपने अक्षय पात्र की कही तो अक्षय पात्र देश और दुनिया में जानीमानी संस्था है और मा0 मुख्य मंत्री जी ने उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित करके अपने कालीदास मार्ग स्थित आवास पर उसके किचन का शिलान्यास भी किया और लखनऊ में उनका किचन लगभग तैयार है और हमको आशा है कि जुलाई से लखनऊ में अक्षयपात्र भोजन देने लगेगा। कानपुर, आगरा, लखनऊ, कन्नौज यह भी जोड़ा गया है, और मथुरा में यह पहले से ही हो रहा है। आपको याद होगा कि मैंने अक्षय पात्र के अधिकारियों से यह आग्रह किया था कि उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा प्रदेश है। आप देश के ओर प्रदेशों की चिंता छोड़कर सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश को आप ले लें तो हम आपको देने के लिए तैयार हैं। एन0जी0ओ0 चल रहे हैं। कहीं-कहीं पर कमियां भी मिलती हैं। जैसे कहीं पर छिपकली मिल गयी, कीड़े मिल गये। सरकार पूरी मुस्तैदी से इस बात का ध्यान रखती है और इस बात की जांच कराती है कि जहां कहीं इस तरह की गड़बड़ियां पकड़ में आती हैं हमने वहां पर कठोर कार्रवाई भी की है। सरकार की मंशा है कि बच्चों को अच्छी प्राथमिक शिक्षा मिले अच्छा भोजन मिले, अच्छा ड्रेस मिले अच्छी पढ़ाई हो। पढ़ाई के लिए पूरे सदन का सहयोग होगा। और बाकी के लिए हम सरकार की तरफ से हम सदन में आपको आश्वासन देते हैं कि मिड डे मील में कोई गड़बड़ी बर्दाशत नहीं की जायेगी। एक बात और कि मा0 डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी वरिष्ठ सदस्य हैं। मैं एक आदमी हूं जो 11:00 बजे से जब तक सदन से नहीं उठता हूं। मैं बैठता रहता हूं। आज प्रश्नों की तैयारी कर रहा था इसलिए देर हो गयी। घुटने लगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

घुटने नहीं लगे। यह सैद्धान्तिक प्रश्न उठाया कि जिस विभाग के माननीय मंत्री हैं उस विभाग के उत्तर के समय उपस्थित रहे यह परम्परा है।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

तीन-तीन मंत्री यहां बैठे हैं।

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

यह तो मंत्रि-परिषद का संयुक्त दायित्व है। आप आ गये चलिए ठीक है, लेकिन प्रश्न उठाना हमारा संवैधानिक अधिकार है इसलिए मैंने उसका उल्लेख किया।

श्री अध्यक्ष-

चलिये ठीक है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा मूल प्रश्न यह था कि क्या माननीय बेसिक शिक्षा मंत्री जी बतायेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में मिड-डे-मील की व्यवस्था एन0जी0ओ0 के माध्यम से करने जा रहे हैं। यदि हां तो कब तक इसको अंजाम देंगे। यह मेरा मूल प्रश्न था और उस मूल प्रश्न में इसको कहीं भी जो एन0जी0ओ0 के माध्यम से जो हमारी प्रश्न पूछने की मंशा थी वह तो प्रश्न ने ही गायब कर दिया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय खन्ना जी आप प्रश्न पूछिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न पूछने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि हमारे शाहजहांपुर में 10-12 स्थानों पर जहां खाद्यान्न रखा जाता है, जहां गैस सिलेण्डर रखा जाता है, उसमें चोरी हो गई। चोरी एक दिन हुई, दूसरे दिन हुई, तीसरे दिन हुई, चौथे दिन हुई, जब कई चोरियां हुई तो मेरे संज्ञान में जब लाया गया तो मैंने कहा कि अच्छा ठीक है, इसका इलाज क्या है, तो उन्होंने कहा कि साहब अगर यह काम किसी एन0जी0ओ0 को दे दिया जा, तो कम से कम ये चोरी की व्यवस्था शायद ठीक हो जाय, क्योंकि सिलेण्डर चोरी हो जाता है, खाद्यान्न चोरी हो जाता है, तो इलाज यह है, इसलिए मैंने यह सवाल किया था। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जैसे उन्होंने पहले प्रोजेक्ट के तरीके से कुछ जिलों में इसकी व्यवस्था कराई है, तो क्या सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में निकट भविष्य में भी इस तरह की व्यवस्था, आगामी सत्र से जो जुलाई से शुरू हो रहा है, क्या इस प्रकार की व्यवस्था करें, ताकि यह चोरी की व्यवस्था भी रुक जाय, इसका परमानेण्ट इलाज हो जाये और पूरे प्रदेश में जो चाहे निगरानी ही सही, अध्यापकों का, प्रधानाचार्य जी का और सबका ध्यान उधर रहता जरूर है मान्यवर, यह नियम की स्थिति हमें मालूम भी है कि शासनादेश क्या है, क्योंकि यह योजना पूरी तरह से केन्द्र सरकार की है और कुछ मामलों में जैसे किचन, रसोइया और कन्वर्जन कास्ट में भी 75 परसेण्ट केन्द्र सरकार का है, खाद्यान्न में सौ परसेण्ट केन्द्र सरकार का है, ट्रासपोर्टेशन भी केन्द्र सरकार का है, इसलिए मान्यवर मैं आपके माध्यम से यह जानना चाहता हूं कि अगर एन0जी0ओ0 के माध्यम से यह सम्पूर्ण व्यवस्था लागू होगी तो कम से कम शिक्षकों का ध्यान भी उधर नहीं जायेगा और पढ़ाई की गुणवत्ता भी बनी रहेगी और हमारा जो उद्देश्य है, मान्यवर वह भी पूरा हो जायेगा। यह आपके माध्यम से मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री रामगोबिन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 सदस्य को यह बताना चाहता हूं कि यह कठिनाई तो है, यह कठिन बात है, एक तरफ जब प्रधान से कोई चीज हटाई जाती है, तो वह अलग आन्दोलन करते हैं कि हमारे अधिकार को छीन लिया गया, दूसरी तरफ सरकार को भोजन की गुणवत्ता भी

देखनी है। आप जो कह रहे हैं कि अध्यापक लोगों का ध्यान, तो मैंने पहले ही साफ किया मा0 अध्यक्ष जी कि अध्यापक लोगों की किसी में कोई भागीदारी नहीं है। खाना बनाने के लिए रसोइया है, किचन शेड है, पढ़ाने वाली कक्षा से बगल में किचन शेड बना हुआ है, उसमें टीचर की कोई संलिप्तता नहीं है, फिर भी उसकी गुणवत्ता को बनाये रखने के लिए, प्रदेश में 346 एन0जी0ओ0 के माध्यम से भी जिलाधिकारी लोगों ने अलग-अलग एन0जी0ओ0 को लगा रखा है, जिसमें गाजियाबाद, नोएडा में नगर और ग्रामीण सम्पूर्ण में और बाकी जनपदों में केवल नगर महापालिका, नगर पालिका टाउन एरिया में जहां पर सभासद अच्छी तरह से नहीं चला पाते हैं, कोई खामियां मिलती हैं, वहां पर जिलाधिकारी का अधिकार है, वह वहां पर एन0जी0ओ0 के माध्यम से मिड-डे-मील का संचालन करते हैं। इसमें अध्यापकों की कोई संलिप्तता है ही नहीं, केवल चखने की है। नई व्यवस्था हमने लागू की, जब बिहार में इतनी बड़ी घटना हो गई, हमारे यहां भी कहीं छिपकली मिलने लगी, कहीं कुछ मिलने लगा तो यह तय हुआ कि टीचर या रसोइया या अभिभावक तीनों में से कोई लड़कों को भोजन परोसने से पहले उस भोजन को चखेगा और भोजन चखने के 15 मिनट के बाद बच्चों को भोजन परोसा जायेगा, तो टीचर की कोई संलिप्तता नहीं है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न इस जवाब से सम्बन्धित है, नगरीय क्षेत्र में मिड-डे-मील के वितरण की जो व्यवस्था की गई है, आपने लिखित जवाब दिया, कमेटी बनाई गई है, सम्बन्धित वार्ड सभासद अध्यक्ष है, सम्बन्धित वार्ड सभासद द्वारा मनोनीत दो महिलाएं उसकी सदस्य हैं,

(मा0 सदस्य भारतीय जनता पार्टी डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी जी के अपने स्थान से उठकर जाने पर।)

श्री रामगोबिन्द चौधरी-

बाजपेयी जी रुकिये, सदन चल रहा है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

देखिये मंत्री जी, जो कहना है, खड़े होकर कहिये, हम बैठे जा रहे हैं। मा0 मंत्री जी का दिमाग कहीं और चला गया है।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

देखिये, जहां मंत्रियों पर जिम्मेदारी है, वहां जिम्मेदार मा0 सदस्यों पर और जो अपनी पार्टी के नेता हों, उन पर भी जिम्मेदारी है। मंत्री अगर देर से आयें, प्रश्न काल क्योंकि सबसे कीमती समय है यह और भारतीय जनता पार्टी के इतने वरिष्ठ नेता कितना बोझ है उनके कन्धों पर ये अपनी जगह लेकिन उन्हें मेरे ख्याल से प्रश्न काल में इसलिये बैठना चाहिये था कि मंत्री जी के एक मिनट देर से आने पर उन्हें काफी एतराज है।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, हम लोगों की जो पार्लियामेण्ट्री व्यवस्था है मा0 सतीश महाना जी उपनेता हैं, मैं मुख्य सचेतक हूं।

श्री अध्यक्ष-

अरे, आप प्रश्न पूछिये।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल-

मैं प्रश्न यह पूछ रहा था कि ये शहर की ....

श्री मोहम्मद आजम खां-

आप क्यों इतनी पाबन्दी से बैठते हैं।

डा0 राधा मोहनदास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं यह पूछ रहा था कि यह जो कमेटी शहर में बनाई गयी है। मैं इस कमेटी का जीस्ट पढ़ दे रहा हूं। सम्बन्धित वार्ड सभासद अध्यक्ष, वार्ड सभासद द्वारा मनोनीत 2 महिलायें सदस्य, वार्ड सभासद द्वारा मनोनीत 2 पुरुष सदस्य। 6 सदस्यीय कमेटी में 5 सदस्य या तो सभासद हैं या सभासद के द्वारा मनोनीत हैं, एक प्रधानाचार्य। ग्राम में जो आपने कमेटी बनायी है तो ग्राम में आपने ग्राम प्रधान को रखा है लेकिन जो सदस्य हैं वे ग्राम प्रधान के कहने से नहीं है, ग्राम पंचायत से हैं। मेरा प्रश्न यहीं पर है, इसी सदन में हम लोगों ने अधिनियम पारित किया है, वार्ड कमेटियां बनायी हैं जिन वार्डों में हम यह मिड डे मील योजना दे रहे हैं। अगर हमने वार्ड कमेटी के लिये अधिनियम पारित किया है तो हमारी वार्ड कमेटियां बन गयी होंगी। जो अधिकार हमने सम्बन्धित सभासद को दिया है वो अधिकार हम लोगों को वार्ड कमेटियों को देना चाहिये। ये जो पुरुष और महिलायें उसमें मनोनीत होते हैं, वे सभासद के द्वारा चयनित न हों बल्कि वे वार्ड कमेटियों के द्वारा चयनित हों। मेरी आपत्ति आप इसको महसूस कर सकते हैं जो मैं कह रहा हूं, वह तार्किक है या नहीं है।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

मा0 सदस्य ने जो बात कही हैं इसका स्पष्टीकरण अपने प्रश्न में ही मा0 खन्ना जी ने किया था तो मैं आपकी बात को केन्द्र सरकार को लिख करके भेजूंगा और चाहूंगा कि जो आप चाह रहे हैं वह संशोधन हो जायें।

डा0 अरूण कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, बेसिक स्कूलों में अटेण्डेन्स उतनी नहीं होती जितने रजिस्टर में नाम दर्ज होते हैं। इस तरह से अध्यापकों को यह है कि हम ज्यादा बच्चों को पढ़ाते हैं और मिड-डे-मील वालों को यह है कि हम ज्यादा बच्चों को खाना खिलाते हैं जबकि असलियत में इन दोनों का फायदा है। बच्चे वहां पर कम है और मिड-डे-मील ज्यादा के लिये सैक्शन होता है। मैं चाहता हूं कि मा0 मंत्री जी इस पर भी गौर करें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

डा0 मो0 अयूब-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे प्रश्न पूछने की आज्ञा दी। मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह कहना चाहता हूं कि पिछले सत्र में हमने यह आग्रह किया था कि समाज के कमजोर वर्गों के बच्चे ज्यादातर मदरसों में पढ़ रहे हैं तो मंत्री जी ने उसमें आश्वासन दिया था कि उन कमजोर वर्गों के लिये भी जो मिड-डे-मील की व्यवस्था है, उस पर वह विचार करेंगे। मगर

अभी तक उसके लिये कोई कार्य नहीं किया गया है तो मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से यह जानना चाहूंगा कि समाज के जो सबसे कमजोर वर्ग के बच्चे जो मदरसों में तालीम हासिल करते हैं जो भुखमरी और कुपोषण के शिकार हैं तो क्या सरकार इस मिड-डे-मील की व्यवस्था उन मदरसों में भी करेगी, क्या सरकार ने उसका नीतिगत फैसला किया है। इसके बारे में मैं मंत्री जी से आपके माध्यम से जानना चाहूंगा।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य ने जो चिन्ता जाहिर की है जब उन्होंने प्रश्न किया था। मैंने उस समय ही तत्काल केन्द्र सरकार को इस बात के लिये लिखा कि यह आवश्यक है कि इन बच्चों को भी, मदरसे के बच्चों को भी इसमें जोड़ा जाये। जो इसकी मीटिंग हुयी थी मानव संसाधन विकास मंत्रालय की, मैंने उसमें जोरदार ढंग से इस बात को उठाया है और हमको विश्वास है कि केन्द्र सरकार और मानव संसाधन विकास मंत्रालय जल्दी इस विषय में कोई निर्णय लेंगे।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है।

नत्थी 'ख'

तारांकित प्रश्न

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-29 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

प्रदेश में बढ़ती हुई मंहगाई को कम करने के लिये प्रदेश में वैट की दरों पर कमी करने की सरकार की योजना

*1-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा), श्री प्रदीप माथुर, श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी तथा श्री दलवीर सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई महंगाई को कम करने के लिये प्रदेश में वैट की दरों पर कमी करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब से ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री अखिलेश यादव)-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के स्वांगीण विकास के लिये प्रदेश की वित्तीय आवश्यकता एवं संसाधनों को दृष्टिगत रखते हुये प्रदेश में वैट की दरें युक्तिसंगत रूप से निर्धारित की गई हैं।

श्री कालीचरण सुमन-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं मिड-डे-मील सुधार के लिए जो अक्षयपात्र योजना लागू की गयी है, वास्तव में अच्छी और ठीक है, परन्तु वर्तमान

परिस्थिति में जो रसोइये लगे हैं या जो कर्मचारी लगे हैं उनमें, आगरा समेत जो अक्षयपात्र की योजना लागू करने जा रहे हैं, जो रसोइये पहले से लगे हैं क्या वह बेरोजगार हो जायेंगे। यदि बेरोजगार हो जायेंगे तो उन्हें कैसे समायोजित किया जायेगा। यह मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

ये रसोइये जो हैं, ये नौकरी पर नहीं हैं। ये संविदा पर हैं, संविदा भी नहीं ये मानदेय पर हैं और जिनके बच्चे स्कूल में पढ़ रहे हों, उन्हीं घर की महिलाओं को उसमें मानदेय पर रखा जाता है। यह मान करके कि अपने बच्चे को ध्यान में रखकर वह सभी बच्चों के लिए अच्छी तरह से भोजन बनाने का काम करेगी, तो यह एक व्यवस्था थी, अब जब दूसरी व्यवस्था लागू होगी तो वह व्यवस्था तो हटेगी ही हटेगी। वह नौकरी नहीं है, तात्कालिक काम चलाने के लिए वह भी जब उसका बच्चा स्कूल से चला जाता है। अगली कक्षा में यानि मीडिल स्कूल में चला जाये, तो फिर वह खुद ही हट जाती है, फिर जिसका बच्चा पढ़ता रहता है, उसका चयन किया जाता है। तो यह नौकरी नहीं है, इसलिए इसमें कोई कठिनाई नहीं है। एक तरफ तो आप चाहते हैं कि अच्छा और गुणवत्तापूर्ण भोजन मिले। एक तरफ आप चाहते हैं कि अक्षयपात्र जैसी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को मिले और एक तरफ आप चाहते हैं कि उनको भी रखा जाए। ये दोनों बातें आप ही के कहने से तो नहीं होगी। इसलिए वह नौकरी नहीं है, मानदेय है, और तब तक है जब तक उसका बच्चा उस स्कूल में पढ़ रहा है। जब बच्चा पढ़ना छोड़ देगा तो वह भी अलग हो जायेंगी।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, महंगाई के ऊपर इससे पहले भी कई बार इस सदन में प्रश्न आते रहे हैं और एक सुझाव के रूप में ही वैट कम करके मंहगाई पर नियंत्रण किये जाने की बात कही जाती रही है और उदाहरण के लिए यह भी बताया जाता रहा है कि पड़ोसी कई राज्यों में, यहां की तुलना में उत्तर प्रदेश की तुलना में वैट का दर कम है इसलिए वहां इसका कारोबार ज्यादा होता है। वहां से लोग गाड़ियां लाते हैं, तेल लाते हैं, यहां उत्तर प्रदेश में लेकिन सरकार ने कहा की नहीं है और जो तर्क दिया वह भी युक्तिसंगत है, लेकिन यह भी सोचने वाली बात है और बहुत संजीदगी से सोचने की बात है कि जो गरीब वर्ग हैं और मध्यम वर्ग हैं, मंहगाई की मार, सबसे अधिक उन्हीं को सहनी पड़ती है। उसका कष्ट उन्हीं को सबसे ज्यादा उठाना पड़ता है, तो सरकार क्या कोई और तरीका विचार कर रही है कि जो मंहगाई की मार है, वह इन गरीब तबकों पर, मध्यम वर्ग पर कम पड़े उनको राहत दी जा सके। क्या सरकार ऐसा कोई विचार कर रही है।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 चौधरी साहब ने जो प्रश्न पूछा है, श्रीमन् मैं आपके माध्यम से मा0 सम्पूर्ण सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि यह गंभीर चिंता का विषय है और मंहगाई की जितनी मार आम आदमी पर और गरीब आदमी पर पड़ती है, वह चिंता का विषय है। आपने उस पर

चिंता व्यक्त की है और सरकार भी उतनी ही गंभीर है इस सवाल पर और इसलिए सरकार गठन के साथ ही श्रीमन् जो सबसे पहला कदम उठाने का काम मा0 अखिलेश यादव जी की समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया वह इस बात का अध्ययन कराने का किया कि हमारे वैट की या कर की दरें ऐसी रखी जायें, जिनके कारण पड़ोसी राज्यों से हमारी तुलना हो और हम देख सकें कि उसको कितना युक्तियुक्त किया जा सकता है। इसमें श्रीमन 750 वस्तुओं के कर के दरों का अध्ययन कराया गया पड़ोसी राज्यों से और खासतौर से मान्यवर, दिल्ली से चूंकि सर्वाधिक दिल्ली से सामान का आना-जाना होता है। दिल्ली और मध्य प्रदेश की सीमा बहुत लम्बी लगी हुई है। विपक्ष से हरियाणा प्रदेश का शब्द बोला गया।

हरियाणा छोटा स्टेट है, मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं।

मान्यवर, हरियाणा छोटा सा प्रदेश है, वैसे तो फिर बिहार है झारखंड है, वह बात नहीं है आप सुन लें। दो राज्य मध्य प्रदेश और दिल्ली से ज्यादा ट्रांजेक्शन होता है। मान्यवर, हमारी सरकार मार्च, 2012 में बनी और मई में हमारी सरकार ने 750 वस्तुओं का तुलनात्मक अध्ययन कराया। मान्यवर, 414 वस्तुओं पर दरें समान मिली हैं। मान्यवर, दिल्ली में 142 वस्तुओं पर वैट की दरें अधिक मिली हैं। मध्य प्रदेश में 123 वस्तुओं पर अधिक मिली हैं। मान्यवर, मध्य प्रदेश और दिल्ली की अपेक्षा उत्तर प्रदेश में सिर्फ 81 वस्तुओं की ज्यादा थी। इतनी वस्तुओं पर वैट की दरें इन स्टेट्स के मामले में अधिक मिली हैं। मान्यवर, वैट की दरें ज्यादा होने के कारण मंहगाई जो है यह पूरी तरह निराधार है। मान्यवर मंहगाई के अनेक कारण हैं। मान्यवर, मंहगाई के जो मूल कारण हैं उनमें भी जाना आवश्यक है। मान्यवर, वर्ष 2008 से वैट लागू है और 2014 तक अगर किसी कारण से वैट बढ़ा नहीं है तो वह एक बात है। मान्यवर, मंहगाई इतनी बढ़ गयी है कि जो वस्तुओं का मूल्य है वह दुगने तक हो गया है वह वैट के कारण नहीं है। वैट का कारण उसका आधार नहीं है। मान्यवर, उसके कारणों में उस सीमा तक हम नहीं जायेंगे। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में सरकार ने पूरा इसका परीक्षण करा लिया है कि वैट की दरों में मंहगाई बढ़ने में कोई बड़ा योगदान नहीं है। मान्यवर, इसमें जो-जो वस्तुयें हैं उनकी पूरी लिस्ट हमारे पास है उससे मैं पूरे सदन को अवगत करा दूंगा।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, कुछ कमोडिटीज ऐसी हैं जैसे पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल, अल्कोहल और वेहिकल्स, इसमें हमारी वैट की दरें हरियाणा, मध्य प्रदेश और दिल्ली से ज्यादा हैं। यह अधिक होने के कारण लोग वहां से सामान खरीद रहे हैं जिस कारण हमारी राजस्व की हानि हो रही हैं हमारे यहां इतनी अधिक दरें हैं और वहां की दरें कम हैं। तो क्या सरकार पेट्रोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, डीजल और विहिक्लस के ऊपर वैट की दरें कम करने पर विचार करेगी। सीमावर्ती प्रदेशों की वस्तुओं की दरों को देखते हुए।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, वैट की दरों का जो स्ट्रक्चर है उसमें चार स्ट्रक्चर हैं। पहली लिस्ट में वह सूची आती हैं जिसमें जीरो परसेंट है उसमें वैट नहीं लिया जाता है आमतौर पर वह लिस्ट है वह मैं आपके सामने रखता हूं जिसमें वैट लिया ही नहीं जाता है। दूसरा है जिस पर वैट एक परसेंट लिया जाता है

जिसमें मोस्टली दालें आदि सम्मिलित हैं। और तीसरा है जिसमें चार परसेंट लिया जाता है और चौथा है जिसमें साढ़े बारह परसेंट लिया जाता है। आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं वैट में है ही नहीं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

इनकी दिलचस्पी लिकर में ज्यादा है।

श्री अम्बिका चौधरी-

वह नान वैट में है। मान्यवर, जो नान वैट में है उनमें कर की दरें 50 परसेंट तक हो सकती हैं जिसमें सिगरेट भी है और जिसमें आपकी दिलचस्पी है। डीजल भी है पेट्रोल भी है वह साढ़े बारह परसेंट में नहीं है। और इसी कारण से अन्य प्रदेशों में जो पेट्रोल और डीजल की दरें हैं उसके बारे में बताना है। हमारे यहां डीजल में 17.48 परसेंट की दर से कर लेते हैं।

नान वैट में पेट्रोल, डीजल, स्प्रिट जिसको आप किसी ब्राण्ड से जानते हो मैं अनभिज्ञ हूं मुझे जानकारी नहीं है जो आपकी दिलचस्पी है सिगरेट तम्बाकू के दूसरे प्रोडक्ट इस पर मान्यवर यह नानवेट में कर की दरें 50 प्रतिशत किये जाने का प्राविधान है माडल ऐक्ट का जो ड्राफ्ट था उसके हिसाब से, अलग-अलग स्टेट अलग-अलग रखते हैं। मान्यवर, डीजल, पेट्रोल की बात मैं बताना चाहता हूं छत्तीसगढ़ में है 25 परसेन्ट हमारे यहां है 17.48 परसेन्ट और गुजरात में है 24.63 परसेन्ट माडल है यह मान्यवर, मैं डीजल का बता रहा हूं, मध्य प्रदेश में 24.23 परसेन्ट, महाराष्ट्र में 24 परसेन्ट, आंध्र प्रदेश में 22.25 परसेन्ट, तमिलनाडु में 21.43 परसेन्ट, कर्नाटक में 21.43 परसेन्ट, महाराष्ट्र अन्य में 21 परसेन्ट, केरल में 20 परसेन्ट, गोवा में 20 परसेन्ट, उड़ीसा में 19.18 परसेन्ट, उत्तराखण्ड में 18.49 परसेन्ट इस तरह से तमाम स्टेट में हैं। आप सुने तो मेरे पास जो जानकारी है उसे बताऊंगा हरियाणा ले चलना चाहेंगे तो हरियाणा भी ले चलेंगे। पेट्रोल में हमारे यहां है 26.80 परसेन्ट, मान्यवर, पेट्रोल के बारे में बता रहा हूं पंजाब में है 33.06 प्रतिशत, कर्नाटक में 31.25 प्रतिशत, आन्ध्र प्रदेश में 31.00 प्रतिशत, मध्य प्रदेश में 28.27 प्रतिशत, महाराष्ट्र में 27.62 प्रतिशत, आसाम में 27.50 प्रतिशत, तमिलनाडु में 27.00 प्रतिशत, राजस्थान में 26.86 प्रतिशत, छत्तीसगढ़ में 25 प्रतिशत, उत्तराखण्ड में 25 प्रतिशत, बिहार में 24.50 प्रतिशत, हरियाणा में 21 प्रतिशत, झारखण्ड में है 20 प्रतिशत सी0एन0जी0 में मैं बता रहा था हमारे यहां है 14 परसेन्ट, गुजरात में है 15 परसेन्ट।

(श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया के बोलने के लिए खड़े होने पर)

आप पूछ लीजिएगा, घबराइये नहीं प्रश्नकाल है अवसर मिलेगा, बैठिये, मुझे उत्तर देने दें, बीच में नहीं बता पाऊंगा और स्टाइल जरा हेल्दी रहेगी तो भी उत्तर वही सही आयेगा, बैठिये। आप सुनिये या तो उत्तर देने दें, मैं उनके प्रश्न का उत्तर दे दूं फिर दूंगा आपका। माननीय अध्यक्ष जी यह अनुचित है यह गलत बात है।

मान्यवर, सी0एन0जी0 में तमिलनाडु में 14.50 परसेन्ट, कर्नाटक में 14.5 परसेन्ट, पंजाब 14. 30 परसेन्ट, राजस्थान में 14 परसेन्ट, उत्तर प्रदेश में 14 परसेन्ट, हिमाचल प्रदेश में 13.75 परसेन्ट, बिहार में 13.50 परसेन्ट, इस तरीके से लिस्ट है मैं इसलिए निवेदन कर रहा था आपसे माथुर साहब, कि यह वैट के स्ट्रक्चर के अलावा जो नान वैट की जो शिड्यूल चार की कटैगरीज है जिसमें तमाम

राज्य अपने रेवन्यू के और संसाधनों के दृष्टिगत जो रखते हैं उसकी रेट होती है लेकिन हमारी रेट ज्यादा नहीं है यह हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं।

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं यहां पर देख रही हूं जैसे कल अपराधों की बात आई तो माननीय संसदीय कार्य मंत्री ने दूसरे प्रदेशों के अपराधों की संख्या गिनानी शुरू कर दी। हम लोगों ने उत्तर प्रदेश में मंहगाई किस तरीके से कम हो और उसमें वैट की दरों में कमी लाकर किस तरह से मंहगाई कम की जाय हमने माननीय मंत्री जी से यह प्रश्न उठाया माननीय मंत्री जी ने दूसरे प्रदेशों का जो वैट लगा हुआ है उसके आधार पर गिनाना शुरू कर दिया। मैं आपके माध्यम से जो मूल प्रश्न है हम लोगों का कि उत्तर प्रदेश में मंहगाई वैट के द्वारा किस तरीके से कम की जाय, यह है। जो डीजल है वह बहुत ही आवश्यक आज चाहे वह मध्यम वर्ग हो चाहे किसान हो सबके लिए एक आवश्यक जरूरत बन चुका है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहती हूं कि सरकार केन्द्र में हर महीने 50 पैसे डीजल पर बढ़ा देती है और उस बढ़े हुए रेट पर 50 पैसे पर जी प्रदेश की सरकार है 9 पैसे कुछ बढ़ा देती है यानि कि 59 पैसे का भार उपभोक्ता पर पड़ता है। हमारा प्रश्न है आप जो वैट की दर है जो हर महीने जो डीजल की दर बढ़ाई जाती है इसमें वैट को कम करने का प्रयास क्या आप करेंगे, या विचार करेंगे, यह मेरा प्रश्न है।

श्री अम्बिका चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि वैट की दर में एक नये पैसे की वृद्धि किये बिना डीजल 2009 में जो 27 रुपये 11 पैसे था वह 52 रुपये 11 पैसे तक पहुंच गया एक प्रतिशत की वृद्धि किये बिना तो क्या वैट से बढ़ा है। क्या अच्छे दिन आयेंगे के अनुमान में।

(भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों द्वारा टोका-टाकी करने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

कृपया सुन लें, रोकिये मत, सुनिये फिर उत्तर दीजिए। मान्यवर, अच्छे दिन आयेंगे के इन्तजार में डीजल 75 पैसे एक बार और 50 पैसे एक बार इतनी शीघ्रता से बढ़ गया तो क्या इसमें कोई वैट का योगदान है, मान्यवर, इसमें वैट का कोई योगदान नहीं है। मान्यवर, चीनी का मूल्य, संदर्भ नहीं है लेकिन चीनी 3 रुपये प्रतिकिलो बढ़ गई है अच्छे दिन में, क्या इसमें वैट का कोई योगदान है इसमें वैट का कोई योगदान नहीं है। दरअसल मंहगाई में वृद्धि के लिए चाहे दिल्ली में सरकार किसी की भी हो वस्तुतः पूरे देश में मंहगाई के लिए केन्द्र सरकार की नीतियां ही सर्वाधिक जिम्मेदार हैं और इसके अनेक कारण है डिमाण्ड एवं सप्लाई, डेफिसिट फाइनेन्सिंग, बहुत सारी चीजें हैं मैं इसकी जटिलता में नहीं जाऊंगा लेकिन हजार कारणों में एक कारण अगर सबसे बड़ा कारण है मूल और आधार कारण है तो वह केन्द्र सरकार की नीतियां हैं। मैं आक्षेप नहीं लगा रहा हूं कि तेल कम्पनियों को फायदा पहुंचाने के लिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि मुकेश अम्बानी, अडानी या कोई भी, मैं बाहर कहता हूं यहां नहीं कहुंगा, नाम गलती से ले लिया, मैं नाम वापस ले लेता हूं।

(सदस्य डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री अम्बिका चौधरी-

मैंने नाम वापस ले लिया आप कृपया सुन लें, मैंने दोस्तों के नाम वापस ले लिया। मान्यवर, जहां कहीं भी दोस्ती हो, उन दोस्तों को फायदा पहुंचाने के लिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

क्योंकि चीनी का दाम बढ़ा है और इम्पोर्ट ड्यूटी बढ़ी है, मैं नवाज़ शरीफ का नाम नहीं लूंगा।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, ऐसे दोस्तों को और जिन लोगों ने भी अच्छे दिन लाने में खून पसीने की अपनी गाढ़ी कमाई, दूसरों का खून और पसीना, और उनके हाथ से जाना, जिनका इस्तेमाल किया है उनकी मदद करने के लिए यदि यह मंहगाई बढ़ी है विमला जी तो चिन्ता कीजिए और अगर कहीं आवाज आपकी सुनी जाती हो तो आप आवाज उठाने की कोशिश कीजिए उत्तर प्रदेश सरकार बिल्कुल संकल्पबद्ध है कि मंहगाई उत्तर प्रदेश के किसी कृत्य से बढ़ने वाली नहीं है यह बात मैं मजबूती से कहना चाहता हूं।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी मा0 मंत्री जी ने कुछ बातें कही हैं। बड़े विद्धान हैं मान्यवर, इनको पता होना चाहिए कि जो पूर्व की सरकार थी वह 50 पैसे प्रतिमाह डीजल के दाम बढ़ाने के लिए नीतिगत फैसला कर गई थी।

(तत्पश्चात् नेता, भा0रा0 कांग्रेस श्री प्रदीप माथुर और उप नेता, भा0ज0पा0 श्री सतीश महाना अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात कहने लगे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य, कृपया शान्त रहें, एक-एक मा0 सदस्य अपनी बात कहें।

श्री मोहम्मद आजम खां-

आपने मत बढ़ाया होता, यह क्या बात हुई, यदि गत सरकार का निर्णय था तो आपने उस निर्णय को बदल दिया होता, किसने आपको मजबूर किया था। आपने रेल का किराया मत बढ़ाया होता। अगर इनके पाप न होते तो आप कैसे आते, इनके पाप आप भी ढो रहे हैं।

श्री प्रदीप माथुर-

आप पूर्व सरकार की नीतियों को बदल देते।

श्री अध्यक्ष-

मा0 माथुर साहब आप बैठ जायं पहले मा0 महाना जी को बालेने दीजिए।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, एक कहावत हैं कि ''सूप बोले तो बोले छलनी क्या बोले जिसमें बहत्तर छेद'' देश को बरबाद करके इस स्थिति में लाने के लिए ये जिम्मेदार हैं उसके बाद भी यह बोल रहे हैं।

(नेता, भा0रा0 कांग्रेस श्री प्रदीप माथुर और उप नेता, भा0ज0पा0 श्री सतीश महाना अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर बोलते रहे)

श्री अध्यक्ष-

इस तरह से आप लोगों का नहीं लिखा जायेगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, दोनों ने मिलकर ठग लिया देश को, मान्यवर, ठग लिया।

श्री अध्यक्ष-

मा0 महाना जी, आप सवाल करें।

श्री प्रदीप माथुर-

आप हमारी ही नीतियों का पालन कर रहे हैं।

श्री सतीश महाना (श्री प्रदीप माथुर की ओर इशारा करते हुए)-

आप बैठ जाएं आपके पास बोलने के लिए कुछ नहीं है।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, महाना जी ने कहा सूप बोले तो बोले चलनी क्यों बोले तो चलनी के रास्ते पर महाना जी क्यों जा रहे हैं उनको इस रास्ते से हटना चाहिए।

श्री सतीश महाना-

मुझे यह लगा कि पिछले महीने की 26 तारीख को हमारी सरकार बनी, अभी 26 तारीख आयी नहीं है। यह जो बोल रहे हैं यह पीड़ा इस बात की नहीं है कि क्या बढ़ा, पीड़ा चुनाव परिणामों की है जो परिलक्षित हो रही हैं तीनों दलों की।

श्री प्रदीप माथुर-

महाना जी पता लग जायेगा, जो यह गाया गया कि मोदी की सरकार, मोदी की सरकार, अच्छे दिन आने वाले हैं, यह पता चल जायेगा, आप लोग दंगे कराकर सत्ता में आ गये हैं।

(कांग्रेस के कई सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर शोर)

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य, शातं रहिये, महाना जी, आप अपना सवाल पूछिये।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मुझे एक बात की प्रसन्नता हुई कि अच्छे दिन लाने की जिम्मेवारी हमारी है, इन सब लोगों की नहीं है इस बात पर इन्होंने सहमति व्यक्त कर दी है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

अगर यही अच्छे दिन हैं तो यह आपको मुबारक, मुबारक आपको। अगर आपकी पार्टी ने यह बताया होता कि इतने बुरे दिनों के बाद अच्छे दिन लायेंगे जैसा कि गृह मंत्री जी ने कहा कि 05 महीने बाद मंहगाई कम होगी। अगर यह चुनाव के वक्त कहा होता तो शायद शक्ल यह नहीं होती। अभी माथुर साहब ने कहा कि दंगे कराकर सत्ता में आ गये, देखिये हमारे खून का रंग कितना अच्छा है।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा सवाल यह था कि आज जिस प्रकार से एक वातावरण बना है देश को प्रगति के रास्ते पर ले जाने का। (कांग्रेस के कई मा0 सदस्यों द्वारा एक साथ बालेने पर शोर)।

श्री प्रदीप माथुर-

अध्यक्ष जी, मा0 महाना जी की अदा देखिये ऐसा लग रहा है कि यहां ठुमके लगाने वाले हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल पूछिये, नहीं तो दूसरा सवाल लेते हैं।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी....

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं इसलिए मुझे अवसर मिलना चाहिए।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, जो मूल प्रश्न था वह यह था कि जो डीजल के दाम आज वर्तमान में हैं उसके ऊपर वैट की कमी करेंगे, उसका उत्तर दे दिया कि नहीं मान्यवर, यह किसी भी हालत में मंहगाई को कम करने के लिए अपनी जिम्मेवारी को नहीं निभाना चाहते हैं, किसी भी हालत में यह प्रदेश को मंहगाई से राहत नहीं दिलाना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

सवाल पूछिये।

श्री सतीश महाना-

मैं सवाल पूछ रहा हूं, केवल यह कारण नहीं है। मान्यवर, जिस समय देश की सरकार मंहगाई के ऊपर नियंत्रण करना चाहती है उस समय यह मंहगाई बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि...

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न-प्रहर है, भाषण के लिए नहीं है। आप सवाल पूछिये।

श्री सतीश महाना-

आज यह मान्यवर, हमारे से हिसाब के लिए बैठे हैं, मान्यवर, चूंकि यह विषय आया है इसलिए जवाब देने का हक बनता है। मैं पूछना चाहता हूं कि जवाहर लाल जी 16 साल तक प्रधानमंत्री रहे, जिस यू0पी0ए0 की सरकार को यह 10 साल तक समर्थन देते रहे, भ्रष्टाचार करवाते रहे, 10 साल तक एक दूसरे के समर्थन के साथ इस देश को नर्क में डालने का काम किया है, यह हमारे से हिसाब मागेंगे ? हम इनको हिसाब देंगे जिस समय पांच साल पूरे होंगे।

श्री अध्यक्ष-

अब हम आगे बढ़ते हैं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

उसकी सजा जो किया इनकों मिल गई कांग्रेस को भी और पंडित जवाहर लाल नेहरू को भी हालांकि वह इस सदन के सदस्य नहीं थे जो आप अब कर रहे उसी सजा का आप भी इंतजार करें।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न प्रहर है। प्रश्न प्रहर में यह सब नहीं होता है।

श्री सतीश महाना-

यहां पर जो बात आई उसका जवाब दे रहे हैं। दो साल में आपकों भी सजा मिल गई। [xxx xxx xxx] पांच साल बाद हमारा हिसाब किताब होगा।

श्री अध्यक्ष-

अब यह लिखा नहीं जाएगा। न यह कार्यवाही का अंग होगा।

श्री दलबीर सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूं कि पेट्रोल और डीजल की जो मूल कीमत है उस वास्तविक कीमत को सरकार बताए दूसरा जब यह सरकार किसानों की सरकार मानी जाती है माननीय नेता मुलायम सिंह किसानों के नेता माने जाते हैं जितना भी वैट है क्या कृषि यंत्रों पर ट्रैक्टर ट्राली आदि पर वैट टैक्स से सरकार मुकत करने जा रही है। तीसरी बात यह है कि मेरा जनपद-अलीगढ़ हरियाणा की सीमा से लगा है वहां पर डीजल और पेट्रोल में 6-7 रुपये का अन्तर है हरियाणा से इसलिए पूरे के पूरे टैंकर वहां से आयात हो रह हैं हमारे जितने भी वाहनों का रजिस्ट्रेशन है अलीगढ़, मथुरा, बुलन्दशहर आदि आस पास के जिलों का वह हरियाणा से हो रहा है यदि पड़ोस के जिलों में डीजल, पेट्रोल और गाड़ियों पर वैट कम कर दिया जाय तो काफी राजस्व की बचत होगी प्रदेश सरकार को। इस सम्बन्ध में मैं सरकार का जवाब चाहता हूं। किसानों के जो यंत्र हैं जो कृषि कार्य में उपयोग में लाए जाते हैं उन पर वैट खत्म करने का सरकार इरादा रखती है और पेट्रोल और डीजल की मूल कीमत क्या है ? 26 रुपये पेट्रोल पर और 17 रुपये डीजल पर आप ले रहे हैं तो प्रदेश की जनता इनकी मूल कीमत जानना चाहती है। मंहगाई का ढिंढोरा भारत सरकार भी पीट रही है और आप भी पीट रहे हैं। जब मूल कीमत जनता को पता चल जाएगी तो आपको भी जवाब तलब करेगी और भारत सरकार से करेगी। कृपया इसकी मूल कीमत बता दें ?

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, ठाकुर साहब ने अच्छी बात पूछी है मैं पहले उनके दूसरे प्रश्न का उत्तर पहले दे दूं। उन्होंने पूछा कि क्या कृषि के उपकरणों पर टैक्स कम करेंगे यह शून्य है और शून्य से कम क्या कर सकते हैं। मान्यवर, कृषि उपकरणों पर टैक्स की दर शून्य है और शून्य के नीचे ले जाने की कोई गुजाइश नहीं है। पहला आपने बेसिक प्राइस पूछी है यह बेसिक प्राइस आपको बताना चाहता हूं यह 52.11 रुपये बेसिक प्राइस है डीजल की और पेट्रोल की है 60.64 रुपये बेसिक प्राइस है।

श्री अध्यक्ष-

दादा अब आप बैठ जाएं। मैंने अगले प्रश्नकर्ता को पुकार लिया है।

श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

मान्यवर, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं यह अधिकार मेरा है।

श्री अध्यक्ष-

आपने एक प्रश्न पूछ लिया है इस पर इतना सवाल हो गया है। अब आगे बढ़ा जाए दो सवाल में इतना समय लग गया।

[xxx] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

मान्यवर, मेरा प्रश्न पुकार लिया गया है और मैंने उत्तर भी पढ़ दिया है। अब चौधरी साहब द्वारा किस तरह से प्रश्न किया जाएगा। जब आप आगे बढ़ गये तो पीछे कैसे लौट रहे हैं। यह परम्परा के विपरीत है।

श्री अध्यक्ष-

क्योंकि सुरेश कुमार खन्ना जी नहीं खड़े हुए थे मैंने उनका नाम पुकारा था तो आपको जवाब देने के लिये नहीं खड़ा होना था यह भी आपकी कमी है। चलिए माननीय सदस्य अब सप्लीमेंटरी पूछिये।

तारांकित प्रश्न

नत्थी (ग)

सरकारी विद्यालयों में पढ़ाये जा रहे प्राइमरी/जूनियर पाठ्यक्रम में आमूल-चूल परिवर्तन की सरकार की विचाराधीन योजना

*01-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाये जा रहे प्राइमरी/जूनियर पाठ्यक्रम में आमूल-चूल परिवर्तन की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि हां, तो उक्त योजना को कब तक लागू कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा-2005 के आलोक में वर्ष 2007-08 में प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में पढ़ाये जा रहे प्राथमिक और उच्च प्राथमिक स्तरीय पाठ्यक्रम का पुनरीक्षण किया जा चुका है।

*02-श्री दलवीर सिंह-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

श्री अध्यक्ष-

सुरेश कुमार खन्ना जी आप पूछिये। क्योकि सुरेश कुमार खन्ना जी नहीं खड़े हुए थे, मैंने उनका नाम पुकारा था तो आपको जवाब देने के लिये नहीं खड़ा होना चाहिए था। अब सुरेश कुमार खन्ना जी आप अपना सप्लीमेन्ट्री सवाल पूछिये। दादा जी आप बैठिये। पहला सप्लीमेन्ट्री आपने किया था। मैं आपकी बहुत बात मानता हूं, अब आप मेरी बात मान जायं, आप बैठ जायं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, जरा यह हाउस व्यवस्थित करवा दें। एक व्यवस्था आपसे चाहते हैं कि जिस समय यह सदन चले उस समय कम से कम।

श्री अध्यक्ष-

अरे वही नहीं, आपकी तरफ से भी लोग आते हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हम किसी को इंगित तो कर नहीं रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब यहां बैठियेगा तो इंगित करियेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जो ज्यादा लोकप्रिय होता है उसके पास लोग ज्यादा आते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से अति विद्धान मंत्री से दो तीन चीजें पूछना चाहते हैं। मान्यवर, इस प्रश्न का आशय यह था कि सभी लोगों को जानकारी है कि बेसिक एज्यूकेशन में गुणवत्ता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। यह हमारी बुनियाद है, और इसके ऊपर सबसे ज्यादा ध्यान दिया जाना चाहिए। मान्यवर, इसलिये यह सवाल किया था कि क्या कोई आमूल-चूल परिवर्तन करेंगे ? माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया है जहां तक मेरी जानकारी है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा 2005 में तय हुई तथा वर्ष 2007 और 2008 में प्रदेश के सरकारी विद्यालयों में इसको लागू किया गया। इसके कुछ मुख्य बिन्दु मान्यवर, यह हैं। लचीला बनाया जाय शिक्षा को, शिक्षा को जीवन के साथ जोड़ा जाय, रटने की प्रक्रिया से मुक्त कराया जाय, बस्ते के बोझ को कम किया जाय और दैनिक जीवन की गतिविधियों को जोड़ा जाय। मान्यवर, इसमें जो चार-पांच मुख्य बिन्दु थे वह इसमें जोड़े गये भारत सरकार के द्वारा और प्रदेश सरकार ने 2007-2008 में जोड़े। मान्यवर, उद्देश्य बिल्कुल सीधा है। तीन चीजें बच्चों को प्रभावित करती है। मां-बाप के जीन्स, गृह नक्षत्र और तीसरी चीज माहौल। पहली दो चीजें तो मान्यवर, हम बदल नहीं सकते। तीसरी चीज माहौल को बदल सकते हैं मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इन पांचों बिन्दुओं को लागू करने के बाद शिक्षा की गुणवत्ता में कितना अंतर आया मान्यवर। क्योंकि अन्तोगत्वा उद्देश्य यही पर है कि शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार कैसे हो ? क्या मान्यवर, इसमें शिक्षकों की उपस्थिति को अनिवार्य करने के लिये जिस तरह से कई कारखानों में, कई स्थानों पर यह व्यवस्था है कि सुबह भी अपनी हाजिरी लगायेंगे अंगूठे के माध्यम से और शाम को भी मान्यवर, जिस समय जायेंगे उस समय भी हाजिरी लगायेंगे। तो क्या माननीय मंत्री जी ने जिस समय यह सुधार के कार्यक्रम लागू किये तो क्या इस प्रकार की कोई व्यवस्था लागू की थी कि अध्यापकों की विद्यालयों में उपस्थिति सुनिश्चित हो सकें नम्बर दो मान्यवर, बस्ते के बोझ को कम करने की बात कही गई है, शिक्षा को जीवन के साथ जोड़ने की बात कही है, शिक्षा को जीवन की दैनिक गतिविधियों से जोड़ा जाय, क्या माननीय मंत्री जी ने इसमें कोई नैतिक शिक्षा का प्राविधान ऐसा किया है जो बच्चों के संस्कार पूरी तरीके से बदल सकें क्योंकि आपने आमूल चूल परिवर्तन की बात कही है।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जो हमको उत्तर देना चाहिए था, माननीय सदस्य ने खुद ही कह दिया हमारे उत्तर को। अब इनका एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है शिक्षा की गुणवत्ता का और प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा की गुणवत्ता आवश्यक है और अध्यापक लोगों का सुबह से शाम तक पढ़ाना भी आवश्यक है।

हम लोगों को टीचर लोगों को क्लासवर्क कराना भी आवश्यक है। मान्यवर, मन दुःखी हो जाता है जब कोई आदमी कहता है कि अब हमारे परिवार का आदमी 10 कि0मी0 दूर रहेगा। श्रीमन्, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं कि जितनी समस्याएं शिक्षकों की थी मैंने सारी समस्याओं का हल निकाल लिया। एक उनकी समस्या थी, 17140 की, उसको भी पूरा कर दिया। मैंने कल ही प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष और उनके पदाधिकारियों से कहा है कि आप प्रदेश के जिलों के अध्यक्ष और महामंत्री लोगों को बुलाइये और इस पर विचार हो कि जब आपकी समस्या का सरकार ने समाधान कर दिया है तो जनता की एक ही समस्या है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, उसको अगर आप लोग नहीं देंगे तो इसके लिए हम लोग अधिनियम में बदलाव करेंगे और निलम्बित ही नहीं, रिस्टीकेट की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जायेगी, श्रीमन्। मैं खुद चिन्तित हूं, इस पढ़ाई से मैं संतुष्ट नहीं हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन इसमें पूरे सदन के लोगों का सहयोग चाहिए। अध्यक्ष जी, इसलिए मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी को और सब मा0 सदस्यों को पत्र लिखा कि जब आप क्षेत्र में जा रहे हैं तो कृपया प्राथमिक स्कूल भी जरूर जायें। आपके जाने से टीचर में दहशत पैदा होगी कि मा0 विधायक स्कूल गया था, हम स्कूल में नहीं थे, शर्म भी लगेगी, आप मुझसे कहेंगे तो उसके खिलाफ कार्यवाही भी होगी। लेकिन जब तक सारे लोग दहशत नहीं बनायेंगे। अध्यक्ष जी, अकर्मण्यता इस प्रदेश में सबसे बड़ी खामी है। लोग अधिकार तो जानते हैं, कर्तव्य को कोई जानना नहीं चाहता, तनख्वाह सबको चाहिए, नौकरी सबको चाहिए, लेकिन जिस काम के लिए है, उस काम को रंच मात्र भी नहीं करना चाहिए, यह प्रकृति बन गयी है, इसको तोड़ना होगा, इसमें सरकार और विपक्ष ही नहीं, खन्ना जी, इसमें सारे लोगों की सहभागिता होगी। प्राथमिक शिक्षा को बचाना और उसमें गुणवत्तापूरक शिक्षा दिलाना और टीचरों की उपस्थिति सुनिश्चित करना यह सरकार की जिम्मेदारी है। मैं आप लोगों से सहयोग मांगता हूं और जैसा आपने कहा, मैंने एक साल पहले से इस पर काम शुरू किया है जो हो सकता है कि जल्दी ही लागू हो जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय मंत्री जी, एक सवाल और। माननीय अध्यक्ष जी, कई प्रान्त ऐसे हैं, जहां पर अभी चौथा वेतन आयोग लागू है, पंचम वेतन आयोग की सुविधा अभी नहीं दी गयी है।

श्री अध्यक्ष-

वेतन आयोग की बात इसमें कहां से आ गयी ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, शिक्षा की गुणवत्ता की बात है। मेरा प्रश्न सिर्फ इसलिए है, मैंने सुना है, लेकिन आप अखबारों का संज्ञान यहां लेते नहीं हैं कि शिक्षकों का स्थानान्तरण गैर जनपद करने की बात हो रही है।

श्री अध्यक्ष-

यह प्रश्न से कहां सम्बन्धित है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, आमूल-चूल परिवर्तन की बात मैंने की है और यह आमूल-चूल परिवर्तन है। यह पूरे हाउस की चिन्ता है लेकिन इस हाउस में बैठे हुए एक भी माननीय सदस्य का बेटा उस प्राइमरी स्कूल

में पढ़ने नहीं जाता है। आज बेसिक शिक्षा अधिकारी के पास सबसे ज्यादा बजट है, सारे विभागों का बजट मान्यवर, आप देख लें, सबसे ज्यादा बेसिक शिक्षा अधिकारी बजट ड्रा करता है। एक भी मा0 सदस्य का बच्चा वहां पढ़ने नहीं जाता है क्योंकि वहां शिक्षा की गुणवत्ता नहीं है। मैं किसी को दोष नहीं दे रहा हूं, हम भी उतने ही दोषी है, हम नहीं कर पाये इसलिए यहां बैठे हैं। लेकिन मान्यवर, पीड़ा इसलिए होती है कि सबसे ज्यादा पैसा मिलने के बाद भी आखिरकार सुधार कब होगा ? वह कौन सा दिन आयेगा, जिस दिन इसकी शुरूआत होगी। मैं मा0 मंत्री जी को बधाई देता हूं कि वह इसके लिए चिन्तित हैं, विद्वान भी हैं और संवेदनशील भी हैं, इसलिए वह इसकी चिन्ता करते हैं, इसलिए मैं यह बात कह रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

आप क्या पूछ रहे हैं, इतनी लम्बी बात कह रहे है, आपने सवाल क्या पूछा ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मेरा प्रश्न है कि क्या गैर जनपदीय स्थानान्तरण के विषय में मा0 मंत्री जी विचार करेंगे और जिन विद्यालयों में आवश्यकता से अधिक शिक्षक हैं, उनको हटाकर जहां पर अध्यापकों की वजह से विद्यालय नहीं खुलते, उनको वहां पर समायोजित करायेंगे।

(श्री इन्द्रजीत सरोज के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मंत्री जी का जवाब आ जाये, बीच में नहीं खड़े होते। मा0 सदस्य ने प्रश्न किया है और मंत्री जी जवाब दने के लिए खड़े हैं।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

अध्यक्ष जी, मूल प्रश्न के अलावा यदि दूसरे प्रश्नों पर मा0 मंत्री जी का उत्तर आयेगा तो मुझे भी पूछने का हक होगा।

श्री अध्यक्ष-

आप सवाल तो पढ़ो, आमूल-चूल परिवर्तन, यानी व्यापक परिवर्तन उसका एक अंश यह भी होता है, आप बैठिए।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से मैं मा0 सदस्य को बताना चाहता हूं कि स्थानान्तरण जो इन्होंने अन्तरजनपदीय स्थानान्तरण चाहा है उसको किया जाएगा। मा0 अध्यक्ष जी उस पर विचार हो रहा है किया जाएगा। हम लोग आनलाइन एप्लीकेशन मांगने की प्रक्रिया में हैं। लेकिन श्रीमन्, फिर प्रश्न होता है कि अध्यापक नहीं हैं। तो होगा। कुछ भर्तियां हम कर लेना चाहते हैं। भाजपा के शासनकाल से शिक्षा में सुधार प्रक्रिया में है। भाजपा भी पांच साल रही, इसके पहले हम लोग भी थे। अध्यक्ष जी, मूल मंत्र हैं काम करने की इच्छाशक्ति। हम सदस्य हैं हम रातोंरात जनता के लिए उलझे रहते हैं। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। सबेरे जब जगते हैं तो 15 आदमी मौजूद। न खाइये न पीजिये। जनप्रतिनिधि 24 घण्टे में 18-19 घण्टे काम करता है तो उस पर सारी जिम्मेदार है अधिकारी की भी, जनता की भी, देश की भी। और हमारे अधिकारी, कर्मचारी जिनको हम पूरा पैसा देते हैं अपना कर्तव्य

नहीं निभाता है तो इसकी चर्चा तो सदन में होनी चाहिए। क्यों नहीं कर्तव्य निभाता, क्यों नहीं पढ़ाता, इतनी बड़ी तनख्वाह पाता है। मैं रिक्वेस्ट करते-करते थका हूं फिरा मैं अल्टीमेटम दिया हूं। और पढ़ाई होगी। सदन अगर सहमत हो तो टीचर को पढ़ाना पड़ेगा और यहां अधिक हैं वहां से जहां कम हैं वहां पर समायोजन निश्चित रूप से किया जाएगा।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि जो शिक्षा में आमूल-चूल परिवर्तत की बात यहां की गयी है हम भी प्राइमरी में पढ़े हैं वहीं से आये हैं।

श्री अध्यक्ष-

आप प्राइमरी के मिनिस्टर भी रहे हैं।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

नहीं मैं प्राइमरी का मिनिस्टर नहीं रहा। मैं समाज कल्याण में था। मान्यवर, हम भी देहात में रहते हैं और प्रायः देखते हैं। मैं मा0 मंत्री जी से अपने को सम्बद्ध करते हुए कहना चाहता हूं कि जैसे बहुत से टीचर हमारे पास भी आते हैं कि हमारे गांव के ही स्कूल में तैनाती मिल जाये। मैं उन्हें तो साफ जवाब दे देता हूं कि जब देश का सैनिक सीमाओं में तैनात हो सकता है तो आपको 10 किमी0 जाने में कौन सी दिक्कत है। तो मान्यवर, मेरा प्रश्न यह है कि क्या मा0 मंत्री जी को यह जानकारी है कि छात्र संख्या के आधार पर प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक तैनात करने की व्यवस्था है। ऐसा मेरे संज्ञान में है। मेरे संज्ञान में ऐसा है कि शिक्षक अपनी तैनाती उसी स्कूल में कराने के लिए फर्जी छात्र संख्या वहां पर दिखाने का काम करते हैं। ताकि इसी विद्यालय में उनकी तैनाती रहे। क्या मा0 मंत्री जी के संज्ञान में है, क्या उन्होंने ऐसा कोई सर्वे कराया है कि फर्जी छात्र संख्या के आधार पर क्या टीचर नियुक्त हैं। अगर नियुक्त है तो उनके खिलाफ कोई कार्रवाई की गयी या करेंगे ? यह मेरा पूछना है।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जब मुझे बेसिक शिक्षा विभाग का चार्ज मिला तो हमको बहुत गड़बड़ियों का पता चला । एक तो गड़बड़ी यह है कि एक तो टीचर चाहे महिला है या पुरुष हैं। काम कर रहा है मुम्बई में दिल्ली में और तनख्वाह ले रहा है स्कूल से। मैंने इसकी व्यापक खोजबीन करवाई। और ऐसे सभी लोगों को मैंने वापस बुलवाया और कहा या तो आप पढ़ाइये नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिए। मा0 सदस्य ने कहा कि यह बात भी हमकों चर्चा में सुनने में आती है मैं इसकी जांच करवाउंगा और जहां कहीं भी कोई टीचर ने गड़बड़ी की है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करूंगा।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापक के पदों पर मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेशानुसार टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति का प्रकरण

*03-श्री सुरेश राणा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में रिक्त सहायक अध्यापक के पदों को भरने के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा 20 नवम्बर, 2013 को पारित आदेश के अनुरूप टी0ई0टी0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

जी हां।

मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-11-2013 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1874-1902/2014 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 25-3-2014 के अनुपालन में 72,825 प्रशिक्षु शिक्षकों के चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री सुरेश राणा-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी काफी देर से यहां शिक्षा को लेकर के सभी लोग चिन्तित हैं, चूंकि बड़ी संख्या का मामला है, 72 हजार संख्या है। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि जवाब में आया है कि नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है। तो क्या सरकार ने कोई समय सीमा तय की है कि कब तक यह प्रक्रिया पूरी हो जायेगी और तय की है तो वह क्या है।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

श्रीमन् यह नियुक्ति ही बड़ी झंझट में है। मैंने कई बार इस सदन में इस बात की चर्चा भी की है और थोड़ा समय देंगे यह बहुत जरूरी है सदन को समझने के लिए। जब नई शिक्षा नीति केन्द्र सरकार ने बनाया श्रीमन् तो उसमें टीचर को टी0ई0टी0 करने के लिए अनिवार्य किया कि अब वही टीचर होगा जो दो साल की बी0टी0सी0 की ट्रेनिंग किये होगा और टी0ई0टी0 पास होगा और उन्होंने टी0ई0टी0 को पात्रता परीक्षा माना। पिछली जो सरकार थी, किन्हीं कारणों से मैं किसी पर आरोप नहीं लगाता, न तो मेरी ऐसी आदत है, उसमें नियमावली में चेन्ज किया गया और जो पात्रता परीक्षा थी, वह टी0ई0टी0 को मेरिट मान लिया गया कि मेरिट के आधार पर इसकी नियुक्ति होगी और उसका नतीजा यह हुआ श्रीमन कि मेरिट बढ़ाने के लिए घूसखोरी चरम सीमा पर हुई। यहां पर निदेशालय में अभ्यर्थियों ने नम्बर बढ़वाये, कुछ अभ्यर्थी मा0 उच्च न्यायालय गये कि हमारी कापी ठीक से नहीं जांची गई, बहाना तो दूसरा था, केवल इसको कुकृत्य कराना था, तो मा0 उच्च न्यायालय ने भी कहा कि नहीं ठीक है, इनकी कापी दोबारा जांची जाय, तो उसमें भी नम्बर बढ़े। जब चुनाव हम आप लड़ रहे थे, तो उस बीच गाड़ियों की चेकिंग हो रही थी कानपुर में, बेईमान बहुत लोग हैं, इसलिए चेकिंग हो रही थी कि हम लोग रुपया बांटने के लिये कहीं न ले जाएं। पूरा देश हमी लोगों को देख रहा था कि हम लोग रुपया बांट रहे हैं चुनाव में, तो चुनाव में एक गाड़ी में काफी पैसा मिला। पूछा लोगों ने कि किस प्रत्याशी का है, किस पार्टी का है, तो उन्होंने कहा कि न तो यह किसी पार्टी का है न तो किसी प्रत्याशी का है, यह रुपया हम घूस देने के लिए ले जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसको घूस देने के लिए यह रुपया ले जा रहे हो और क्यों, तो उन्होंने कहा कि साहब हम लोगों ने टी0ई0टी0 की परीक्षा दी है, उसमें नम्बर बढ़वाने के लिए और रिजल्ट निकालने के लिए एक किश्त दी है, यह दूसरी किश्त ले जा रहे हैं। किसको देना है, उस आदमी का नाम बताया, वहीं से पुलिस के लोगों ने फोन से उस अधिकारी से पूछा कि साहब रिजल्ट कब निकलेगा, तो अधिकारी इतने ढीठ थे कि कहा कि अभी दूसरी किश्त तुम लोग लाये नहीं, यह फोन पर वह लोग पूरी तरह से सुनवा रहे हैं, तो कहा उसने

साहब 64 लाख तो हैं या 65 लाख कुछ बताया, तो अधिकारी ने कहा कि बाकी पैसा, तो बाकी पैसा इसके बाद श्रीमन्, तो कहा कि जो है, वह ले आ। पुलिस वहां से आई, उसको गिरफ्तार किया और जेल भिजवा दिया। बरस-डेढ बरस वह जेल में रहा है अभियुक्त, मान्यवर, जेल में रहे अभियुक्त, इसलिए टी0ई0टी0 की परीक्षा हमारे विभाग से छीन कर के माध्यमिक शिक्षा विभाग से कराई गई, तो कुछ कागज माध्यमिक शिक्षा विभाग को गये, कुछ कागज पुलिस विभाग में हैं और कुछ कागज कोर्ट में हैं, कठिनाई है फिर भी जब मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने आर्डर किया अन्तरित आदेश किया तो मैंने आदेश दिया अधिकारियों को कि तत्काल कार्रवाई शुरू की जाय, लेकिन तब तक चुनाव आ गया। चपरासी से लेकर प्रमुख सचिव तक, डायरेक्टर से लेकर के विशेष सचिव तक सारे के सारे चुनाव ड्यूटी में लग गये, पूरा दो महीना बाधित हो गया, फिर भी हमारे अधिकारियों ने हर जिलाधिकारी, से समय डायट में जमा करने का था, अब ऑन लाईन एप्लीकेशन मांगी जा रही हैं, जो नई नियुक्तियां हो रहीं हैं तो हर जिलाधिकारी को, हर डायट के प्राचार्यों को हमारे विभाग के अधिकारियों ने निर्देश दे करके उनका डाटा मंगवा लिया है। एन0आई0सी0 कह रही है कि हमको पूरा तैयार करने में 6 हफ्ते का समय लगेगा इसलिये सर्वोच्च न्यायालय से भी कुछ समय की छूट और मांगी गयी है। प्रक्रिया चल रही है, 6 हफ्तों में एन0आई0सी0 यह कर देगा, उसके बाद काउंसलिंग की कार्यवाही शुरू हो जायेगी। एक थोड़ा सा और क्लियर करना चाहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है यह, सुन लीजिये, क्वेश्चन और होगा कि नहीं होगा। जब हमारी सरकार आयी और 72825 शिक्षकों का जो मा0 सदस्य ने उठाया है। काउंसलिंग प्रारम्भ कर दी, काउंसलिंग शुरू हो गयी, वही लोग जिन्होंने गलत ढंग से नम्बर बढ़वाये थे। वह उनकी शह पर या उस डायेरक्टर की शह पर मा0 उच्च न्यायालय चले गये। नहीं तो हो गयी होती नियुक्ति। तो बेईमानी की पैरवी कम, ईमानदारों की पैरवी सबसे अधिक होनी चाहिये मा0 अध्यक्ष जी। मैं आपके माध्यम से इस सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि ये होगी नियुक्ति, प्रक्रिया में थोड़ा विलम्ब हो सकता है। मा0 अध्यक्ष जी, यही आपसे कहना है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि स्वाभाविक रूप से जब मामला न्यायालय में विचाराधीन था तो कार्यवाही में कहीं न कहीं अवरोध आया लेकिन मा0 उच्च न्यायालय और मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद सीधे-सीधे निर्देश मा0 सर्वोच्च न्यायालय का हुआ कि 12 सप्ताह के अन्दर इन टी0ई0टी0 प्रशिक्षित शिक्षकों की भर्ती सुनिश्चित की जाये तो 12 हफ्ते का समय भी पर्याप्त होता है और यदि मान लीजिये कि अभी तक नहीं हो पाया, सरकार की मंशा साफ है तो मैं केवल इतना जानना चाहता हूं कि कितना समय ये और लेंगे इनकी नियुक्ति के लिये और कब तक यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा। बस केवल इतना ही सवाल है।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

मा0 विरोधी दल, अभी मैंने पूरे सदन से निवेदन किया था कि जनपदों से डाटा फीडिंग, आंकड़े के लिये एन0आई0सी0 से एक सॉफ्टवेयर डेवलप करा रहे हैं ताकि त्रुटिरहित एवं पारदर्शी चयन हो सके। अब वह आ गया है और वो 6 हफ्ते का समय मांग रहे हैं, उनको अपनी तैयारी करने के लिये इसीलिये मजबूरी में सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह किया गया है कि थोड़ा सा समय और बढ़ा दें, बढ़ा देंगे तो सो फॉर सो गुड और नहीं भी बढ़ायेंगे तो इस कार्यवाही को हम लोग पूरा करेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं मा0 मंत्री जी के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि जो मा0 सर्वोच्च न्यायालय में आपने और समय मांगा था, आपका वह प्रार्थना-पत्र वहां से रिजेक्ट हो गया तो इसलिये अब तो और समय मिलने का औचित्य नहीं है। करना आपको है तो अब ये आप बता दें कि आप इसे कब कर लेंगे।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

मैं तो कह ही रहा हूं कि हम कर रहे हैं। मा0 नेता विरोधी दल मैं सदन को पहले ही स्पष्ट कर चुका था कि आप भी चुनाव लड़ रहे थे, सभी लोग चुनाव लड़ रहे थे और यह बात सही है कि सारे अधिकारियों की चुनाव में ड्यूटी थी। 2 महीना तो इसी में निकल गया, इसको आप गलत मानेंगे नहीं। डायट में भी ड्यूटी चुनाव आयोग के कारण लगायी गयी तो 2 महीना हमारे अधिकारी काम नहीं कर सके। किसी भी विभाग का कोई अधिकारी काम नहीं कर सका, वही 2 महीना विलम्ब हुआ है और अब हम उसको जल्दी कराने के लिये प्रतिबद्ध है।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार 72825 शिक्षकों के साथ खिलवाड़ कर रही है। मा0 उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों के बाद भी सरकार की मंशा साफ नहीं है। ये बेरोजगारों को ठगना चाहती है इसलिये मान्यवर, सरकार की गलत नीति के खिलाफ बहुजन समाज पार्टी सदन से बहिर्गमन करती है।

(तत्पश्चात् नेता विरोधी दल श्री स्वामी प्रसाद मौर्य बहुजन समाज पार्टी के सभी सदस्यों ने सदन से बहिर्गमन किया)

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

मा0 अध्यक्ष जी, यही लोग है जिनके कारण से इस भर्ती में इतना विलम्ब हुआ है, यही लोग हैं।

प्रदेश में लगातार जलस्तर की गिरावट के फलस्वरूप डार्क जोन घोषित विकास खण्डों में है, सिंचाई हेतु वैकल्पित व्यवस्था कराये जाने की मांग

*04-डा0 धर्मपाल सिंह तथा श्री सतीश महाना-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में लगातार जल स्तर की गिरावट के फलस्वरूप जिन विकास खण्डों को डार्क जोन घोषित किया जा चुका है, में न तो कोई विद्युत संयोजन स्वीकृत किया जा सकता है और न ही वहां सिंचाई हेतु नये नलकूप लग सकते हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे विकास खण्डों में सिंचाई हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है तथा कब तक क्रियान्वित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

लघु सिंचाई एवं पशुधन मंत्री (श्री राज किशोर सिंह)-

शासनादेश संख्या-361/62-1-2013-4आर/2009, दिनांक 03 मई, 2013 में निम्न व्यवस्था दी गयी है:-

1-शासनादेश दिनांक 15 मई, 2012 द्वारा निर्गत 108 अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों में लघु सिंचाई एवं सिंचाई विभाग द्वारा विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निःशुल्क बोरिंग, मध्यम गहरी बोरिंग, गहरी बोरिंग, राजकीय नलकूप, सामूहिक नलकूप योजना इत्यादि में निर्मित किये जाने वाले सभी प्रकार के नलकूपों पर प्रतिबन्ध होगा।

2-108 अतिदोहित एवं क्रिटिकल विकास खण्डों में कृषकों द्वारा अपने स्रोतों से निर्मित नलकूपों के ऊर्जीकरण पर दिनांक 31-3-2013 के उपरान्त प्रतिबन्ध होगा तथा उक्त विकास खण्डों में 31-3-2013 तक निर्मित निजी/सार्वजनिक नलकूपों के ऊर्जीकरण पर प्रतिबन्ध नहीं है।

3-शासनादेश दिनांक 15 मई, 2012 निर्गत होने से पूर्व विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित विभिन्न प्रकार के नलकूपों के ऊर्जीकरण पर उक्त 108 विकास खण्डों में से ऐसे विकास खण्डों में कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा, जो अतिदोहित एवं क्रिटिकल श्रेणी में घोषित नहीं थे।

लघु सिंचाई विभाग द्वारा वैकल्पिक रूप से जिला सेक्टर के अन्तर्गत छोटी नदियों/नालों पर चेकडैम निर्माण की योजना क्रियान्वित की जा रही है, जिसके अन्तर्गत अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में से चेकडैम निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राप्त धनराशि से अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में चेकडैम निर्माण कराया जा रहा हैं चेकडैम से सिंचाई के साथ-साथ भू-जल संवर्धन भी होता है। उक्त के अतिरिक्त विभाग द्वारा जनपद-ललितपुर, महोबा, झांसी, चित्रकूट, मिर्जापुर, सोनभद्र, चन्दौली एवं इलाहाबाद के पटारी/अर्द्धपठारी विकास खण्डों में ब्लास्ट कूप के निर्माण की योजना भी संचालित की जा रही है, जिनसे कृषकों को सिंचाई सुविधा प्राप्त होती है। इसके अन्तर्गत अतिदोहित/क्रिटिकल विकास खण्डों में भी ब्लास्ट कूप का निर्माण होता है।

डा0 धर्मपाल सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आज प्रदेश में चाहे शहर हो या गांव हो दोनों में भू-जल स्तर बहुत तेजी से गिर रहा है। मा0 अध्यक्ष जी, प्रदेश में 630 ब्लॉकों में भू-जल स्तर में गिरावट रिकार्ड की गई हैं मा0 अध्यक्ष जी, यह सरकार 18 फरवरी, 2013 को भू-जल प्रबन्धन वर्षा जल संचयन एवं भू-जल रिचार्ज हेतु समग्र नीति भी लाई। मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस समग्र नीति का संज्ञान लेते हुए जो प्रदेश में अतिदोहित एवं क्रिटिकल ब्लॉक है, उन्हें सुरक्षित श्रेणी में लाने के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई है।

श्री राज किशोर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, वर्षा जल संचयन, रिचार्ज के प्रयासों में भू-जल स्तर में सुधार हुआ है। इसमें तमाम ब्लॉक ऐसे हैं, जिनमें सुधार हुआ है वह ब्लॉक है जनपद-बदायूं के विकास खण्ड आलमपुर, जाफराबाद व राजापुर, जनपद-बरेली में विकास खण्ड-मीरगंज, जनपद-फैजाबाद में विकास खण्ड-हर्दियरगंज, जनपद-फरूर्खाबाद में कमालगंज और रायबरेली में सताव तमाम ऐसे ब्लॉक हैं अध्यक्ष जी जो क्रिटिकल से ऊपर उठे हैं, जिनका पानी का जल स्तर बढ़ा है। दूसरा आपने जो कहा है जो समग्र नीति बनी है, उस पर सरकार ध्यान दे रही है ? मा0 अध्यक्ष जी, सरकार द्वारा फरवरी वर्ष 2013 में लागू समग्र नीति के अन्तर्गत विभिन्न विभाग अपनी-अपनी योजनाओं में वर्षा जल से रिचार्ज योजनायें क्रियान्वित कर रहे हैं। जल संरक्षण एवं रिचार्ज का काम लम्बे समय तक चलने वाला काम है

और यह काम निरन्तर रूप से किया जाता रहा है। भू-गर्भ जल का बहुत ज्यादा दोहन किया गया है, क्योंकि लोगों की जरूरत की चीज है पानी। आप जानते है कि यहां पर पानी निकालने पर प्रतिबन्ध है। हम जानते हैं कि यहां पानी निकालने से इस शहर, ब्लॉक को और दिक्कतें आ सकती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम जनता को नहीं रोक सकते, क्योंकि यह मूलभूत आवश्यकता है। पानी सबके जीवन से जुड़ा हुआ है, इसे रोकने के बाद त्रासदी मच जायेगी इसलिए यह लम्बे समय का काम है और धीरे-धीरे इस पर काम किया जा रहा है। भू-गर्भ जल को बचाने के लिए जनता के यहयोग की भी जरूरत है। दूसरी बात यह है कि भारत सरकार अभी एक नई योजना लाई है, जो देश के 15 प्रदेशों में लागू होगी, उसमें उत्तर प्रदेश का भी भारत सरकार ने चयन किया है। इस योजना का नाम एक्यूफर मैपिंग है। इस योजना की अभी शुरूआत की गई है जो 10-15 वर्षों तक चलेगी। इस योजना की मदद से हम यह जान सकेंगे कि विभिन्न क्षेत्रों में भूजल की वास्तविक स्थिति क्या है। उसी स्थिति के आधार पर सरकार जल संचयन प्रबन्धन की अगली रणनीति बनायेगी।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रश्नों का समय समाप्त।

*05-श्री प्रदीप माथुर-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2012-13 के मनरेगा कार्यों की समीक्षा में पायी गयी अनियमितता को दूर करते हुए अच्छी तरीके से योजना को लागू किये जाने के सरकार के उपाय

*06-श्री मुकेश श्रीवास्तव उर्फ ज्ञानेन्द्र प्रताप-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2012-13 के मनरेगा के कार्यों की समीक्षा सरकार ने करायी है ? यदि हां, तो क्या लगभग 650 ग्राम पंचायतों में मनरेगा योजना पर कार्य नहीं कराये जाने की जानकारी सरकार के संज्ञान में आई है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में मनरेगा योजना को बेहतर ढंग से लागू करने का कोई कारगर उपाय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

ग्राम विकास राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

मनरेगा के कार्यों की समीक्षा शासन, मुख्यालय, मण्डलीय तथा जनपदीय अधिकारियों द्वारा प्रत्येक माह की जाती है।

वित्तीय वर्ष 2012-13 में कुल 192 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं, जिनमें मनरेगा योजनान्तर्गत कार्य नहीं कराये गये हैं।

प्रदेश में मनरेगा योजना को बेहतर ढंग से लागू करने के लिए सरकार द्वारा टोल फ्री मनरेगा हेल्पलाइन की स्थापना की गयी है, जो सप्ताह के सातों दिन 24 घण्टे कार्य करती हैं। श्रमिकों द्वारा मांग दर्ज कराने के लिए अभियान चलाया जा रहा है। महिलाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अलग शेड्यूल आफ रेट्स बनाया गया है। ग्राम पंचायतों के कार्य का सोशल आडिट कराया जाता है। गहन अनुश्रवण से वर्ष 2012-13 के सापेक्ष वर्ष 2013-14 में अधिक मानव दिवस सृजित किये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :-तारांकित प्रश्न संख्या-4 के पश्चात् प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों की अपेक्षा कान्वेन्ट स्कूलों की ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ रही संख्या को रोकने की मांग

*07-डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद् द्वारा संचालित विद्यालयों की अपेक्षा कान्वेन्ट स्कूलों की संख्या निरन्तर बढ़ रही है और यह बढ़ोत्तरी ग्रामीण क्षेत्रों में भी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बारे में कोई सर्वेक्षण कराया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ? क्या यह सही है कि सरकारी प्राथमिक विद्यालयों की अपेक्षा कान्वेन्ट स्कूलों की अधिक फीस का भुगतान करके भी अभिभावक अपने बच्चों को उनमें पढ़ाना पसन्द कर रहे हैं ? यदि हां, तो क्यों और इसे रोकने के लिये सरकार कोई कदम उठायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में 1,13,197 परिषद्रीय प्राथमिक विद्यालय तथा 46,133 परिषद्रीय उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है। इसके अतिरिकत बेसिक शिक्षा परिषद् से 46,793 मान्यता प्राप्त प्राथमिक विद्यालय एवं 23,064 मान्यता प्राप्त उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। प्रदेश में संचालित कान्वेन्ट स्कूलों की संख्या सम्बन्धी आंकड़े एकत्र किये जा रहे है। अतः इनकी संख्या में बढ़ोत्तरी की पुष्टि किया जाना संभव नहीं है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

परिषद्रीय विद्यालयों एवं बेसिक शिक्षा परिषद् से मान्यता प्राप्त विद्यालयों का विवरण विभाग द्वारा एकत्रित किया जाता है। कांवेन्ट स्कूलों का पृथक से विवरण एकत्रित नहीं किया जाता है।

अभिभावक अपने बच्चे को इच्छानुसार किसी भी विद्यालय में पढ़ाने को स्वतंत्र हैं।

बेसिक शिक्षा परिषद् के अधीन संचालित विद्यालयों में पठन-पाठन एवं शैक्षिक परिवेश में सुधार हेतु सतत् प्रयास किये जा रहे हैं।

यह एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है।

उपरोक्तानुसार।

अतारांकित प्रश्न

जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड-कलान के गांव विक्रमपुर के आवासीय गरीबों को डा0 लोहिया आवास योजनान्तर्गत आवास उपलब्ध कराने का प्रकरण

01-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड कलान के गांव विक्रमपुर के आवासहीन गरीबों को डा0 लोहिया आवास योजना के अन्तर्गत सरकार आवास उपलब्ध कराने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप-

लोहिया ग्रामीण आवास योजना के कार्यान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश सं0-107/38-4-2013-05 (बजट)/2012, दिनांक 20 फरवरी, 2013 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही की जाती हैं। उक्त शासनादेश के बिन्दु सं0-6 के अनुसार आवासों का आवंटन प्रथमतः डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत चयनित समग्र ग्रामों में किया जायेगा। समग्र ग्रामों को संतृप्त करने के बाद यदि आवास अवशेष होंगे, तो उन्हें सामान्य ग्रामों में शासनादेश में दी गयी व्यवस्था के अनुसार आवास आवंटित किये जाने का प्राविधान है। ग्राम विक्रमपुर समग्र ग्राम के रूप में चयनित न होने तथा सीमित धनावंटन के कारण ग्राम विक्रमपुर विकास खण्ड कलान को वर्तमान वित्तीय वर्ष में लोहिया ग्रामीण आवास उपलब्ध कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद-शाहजहांपुर के ब्लाक मिर्जापुर के गांव राजेपुर में हुए अग्निकाण्ड में पीड़ित बी0पी0एल0 परिवारों को इन्दिरा आवास प्रदान करने की मांग

02-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक मिर्जापुर के गांव राजेपुर में दिनांक 30-04-2013 को हुए अग्निकाण्ड में पीड़ित परिवारों (बी0पी0एल0) को दैवीय आपदा कोटे से इन्दिरा आवास देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप-

जी नहीं।

जनपद-शाहजहांपुर के विकास खण्ड-मिर्जापुर के ग्राम राजेरायपुर (न कि राजेपुर) में दिनांक 30-04-2013 को घटित अग्निकांड में कुल 12 परिवार प्रभावित हुए, जिसमें 05 परिवार ही बी0पी0एल0 श्रेणी के पाये गये। इनमें से एक परिवार की गैर-आवासीय क्षति हुई। शेष 04 परिवारों को राजस्व विभाग द्वारा गृह निर्माण के लिए अनुदान दिया जा चुका है।

शासनादेश संख्या-1395/39-9-08-654/05, दिनांक 05 सितम्बर, 2008 में यह प्राविधान है कि यदि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लाभार्थी को राजस्व विभाग के गृह अनुदान योजना के अन्तर्गत गृह निर्माण के लिए धनराशि दी गयी है तो इन्दिरा आवास की स्वीकृति पुनः नहीं दी जायेगी। इस कारण उपरोक्त परिवारों को इन्दिरा आवास दिया जाना सम्भव नहीं है।

यू0पी0 बोर्ड में वर्ष 2013 एवं 2014 में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष में टैबलेट/लैपटाप दिलाये जाने की मांग

03-श्री सतीश महाना-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2013 एवं 2014 में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं की कुल कितनी संख्या है एवं इनमें से कितनों को टैबलेट एवं लैपटाप वितरित किया गया है ? क्या उक्त सभी उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को वर्तमान वित्तीय वर्ष में टैबलेट एवं लैपटाप उपलब्ध कराने की सरकार के पास कोई योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा मंत्री (श्री महबूब अली)-

यू0पी0 बोर्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद्, इलाहाबाद द्वारा संचालित वर्ष-2013 की परीक्षा में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की कुल संख्या क्रमशः 28,86,379 एवं 23,62,262 है।

इसी प्रकार उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद इलाहाबाद द्वारा संचालित वर्ष-2014 की परीक्षा में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र/छात्राओं की संख्या क्रमशः 28,90,695 व 28,10,992 है।

वर्ष-2013 एवं 2014 में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट पास छात्र/छात्राओं को टैबलेट/लैपटॉप अभी तक नहीं दिया गया है।

कोई योजना नहीं है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

04-श्री दलवीर सिंह-

[दिनांक 20-06-2014 के अता0प्र0सं0-04 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति की मांग

05-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त शारीरिक शिक्षकों की नियुक्ति सरकार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

विज्ञापन सं0 2/2011 एवं 3/2011 प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा तथा प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा के पदों के प्रति याचिका सं0 7061 (एम0बी0)/2013 दीप्ति मिश्र बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 19-8-2013 के अनुपालन में चयन से सम्बन्धित प्रक्रिया स्थगित है। विज्ञापन सं0 1/2013 तथा 2/2013 द्वारा प्रशिक्षित स्नातक शारीरिक शिक्षा एवं प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा पदों के विज्ञापित पदों पर चयन से सम्बन्धित कार्यवाही गतिमान है।

विज्ञापन सं0-2/2011 एवं 3/2011 मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित स्थगन आदेश दिनांक 19-8-2013 के खारिज होने पर ही चयन की कार्यवाही प्रारम्भ की जा सकेगी। विज्ञापन संख्या-1/2013 व 2/2013 के सम्बन्ध में चयन की कार्यवाही यथाशीघ्र सम्पन्न की जानी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भारतीय संविधान में वर्णित व प्रदत्त मौलिक अधिकार तथा मूल कर्तव्य उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाना

06-श्री त्रिभुवन राम-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में भारतीय संविधान में प्रदत्त मौलिक अधिकारों तथा जनता के कर्तव्यों/दायित्वों के प्रति बच्चों को जागरूक करने के उद्देश्य से प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में इन्हें सम्मिलित करने पर विचार करेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

भारतीय संविधान में वर्णित व प्रदत्त मौलिक अधिकार तथा मूल कर्तव्य उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा पाठ्यक्रम में पूर्व से ही सम्मिलित है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2012-2013 में उत्तीर्ण सभी 12वीं पास छात्र-छात्राओं को लैपटाप उपलब्ध करने विषयक

07-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार द्वारा 12वीं कक्षा उत्तीर्ण छात्रों को मुफ्त लैपटाप वितरित किये जाने की घोषणा के अनुरूप वर्ष 2012 तथा 2013 में उत्तीर्ण सभी छात्रों को लैपटाप उपलब्ध करा दिये गये हैं ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

निःशुल्क लैपटाप वितरण योजनान्तर्गत वर्ष 2012 में 12वीं पास कर उच्च शिक्षा हेतु अध्ययनरत 1481118 छात्र-छात्राओं का विवरण जनपदीय अधिकारियों द्वारा इस योजना हेतु तैयार किये गये वेबपोर्टल पर अपलोड किया गया था, जिसमें से अब तक कुल 1435315 छात्र-छात्राओं को लैपटाप वितरित किया जा चुका है तथा शेष छात्र-छात्राओं को लैपटाप दिये जाने की प्रक्रिया गतिमान है।

वर्ष 2013 में उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को लैपटाप दिये जाने का प्रकरण अद्यतन शासन स्तर पर विचाराधीन है।

राजकीय बालिका इण्टर कालेज वाराणसी के परिसर में प्रधानाचार्या के अतिरिक्त रह रहे अन्य अधिकारी को हटाकर अन्यत्र आवास आवंटित करने का मामला

08-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजकीय बालिका इण्टर कालेज के परिसर में प्रधानाचार्य के आवास के अतिरिक्त किसी भी अधिकारी का आवास नियमों के विपरीत है ? यदि हां, तो क्या सरकार राजकीय बालिका इण्टर कालेज, वाराणसी के परिसर में प्रधानाचार्या के अतिरिक्त रह रहे अन्य अधिकारी को हटाकर अन्यत्र आवास आवंटित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-2 के नियम-2 से 4 के अन्तर्गत आवासीय भत्ता काटकर आवास आवंटित किया जा सकता है।

प्रदेश के टी0ई0टी0 उत्तीर्ण बी0एड0 बेरोजगारों को प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के पदों पर नियुक्ति का प्रकरण

09-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के टी0ई0टी0 उत्तीर्ण बी0एड0 बेरोजगारों को बेसिक शिक्षा विभाग में शिक्षक के रूप में कब तक समायोजित कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

टी0ई0टी0 उत्तीर्ण बी0एड0 उपाधिधारी अभ्यर्थियों की प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त 72,825 पदों पर नियुक्ति के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 20-11-2013 के विरुद्ध मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका संख्या-1874-1902/2014 में पारित अन्तरिम आदेश दिनांक 25-3-2014 के अनुपालन में उक्त पदों के सापेक्ष प्रशिक्षु शिक्षकों के चयन/नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत 6 से 11 वर्ष की आयु के बच्चों को वर्ष 2014-15 में उपयुक्त शिक्षा देने की व्यवस्था सुनिश्चित कराया जाना

10-श्री सतीश महाना-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 01 अप्रैल, 2010 से लागू शिक्षा के मौलिक अधिकार कानून में 06 से 11 वर्ष की आयु के प्रत्येक बालक को मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का दायित्व राज्य सरकार का है ? यदि हां, तो सरकार द्वारा प्रश्नगत दायित्व को निभाने के लिये क्या कार्य योजना तैयार की गई है तथा शिक्षा सत्र 2014-15 में सभी बच्चों को उपयुक्त शिक्षा देने की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 की धारा 7(1) के अनुसार केन्द्र सरकार और राज्य सरकार पर इस अधिनियम के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए निधियां उपलब्ध कराने का समवर्ती उत्तरदायित्व है। उक्त अधिनियम की धारा 3 के अनुसार 6 से 14 वर्ष के बच्चों के निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार है।

उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अन्तर्गत धारा 12(1)(ग) में निहित व्यवस्था के लागू होने के उद्देश्य से अलाभित समूह एवं दुर्बल वर्ग के छात्रों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करने के बदले प्रतिपूर्ति की धनराशि केवल राज्य सरकार द्वारा वहन किये जाने के निर्देश केन्द्र सरकार द्वारा दिये गये हैं। अन्य होने वाला व्यय केन्द्र सरकार और राज्य सरकार क्रमशः 65:35 के अनुपात में वहन करती है।

उक्त अधिनियम के अन्तर्गत प्रावधानों को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार नियमावली-2011, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या 2510/79-5-2011-29/09, दिनांक 27 जुलाई, 2011 द्वारा प्रख्यापित कर दी गयी है।

शैक्षिक सत्र 2014-15 में सभी बच्चों को उपयुक्त शिक्षा देने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड की बैठक दिनांक 27 मार्च, 2014 द्वारा वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2014-15 की स्वीकृति की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बडोरा के मजरा पाल मोहल्ला में प्राथमिक विद्यालय खोला जाना

11-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बडोरा के मजरा पाल मोहल्ला में प्राथमिक विद्यालय न होने से बच्चों को असुविधा हो

रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा यहां पर प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराई जायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत बडौरा का मजरा पाल मोहल्ला मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय से सेवित है।

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मानपुर के मजरा करीटोरन में प्राथमिक विद्यालय स्थापित करने का प्रकरण

12-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम मानपुर विकास खण्ड बबीना के 500 आबादी वाले मजरा कारीटोरन जो ग्राम मानपुर से 03 कि0मी0 दूर है जिससे छोटे बच्चों को आने जाने में समस्या होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मजरे में प्राइमरी विद्यालय की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के ग्राम मानपुर के मजरा कारीटोरन की आबादी 200 तथा निकटतम प्राथमिक विद्यालय मानपुर 01 कि0मी0 पर स्थित है। अतः मजरा मानक के अनुसार प्राथमिक विद्यालय से सेवित है।

जनपद चन्दौली के वि0ख0 नियामताबाद के सतपोखरी ग्राम सभा की जल निकासी की सम्बन्ध में जिलाधिकारी का प्राप्त पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

13-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 206 दि0 26-11-2013 जो जनपद चन्दौली के वि0खं0 नियामताबाद के सतपोखरी ग्राम सभा की जल निकासी की समस्या के सम्बन्ध में था जिलाधिकारी जनपद-चन्दौली को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

जल निकासी हेतु ग्राम पंचायत-सतपोखरी तालाब से हरिशंकरपुर पिच रोड से लेडुवा तथा शिवाला होते हुए वाह्य पुल के पास 1000 मी0मी0 एवं एन0पी0 03 एच0पी0 सीवर कार्य जो लगभग 3.50 किमी0 है, जिसकी लागत मु0 16700000.00 (लगभग एक करोड़ सरसठ लाख रुपये) आगणित है। उक्त कार्य मनरेगा योजनान्तर्गत श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60:40 होने के कारण कराया जाना संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

देश में 25-06-1975 को लगे आपातकाल में डी0आई0आर0/मीसा में बन्द राजनैतिक बन्दियों को लोकतंत्र सेनानी मानकर पेंशन सुविधा धनराशि की बढ़ोत्तरी का मामला

14-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 25-06-1975 को देश में लगे आपातकाल में डी0आई0आर0/मीसा में बन्द राजनौतिक बन्दियों जिन्हें प्रदेश सरकार लोकतंत्र सेनानी मानकर तीन हजार रु0 पेंशन दे रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उनकी पेंशन राशि बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी)-

जी हां।

सम्मान राशि बढ़ाने का प्रकरण शासन में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर कुपोषण को कम करने हेतु विभागीय योजनाओं की जानकारी

15-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मई, 2013 में वाराणसी के बजरडीहा क्षेत्र में कुपोषण और भूख से दो बच्चों की मौत हो गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार वाराणसी के अन्य क्षेत्रों में भी कुपोषित तथा अति गरीब परिवारों को चिन्हित किये जाने हेतु अभियान चलाकर इस प्रकार की दुःखद घटना को रोकने हेतु कोई कार्ययोजना बनाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जिलाधिकारी, वाराणसी से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार बच्चों की मृत्यु बीमारी से हुई है।

कुपोषित बच्चों को चिन्हित कर कुपोषण को कम करने हेतु विभागीय योजनायें संचालित हैं।

कुपोषण से बचाव के लिए बच्चों के वजन के आधार पर कुपोषित व अति कुपोषित बच्चों का वर्गीकरण किया जाता है। सामान्य बच्चों को अनुपूरक पुष्टाहार तथा कुपोषित की श्रेणी में आने वाले बच्चों को अतिरिक्त पोषाहार उपलब्ध कराया जाता है। इसके अतिरिक्त बच्चों में कुपोषण से बचाव हेतु राज्य स्तर पर स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से राज्य पोषण मिशन का गठन करते हुए प्रभावी कार्यवाई की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवा नैवृत्तिक लाभों के समय से निस्तारण/भुगतान का प्रकरण

16-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के सेवानिवृत्ति के पश्चात् लाभार्थी को प्राप्त होने वाले सभी देयकों सहित पेंशन आदि का भुगतान एक निश्चित समयावधि के अन्दर किये जाने हेतु कोई नीति निर्धारित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी नहीं।

प्रदेश के सरकारी सेवानिवृत्त कर्मचारियों के सेवा नैवृत्तिक लाभों के समय से निस्तारण/भुगतान हेतु अधिसूचना संख्या सा-3-1644/दस-904/94, दिनांक 02 नवम्बर, 1995 द्वारा ''उत्तर प्रदेश पेंशन के मामलों का (प्रस्तुतीकरण, निस्तारण और विलम्ब का परिवर्जन) नियमावली, 1995'' प्रख्यापित की जा चुकी है।

वाराणसी नगर के सिटी-2 परियोजना के अन्तर्गत संचालित केन्द्रों के किराये एवं परियोजना केन्द्र से आंगनबाड़ी केन्द्रों तक वितरण हेतु प्राप्त पोषाहार के ढुलाई के भुगतान को कराने की मांग

17-श्री श्यामदेव राय चौधरी (दादा)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वाराणसी नगर में सिटी-2 परियोजना के अन्तर्गत संचालित केन्द्रों के किराये एवं परियोजना केन्द्र से आंगनबाड़ी केन्द्रों तक वितरण हेतु प्राप्त पोषाहार के ढुलाई का भुगतान लम्बित है ? यदि हां, तो उसका भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

बाल विकास परियोजना सिटी-2 के अन्तर्गत किराये के भवनों में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्रों का भवन किराया माह अप्रैल, 2014 तक शत-प्रतिशत भुगतान कर दिया गया है।

परियोजना कार्यालय से आंगनबाड़ी केन्द्रों तक पुष्टाहार आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों द्वारा स्वयं परिवहन किया जाता है। पोषाहार ढुलाई की प्रतिपूर्ति की प्रक्रिया विचाराधीन है। प्रक्रिया पूर्ण होते ही शीघ्र भुगतान कर दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में बबीना हाइ-वे से खांडी होते हुए हीरापुर तक की जर्जर सड़क के नवनिर्माण कराने का प्रकरण

18-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में प्रश्नकर्ता के क्षेत्र में बबीना हाइवे से खांडी होते हुए हीरापुर तक लगभग 12 कि0मी0 सड़क अत्यन्त जर्जर स्थिति में है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत सम्मिलित कर नवनिर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यह मार्ग प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-1 के अन्तर्गत स्वीकृत नहीं है एवं पी0एम0जी0एस0वाई0-2 के अन्तर्गत जनपद झांसी में स्वीकृत 06 मार्गों में भी सम्मिलित नहीं है।

19 एवं 20-साध्वी निरंजन ज्योति-

[मा0 सदस्य द्वारा त्याग-पत्र दिये जाने के कारण हटाया गया]

जनपद पीलीभीत के क्षे0प0 बीसलपुर, बिलसण्डा एवं बरखेड़ा कला हेतु वर्ष 2012-13 में अधिष्ठापित होने वाले नये/रि-बोर इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों के विवरण की जानकारी

21-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शासनादेश संख्या-343/अड़तीस-05-12-67 एम/0788, दिनांक 04 मई, 2012 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2012-13 में जनपद पीलीभीत के क्षे0पं0 बीसलपुर, बिलसण्डा एवं बरखेड़ा कला हेतु अधिष्ठापित होने वाले नये/रि-बोर इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प अधिष्ठापित हो गये हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

जनपद पीलीभीत के विकास खण्ड बीसलपुर, बिलसण्डा एवं बरखेड़ा कला में वित्तीय वर्ष 2012-13 में अधिष्ठापित नये/रि-बोर हैण्डपम्पों का विवरण निम्नवत है :-

क्र0सं0	विकास खण्ड	अधिष्ठापित हैण्डपम्प	
		नया	रि-बोर
1	बीसलपुर	104	24
2	बिलसण्डा	104	26
3	बरखेड़ा कला	100	75
योग		308	125

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बरेली के नगर क्षेत्र में और अधिक आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

22-डा0 अरुण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बरेली के नगर क्षेत्र में और अधिक आंगनबाड़ी केन्द्र स्थापित करने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-5 नं0 457030 दिनांक 23-8-2013 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

अतिरिक्त केन्द्रों की स्वीकृति का अधिकार भारत सरकार में निहित है। इसलिए जनपद बरेली के शहर क्षेत्र में अतिरिक्त केन्द्रों की स्वीकृति का प्रस्ताव भारत सरकार को भेज दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की आय सीमा बढ़ाये जाने की मांग

23-डा0 अरुण कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की आय सीमा कितनी है ? क्या यह सही है कि आय सीमा कम होने से प्रदेश के अधिकांशतः गरीबों को लाभ नहीं मिल पा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार गरीबी रेखा की आय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

योजना आयोग, भारत सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा निर्धारण हेतु आंकलित आय के आधार पर वर्ष 2004 में ग्रामीण क्षेत्रों में रु0 19884/- प्रति परिवार प्रति वर्ष तथा शहरी क्षेत्रों में रु0 25546/- प्रति परिवार प्रति वर्ष की वार्षिक आय सीमा निर्धारित हुई थी।

आय सीमा के पुनर्निर्धारण पर योजना आयोग, भारत सरकार में समय-समय पर विचार होता रहा, परन्तु अभी तक अन्तिम रूप से आय सीमा का निर्धारण नहीं हुआ है। फिर भी गरीबों की आर्थिक दशा को देखते हुए उन्हें लाभान्वित करने के लिये सरकार कटिबद्ध है।

राष्ट्रीय स्तर पर आय सीमा बढ़ाये जाने का निर्णय होता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

महानगर बरेली के प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती का प्रकरण

24-डा0 अरुण कुमार-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि महानगर बरेली के प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती न होने तथा कुछ प्रा0 विद्यालयों को केवल शिक्षामित्रों के सहारे चलाने से शिक्षण कार्य बाधित हो रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन प्रा0 विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

नगर क्षेत्र महानगर बरेली में कुल 134 प्राथमिक तथा 27 उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। प्राथमिक विद्यालयों में 288 सहायक अध्यापक तथा 38 प्रधानाध्यापक के साथ-साथ 62 शिक्षा मित्र कार्यरत हैं। उच्च प्राथमिक विद्यालय में 06 प्रधानाध्यापक तथा 41 सहायक अध्यापक कार्यरत हैं। इस प्रकार नगर क्षेत्र बरेली में संचालित विद्यालयों में शिक्षण कार्य हेतु अध्यापक पर्याप्त है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षकों की कमी की पूर्ति हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों को प्रोत्साहित करने हेतु विशेष भत्ता देकर शिक्षा का स्तर सुधारने की सरकार की योजना

25-श्री दलवीर सिंह-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक शिक्षकों की कमी है ? यदि हां, तो क्या सरकार शिक्षकों को ग्रामीण क्षेत्रों में तैनाती हेतु प्रोत्साहित करने के लिये विशेष ग्रामीण भत्ता देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

जी नहीं।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विभिन्न चरणों में 9770, 10800, 10000, 4280 तथा 72825 सहायक अध्यापक पदों के विज्ञापन प्रकाशित किये गये, जिसमें से 9770, 10800 तथा 4280 पदों के सापेक्ष नियुक्ति की कार्यवाही की जा चुकी है, जबकि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 25-3-2014 के अनुपालन में 72825 पदों के सापेक्ष प्रशिक्षु शिक्षकों के नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 10000 पदों व उपरोक्त 4280 पदों के अवशेष पदों के सापेक्ष नियुक्ति की कार्यवाही मा0 न्यायालयों में योजित विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेश के क्रम में स्थगित है। इसके अतिरिक्त शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने हेतु संबंधित नियमावलियों में यथावश्यक संशोधन कर तत्सम्बन्धी आदेश निर्गत किये जा चुके हैं और इनकी सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है। प्रश्नगत नियुक्तियों के हो जाने के पश्चात ग्रामीण क्षेत्र में अध्यापकों की कमी को पूरा किया जा सकेगा।

श्री होरी लाल तिवारी, प्लान्ट आपरेटर कार्यालय डेरी दुग्ध संघ, जनपद कानपुर नगर से दि0 31-07-2011 को सेवानिवृत्त होने के फलस्वरूप उनके देयकों के भुगतान का प्रकरण

26-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री होरी लाल तिवारी, प्लान्ट आपरेटर कार्यालय डेरी दुग्ध संघ, जनपद कानपुर नगर से दिनांक 31-07-2011 को सेवानिवृत्त हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उनके देयकों तथा ग्रेच्युटी, अर्जित अवकाश, नकदीकरण एरियर आदि का भुगतान नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार श्री तिवारी के बकाया सभी देयकों का भुगतान करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

दुग्ध विकास मंत्री (श्री राममूर्ति वर्मा)-

जी हां।

जी हां।

श्री होरी लाल तिवारी, डेरी प्लान्ट आपरेटर के देयकों का भुगतान दुग्ध संघ, कानपुर की आर्थिक स्थिति अत्यन्त क्षीण होने के कारण नहीं हो सका है।

श्री तिवारी के समस्त देयकों के भुगतान का दायित्व दुग्ध संघ, कानपुर का है। तद्नुसार दुग्ध संघ, कानपुर को आवश्यक निर्देश दे दिये गये हैं।

दुग्ध संघ, कानपुर की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी के अनुरूप कन्याओं के लिये कक्षा 6, 9 तथा कक्षा-11 में प्रवेश पाने के अवसर देने हेतु मान्यता प्राप्त विद्यालयों में डबल शिफ्ट कक्षाओं को चलाने की मांग

27-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी के अनुरूप कन्याओं के लिये कक्षा 6, 9 तथा कक्षा 11 में वर्तमान विद्यालयों में प्रवेश पाने के अवसर नहीं बढ़े हैं, न ही नये स्कूल खोले गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश के सरकारी व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में डबल शिफ्ट चालू करने तथा उक्त कक्षाओं की मान्यता की शर्तों को शिथिल करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

माध्यमिक शिक्षा परिषद् उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद की विज्ञप्ति संख्या-परिषद्-9/688, दिनांक 11-1-2012 के अनुसार माध्यमिक विद्यालयों में सह शिक्षा का प्राविधान है। वर्तमान में प्रदेश में कुल मान्यता प्राप्त विद्यालयों की संख्या-21813 हैं, जिसमें नवीन मान्यता प्राप्त बालिका विद्यालय भी सम्मिलित हैं। इस प्रकार प्रदेश में बालिका अभ्यर्थियों के लिए कक्षा-6, 9 तथा कक्षा-11 में प्रवेश की कोई समस्या नहीं है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद पीलीभीत के क्षेत्र पंचायत बीसलपुर में दान की भूमि पर हीरा राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय की स्थापना करने का प्रकरण

28-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 2012 के पहले मंगलवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-147 के उत्तर के क्रम में क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नवीन राजकीय हाईस्कूल की स्थापना कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जी नहीं।

भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट वर्ष 2012-13 में कोई भी नवीन राजकीय हाई स्कूल स्वीकृत नहीं किया गया।

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत गंगोह विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में प्रदूषित पानी पीने के कारण क्षेत्र-वासियों के गम्भीर बीमारियों से ग्रसित होने की शिकायत शुद्ध पानी की आपूर्ति कराने की मांग

29-श्री प्रदीप चौधरी-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत गंगोह विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में प्रदूषित पानी पीने के कारण क्षेत्रवासी गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्रामों में शुद्ध पानी की आपूर्ति हेतु वाटर टैंक बनाये जाने का मानक 10000 आबादी मानकों से घटाकर 5000 करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी नहीं।

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत गंगोह विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में प्रदूषित पानी पीने के कारण क्षेत्रवासियों के गम्भीर बीमारियों से ग्रसित होने की कोई सूचना संज्ञान में नहीं आयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2022 तक प्रदेश की 90 प्रतिशत ग्रामीण जनसंख्या को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किये जाने के लक्ष्य निर्धारित हैं, जिसके प्रथम चरण के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त गुणता प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों एवं 8000 से अधिक जनसंख्या वाले ग्रामीण अंचलों को पाइप पेयजल योजना से आच्छादित किये जाने में प्राथमिकता प्रदान की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

वेतन विसंगति का प्रकरण

30-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-वे0आ0-2-130/दस- 62(एम)/2008, दिनांक 21 फरवरी, 2012 में यह व्यवस्था है कि प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के उपरान्त 06 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर द्वितीय स्तरोन्नयन के रूप में अगला ग्रेड वेतन दिया जायेगा ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उत्तर प्रदेश सचिवालय के कतिपय सहायक समीक्षा अधिकारियों जिन्हें 10 वर्ष की सेवा पूर्ण होने पर दिसम्बर, 2008 में प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन में वेतन बैण्ड 9300-34,800 ग्रेड पे 4200 दिया गया है तथा सहायक समीक्षा अधिकारी का ग्रेड पे 4200 संशोधित होने पर ग्रेड पे 4600 दिया गया तदोपरान्त यदि उक्त सहायक समीक्षा अधिकारियों की पदोन्नति मार्च, 2011 में अथवा उसके पश्चात् समीक्षा अधिकारी (9300-34,800 ग्रेड पे 4600) के पद पर हुई हो और बाद में उन्हें संशोधित ग्रेड पे 4800 प्रदान किया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त कर्मचारियों को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन की तिथि से 06 वर्ष की संतोषजनक सेवा होने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में ग्रेड पे 5400 दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

संदर्भगत शासनादेश दिनांक 21-2-2012 का न होकर दिनांक 21-2-2014 का है। इस शासनादेश में पूर्व से राज्य कर्मचारियों के लिये लागू सुनिश्चित कैरियर प्रोन्नयन (ए0सी0पी0) की व्यवस्था में संशोधन करते हुए यह व्यवस्था की गई है कि ''परन्तु यदि सम्बन्धित कार्मिक को प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन के उपरान्त समान ग्रेड वेतन में प्रोन्नति प्राप्त होती है तो उसे प्रथम वित्तीय स्तरोन्नयन प्राप्त होने की तिथि से 06 वर्ष की सेवा पूर्ण करने पर द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में अगला ग्रेड वेतन अनुमन्य होगा।''

सचिवालय प्रशासन विभाग के कार्यालय ज्ञाप दिनांक 27-11-2009 द्वारा सहायक समीक्षा अधिकारी पद का ग्रेड वेतन तात्कालिक प्रभाव से रु0 2800 से बढ़ाकर रु0 4200 तथा कार्यालय ज्ञाप दिनांक 6-9-2013 द्वारा ग्रेड वेतन रु0 4200 को बढ़ाकर रु0 4600 कतिपय शर्तों के अधीन किया गया है। उक्त के फलस्वरूप सहायक समीक्षा अधिकारी के ऐसे पदधारक जिन्हें समयमान वेतनमान अथवा ए0सी0पी0 की व्यवस्था में उच्च वैयक्तिक ग्रेड वेतन स्वीकृत हुए है उन्हें भी तद्नुसार संशोधित किये जाने की व्यवस्था विद्यमान है।

शासनादेश दिनांक 21-2-2014 की व्यवस्था से आच्छादित होने की स्थिति में ही यह लाभ देय हो सकता है। स्थिति उपरोक्तानुसार स्पष्ट कर दी गयी है।

जनपद अलीगढ़ के किरन देवी रा0उ0मा0 विद्यालय, बामौती में प्रबन्ध समिति द्वारा किये गये कदाचार की जांच करने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही की मांग

31-श्री दलवीर सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के किरन देवी रा0उ0मा0 विद्यालय, बामौती, अलीगढ़ में प्रबन्ध समिति द्वारा किये कदाचार की जांच में जिला विद्यालय निरीक्षक अलीगढ़ की आख्या दिनांक 26 नवम्बर, 2010 पर जिलाधिकारी, अलीगढ़ के पत्रांक 8285/2010, दिनांक 27 नवम्बर, 2010 द्वारा दोषियों की सेवा समाप्ति व कार्यवाही की संस्तुति की गई थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त प्रकरण में दोषियों के खिलाफ अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जी हां।

जिलाधिकारी, अलीगढ़ की संस्तुति के सम्बन्ध में कार्यवाही परीक्षणाधीन है।

जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत रिक्त खण्ड विकास अधिकारी के पद पर तैनाती के सम्बन्ध में प्रश्नकर्त्ता का पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

32-श्री दलवीर सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ के अन्तर्गत रिक्त खण्ड विकास अधिकारियों के पद पर तैनाती के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक 798/रालोद/विमद/2013 दिनांक 18-09-2013 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि रिक्त खण्ड विकास अधिकारियों के पदों पर तैनाती कर दी गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

जी नहीं।

वर्तमान स्थानान्तरण सत्र में यथा सम्भव जनपद अलीगढ़ में और खण्ड विकास अधिकारियों की तैनाती की जायेगी।

उपर्युक्तानुसार।

33-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[1ले बुद्धवार के अता0प्र0स0-189 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आर्सेनिक युक्त पानी पीने के कारण रोगों के शिकार लोगों को स्वच्छ जलापूर्ति कराये जाने की मांग

34-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में आर्सेनिक युक्त पानी पीने के कारण ग्रामीण जनता अनेकों प्रकार के रोगों का शिकार हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी रोकथाम कर स्वच्छ जल आपूर्ति करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद-लखीमपुर खीरी के 05 विकास खण्डों क्रमशः पलिया, निघासन, रमियाबेहड़, धौरहरा एवं ईशानगर में आने वाले बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के अन्तर्गत 165 बस्तियां आर्सेनिक प्रभावित पाई गयी थी। उक्त बस्तियों में से 108 बस्तियों में पाइप पेयजल योजनाओं एवं 57 बस्तियों में अत्यधिक गहरे इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों के माध्यम से ग्रामवासियों को शुद्ध जलापूर्ति की जा रही है। आर्सेनिक युक्त जल के सेवन से ग्रामीण जनता के रोगों का शिकार होने के सम्बन्ध में कोई सूचना संज्ञान में नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में ग्राम सभावार खराब पड़े इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों को रि-बोर कराकर जलापूर्ति की व्यवस्था कराना

35-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में ग्राम सभावार कुल कितने इण्डिया मार्का हैण्डपम्प खराब हैं ? क्या सरकार खराब पड़े हैण्डपम्पों को गहरी बोरिंग कर ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद-लखीमपुर खीरी में स्थित 15 विकास खण्डों के अन्तर्गत आने वाली कुल 684 ग्राम सभाओं में दिनांक 01-04-2014 तक कुल 2423 नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब (रि-बोर योग्य) पाये गये हैं।

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिए प्रदेश में 50-50 नग इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्प प्रति विकास खण्ड की दर से रि-बोर कराये जाने हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जनपद-लखीमपुर खीरी के 15 विकास खण्डों में कुल 750 नग हैण्डपम्पों का रि-बोर कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में कराया जाना प्रस्तावित है। अवशेष 1673 नग हैण्डपम्पों का रि-बोर कार्य आगामी वित्तीय वर्षों में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में प्राथमिक एवं जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों के सृजित पदों के सापेक्ष रिक्त पदों को भरा जाना

36-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में प्राथमिक एवं जूनियर हाईस्कूलों में कितनें अध्यापकों के पद सृजित हैं तथा उसके सापेक्ष वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार रिक्त पदों को भरेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

स्तर	सृजित	रिक्त
प्राथमिक	10366	8420
जूनियर हाई स्कूल	4363	2724

जी हां।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विभिन्न चरणों में 9770, 10800, 10000, 4280 तथा 72825 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 सहायक अध्यापक पदों के विज्ञापन प्रकाशित किये गये, जिसमें से 9770, 10800 तथा 4280 पदों के सापेक्ष नियुक्ति की कार्यवाही की जा चुकी है, जबकि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 25-3-2014 के अनुपालन में 72825 पदों के सापेक्ष प्रशिक्षु शिक्षकों के नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 10000 पदों व उपरोक्त 4280 पदों के अवशेष पदों के सापेक्ष नियुक्ति की कार्यवाही मा0 न्यायालयों में योजित विभिन्न याचिकाओं में पारित आदेश के क्रम में स्थगित है। शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने हेतु संबंधित नियमावलियों में यथावश्यक संशोधन कर तत्सम्बन्धी आदेश निर्गत किये जा चुके हैं और इनकी सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 पदों के सापेक्ष नियुक्ति की कार्यवाही किया जाना परीक्षणाधीन है। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की कमी को दूर करने हेतु पदोन्नति की प्रक्रिया भी गतिमान है। उक्त समस्त कार्यवाही से जनपद-लखीमपुर खीरी में प्राथमिक विद्यालयों एवं जूनियर हाई स्कूलों में अध्यापकों के रिक्त पदों को भरा जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

37-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर क्षेत्र पंचायत में मानक के आधार पर प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का प्रकरण

38-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के क्षेत्र पंचायत विलसण्डा के राजस्व गांवों पिपरिया-संजरपुर, शीतलपुर-मरौरी, जगतपुर, मधकरपुर, सिधीपुर, गांव नांद के मजरा, ककराही-गौटिया तथा नीवाडौडी आदि तथा क्षेत्र पंचायत बीसलपुर के राजस्व गांव भितेपुर में प्राथमिक विद्यालय नहीं खोले गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोलेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद-पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के पिपरिया-संजरपुर, जगतपुर, मधकरपुर, सिधीपुर, ककराही, गौटिया एवं भित्तेपुर प्राथमिक विद्यालय हेतु निर्धारित मानक को पूरा नहीं करते हैं। बीसलपुर के क्षेत्र पंचायत विलसण्डा के गांव नीवाडाडी एवं शीतलपुर प्राथमिक विद्यालय के मानक के अनुसार असेवित हैं।

असेवित गांवों में प्राथमिक विद्यालय खोले जाने हेतु प्रस्ताव भारत सरकार की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2014-15 में रखा गया था, परन्तु भारत सरकार के प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड द्वारा नवीन विद्यालयों हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं की गई है।

वर्ष 2014-15 की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट में नवीन विद्यालय खोलने हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं हुई है।

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 व वर्ष 2012-13 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना के लिये चयनित किये गये गांवों के विकास कार्यों के विवरण की जानकारी

39-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 व वर्ष 2012-13 में डा0 राममनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना के लिए चयनित गांव मीरपुर, रतनपुर, पैनिया हिम्मत, हरूनगला उर्फ नौवा नगला एवं ओझाझाड़, बड़ेपुरा मरोरी राठ, अण्डहा, उमरिया, गौहनिया गांवों में कौन-कौन विकास कार्य कराये गये तथा शेष कार्य कब तक करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

समग्र ग्राम्य विकास राज्य मंत्री (श्री रामकरन आर्य)-

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बीसलपुर में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2011-12 में किसी भी ग्राम का चयन नहीं किया गया क्योंकि शासनादेश दिनांक 17 मई, 2012 द्वारा प्रदेश में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना लागू की गई है। इस योजना के अन्तर्गत वर्ष 2012-13 हेतु ग्राम मीरपुर रतनपुर, पैनिया हिम्मत, हरूनगला उर्फ नऊआ नगला एवं ओडाझार तथा वर्ष 2013-14 में ग्राम बढेपुरा मरौरी, राठ, अण्डहा,

उमरिया, गौहनिया का चयन किया गया। योजनान्तर्गत चयनित ग्रामों में कराए गए विकास कार्यों एवं अवशेष कार्यों का विवरण संलग्न नत्थी† है।

उपरोक्तानुसार।

जुलाई, 2013 तक प्रदेश में बेसिक/जूनियर हाई स्कूलों में संविदा पर तैनात अनुदेशकों के मानदेय भुगतान का प्रकरण

40-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जुलाई, 2013 से प्रदेश के बेसिक/जूनियर हाईस्कूलों में संविदा पर तैनात अनुदेशकों के मानदेय का भुगतान अभी तक नहीं किया गया है ? यदि हां, तो उन्हें मानदेय का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

- जुलाई, 2013 तक नियुक्त 28645 अंशकालिक अनुदेशकों को माह जुजाई, 2013 से फरवरी, 2014 तक के मानदेय के भुगतान हेतु धनराशि राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र दिनांक 29-01-2014 द्वारा अवमुक्त की जा चुकी है।
- माह जुलाई, 2013 के बाद नव रियुक्त 2608 तथा पूर्व के 28645 अर्थात् कुल 31253 अंशकालिक अनुदेशकों का माह मार्च 2014 के मानदेय के भुगतान हेतु धनराशि राज्य परियोजना कार्यालय के पत्र दिनांक 09 मई, 2014 द्वारा जनपदों की अवमुक्त की जा चुकी है।
- उक्त 2608 अंशकालिक अनुदेशकों का माह अगस्त, 2013 से फरवरी, 2014 तक के मानदेय भुगतान हेतु शासनादेश दिनांकित 10 जून, 2014 द्वारा धनराशि स्वीकृत की गई है। तद्नुसार उक्त 2608 अनुदेशकों के अवशेष मानदेय के भुगतान हेतु धनराशि जारी कराने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत खण्ड शिक्षा अधिकारियों की एक जिलें में तैनाती के मानक की तथा 10 वर्ष से अधिक समय से तैनात अधिकारियों को स्थानान्तरित करने की नीति के आधार पर कार्यवाही किया जाना

41-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत खण्ड शिक्षा अधिकारियों की तैनाती का मानक क्या है ? क्या सरकार यह भी बतायेगी कि खण्ड शिक्षाधिकारी को एक जिले में अधिकतम कितने वर्षों तक सेवारत रखा जाता है क्या सरकार स्थानान्तरण नीति के अन्तर्गत 10 वर्ष से अधिक कार्यकाल पूरा कर चुके खण्ड शिक्षा अधिकारियों को अन्यत्र स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

---

† कृपया देखिए नत्थी 'क' पृष्ठ संख्या-183-187 पर।

श्री राम गोविन्द चौधरी-

शासन द्वारा प्रत्येक वर्ष निर्गत स्थानान्तरण नीति में निहित निर्देशानुसार तैनाती पर नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

स्थानान्तरण नीति सम्बन्धी शासनादेश, दिनांक 04-06-2014 के अनुसार एक जिले में समूह 'ख' के अधिकारी को अधिकतम 6 वर्षों तक पदस्थापित करने के निर्देश हैं। दस वर्ष से अधिक कार्यकाल पूरा कर चुके खण्ड शिक्षा अधिकारियों को स्थानान्तरित करने हेतु स्थानान्रण नीति 2014-15 में निहित निर्देशानुसार कार्यवाही की जा रही है।

स्थानान्तरण नीति 2014-15 के प्रस्तर-5 में यह निहित है कि अधिक ठहराव वाले खण्ड शिक्षा अधिकारियों का स्थानान्तरण 10 प्रतिशत की सीमा तक ही किया जाय। अतः निर्देशानुसार कार्यवाही दिनांक 15-07-2014 तक की जाएगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ा गांव में कस्बा बरूआसागर के युवाओं हेतु पॉलीटेक्निक एवम् आई0टी0आई0 की स्थापना कराये जाने की मांग

42-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के वि0 खण्ड बड़ागांव में कस्बा वरूआसागर में युवाओं को तकनीकी शिक्षा ग्रहण करने हेतु अन्यत्र जाना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में तकनीकी शिक्षा हेतु पालीटेक्निक एवम् आई0टी0आई0 की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

जनपद झांसी एवं उसके निकटवर्ती जनपदों में यथा-ललितपुर, तालबेहट(ललितपुर), उरई (जालौन), महोबा, राठ (हमीरपुर) में क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप राज्य सरकार के सहयोग से पालीटेक्निक स्थापित एवं निर्माणाधीन हैं, जो क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप पर्याप्त हैं।

तहसील सदर, झांसी में 02 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान सहित जनपद में कुल 05 राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान तथा 08 निजी औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित है।

प्रदेश की असेवित तहसीलों तथा विकास खण्डों में नये राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना हेतु निर्धारित नीति के अनुसार प्रथमतः प्रदेश की समस्त असेवित तहसीलों में एवं इसके उपरान्त असेवित विकास खण्डों में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की जानी है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद लखीमपुर खीरी में वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिये चयनित लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत अवमुक्त की गई धनराशि के विवरण की जानकारी

43-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में वित्तीय वर्ष 2012-13 के लिए चयनित लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत विकास खण्ड-मोहम्मदी पसगवां, ईसानगर, धौरहरा के किन गांवों में कितनी धनराशि अवमुक्त की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

वाह्य सहायतित परियोजना, समग्र ग्राम विकास, खेल व युवा कल्याण राज्य मंत्री (श्री राम करन आर्य)-

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी के वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु विकास खण्ड-मोहम्मदी, पसगवां, ईसानगर एवं धौरहरा के चयनित ग्रामों एवं उक्त ग्रामों हेतु अवमुक्त धनराशि का विवरण निम्नवत् है :-

विकास खण्ड	चयनित ग्राम	अवमुक्त धनराशि (लाख रुपये में)
मोहम्मदी	अमरा-12 मोहम्मदीपुर कामी-23	45.50
पसगवां	भानपुर-21 ढकियापासी-08	37.70
ईसानगर	पचकहा	322.40
धौरहरा	राजापुर भज्जा	22.10

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में विकास खण्डवार वित्तीय वर्ष 2011-2012 एवं 2012-13 में स्वीकृत इन्दिरा आवास की दूसरी किश्त न मिलने से निर्माण कार्य पूर्ण न कराये जाने की समस्या

44-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी में विकास खण्डवार कुल कितने लाभार्थियों को वित्तीय वर्ष 2011-12 एवं 2012-2013 में स्वीकृत इन्दिरा आवास की दूसरी किश्त न मिलने के कारण निर्माण कार्य अपूर्ण है ? क्या सरकार अपूर्ण इन्दिरा आवासों की सूची उपलब्ध कराते हुए उक्त अपूर्ण इन्दिरा आवासों को पूर्ण कराने के लिए दूसरी किश्त जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद लखीमपुर खीरी में वित्तीय वर्ष 2011-12 में 12194 एवं वर्ष 2012-12 में 8720 लाभार्थियों को इन्दिरा आवास स्वीकृत हुए थे। सभी स्वीकृत आवासों हेतु द्वितीय किश्त की धनराशि लाभार्थियों के खातों में अन्तरित की जा चुकी है तथा उपरोक्त वर्षों में चयनित सभी आवास वर्तमान में पूर्ण कराये जा चुके हैं।

जनपद लखीमपुर खीरी के गरीब पात्र लाभार्थियों नाम लोहिया आवास वर्ष 2012-13 में आवंटित आवासों को उपलब्ध कराया जाना

45-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के गरीब पात्र लाभार्थियों के नाम लोहिया आवास 2012-13 में आवंटित किये गये हैं ? यदि हां, तो कितने तथा पात्र लाभार्थियों को कब तक आवास उपलब्ध करा दिये जायेंगे ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

लोहिया ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत जनपद लखीमपुर खीरी में वित्तीय वर्ष 2012-13 हेतु 1297 पात्र लाभार्थियों का चयन किया गया है। आवासों के निर्माण हेतु लाभार्थियों के खातों में सम्पूर्ण धनराशि अन्तरित की जा चुकी है। लाभार्थियों द्वारा आवास निर्माण प्रारम्भ करा दिया गया है।

जनपद फिरोजाबाद में ब्लाक नारखी के ग्राम नगला सैमरिया बाल्मीक नगर बस्ती में ग्राम्य विकास विभाग द्वारा टी0टी0एस0पी0 टंकियों का निर्माण कार्य पूरा कराया जाना

46-श्री राकेश बाबू-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में ब्लाक नारखी के ग्राम नगला सैमरिया बाल्मिकी नगर बस्ती में ग्राम विकास विभाग द्वारा जल निगम फिरोजाबाद से कराया गया टी0टी0एस0पी0 टंकियों का निर्माण कार्य अभी तक पूर्ण नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त निर्माण कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी के ग्राम-नगला सैमरिया-बाल्मीकी नगर बस्ती में टी0टी0एस0पी0 के समस्त कार्य पूर्ण किये जा चुके हैं एवं जलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अलीगढ़ में पशु एम्बुलेंस की सुविधा प्रदान करने की मांग

47-श्री दलवीर सिंह-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अलीगढ़ में पशु एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार पशु एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

जी नहीं।

वर्तमान में ऐसी कोई नीति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में प्राथमिक स्कूलों तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में निर्धारित मानक के आधार पर शिक्षकों की तैनाती किया जाना

48-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में प्राथमिक स्कूलों तथा उच्च प्राथमिक स्कूलों में निर्धारित मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

जी हां।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापक के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु विभिन्न चरणों में 9770, 10800, 10000, 4280 तथा 72825 एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 सहायक अध्यापक पदों के विज्ञापन प्रकाशित किये गये, जिसमें से 9770, 10800 तथा 4280 पदों के सापेक्ष नियुक्ति की कार्यवाही की जा चुकी है, जबकि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित अंतरिम आदेश दिनांक 25-03-2014 के अनुपालन में 72825 पदों के सापेक्ष प्रशिक्षु शिक्षकों के नियुक्ति की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। 10000 पदों व उपरोक्त 4280 पदों के अवशेष पदों के सापेक्ष नियुक्ति की कार्यवाही मा0 न्यायालयों में योजित विभिन्न योजनाओं में पारित आदेश के क्रम में स्थगित है। शिक्षामित्रों को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त किये जाने हेतु सम्बन्धित नियमावलियों में यथावश्वयक संशोधन कर तत्सम्बन्धी आदेश निर्गत किये जा चुके हैं और इनकी सहायक अध्यापक के पद पर नियुक्ति की प्रक्रिया गतिमान है। मा0 उच्च न्यायालय के आदेश के क्रम में उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 29334 पदों के सापेक्ष नियुक्ति की कार्यवाही किया जाना परीक्षाधीन है। इसके अतिरिक्त उच्च प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों की कमी को दूर करने हेतु पदोन्नति की प्रक्रिया भी गतिमान है। उक्त समस्त कार्यवाही के पूर्ण हो जाने के उपरान्त जनपद-शाहजहांपुर में मानक के अनुरूप शिक्षकों की तैनाती हो सकेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में स्थापित पशु चिकित्सालय में जांच व दवा की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना

49-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विकास खण्ड निगोही में स्थापित पशु चिकित्सालय में जांच व दवा की समुचित व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पशु चिकित्सालय में जांच एवं औषधि की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

जी नहीं। पशु चिकित्सालय में सामान्य जांच एवं आवश्यक औषधियां बजट की उपलब्धता के अनुसार उपलब्ध रहती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में डा0 राम मनोहर लोहिया ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत ग्रामों के चयन की प्रक्रिया में क्षेत्रीय विधायक के प्रस्ताव पर विचार

50-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में डा0 राम मनोहर लोहिया ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत किन-किन ग्रामों का चयन किया गया तथा इनके चयन का क्या मानक है और क्या क्षेत्रीय विधायक के प्रस्ताव पर भी विचार किया गया ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम करन आर्य-

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत जनपद शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर में चयनित ग्रामों का वर्षवार विवरण निम्नवत् है :-

वर्ष 2012-13

क्र0 सं0	विकास खण्ड	ग्राम का नाम
1	सिंधौली	जमुनिया
2	तिलहर	जन्यूरी
3	निगोही	गढ़ा

वर्ष 2013-14

क्र0 सं0	विकास खण्ड	ग्राम का नाम
1	तिलहर	हजरतपुर
2	तिलहर	चौढेरा-चौढेरी
3	निगोही	विक्रमपुर चकौरा
4	सिंधौली	सहजना

वर्ष 2014-15

क्र0 सं0	विकास खण्ड	ग्राम का नाम
1	सिंधौली	मनुआ बारी
2	सिंधौली	आमडार
3	सिंधौली	पसिया खेड़ा
4	तिलहर	ख्वाजा सरायं उर्फ सरैंया
5	तिलहर	बन्धी चक
6	जैतीपुर	जुझारपुर
7	जैतीपुर	नदैया रामपुर

डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्रामों के चयन हेतु जनपद के समस्त राजस्व ग्रामों में आधारभूत सुविधाओं यथा सम्पर्क मार्ग, आन्तरिक गलियां, पेयजल सुविधा, विद्युतीकरण, प्राथमिक/उच्च पाठशाला, स्वच्छ शौचालय एवं पंचायतघर की स्थिति के आधार पर सर्वेक्षण कराते हुए अंकों का निर्धारण किया गया एवं जनपद के राजस्व ग्रामों को प्राप्त अंकों के आधार पर आरोही क्रम में सूची तैयार की गयी। डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत जनपद स्तर पर ग्रामों के चयन का अधिकार शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, 2012 द्वारा मा0 जिला प्रभारी मंत्री जी को प्रदान किया गया है।

शासनादेश दिनांक 13 सितम्बर, 2012 में शासनादेश दिनांक 06 अगस्त, 2013 द्वारा उक्त प्रक्रिया में आंशिक संशोधन करते हुए यह प्रक्रिया निर्धारित की गयी है कि इस प्रकार प्राप्त तीन गुना संख्या के राजस्व ग्रामों की सूची जिलाधिकारी द्वारा जनपद के मा0 जिला प्रभारी मंत्री जी को चयन हेतु उपलब्ध करायी जाए। इस सूची के आधार पर जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी द्वारा जनपद के समस्त मा0 सदस्य विधान सभा एवं मा0 सदस्य विधान परिषद् से विचार-विमर्श करते हुए वर्षवार ग्रामों का चयन किया जाएगा।

जनपदवार ग्रामों की संख्या के निर्धारण सम्बन्धी शासनादेश दिनांक 19 जून, 2012 के अनुसार जनपद हेतु निर्धारित ग्रामों की संख्या के तीन गुने गांवों की सूची जनपद के मा0 प्रभारी मंत्री जी को जिलाधिकारी द्वारा उपलब्ध करायी जाती है। मा0 प्रभारी मंत्री जी द्वारा उक्त शासनादेश दिनांक 06 अगस्त, 2013 में विहित व्यवस्था के अनुसार उस वित्तीय वर्ष हेतु निर्धारित संख्या के अनुसार ग्रामों का चयन कर चयनित ग्रामों की सूची जिलाधिकारी को उपलब्ध करायी जाती है। जिलाधिकारी द्वारा उक्त सूची शासन को उपलब्ध करायी जाती है।

उक्त शासनादेश दिनांक 06 अगस्त, 2013 में जनपद के समस्त मा0 सदस्य, विधान सभा एवं मा0 सदस्य विधान परिषद् से विचार-विमर्श करके ही ग्रामों का चयन किए जाने की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में गोवंश की रक्षा हेतु उठाये गये प्रभावी कदम

51-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि सरकार प्रदेश में गैवंश की रक्षा हेतु कोई प्रभावी कदम उठायेगी ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम 1955 यथा संशोधित 2002 के अन्तर्गत प्रदेश में गोवंशीय पशुओं की पूर्णतया रक्षा करने का प्राविधान है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राचार्य डायट/सचिव, जिला लोक शिक्षा जनपद कुशीनगर के भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं विषयक नेता विरोधी दल का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

52-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिलाधिकारी, कुशीनगर को सम्बोधित मा0 नेता विरोधी दल, विधान सभा, उ0प्र0 का पत्र-120/ने0वि0द0/2014, दिनांक 13-02-2014 जो कि प्राचार्य, डायट/सचिव, जिला लोक शिक्षा, जनपद-कुशीनगर के भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक और वित्तीय अनियमितताओं के विषयक था, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री रामगोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-पीलीभीत के बीसलपुर में दिनांक 29 अगस्त, 2012 को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना का प्रकरण

53-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-पीलीभीत के बीसलपुर में दिनांक 29 अगस्त, 2012 को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण में 127.33 लाख रु0 की लागत से दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की है ? क्या यह भी सत्य है कि उक्त के सम्बन्ध में परियोजना निदेशक, पीलीभीत का पत्र संख्या-3935 दिनांक 29 नवम्बर, 2012 मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत का पत्र संख्या 4326 दिनांक 10 दिसम्बर, 2012 एवं पत्र संख्या-4639/एमजीबाई/2012-13 दिनांक 4 जनवरी, 2013 दुग्ध अवशीतन विभाग के अधिकारियों को प्रेषित, प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम मूर्ति वर्मा-

जी हां।

जनपद-पीलीभीत के बीसलपुर के दुग्ध अवशीतन केन्द्र लगाने हेतु जिला ग्राम्य विकास अभिकरण पीलीभीत द्वारा रु0 127.33 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी थी, परन्तु दुग्ध संघ स्तर से उक्त का कोई प्रस्ताव नहीं भेजा गया था।

जी हां।

प्रभारी, दुग्ध संघ, पीलीभीत द्वारा बीसलपुर मार्ग का सर्वे कराये जाने पर उपार्जन हेतु दूध की संभावित उपलब्धता लगभग 40 लीटर पायी गयी। दुग्ध संघ पीलीभीत आर्थिक हानि में है। ऐसी स्थिति में जनपद पीलीभीत के बीसलपुर में दुग्ध अवशीतन केन्द्र की स्थापना किया जाना आर्थिक दृष्टि से उपयुक्त नहीं है। अतः मुख्य विकास अधिकारी, पीलीभीत द्वारा जिला ग्राम्य विकास अभिकरण से अवशीतन केन्द्र की स्थापना हेतु कोई धनराशि अवमुक्त नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 में शासन की अपेक्षानुसार प्रत्येक विकास खण्ड में 50-50 खराब हैण्ड पम्पों को रि-बोर कराकर जलापूर्ति कराने विषयक

54-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 2013-14 में शासन की अपेक्षानुसार प्रत्येक विकास खण्ड में 50-50 खराब हैण्ड पम्पों को रि-बोर कराने की व्यवस्था की गयी थी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप''-

जी हां।

जनपद-आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले 03 विकास खण्डों क्रमशः बिचपुरी, अकोला एवं बरौली अहीर के लिये निर्धारित 150 नग हैण्डपम्पों को रि-बोर कराये जाने के लक्ष्य के सापेक्ष 37 नग हैण्डपम्पों का रिबोर कार्य कराया जा चुका है। शेष 113 नग हैण्डपम्पों का रि-बोर कार्य आदर्श चुनाव आचार संहिता प्रभावी हो जाने के कारण पूर्ण नहीं किया जा सका था, जिसका अनुमोदन दिनांक 07-06-2014 को मुख्य विकास अधिकारी से प्राप्त हो चुका है।

अवशेष हैण्डपम्पों का रि-बोर कार्य दिनांक 30-06-2014 तक कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में राजकीय हाईस्कूल स्थापना हेतु जूनियर हाईस्कूलों को उच्चीकृत किये जाने की जानकारी

55-श्री जय प्रकाश निषाद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा के कितने विद्यालयों को राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत हाईस्कूल तक उच्चीकृत किया जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री इकबाल महमूद-

जनपद गोरखपुर के विधान सभा क्षेत्र चौरी-चौरा में राजकीय हाईस्कूल स्थापना हेतु मानकानुसार जूनियर हाईस्कूल जद्दपुर, ब्लाक-ब्रह्मपुर, जूनियर हाईस्कूल रामपुर ब्लाक-खोराबार असेवित क्षेत्र में चिन्हित किये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण आगरा के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड बरौली अहीर, विकास खण्ड बिचपुरी, विकास खण्ड अकोला में काफी हैण्डपम्प खराब पड़े हैण्डपम्पों को ठीक कराकर पानी की असुविधा के निराकरण का प्रकरण

56-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण आगरा के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड बरौली अहीर, विकास खण्ड बिचपुरी, विकास खण्ड अकोला में काफी हैण्डपम्प खराब हैं जिससे वहां के निवासियों को पानी की असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार खराब हैण्डपम्पों को ठीक करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद-आगरा के 90, आगरा ग्रामीण, आगरा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड-बरौली अहीर, बिचपुरी एवं अकोला में दिनांक 31-03-2014 तक के सर्वेक्षण के अनुसार कुल 1265 नग हैण्डपम्प स्थाई रूप से खराब (रिबोर योग्य) हैं।

जी हां।

वित्तीय वर्ष 2014-15 के लिये प्रदेश में 50-50 नग इण्डिया मार्क-11 हैण्डपम्प प्रति विकास खण्ड की दर से रि-बोर कराये जाने हेतु निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष जनपद-आगरा के विकास खण्ड-बरौली अहीर, बिचपुरी एवं अकोला में कुल 150 नग हैण्डपम्पों का रि-बोर कार्य वर्तमान वित्तीय वर्ष में कराया जाना प्रस्तावित है। अवशेष हैण्डपम्पों का रि-बोर कार्य आगामी वित्तीय वर्षों में उपलब्ध वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय व प्राथमिक विद्यालयों की बाउन्ड्रीवाल बनाया जाना

57-श्री काली चरन सुमन-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के 90, आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत विकास खण्ड बरौली अहीर, विकास खण्ड बिचपुरी, विकास खण्ड अकोला के अन्तर्गत उच्च प्राथमिक विद्यालय व प्राथमिक विद्यालयों जिनकी बाउन्ड्रीवाल न होने के कारण बच्चों को पढ़ने में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन विद्यालयों की बाउन्ड्रीवाल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, आगरा की आख्यानुसार शिक्षण कार्य कक्षा-कक्ष में दिया जाता है तथा बच्चों को पढ़ाने हेतु इन विद्यालयों में कक्षा-कक्ष उपलब्ध हैं।

विकास खण्ड बरौली अहीर, बिचपुरी व अकोला के कुल 297 प्राथमिक विद्यालयों में से 268 विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल उपलब्ध हैं। 29 विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल नहीं है।

विकास खण्ड बरौली अहीर, बिचपुरी व अकोला के कुल 123 उच्च प्राथमिक विद्यालयों में से 100 विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल उपलब्ध है। 23 विद्यालयों में बाउन्ड्रीवाल नहीं है।

बाउन्ड्रीवाल का शिक्षण कार्य पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। रेलवे लाइन, तालाब, मुख्य मार्ग के निकट के विद्यालयों में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर बाउन्ड्रीवाल निर्माण कराया जाता है।

सर्व शिक्षा अभियान में भारत सरकार की वार्षिक कार्य योजना एवं बजट 2014-15 में बाउण्ड्रीवाल का प्रस्ताव रखा गया था, परन्तु भारत सरकार के प्रोजेक्ट एप्रूवल बोर्ड द्वारा बाउन्ड्रीवाल हेतु स्वीकृत प्रदान नहीं की गई है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्।

58-श्री काली चरन सुमन-

[दिनांक 20-6-2014 को अता0प्र0सं0-72 द्वारा उत्तरित]

जनपद झांसी में बबीना विधान सभा क्षेत्र में स्थित ग्राम घिसौली में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराने विषयक

59-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में बबीना विधान सभा क्षेत्र में स्थित ग्राम घिसौली के मजरा सूरजपुरा की आबादी 300 है एवं घिसौली से 3 कि0मी0 दूरी पर है ? क्या यह भी सही है कि यहां पर प्राथमिक विद्यालय न होने से शिक्षा हेतु बच्चों को दूर जाने पर समस्या का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी की आख्यानुसार मजरा सूरजपुरा में प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। अतः बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु दूर जाने की समस्या नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक विद्यालय संचालित है।

जनपद झांसी के विकास खण्ड में बबीना के अन्तर्गत ग्राम सुकुवां में प्राथमिक विद्यालय स्थापना कराने विषयक

60-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड में बबीना के अन्तर्गत ग्राम सुकुवां के मजरा राजगढ़ की आबादी 500 है और वह ग्राम सुकुवां से 5 कि0मी0 दूरी पर है, जिससे छोटे बच्चों को शिक्षा ग्रहण हेतु आने-जाने में समस्या का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मजरे में प्रा0 विद्यालय की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

विकास खण्ड बबीना के ग्राम सुकुवां के मजरा राजगढ़ के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मजरा राजगढ़ में प्राथमिक विद्यालय संचालित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मजरा राजगढ़ में प्राथमिक विद्यालय संचालित है।

जनपद झांसी के विधान सभा बबीना के ग्राम पंचायत सरवां के मंजरा भड़रा में उच्च प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाना

61-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र बबीना, जनपद झांसी के ग्राम पंचायत सरवां के मंजरा भड़रा जिसकी आबादी लगभग 1200 है और ग्राम सरवां से 4 कि0मी0 दूरी है, में उच्च प्राथमिक विद्यालय न होने के कारण बच्चों को समस्या का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार यहां पर उच्च प्रा0 वि0 की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी की आख्यानुसार विकास खण्ड बबीना के अन्तर्गत ग्राम सरवां के मजरा भड़रा में प्राथमिक विद्यालय भड़रा तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय, भड़रा संचालित है। अतः शिक्षा हेतु बच्चों को किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मजरा भड़रा में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है।

जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड चिरगांव के ग्राम करगवां में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना किया जाना

62-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के बबीना विधान सभा क्षेत्र के विकास खण्ड चिरगांव के ग्राम करगवां में राजकीय बालिका इण्टर कालेज न होने के कारण क्षेत्र की बालिकाओं को कठिनाई हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस क्षेत्र में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

पी0एम0जी0एस0वाई0 में जनपद शाहजहांपुर में वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत ग्राम पैतापुर व ग्राम रज्जवनगर वाली सड़क का कार्य पूर्ण कराये जाने की मांग

63-श्री सुरेश कुमार खन्ना-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पी0एम0जी0एस0वाई0 में जनपद शाहजहांपुर में वित्तीय वर्ष 2012-13 में स्वीकृत ग्राम पैतापुर व ग्राम रज्जवनगर वाली सड़क का कार्य कब तक पूर्ण हो जायेगा ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

ग्राम पैतापुर को जोड़ने के लिये वर्ष 2012-13 में फेज-10 के अन्तर्गत ब्लाक भावल खेड़ा में नेशनल हाइवे-24 से ग्राम पैतापुर तक का मार्ग स्वीकृत किया गया था। उक्त मार्ग की कुल लम्बाई 2.000 कि0मी0 तथा स्वीकृत लागत रु0 95.17 लाख है। मार्ग का निर्माण दिनांक 15-04-2013 को प्रारम्भ हुआ है तथा जून, 2014 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

ग्राम रज्जवनगर को जोड़ने के लिये ब्लाक ददरौल में ग्राम बेहटा से रज्जवनगर मार्ग फेज-10 के अन्तर्गत स्वीकृत किया गया है।

उक्त मार्ग की कुल लम्बाई 2.850 कि0मी0 तथा स्वीकृत लागत रु0 133.99 लाख है। मार्ग का निर्माण दिनांक 13-04-2013 से प्रारम्भ हुआ है तथा जून, 2014 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

64-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

[दिनांक 20-06-2014 को अता0प्र0सं0-71 द्वारा उत्तरित]

जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड खुर्जा व गुलावटी का जल स्तर गिरने के कारण क्रिटिकल श्रेणी में चिन्हित होने से जल स्तर को सामान्य रखने की सरकार की योजना

65-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या लघु सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड खुर्जा व गुलावटी का जल स्तर गिरने के कारण उक्त क्षेत्र क्रिटिकल श्रेणी में आ गये हैं ? यदि हां, तो क्या

सरकार द्वारा उक्त विकास खण्डों के जल स्तर को सामान्य रखने हेतु कोई योजना बनाई जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

जनपद-बुलन्दशहर के विकास खण्ड खुर्जा व गुलावटी को भू-गर्भ जल विभाग की दृष्टि से क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किये गये हैं।

प्रदेश में गिरते भू-गर्भ जल स्तर को रोकने के लिये बहुआयामी रणनीति अपनायी जाती है। इसके अन्तर्गत विभिन्न सम्बन्धित विभागों द्वारा अपनी-अपनी योजनाओं के अधीन वर्षा चल संचयन एवं भू-गर्भ जल रिचार्ज के विभिन्न कार्य कराये जाते हैं, जिनमें चेक डैम का निर्माण, तालाबों का जीर्णोद्धार/नये तालाबों का निर्माण, आन-फार्म हार्वेस्टिंग आदि संरचनाओं के कार्य सम्मिलित हैं। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा गिरते भूजल स्तर की समस्या के प्रभावी निदान हेतु प्रदेश में भू-जल प्रबन्धन, वर्षा जल संचयन एवं भू-जल रिचार्ज की 'समग्र नीति' भी लागू की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

66-श्री काली चरन सुमन-

[दिनांक 20-06-2014 को अता0प्र0सं0-73 द्वारा उत्तरित]

जनपद मथुरा में ब्लाक बल्देव, राया एवं फरह में पेयजल सुविधा के निदान हेतु टी0टी0एस0पी0 योजनान्तर्गत पेयजल सुविधा सुनिश्चित कराया जाना

67-श्री पूरन प्रकाश-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में ब्लाक बल्देव, राया एवं फरह में पेयजल निदान हेतु कितनी टी0टी0एस0पी0 योजनायें चल रही हैं ? क्या यह सही है कि फरह ब्लाक के बरारी से कुरकदा चौराहे पंकज ढाबा के पास पाइप लाइन डालने के बाद अभी तक टंकी भी नहीं बनी है तथा उक्त तीनों ब्लाकों में विभिन्न कारणों से अधिकतर टी0टी0एस0पी0 पेयजल योजनाओं से पीने का पानी मुहैया नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टी0टी0एस0पी0 योजनाओं से पेयजल सुनिश्चित कराने की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद-मथुरा के ब्लाक-बल्देव, राया व फरह में 04 योजनाओं के अन्तर्गत निर्मित एवं अनुरक्षणाधीन क्रमशः 86, 132 व 110 कुल 328 टी0टी0एस0पी0 निर्मित की गयी हैं।

जनपद-मथुरा के विकास खण्ड फरह के अन्तर्गत गुणता प्रभावित ग्राम बरारी में गम्भीर पेयजल समस्या के तत्काल समाधान हेतु पूर्व में निर्मित अप्रयुक्त नलकूप से पाइप लाइन डालकर ग्रामवासियों को पेयजल की सुविधा उपलब्ध कराई गयी है। उक्त ग्राम हेतु बरारी पेयजल योजना अनुमानित लागत रु0 194.79 लाख विरचित कर स्वीकृति हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

04 योजनाओं के अन्तर्गत विकास खण्ड-बल्देव, राया व फरह में निर्मित एवं अनुरक्षणाधीन कुल 328 टी0टी0एस0पी0 में से 298 टी0टी0एस0पी0 सम्बन्धित ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित की जा चुकी हैं। अवशेष 30 टी0टी0एस0पी0 हस्तान्तरण की प्रक्रिया में हैं, जिनमें से 20 टी0टी0एस0पी0 में

पानी सुचारू रूप से चल रहा है तथा अवशेष टी0टी0एस0पी0 में विद्युत कनेक्शन प्राप्त करने हेतु कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-लखीमपुर खीरी विकास खण्डवार ग्राम्य विकास अधिकारियों के रिक्त पदों को भरा जाना

68-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-लखीमपुर खीरी विकास खण्डवार ग्राम विकास अधिकारियों के पद रिक्त हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

जी हां।

ग्राम विकास अधिकारी के रिक्त पदों के सापेक्ष चयन/भर्ती प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र स्थित राजकीय कन्या इण्टर कालेज नैनाना जाट ग्वालियर रोड, आगरा में पेयजल की व्यवस्था का प्रकरण

69-श्री काली चरन सुमन-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के आगरा ग्रामीण विधान सभा क्षेत्र स्थित राजकीय कन्या इण्टर कालेज नैनाना जाट ग्वालियर रोड, आगरा में पेयजल की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालेज में पेयजल की व्यवस्था करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

पेयजल की व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

70-श्री काली चरन सुमन-

[2सरे शुक्रवार के अता0प्र0सं0-53 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद लखीमपुर खीरी के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक के रिक्त पदों की तैनाती का प्रकरण

71-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के पशु चिकित्सालयों में पशु चिकित्सक के रिक्त पदों पर सरकार तैनाती करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

जी हां।

पशु चिकित्साधिकारियों के रिक्त पदों पर चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग का प्रेषित किया गया है। लोक सेवा आयोग से संस्तुति प्राप्त होने पर अन्य जनपदों के साथ लखीमपुर खीरी में भी आवश्यकता अनुसार रिक्त पदों पर तैनाती किये जाने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के नगर पंचायत टोडी फतेहपुर के मुहल्ला-फतेहपुर अतनियां बाजार एवं इटवां दरवाजा में छात्रों की शिक्षा को सही दिशा देने के लिये प्राथमिक विद्यालय खोले जाने विषयक

72-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के नगर पंचायत टोडी फतेहपुर के मुहल्ला-फतेहपुर अतनियां बाजार एवं इटवां दरवाजा में अनुसूचित जाति बाहुल्य क्षेत्र है जिसमें 3 वार्ड सम्मिलित हैं एवं प्राथमिक विद्यालय संचालित है जिसमें करीब 1200 से अधिक छात्र अध्ययनरत हैं यदि हां, तो क्या सरकार उक्त छात्रों की शिक्षा को दृष्टिगत रखते हुए प्रा0वि0 अतनियां के कैम्पस में माध्यमिक विद्यालय बनाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी की आख्यानुसार नगर पंचायत टोडी फतेहपुर में प्राथमिक विद्यालय अतनियां, विकास खण्ड गुरसरांय संचालित है जिसमें 148 छात्रों का नामांकन है तथा इस विद्यालय से मोहल्ला फतेहपुर अतिनयां बाजार एवं इटवा दरवाजा निकटतम 1.5 कि0मी0 पर स्थित उच्च प्राथमिक विद्यालय टोडी खास से मानक के अनुसार सेवित है।

बेसिक शिक्षा विभाग से संबंधित नहीं है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक टूण्डला के ग्राम नगला रामकिशन के भूत चौराहे पर टी0टी0एस0पी0 टंकी का निर्माण कार्य को पूरा कराया जाना

73-श्री राकेश बाबू-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक टूण्डला के ग्राम नगला रामकिशन के भूत चौराहे पर टी0टी0एस0पी0 टंकी का निर्माण कार्य अपूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त निर्माण कार्य को पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक टुण्डला के ग्राम नगला रामकिशन के भूत चौराहे पर टी0टी0एस0पी0 टंकी का निर्माण कार्य स्थल विवाद होने के कारण बाधित है। स्थलीय विवाद सुलझाने का प्रयास किया जा रहा है।

जी हां।

स्थलीय विवाद सुझल जाने के उपरान्त।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी के ग्राम पिपरौली व ग्राम डौरी में पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराये जाने सम्बन्धी

74-श्री राकेश बाबू-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक नारखी के ग्राम पिपरौली व ग्राम डौरी में पेयजल योजना का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि जल निगम फिरोजाबाद ने उक्त पेयजल योजनाओं को चालू नहीं किया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त ग्रामों की पेयजल योजनाओं को चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

जनपद-फिरोजाबाद के आलमपुर पेयजल योजना के अन्तर्गत जोन-1 में ग्राम पिपरौली व जोन-2 में ग्राम डौरी के लिये पेयजल योजना का निर्माण किया गया है। जोन-2 में ग्राम डौरी की पेयजल योजना के समस्त कार्य पूर्ण हैं तथा योजना का संचालन व रख-रखाव ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। जोन-1 के ग्राम पिपरौली की पेयजल योजना में टेस्टिंग एवं कुछ अन्य कार्य शेष हैं, जिन्हें पूर्ण किये जाने की कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार ग्राम पिपरौली की योजना के शेष कार्य माह दिसम्बर, 2014 तक पूर्ण कर दिये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में जल निगम फिरोजाबाद द्वारा ग्राम प्रधान पेयजल सुविधा उपलब्ध कराने विषयक

75-श्री राकेश बाबू-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में जल निगम फिरोजाबाद द्वारा ग्राम प्रधान पेयजल योजना में 1. लतीपुर जाटव बस्ती ब्लाक टुण्डला, 2. सेवला ब्लाक नारखी, 3. त्रिलोकपुर डेरा बंजारा ब्लाक नारखी, 4. चिलासनी बेघल बस्ती ब्लाक टूण्डला, 5. परीअतपुर ब्लाक नारखी तक, 6. नगला रामकुवीर जाटव बस्ती ब्लाक नारखी में 10000 ली0 के टैंक फूटे रखे गये है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त फूटे टैंकों को बदलवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

कार्यदायी संस्था उ0प्र0 जल निगम द्वारा प्रश्नगत गांवों में टी0टी0एस0पी0 के निर्माणोपरान्त सम्बन्धित ग्रामसभाओं को चालू हालत में निम्नानुसार स्थानान्तरित की गई थी :-

क्र0 सं0	टी0टी0एस0पी0 का स्थल	प्रारम्भ/निर्माण का वर्ष	ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण का वर्ष
1	लतीपुर जाटव बस्ती, ब्लाक, टूण्डला	2010	2010
2	सेवला, ब्लाक नारखी	2011	2011

क्र0 सं0	टी0टी0एस0पी0 का स्थल	प्रारम्भ/निर्माण का वर्ष	ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरण का वर्ष
3	त्रिलोकपुर डेरा बंजारा, ब्लाक नारखी	2010	2010
4	चिलासनी बेघल बस्ती, ब्लाक टूण्डला	2010	2010
5	परीक्षतपुर, ब्लाक नारखी	2011	2011
6	नगला रामकुवांर जाटव बस्ती, ब्लाक नारखी	2011	2011

तेरहवें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा कराया जाता है।

वर्तमान में योजनाओं के रख-रखाव ठीक प्रकार से न होने क्रमांक-1, 2, 4, 5 एवं 6 उल्लिखित बस्तियों के टैंक क्षतिग्रस्त होने के कारण सीधे सबमर्सिबल पम्प से पेयजल आपूर्ति की जा रही है। क्रमांक-3 पर उल्लिखित टी0टी0एस0पी0 से पेयजल आपूर्ति टैंक के माध्यम से की जा रही है।

जी हां।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक टूण्डला में पेयजल योजना को पुनर्गठन करते हुये जलापूर्ति की सुविधा उपलब्ध कराने विषयक

76-श्री राकेश बाबू-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के ब्लाक टूण्डला में 1. उम्मरगण पेयजल योजना, 2. मैसाबृजपुर पेयजल योजना, 3. मोहवल्ली पेयजल योजना तथा 4. मोहम्मदी पेयजल योजना (ब्लाक टूण्डला) बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त पेयजल योजना का पुनर्गठन कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

विकास खण्ड-टूण्डला अन्तर्गत मोहम्मदी पेयजल योजना जिसका संचालन एवं अनुरक्षण उ0प्र0 जल निगम द्वारा किया जा रहा है, से सीधे पम्पिंग से जलापूर्ति की जा रही है। अवशेष पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा ठीक प्रकार से न किये जाने से वर्तमान समय में जलापूर्ति बन्द है, किन्तु प्रश्नगत समस्त ग्रामसभा निर्धारित मानकानुसार इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों से संतृप्त हैं।

जी हां।

उपरोक्त पेयजल योजनाओं में आवश्यकतानुसार पुनर्गठन का कार्य ग्राम्य विकास विभाग द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से तथा मरम्मत का कार्य पंचायती राज विभाग द्वारा 13वें वित्त आयोग/राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि से किया जायेगा।

आगामी वित्तीय वर्ष में धनराशि की उपलब्धता के आधार पर।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु पानी की टंकी का निर्माण कराया जाना

77-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में पेयजल की समस्या के निराकरण हेतु कितने ओवर हैडटैंक (पानी की टंकी) का निर्माण कराया गया है एवं कितने ओवर हैडटैंक (पानी की टंकी) में पानी की सप्लाई की जा रही है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह ''गोप'-

जनपद-लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत 10 नग ग्रामीण पाइप पेयजल योजनाओं में कुल 11 नग ओवर हेड टैंकों का निर्माण कराया गया है। वर्तमान में सभी ओवर हेड टैंकों (पानी की टंकी) के माध्यम से सुचारू रूप से जलापूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

78-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

[1ले बुधवार के अता0प्र0सं0-188 के अन्तर्गत-स्थानान्तरित]

जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्र के गांव ऊदर, अकोला यादवेद काका के खेत के पास लगी पानी की टंकी को ठीक कराकर जलापूर्ति की सुविधा प्रदान करने विषयक

79-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्रामीण क्षेत्र के गांव ऊदर, अकोला यादवेद काका के खेत के पास लगी पानी की टंकी से पानी की सप्लाई बंद है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टंकी से पानी की सप्लाई चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद-आगरा के विकास खण्ड-अकोला के अन्तर्गत ग्राम-थोक ऊदर में श्री यादवेद काका के खेत के पास कोई टंकी नहीं है। वहां पर एक नलकूप अधिष्ठापित है, जिससे पानी की सप्लाई चालू है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों बबीना, बड़ागांव, चिरगांव एवं मोंठ में माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं के लिये छात्रावास सुविधा उपलब्ध कराया जाना

80-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों बबीना, बड़ागांव, चिरगांव एवं मोंठ में माध्यमिक स्तर पर अध्ययनरत छात्राओं को छात्रावास न होने के कारण असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार विकास खण्ड स्तर पर छात्रावासों का निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जी हां।

केन्द्र पुरोनिधानित बालिका छात्रावास योजनान्तर्गत शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े विकास खण्डों में बालिका छात्रावास निर्माण कराये जाने की योजना है।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना, बड़ागांव, मऊरानीपुर, बंगरा एवं गुरसरांव में बालिका छात्रावास निर्माण हेतु भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त हुयी है, जिनके निर्माण हेतु जनपदों को निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं। विकास खण्ड चिरगांव, मोंठ एवं बामौर में बालिका छात्रावास का निर्माण भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त होने के उपरान्त कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में वित्तीय वर्ष 2011-12 में हैण्डपम्प लगाने के विवरण की जानकारी

81-श्री राकेश बाबू-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में वित्तीय वर्ष 2011-12 में 1704 नवीन हैण्डपम्प लगाने की स्वीकृति प्रदान की गयी थी ? यदि हां, तो क्या उपरोक्त हैण्डपम्प अधिष्ठापित कर दिये गये है ? यदि हां, तो विकास खण्ड वार चयनित व अधिष्ठापित हैण्डपम्पों का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो उक्त हैण्डपम्प कब तक स्थापित कर दिये जायेंगे ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

जनपद -फिरोजाबाद में अधिष्ठापित हैण्डपम्पों का विकास खण्ड वार विवरण निम्नवत् हैं :-

क्र0 सं0	विकास खण्ड का नाम	नये हैण्डपम्पों की संख्या
1	फिरोजाबाद	262
2	टूण्डला	253
3	नारखी	258
4	शिकोहाबाद	170
5	अरॉव	212
6	मदनपुर	117
7	एका	236
8	जसराना	76
9	हाथवन्त	120
	योग-	1704

प्रश्न नहीं उठता।

82-श्री राकेश बाबू-

[1ले बुधवार के अता0प्र0सं0-185 के अन्तर्गत-स्थानान्तरित]

83-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या-

[विस्तीर्णता एवं एक से अधिक विभागों से सम्बन्धित होने के कारण निरस्त]

जनपद आगरा के ब्लाक खंदौली व एत्मादपुर में 300 से अधिक खराब पड़ी टी0टी0एस0पी0 की मरम्मत कराकर पेयजल सुविधा सुनिश्चित कराने विषयक

84-डा0 धर्मपाल सिंह-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ब्लाक खंदौली व एत्मादपुर में 300 से अधिक टी0टी0एस0पी0 खराब पड़ी हुई हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पेयजल की आपूर्ति के दृष्टिगत इनकी मरम्मत कराकर पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

जनपद-आगरा के विकास खण्ड-खंदौली में 138 व एत्मादपुर में 176 नग टी0टी0एस0पी0 बन्द हैं।

जी हां।

स्थाई रूप से खराब (बोर फेल हो जाने के कारण) 70 टी0टी0एस0पी0 का प्राक्कलन बनाये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है तथा अवशेष सामान्य रूप से खराब टी0टी0एस0पी0 की मरम्मत का कार्य कराया जा रहा है, जिसे माह अगस्त, 2014 तक पूर्ण कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वित्त पोषित मान्यता प्राप्त हाईस्कूल/इण्टरमीडिएट कालेजों में नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं की फीस माफी तथा उन विद्यालयों में बिजली तथा अन्य रख-रखाव के लिये अनुदान देने सम्बन्धी प्रकरण

85-श्री अनुग्रह नारायण सिंह-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्त पोषित मान्यता प्राप्त इण्टर/हाई स्कूल कालेजों में नयी शिक्षा नीति के अन्तर्गत छात्र/छात्राओं की फीस माफ है ? यदि हां, तो क्या उन विद्यालयों में बिजली तथा अन्य रख रखाव के लिए सरकार अनुदान राशि देने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के निर्वाचन क्षेत्र बबीना के ग्राम पंचायत सुकुवां के प्राथमिक विद्यालय चन्दौली तथा प्राथमिक विद्यालय सुकुवां में बाउन्ड्रीवाल बनाया जाना

86-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी वि0ख0 बबीना निर्वाचन क्षेत्र बबीना के ग्राम पंचायत सुकुवां के मजरा चन्दौली एवं सुकुवां के प्रा0 विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल नहीं

है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय की बाउन्ड्रीवाल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

ग्राम पंचायत सुकुवां के प्राथमिक विद्यालय चन्दौली तथा प्राथमिक विद्यालय सुकुवां में बाउन्ड्रीवाल बनी हुई है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक विद्यालय चन्दौली तथा प्राथमिक विद्यालय सुकुवां में बाउन्ड्रीवाल पूर्व से बनी हुई है।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना नि0 क्षे0 बबीना के ग्राम भानपुर (काढ़ी टोरन) ग्राम घिसौली (प्रेमपुरा) ग्राम रसोई (गंगली) ग्राम खजराहा बुजुर्ग (पनहारी रामगढ़ मोटा) आदि गांवों में प्राथमिक पाठशाला बनाये जाने की मांग

87-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना निर्वाचन क्षेत्र बबीना में प्राथमिक पाठशाला ग्राम भानपुर (काढ़ी टोरन) ग्राम घिसौली (प्रेमपुरा) ग्राम रसोई (गंगली) ग्राम खजराहा बुजुर्ग (पनहारी रामगढ़ मोटा) ग्राम खाडी (वैरागढ़) ग्राम ठाकुरपुरा (पठोई) ग्राम सिमरावारी (मखडऊ) ग्राम धुधवा (धमनाईखिरक) में नहीं है जिससे उक्त सभी गांव के बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इन गांवों में प्राथमिक पाठशाला बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी की आख्यानुसार विकास खण्ड बबीना के ग्राम भानपुर के काढ़ी टोरन की आबादी 200 एवं एक किमी0 की दूरी पर संचालित प्राथमिक विद्यालय भानपुर से सेवित है। ग्राम घिसौली के मजरा प्रेमपुरा की आबादी 175 एवं 1 किमी0 की दूरी पर संचालित प्राथमिक विद्यालय जौनपुर सेवित है। ग्राम रसोई के मजरा गंगली की आबादी 75 एवं 1.5 किमी0 की दूरी पर संचालित प्राथमिक विद्यालय रसोई से सेवित है। ग्राम खजराहा बुजुर्ग के मजरा मोटा में प्राथमिक विद्यालय संचालित है। पनहारी रामगढ़ की आबादी 200 है एवं 0.7 किमी0 की दूरी पर संचालित प्राथमिक विद्यालय रामपुर से सेवित है। ग्राम खाड़ी का मजरा वैरागढ़ की आबादी 350 है। निकटतम प्राथमिक विद्यालय खाड़ी से दूरी 1.5 किमी0 है। ग्राम ठाकुरपुरा के मजरा पठोई की आबादी 250 एवं 1 किमी0 की दूरी पर संचालित प्राथमिक विद्यालय ठाकुरपुरा से सेवित हैं। विकास खण्ड बड़ागांव के ग्राम धुधवा के मजरा धमनाई खिरक में प्राथमिक विद्यालय संचालित है।

ग्राम सिमरावली का मजरा मखड़ऊ वर्ष 2014-15 की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट में प्राथमिक विद्यालय हेतु प्रस्तावित किया गया था किन्तु भारत सरकार द्वारा स्वीकृति नहीं दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

वर्ष 2014-15 में भारत सरकार द्वारा नवीन प्राथमिक विद्यालय निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

जनपद झांसी के विकास खण्ड चिरगांव के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम महेश में जूनियर हाई स्कूल खोलने की मांग

88-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड चिरगांव के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम महेश में जूनियर हाई स्कूल न होने के कारण बच्चों को कक्षा 5 तक की शिक्षा ग्रहण करने के बाद 6 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है जिससे छात्रों व अभिभावक को असुविधा एवं सुरक्षा की चिन्ता रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में जूनियर हाई स्कूल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी की आख्यानुसार विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत विकास खण्ड चिरगांव में ग्राम महेश नाम का कोई ग्राम नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम लिधौरा ग्राम जौरीखुर्द में जूनियर हाई स्कूल बनाया जाना

89-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम लिधौरा ग्राम जौरीखुर्द में जूनियर हाई स्कूल नही है जिससे छात्र/छात्राओं को कक्षा 5 के बाद शिक्षा ग्रहण करने हेतु दूसरे गांव जाना पड़ता है जिसकी दूरी लगभग 3 किमी0 है जिससे छात्र/छात्राओं को जाने-आने में बहुत कठिनाई होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार ग्राम लिधौरा ग्राम जौरीखुर्द में जूनियर हाई स्कूल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जनपद झांसी के विकास खण्ड बड़ागांव का ग्राम लिधौरा 02 किमी0 की दूरी पर संचालित उच्च प्राथमिक विद्यालय बेहटा पालर से सेवित है एवं ग्राम जौरी खुर्द से 1.5 किमी की दूरी पर संचालित सहायता प्राप्त श्री शंकर पूर्व माध्यमिक विद्यालय जौरी बुजुर्ग से सेवित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

दोनों ग्राम मानक के अनुसार जूनियर हाईस्कूल से सेवित है।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम खजुरिहा खुर्द, ग्राम डगरवाहा कसोधन, ग्राम रूद कारारी आदि के स्कूलों में चहार दीवारी बनाये जाने की मांग

90-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना के विधान सभा क्षेत्र बबीना के ग्राम खजुरिहा खुर्द जूनियर हाई स्कूल, ग्राम डगरवाहा कसोधन जूनियर हाई

स्कूल, ग्राम रूद कारारी जूनियर हाई स्कूल, चन्दूरा जूनियर हाई स्कूल एवं ग्राम खजराहा खुर्द, किलचवारा खुर्द जूनियर हाई स्कूल में बाउन्ड्रीवाल नहीं है जिससे इन स्कूलों में आये दिन शरारती तत्व घुस जाते हैं और स्कूल की जमीनों पर अवैध कब्जे कर रहे हैं ? क्या सरकार इन ग्रामों के जूनियर हाई स्कूल/प्राथ0 विद्यालय में बाउन्ड्रीवाल बनवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी झांसी की आख्यानुसार विधान सभा क्षेत्र बबीना के जूनियर हाईस्कूल खजराहा खुर्द में चहारदीवारी का प्रस्ताव वर्ष 2014-15 की कार्ययोजना एवं बजट में किया गया था। ग्राम डगरवाहा जूनियर हाईस्कूल में चहारदीवारी निर्मित है। कसौधन नवीन नाम रामगढ़ जूनियर हाईस्कूल में चहारदीवारी निर्मित है। विकास खण्ड बड़ागांव के जूनियर हाईस्कूल रूद करारी में चहारदीवारी नहीं है, चहारदीवारी का प्रस्ताव वर्ष 2014-15 की कार्ययोजना एवं बजट में किया गया था। जूनियर हाईस्कूल चन्दूरा नाम से कोई विद्यालय संचालित नहीं है। प्राथमिक विद्यालय चन्दरा में चहारदीवारी निर्मित है। ग्राम पंचायत खजराहा खुर्द के जूनियर हाईस्कूल किलचवारा खुर्द में चहारदीवारी का प्रस्ताव वर्ष 2014-15 की कार्ययोजना एवं बजट में किया गया था।

जूनियर हाईस्कूल खजराहा खुर्द, किलचवारा खुर्द एवं जूनियर हाईस्कूल रूद करारी के विद्यालयों की जमीनों पर अवैध कब्जे नहीं हैं।

चहारदीवारी विहीन विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण हेतु सर्व शिक्षा अभियान की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2014-15 में प्रस्ताव रखा गया था, परन्तु भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वर्ष 2014-15 में विद्यालयों में चहारदीवारी निर्माण हेतु स्वीकृति नहीं प्रदान की गयी है।

जनपद आगरा के ग्राम नानपुर विकास खण्ड बिचपुरी में पेयजल आपूर्ति हेतु 10 हार्स पावर की मोटर लगाकर पेयजल की व्यवस्था सुनिश्चित कराना

91-श्री काली चरन सुमन-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के ग्राम नानपुर विकास खण्ड बिचपुरी में पेयजल आपूर्ति हेतु 05 हार्स पावर की मोटर लगी है जो आये दिन खराब हो जाती है ? जिससे पेयजल आपूर्ति बाधित होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मोटर की क्षमता वृद्धि करके 10 हार्स पावर की मोटर लगाकर पेयजल आपूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'--

जी नहीं।

योजना के नलकूप की 05 हार्स पावर की मोटर बदलवाकर माह सितम्बर, 2013 में 10 हार्स पावर की मोटर (पम्पिंग प्लान्ट) डाली जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर के तहसील गोला अन्तर्गत राजकीय आई0टी0आई0 कालेज बड़हलगंज ग्राम कोहरा बुजुर्ग का निर्माण कार्य पूरा कराकर इसी सत्र से शिक्षण कार्य आरम्भ कराये जाने की मांग

92-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद के तहसील गोला अन्तर्गत राजकीय आई0टी0आई0 कालेज बड़हलगंज ग्राम कोहरा बुजुर्ग का निर्माण धनाभाव के कारण बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार धन उपलब्ध कराकर आई0टी0आई0 कालेज का निर्माण पूर्ण कराकर इस सत्र से शिक्षण कार्य आरम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

शासनादेश संख्या-915/26-ब0प्र0-2010-78(एम)/2010 दिनांक 9-12-2010 के द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़हलगंज, गोरखपुर के भवन निर्माण हेतु रु0 143.58 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

शासन के पत्र संख्या-2583/89-व्या0शि0-2012-78(एम)/2012 दिनांक 6-11-2012 द्वारा कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (लैकफेड) द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों से सम्बन्धित धन आहरण पर तात्कालिक प्रभाव से रोक लगाते हुये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के बारे में टी0ए0सी0 जांच की कार्यवाही प्रचलित है।

वर्तमान में संस्थान के भवन निर्माण की टी0ए0सी0 जांच की कार्यवाही प्रचलन में है, जिसके पूर्ण होने के उपरान्त धन उपलब्ध कराने पर निर्णय लिया जायेगा एवं तत्पश्चात् आई0टी0आई0 का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर वहां शिक्षण कार्य/पठन-पाठन आरम्भ किया जा सकेगा।

उक्तानुसार।

जनपद सिद्धार्थनगर में रामजानकी इन्टर कालेज गिरधरपुर कुननाई वर्ष 1980 की सूची में केवल 08 कर्मचारी अंकित होने के बावजूद 39 कर्मचारियों को वेतन दिये जाने का औचित्य

93-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रामजानकी इन्टर कालेज गिरधरपुर कुननाई जनपद सिद्धार्थ नगर में वर्ष 1980 की सूची में केवल 08 कर्मचारी अंकित होने के बावजूद 39 कर्मचारियों को वर्ष 1977 से तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा वेतन दिया गया ? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

वर्ष 1980 में जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बस्ती द्वारा 08 नवीन उपवर्ग संचालन अनुमति प्रदान किये जाने के फलस्वरूप पूर्व सें संचालित उपवर्गों को सम्मिलित करते हुये कुल 11 उपवर्गों के सापेक्ष तत्कालीन प्रबंध समिति द्वारा 41 शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति की गयी थी। विद्यालय दिनांक 01-04-1996 से अनुदान सूची पर सम्मिलित हुआ, ऐसी दशा में वर्ष 1977 से वेतन भुगतान का कोई औचित्य नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद झांसी की बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सुकुवा के मजरा बड़ेरा में उच्च प्राथमिक विद्यालय की स्थापना कराया जाना

94-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सुकुवा के मजरा बड़ेरा में उच्च प्रा0वि0 न होने के कारण बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु 3 किमी0 जाना पड़ता है जिससे बच्चों को आने जाने में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार बड़ेरा में उच्च प्रा0 विद्यालय की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी की आख्यानुसार ग्राम पंचायत सुकुवा में मजरा बड़ेरा नहीं है। ग्राम सुकुवा में उच्च प्राथमिक विद्यालय संचालित है। पुरा ग्राम सभा में मजरा बड़ेरा है तथा यह मजरा उच्च प्राथमिक विद्यालय पुरा बड़ेरा से सेवित है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

पुरा ग्राम सभा का मजरा बड़ेरा उच्च प्राथमिक विद्यालय से मानक के अनुसार सेवित है।

जनपद झांसी की बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम जौरी बुजुर्ग विकास खण्ड बड़ागांव में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना की मांग

95-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम जौरी बुजुर्ग विकास खण्ड बड़ागांव में राजकीय बालिका इण्टर कालेज नही है जिससे आबादी की लगभग 1000 बालिकाओं को शिक्षा हेतु कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है ? यदि हां, तो क्या सरकार बालिकाओं की शिक्षा हेतु इस क्षेत्र में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना कराया जाना

96-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी के विकास खण्ड बबीना में राजकीय बालिका इण्टर कालेज न होने के कारण लगभग 1500 बालिकाओं को असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार बालिकाओं की शिक्षा हेतु इस क्षेत्र में राजकीय बालिका इण्टर कालेज की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद झांसी में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिकरी धमन्य विकास खण्ड चिरगांव में बालिकाओं के लिये अलग से प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाना

97-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में प्रश्नकर्ता के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत लगभग 2100 की आबादी वाले ग्राम पंचायत सिकरी धमन्य विकास खण्ड चिरगांव में बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण हेतु अलग बालिका प्रा0 विद्यालय नहीं है जिससे बालिकाओं को शिक्षा ग्रहण करने में परेशानी होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस समस्या के समाधान हेतु उक्त ग्राम पंचायत में बालिका प्रा0वि0 की स्थापना करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी की आख्यानुसार विधान सभा क्षेत्र बबीना के चिरगांव के ग्राम पंचायत सिकरी बुजुर्ग तथा धमना बुजुर्ग सटे हुये ग्राम हैं, जहां प्राथमिक विद्यालय संचालित हैं। परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में बालक-बालिकाओं को एक साथ शिक्षा दी जाती है, पृथक से बालिका विद्यालय खोले जाने का प्रावधान नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

परिषदीय प्राथमिक विद्यालय पूर्व से संचालित है। बालिकाओं के लिये पृथक विद्यालय खोले जाने का प्रावधान नहीं है।

जनपद झांसी की बबीना विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत ग्राम पंचायत पाडरी के मजरा कबूतरों का डेरा में नवीन प्राथमिक विद्यालय खोलने विषयक

98-श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की बबीना विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पाडरी के मजरा कबूतरों का डेरा जिसकी आबादी लगभग 500 है और ग्राम पाडरी से 2 किमी0 दूरी है जिस कारण बच्चों को शिक्षा ग्रहण करने हेतु आने-जाने में बहुत समस्या होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मजरों में प्रा0 विद्यालय की स्थापना करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, झांसी की आख्यानुसार विधान सभा क्षेत्र बबीना के अन्तर्गत ग्राम पंचायत पाड़री के मजरा कबूतरों का डेरा की आबादी 230 है, अतः मजरा नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा नहीं करता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

मजरा नवीन प्राथमिक विद्यालय खोले जाने का मानक पूरा नहीं करता।

प्रदेश में वर्तमान में संविदा पर कार्यरत मुख्य सेविकाओं की संख्या तथा उन्हें नियमित करने सम्बन्धी विचार की जानकारी

99-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्तमान में प्रदेश में कुल कितनी मुख्य सेविकायें संविदा पर कार्यरत हैं ? क्या रिक्तियों को देखते हुए सरकार इन्हें नियमित करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

वर्तमान में विभाग के अन्तर्गत 159 मुख्य सेविकायें संविदा पर कार्यरत है।

विभाग में संविदा पर कार्यरत मुख्य सेविकाओं को नियमित किये जाने का कोई निर्णय नहीं है।

प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्र हाट कुक्ड योजना के शासनादेश तथा सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार केन्द्र पर भोजन बनाये जाने के आदेश पालन को सुनिश्चित कराया जाना

100-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आंगनबाड़ी केन्द्र हाट कुक्ड योजना शासनादेश संख्या-1468 दिनांक 27 अगस्त 2013 द्वारा एन0जी0ओ0 को दे दी गयी है जबकि मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार मात्र समिति अध्यक्ष द्वारा केन्द्र पर भी भोजन बनाये जाने का निर्देश है ? यदि हां, तो क्या सरकार मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार का पत्र दिनांक 24-02-2009 द्वारा 03 से 06 वर्ष के आयु के लाभार्थियों को आंगनबाड़ी केन्द्र पर हाट कुक्ड़ फूड एवं मार्निंग स्नैक दिये जाने के निर्देश निर्गत किये गये, जिससे बच्चों को दैनिक 500 कैलोरी तथा 12-15 ग्राम प्रोटीन प्राप्त हो। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 22-04-2009 में भारत सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 24-02-2009 का अनुपालन सुनिश्चित करने के आदेश दिये गये हैं। भारत सरकार के दिशा-निर्देश दिनांक 24-2-2009 एवं मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में 03 से 06 वर्ष के आयु के लाभार्थियों को उक्त मात्रा में हाट कुक्ड एवं मार्निंग स्नैक स्थानीय स्तर पर गठित मातृ समितियों के माध्यम से दिया जा रहा है। हाट कुक्ड फूड की वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था में व्यवहारिक कठिनाइयां महसूस की गयी तथा इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु स्वयं सेवी संस्थाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने के दिशा-निर्देश शासनादेश दिनांक 27-08-13 द्वारा निर्गत किये गये हैं। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा मातृ समिति अध्यक्ष द्वारा केन्द्र पर भोजन बनाये जाने के ऐसे कोई आदेश नहीं दिये गये हैं।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश का अनुपालन किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में नारखी टूण्डला ब्लाक में 3 वर्ष पूर्व ग्राम प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत कराये गये निर्माण के क्षतिग्रस्त हो जाने के कारण मरम्मत कराया जाना

101-श्री राकेश बाबू-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में नारखी टूण्डला ब्लाक में 3 वर्ष पूर्व ग्राम प्रधान मंत्री सड़क योजना के अन्तर्गत 1. एटा अवागण मार्ग से गोथुआ तक सड़क, 2. नारखी कामला मार्ग, 3. नारखी कामला मार्ग से रतौली बम्बा तक तथा 4. रसूलाबाद मार्ग का निर्माण कराया गया था ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त सड़क क्षतिग्रस्त हो गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उक्त सड़कों की मरम्मत कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जनपद फिरोजाबाद में इंगित मार्गों में से मात्र 02 मार्ग एटा अवागण मार्ग से गोथुआ तथा रसूलाबाद मार्ग ही प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत निर्मित कराये गये हैं। एटा अवागण मार्ग दिनांक 08-02-2010 को पूर्ण हुआ है, जबकि रसूलाबाद मार्ग (टूण्डला कुतकपुर मार्ग से चन्द्रशेखर) मार्ग दिनांक 24-08-2010 को पूर्ण हुआ है। शेष 02 मार्ग-नारखी कामला मार्ग एवं नारखी कमला मार्ग से रतौली बम्बा तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत निर्मित नहीं कराये गये है। उक्त दोनों मार्ग लोक निर्माण विभाग से सम्बन्धित होने के दृष्टिगत विभाग के पत्र दिनांक 12-06-2014 द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग से उक्त दोनों मार्गों पर अग्रेतर कार्यवाही कराये जाने का अनुरोध किया गया है।

नियमित परिवहन एवं यातायात संचालन के कारण मार्गों की समय-समय पर मरम्मत की आवश्यकता पड़ती है। प्रश्नगत दोनों मार्ग भी इस कारण कुछ स्थानों पर क्षतिग्रस्त हो गये हैं, परन्तु उनका नियमित अनुरक्षण कराया जा रहा है और वर्तमान में इन मार्गों पर यातायात/आवागमन संचालित है।

जी हां।

प्रश्नगत दोनों मार्ग निर्माणोपरान्त पांच वर्ष की अनुरक्षण अवधि के अन्तर्गत हैं और अनुबन्ध के प्राविधानों के अनुसार इनका नियमित अनुरक्षण कराया जा रहा है। अनुरक्षण कार्यों का समय-समय पर स्टेट क्वालिटी मॉनीटर द्वारा निरीक्षण भी किया जाता रहा है और उनके द्वारा कोई प्रतिकूल टिप्पणी अंकित नहीं की गयी है।

अनुरक्षण का कार्य एक नियमित प्रक्रिया है। निर्माण तिथि के पश्चात् 05 वर्ष तक योजना के अन्तर्गत निर्मित मार्गों का सम्बन्धित ठेकेदार के द्वारा अनुरक्षण किये जाने का प्राविधान है, जिसके अन्तर्गत उक्त मार्ग वर्तमान में अनुरक्षणाधीन है। वर्तमान में भी इन मार्गों का अनुरक्षण सम्बन्धित ठेकेदार द्वारा किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

बी0पी0एड0 डिग्री धारकों को बी0एड0 डिग्री धारकों के समकक्ष मानते हुये बी0 पी0 एड0 डिग्री धारकों को भी इस अध्यापक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित कराने की जानकारी

102-श्री बंशी सिंह पहाड़िया-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बी0पी0एड0 डिग्री धारकों को बी0एड0 डिग्री धारकों के समकक्ष मानते हुये पूर्व में प्राथमिक व जूनियर विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पद पर

नियुक्ति की जाती थी ? यदि हां, तो क्या सरकार की जानकारी में है कि वर्तमान समय में बी0एड0 डिग्री धारकों को अध्यापक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित करके नियुक्ति पर विचार किया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार बी0पी0एड0 डिग्री धारकों को भी इस अध्यापक पात्रता परीक्षा में सम्मिलित करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

जी हां।

जी नहीं।

निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के क्रियान्वित होने के पश्चात् बी0पी0एड0 उपाधिकारी अभ्यर्थियों की नियुक्तियां परिषदीय विद्यालयों में नहीं की जा सकती हैं, इसी कारण इन्हें अध्यापक पात्रता परीक्षा में भी सम्मिलित नहीं किया जा सकता है।

103-श्री राजेश त्रिपाठी-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

जनपद गोरखपुर के ब्लाक बड़हलगंज में सीधेगौर गांव में राजकीय पशु चिकित्सालय के बन जाने के बाद डाक्टर व अन्य स्टाफ की तैनाती का प्रकरण

104-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या पशुधन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोरखपुर के ब्लाक बड़हलगंज में सीधेगौर गांव में राजकीय पशु अस्पताल पिछले तीन वर्षों से बनकर तैयार है, किन्तु अभी तक वहां डाक्टर एवं अन्य स्टाफ की नियुक्ति न हो पाने के कारण बन्द पड़ा है ? यदि हां, तो सरकार इसे कब तक चालू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राज किशोर सिंह-

104-जी नहीं, पशु चिकित्सालय सीधेगौर गांव ब्लाक बड़हलगंज में राजकीय पशु चिकित्सालय संचालित हैं। पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सा अधिकारी व अन्य स्टाफ स्थानीय व्यवस्था में कार्यरत है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोरखपुर की तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम कोहड़ीखुर्द में बड़हलगंज में आई0टी0आई0 कालेज की इसी सत्र में आरम्भ कराये जाने की जानकारी

105-श्री राजेश त्रिपाठी-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि गोरखपुर जनपद की तहसील गोला अन्तर्गत ग्राम कोहड़ीखुर्द में बड़हलगंज आई0टी0आई0 कालेज का निर्माण गत तीन वर्षों से चल रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आई0टी0आई0 कालेज में इस सत्र से प्रवेश आरम्भ करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

शासनादेश संख्या-915/26-ब0प्र0-2010-78(एम)/2010 दिनांक 9-12-2010 के द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, बड़हलगंज, गोरखपुर के भवन निर्माण हेतु रु0 143.58 लाख की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

शासन के पत्र संख्या-2583/89-व्या0-शि0-2012-78(एम)/2012 दिनांक 6-11-2012 द्वारा कार्यदायी संस्था उत्तर प्रदेश श्रम एवं निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड (लैकफेड) द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों से सम्बन्धित धन आहरण पर तात्कालिक प्रभाव से रोक लगाते हुये निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के बारे में टी0ए0सी0 जांच की कार्यवाही प्रचलित है।

वर्तमान में संस्थान का प्रशिक्षण कार्य राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, चरगावां गोरखपुर में संचालित कराया जा रहा है तथा अभ्यर्थियों को प्रवेश भी दिया जा रहा है।

उक्तानुसार।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक मिर्जापुर के गांव मिल्किया में भीषण अग्निकांड में हुई भारी क्षति के कारण पीड़ितों को इन्दिरा आवास दिये जाने हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

106-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक मिर्जापुर के गांव मिल्किया में भीषण अग्निकांड में हुए भारी नुकसान से पीड़ित बी0पी0एल0 श्रेणी के परिवारों को इन्दिरा आवास दिये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ग-5 नं0 203907 दिनांक 28-12-2013 उप जिलाधिकारी, जलालाबाद शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

आपदा से प्रभावित होने की उप जिलाधिकारी, जलालाबाद, शाहजहांपुर से करायी गयी। जांच में पाया गया कि अग्निकाण्ड में 09 मकान क्षतिग्रस्त हुये थे, जिनमें 04 आवासीय झोपड़ियां व 05 आवास सह पशुशाला थे। आवासीय झोपड़ी के लिये रु0 2500 प्रति झोपड़ी, आवास सह पशुशाला के लिये रु0 1250 प्रति आवास सह पशुशाला की दर से गृह अनुदान दैवीय आपदा मद से स्वीकृत किया गया है।

शासनादेश संख्या-1395/39-9-08-654/05, दिनांक 05 सितम्बर, 2008 में यह प्राविधान है कि यदि प्राकृतिक आपदा से प्रभावित लाभार्थी को राजस्व विभाग के गृह अनुदान योजना के अन्तर्गत गृह निर्माण के लिये धनराशि दी गयी है तो इन्दिरा आवास की स्वीकृति पुनः नहीं दी जायेगी। इस कारण उपरोक्त परिवारों को इन्दिरा आवास दिया जाना सम्भव नहीं है।

अग्नि पीड़ितों में से श्री ब्रजराज पुत्र श्री जंगी की आवास सह पशुशाला की क्षति के लिये रु0-1250 का चेक निर्गत किया गया, जिसे श्री ब्रजराज ने प्राप्त नहीं किया। श्री ब्रजराज की इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत पात्रता की जांच खण्ड विकास अधिकारी, मिर्जापुर से करायी गयी। जांच में पाया गया कि श्री ब्रजराज का नाम बी0पी0एल0 की स्थायी पात्रता सूची में अंकित नहीं है। इनके पास रहने के लिये पक्का मकान है। इस कारण यह इन्दिरा आवास हेतु पात्र नहीं पाये गये हैं।

जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक जलालाबाद के ग्राम गुरदासपुर में निर्मित प्राथमिक विद्यालय में की गई धांधली के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्र कृत कार्यवाही की जानकारी

107-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के ब्लाक जलालाबाद के ग्राम गुरदासपुर प्रा0 विद्यालय का नवीन निर्माण पूर्ण कराने एवं गुणवत्तापूर्ण निर्माण कराने तथा दोषियों

के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र सं0 ग-5 नं0 203915 दिनांक 08-01-2014 जिलाधिकारी, शाहजहांपुर को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां।

उक्त पत्र पर जांच करायी गयी तथा जांच में प्राथमिक विद्यालय गुरदासपुर का निर्माण पूर्ण नहीं पाया गया। प्रकरण पर पूर्व में भी जांच करायी गयी थी तथा दोषी पाये गये निर्माण प्रभारी प्रधानाध्यापक श्री श्रीधर शुक्ला को निलम्बित किया गया, जिसके विरुद्ध सम्बन्धित प्रधानाध्यापक द्वारा मा0 उच्च न्यायालय में याचिका योजित की गयी है। प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के ब्लाक जलालाबाद को विकास कार्यों के सुचारु रूप से चलाने हेतु टुकड़ों में बांटकर ब्लाक बनाये जाने की सरकार की योजना की जानकारी

108-श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर की तहसील जलालाबाद के ब्लाक जलालाबाद को विकास कार्यों के सुचारु रूप से संचालन हेतु दो टुकड़ों में बांटकर नया ब्लाक बनाने की योजना सरकार के विचाराधीन है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

109-श्री सुनील कुमार सिंह यादव-

[दिनांक 19-06-2014 को अता0प्र0सं0-75 द्वारा उत्तरित]

प्रदेश में माध्यमिक शिक्षान्तर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति पर लगायी गई रोक को हटाये जाने की मांग

110-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की नियुक्ति पर पिछली सरकार द्वारा रोक लगायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कर्मचारियों की नियुक्तियों पर लगी रोक हटायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

कार्मिक अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-20/1/91-का-2-2012 दिनांक 15-3-2012 द्वारा सभी प्रकार की भर्तियों (लोक सेवा आयोग के माध्यम से की जाने वाली भर्ती तथा मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में की जाने वाली भर्ती को छोड़कर) पर रोक लगायी गयी है।

आवश्यकतानुसार एवं औचित्य पाये जाने पर प्रकरण विशेष में भर्ती के प्रतिबन्ध को शिथिल किये जाने पर विचार किया जाता है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वर्ष 2013 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सभी वर्गों की उत्तीर्ण छात्राओं को 30 हजार रुपये की सहायता धनराशि दिये जाने की सम्प्रति योजना

111-श्री सतीश महाना-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2013 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में सभी वर्गों की कितनी छात्रायें उत्तीर्ण हुई तथा उनमें से कितनी छात्राओं को सरकार द्वारा निर्धारित 30 हजार रुपये की सहायता राशि दी गयी है ? क्या उक्त सहायता राशि सभी वर्गों की छात्रा के लिए अनुमन्य है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0 इलाहाबाद की वर्ष 2013 की इण्टरमीडिएट परीक्षा में कुल 10,85,814 छात्राएं उत्तीर्ण हुई।

वर्ष 2013 में इण्टरमीडिएट उत्तीर्ण छात्राओं को रु0 30,000/- सहायता राशि दिये जाने की सम्प्रति कोई योजना संचालित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उक्तवत्

112-श्री सत्यप्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

(पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त)

प्रदेश में बच्चों के शिशुकाल में पालन पोषण हेतु दूध के दामों की लगातार बढ़ोत्तरी को नियंत्रित करने की सरकार की ठोस कार्य योजना की जानकारी

113-श्री मनीष असीजा-

क्या दुग्ध विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बच्चे के आरम्भिक शिशुकाल में पालन पोषण की दृष्टि से अत्यन्त उपयोगी एवं महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले दूध की लगातार बढ़ती कीमतों को नियंत्रित करने की कोई ठोस कार्य योजना बनायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राम मूर्ति वर्मा-

जी नहीं, क्योंकि बाजार में दूध के विक्रय मूल्य का निर्धारण बाजार की मांग, आपूर्ति एवं अन्य परिस्थितियों पर निर्भर करता है। बाजार में गुणवत्ता-युक्त दूध की आपूर्ति बढ़ाने के लिये सरकार द्वारा पशुओं के नस्ल एवं स्वास्थ्य-सुधार तथा दुग्ध उत्पादकों के प्रोत्साहन के लिये कई कार्यक्रम/योजनायें संचालित हैं, जिनमें कृत्रिम गर्भाधान कार्यक्रम, वृहद टीकाकरण का कार्यक्रम, चारा विकास योजना, नेशनल मिशन फार प्रोटीन सप्लीमेंन्ट, प्रशिक्षण कार्यक्रम, तकनीकी निवेश कार्यक्रम, स्वच्छ दुग्ध उत्पादन कार्यक्रम, एकीकृत दुग्धशाला विकास परियोजना, दुग्ध संघों का सुदृढ़ीकरण, पुनर्गठन एवं विस्तार योजना, सघन मिनी डेरी परियोजना, महिला डेरी परियोजना, कामधेनु योजना, मिनी कामधेनु योजना, राष्ट्रीय आजीविका मिशन तथा गोकुल पुरस्कार का वितरण आदि प्रमुख है।

उपर्युक्तानुसार।

जनपद देवरिया के ब्लाक बलकटा अन्तर्गत ग्राम सभा अहिरौली बघेल में शुद्ध पेयजल की समस्या के कारण फैल रही बीमारी की रोकथाम के लिये ओवरहैड टैंक बनाकर पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना

114-श्री नीरज कुशवाहा मौर्य-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद देवरिया के ब्नलाक बलकटा अन्तर्गत ग्राम सभा अहिरौली बघेल की आबादी लगभग 05 हजार से अधिक है? क्या सरकार को जानकारी है

कि उक्त ग्राम सभा में पेयजल की समस्या के कारण नागरिकों में बीमारियों फैल रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त गांव में शुद्ध पेयजल की समस्या के समाधान हेतु राजीव गांधी ग्रामीण पेयजल योजनान्तर्गत ओवरहैड टैंक बनाकर पाइप द्वारा पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

जनपद-देवरिया के ब्लाक बनकटा अन्तर्गत शुद्ध पेयजल की समस्या के कारण नागरिकों में फैल रही बीमारियों के सम्बन्ध में कोई सूचना संज्ञान में नहीं आयी है।

राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत उक्त ग्राम सभा में पाइप पेयजल योजना निर्मित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद के वि0स0 क्षेत्र मेजा के कुवरवटी जेलनिया में राजकीय इण्टर कालेज के भवन का निर्माण कार्य पूरा हो जाने के फलस्वरुप पठन-पाठन का कार्य प्रारम्भ कराया जाना

115-श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद के वि0स0 क्षेत्र मेजा के कुवरवटी जेलनिया में राजकीय इण्टर कालेज के भवन का निर्माण हुये लगभग दो वर्ष हुए हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त विद्यालय में शिक्षकों एवं अन्य स्टाफ की तैनाती कर पठन-पाठन का कार्य प्रारम्भ करने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जी हां।

जी हां।

सत्र प्रारम्भ होने पर।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद इलाहाबाद की ब्लाक मेजा के ग्राम कोडहार ग्राम समूह पेयजल योजनान्तर्गत पानी की सप्लाई किये जाने के कारण पाइप लाइनों के खराब होने से उक्त परियोजना के पुनर्गठन करके जलापूर्ति की क्षमता बढ़ाये जाने की मांग

116-श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद इलाहाबाद की ब्लाक मेजा के ग्राम कोडहार ग्राम समूह पेयजल योजना से ग्रामों को पानी की सप्लाई की जाती है ? यदि हां, तो क्या सरकार पाइप लाइन क्षतिग्रस्त होने एवं आबादी बढ़ने के कारण क्षतिग्रस्त पाइप लाइनों को बदलवाने एवं उक्त परियोजना में जल आपूर्ति की क्षमता बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

जी हां।

योजना के पुनर्गठन हेतु दिनांक 14-06-2014 को निर्देश दिये जा चुके हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बच्चों को दिया जाने वाला मध्यान्ह भोजन पहले रसोइया से ही चखवाकर बच्चों को वितरित करने की व्यवस्था सुनिश्चित करने विषयक

117-प्रो0 रीता बहुगुणा जोशी-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश सरकार बच्चों के हित में मध्यान्ह भोजनान्तर्गत बनाये गये भोजन को बच्चों के जीवनहित में पहले रसोइसा से ही चखवाकर बच्चों में वितरित करने की व्यवस्था करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी हां। पूर्व से व्यवस्था है।

मध्यान्ह भोजन किसी व्यस्क व्यक्ति अध्यापक/अध्यापिका/विद्यालय प्रबन्ध समिति के सदस्य/अन्य अभिभावक से चखवाकर बच्चों में वितरित किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

118-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

[2 सरे सोमवार के अता0प्र0सं0-42 के अन्तर्गत स्थानान्तर्गत]

जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में जंगबहादुरगंज ग्राम सभा में राजकीय इण्टर कालेज खुलवाये जाने की मांग

119-श्री अवस्थी बाला प्रसाद-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखीमपुर खीरी के विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी में जंगबहादुरगंज ग्राम सभा में शिक्षा की व्यवस्था नहीं है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थान पर शिक्षा हेतु राजकीय इण्टर कालेज खुलवाये जाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री महबूब अली-

जी नहीं। व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र मोहम्मदी के जंगबहादुरगंज में अशासकीय सहायता प्राप्त क्रेन ग्रोवर्स इण्टर कालेज जंगबहादुरगंज संचालित हैं जहां बच्चों को कक्षा 6 से 12 तक की शिक्षा प्रदान की जा रही है।

जनपद चन्दौली मुगलसराय वि0स0 क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा हिलौनी वि0स0 नियामाबाद में चन्धासी-कैथापुर पिच रोड में राजिन्दर मिन्टू के घर से तलिया पर बस्ती होते हुए राम चन्दर के खेत से चर्च स्कूल पिच रोड तक कच्चा मार्ग के निर्माण कराये जाने विषयक

120-श्री बब्बन सिंह चौहान-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चन्दौली मुगलसराय विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सभा हिलौनी वि0ख0 नियामताबाद में चन्धासी-कैथापुर पिच रोड में राजिन्दर

मिन्टू के घर से तलिया पर बस्ती होते हुए राम चन्दर के खेत से चर्च स्कूल पिच रोड तक कच्चा मार्ग क्षतिग्रस्त है जिससे जनमानस को आवागमन में भारी परेशानी हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण कार्य करवाये जाने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप-

जी हां

मार्ग क्षतिग्रस्त है, परन्तु आवागमन जारी है।

जी हां।

इस मार्ग को खड़ण्जा स्तर तक बनवाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना में ग्राम पंचायत हिनौली 2014-15 की कार्य योजना में रामचन्दर/निगम एवं अनिल यादव के खेत तक खड़न्जा कार्य के नाम से सम्मिलित है। प्राक्कलन तैयार कराकर स्वीकृति के उपरान्त कार्य शीघ्र प्रारम्भ किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

विधान सभा क्षेत्र रुधौली बस्ती में आर्थिक विकास योजनान्तर्गत प्रस्तावित सड़कों 2012-13 निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

121-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र रुथौली, बस्ती में त्वरित आर्थिक विकास योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सड़कों 2012-13 के निर्माण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 28-4-2013 संख्या-क-5 नं0 165728, क-5 नं0-16527 तथा क-5 नं0-165733 जिलाधिकारी, बस्ती को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

पत्र में प्रस्तावित 27 मार्गों में से 18 मार्ग त्वरित आर्थिक विकास योजना के अनुरूप नहीं हैं। एक मार्ग का कार्य एस0सी0पी0 योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2012-13 में पूर्ण करा दिया गया है। शेष 08 मार्गों का औचित्य (फिजीबिलिटी) परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता

केन्द्र सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान वर्ष 2005-2006 के तहत बालिकाओं को प्रोत्साहन के लिये बालिका प्रोत्साहन योजना शुरू किया जाना

122-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2005-2006 में केन्द्र सरकार द्वारा सर्वशिक्षा अभियान के तहत बालिकाओं के प्रोत्साहन के लिए बालिका प्रोत्साहन योजना शुरू की है ? यदि हां, तो क्या सरकार उ0प्र0 में भी बालिका प्रोत्साहन योजना शुरू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राम गोविन्द चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित बाल विकास परियोजना में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के मानदेय के भुगतान बाधा उत्पन्न होने की समस्या के निराकरण हेतु प्रश्नकर्ता के पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

123-श्री संजय प्रताप जयसवाल-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बस्ती में केन्द्र सरकार द्वारा संचालित बाल विकास परियोजना में कार्यरत आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिकाओं के मानदेय भुगतान में शोषण एवं बाधा उत्पन्न किये जाने की समस्या के निराकरण विषयक प्रश्नकर्ता द्वारा दिनांक 06-08-2012 को प्रेषित-पत्र जिलाधिकारी, बस्ती को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अखिलेश यादव-

जी हां।

माह मई, 2012 से बढ़ी हुई मानदेय की दर पर आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं को मानदेय का भुगतान किया जा रहा है साथ ही माह अप्रैल, 2011 से माह अप्रैल 2012 तक का एरियर का भुगतान निदेशालय बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार उ0प्र0 लखनऊ से सीधे आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं के बचत खाते में हस्तान्तरित किया गया है। आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों/सहायिकाओं से मानदेय भुगतान में शोषण की कोई शिकायत नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

124-श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले)-

[दि0 23-6-2014 को अता0प्र0सं0-131 द्वारा उत्तरित]

आपातकाल में डी0आई0आर0/मीसा में निरुद्ध रहे राजनैतिक बंदियों को सम्मान पेंशन की धनराशि को बढ़ाये जाने की मांग

125-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि आपातकाल में डी0आई0आर0/मीसा में निरुद्ध रहे राजनैतिक बंदियों को जिन्हें प्रदेश सरकार ने लोकतंत्र सेनानी माना है, की सम्मान पेंशन राशि तीन हजार रुपये से बढ़ाकर पांच हजार रुपये प्रतिमाह करने पर सरकार विचार कर रही है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

राजनैतिक पेंशन मंत्री (श्री राजेन्द्र चौधरी)-

जी हां।

सम्मान राशि बढ़ाने का प्रकरण शासन में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

126-डा0 धर्मपाल सिंह-

[दि0 23-6-2014 को अता0प्र0सं0-80 द्वारा उत्तरित]

जनपद शाहजहांपुर के 133, विधान सभा क्षेत्र तिलहर में जल स्तर गिर जाने से पेयजल की गम्भीर समस्या के निदान का प्रकरण

127-श्री रोशन लाल वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के 133, विधान सभा क्षेत्र तिलहर में जल स्तर गिर जाने के कारण जनता को पीने के पानी के गम्भीर संकट से निजात दिलाने हेतु क्या सरकार उक्त क्षेत्र में 1000 इण्डिया मार्का-2 हैण्डपम्प लगवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह गोप-

शासन द्वारा निर्धारित 150 की आबादी पर एक हैण्डपम्प के मानक के सापेक्ष जनपद-शाहजहांपुर के विधान सभा क्षेत्र तिलहर के ग्रामीण क्षेत्र में औसतन 72 की आबादी पर एक हैण्डपम्प उपलब्ध होने के कारण उक्त विधान सभा क्षेत्र मानक के अनुसार हैण्डपम्पों से संतृप्त है। उक्त क्षेत्र में जल स्तर गिर जाने के कारण हैण्डपम्पों के अकार्यकारी होने की स्थिति नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद शाहजहांपुर के 94 राजस्व गांव अलग कर जनपद पीलीभीत के क्षेत्र पंचायत पूरनपुर से सम्बद्ध कर वृहत क्षेत्र पंचायत की तीन क्षेत्र पंचायतों में गठित करने के प्रकरण पर कार्यवाही किया जाना

128-श्री अगयश राम सरन वर्मा-

क्या ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शाहजहांपुर के 94 राजस्व गांव पृथक कर जनपद पीलीभीत के क्षेत्र पंचायत पूरनपुर से सम्बद्ध किये गये हैं ? क्या यह सही है कि क्षेत्र पंचायत पूरनपुर प्रदेश में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से वृहत क्षेत्र पंचायत है ? यदि हां, तो क्या सरकार इसका परिसीमन करके अन्य क्षेत्र पंचायतों के समतुल्य क्षेत्र पंचायत पूरनपुर, गजरौला एवं माधौ टाडा नाम से तीन क्षेत्र पंचायतें गठित करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री अरविन्द कुमार सिंह 'गोप'-

जी हां।

हां, क्षेत्र पंचायत पूरनपुर प्रदेश में जनसंख्या एवं क्षेत्रफल की दृष्टि से वृहत क्षेत्र पंचायत है।

ब्लाक गठन का प्रकरण विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

आपातकालीन अवधि में राजनैतिक बंदियों/लोकतंत्र सेनानियों में से जनपद बुलन्दशहर निवासियों की सम्मान राशि न दिये जाने के कारणों की जानकारी

129-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी-

क्या राजनैतिक पेंशन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या आपातकालीन अवधि में दर्ज अपराध सं0-48 धारा 33-36 डी0आई0एस0आई0आर0 थाना लालकुर्ती, मेरठ के अन्तर्गत जेल भेजे

गये राजनैतिक बंदियों/लोकतंत्र सेनानियों को जनपद मेरठ, गाजियाबाद व पंचशीलनगर में 3000 मासिक की सम्मान राशि दी जा रही है ? यदि हां, तो क्या उसी अपराध संख्या के अन्तर्गत जेल भेजे गये जनपद बुलन्दशहर निवासी श्री अशोक गोयल पुत्र श्री ओम प्रकाश को सम्मान राशि देने को जिला प्रशासन द्वारा मना कर दिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उन्हें सम्मान राशि दिये जाने हेतु कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री राजेन्द्र चौधरी-

जी हां। जनपद मेरठ, गाजियाबाद एवं हापुड़ (पंचशीलनगर) में अपराध संख्या-48 धारा 33-36 डी0आई0एस0 आई0 आर0 थाना लालकुर्ती मेरठ के अन्तर्गत जेल भेजे गये राजनैतिक बंदियों/लोकतंत्र सेनानियों को रु0 3000/-सम्मान राशि दी जा रही है। जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से प्राप्त आख्यानुसार श्री अशोक कुमार गोयल पुत्र श्री ओम प्रकाश निवासी 3/2 डी0एम0 कालोनी रोड बुलन्दशहर को लोकतंत्र सेनानी घोषित नहीं किया गया है। श्री अशोक कुमार गोयल का प्रत्यावेदन जिलाधिकारी, बुलन्दशहर द्वारा निरस्त किया जा चुका है। प्रकरण में जिलाधिकारी, बुलन्दशहर से विस्तृत आख्या प्राप्त कर अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

सम्मान राशि दिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही जनपद स्तर से की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं नियम-301 की सूचनाओं को लेता हूं।

श्री अध्यक्ष-

[12.20] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनायें

आज दिनांक 24-06-2014 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 42 सूचनायें प्राप्त हुईं जिनमें से 16 सूचनायें स्वीकार की गईं :-

पहली सूचना श्री सुरेश बंसल की गाजियाबाद के हिण्डन विहार में जी0टी0 रोड से बालाजी मंदिर तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। दूसरी सूचना श्री गेंदालाल चौधरी की जनपद हाथरस के कतिपय सम्पर्क मार्गों को बनाये जाने एवं कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है। तीसरी सूचना श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव की वाराणसी के मडुआडीह स्टेशन के ओवर ब्रिज पर बिजली की पर्याप्त व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में। चौथी सूचना श्री धर्मपाल सिंह की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला की अरिल नदी पर ग्राम महमूदपुर व ग्राम चकपुरघई के मध्य रपटा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में। पांचवी सूचना श्री सलिल विश्नोई की कानपुर महानगर में व्याप्त ट्रैफिक जाम की समस्या के निराकरण हेतु मेट्रो ट्रेन चलाये जाने के सम्बन्ध में। छठीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रूदौली अन्तर्गत वर्ष 2012-13 एवं 2013-14 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित कतिपय ग्राम पंचायतों में धनाभाव के कारण रुके हुये कार्यों हेतु धनावंटन किये जाने के सम्बन्ध में। सातवीं सूचना श्री राधेश्याम सिंह की जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सवागी पट्टी सिगना व सहवाजपुर के मध्य मौने नाले पर पक्का पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में। आठवीं सूचना श्री त्रिलोकी राम की जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में पेयजल संकट

के निवारण हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में। नवीं सूचना श्री प्रदीप माथुर की जनपद मथुरा में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस स्टैण्ड को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में। दसवीं सूचना श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी अन्तर्गत ग्राम शेखनपुरवा व उतरावां के क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। ग्यारहवीं सूचना श्री कृष्णपाल राजपूत की जनपद झांसी के थाना चिरगांव में दिनांक 14-6-2014 को दर्ज मुकदमें के आरोपियों की गिरफ्तारी किये जाने के सम्बन्ध में। बारहवीं सूचना श्री गजेन्द्र सिंह की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूप शहर के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में। तेरहवीं सूचना श्री राकेश बाबू की जनपद फिरोजाबाद की नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत आने वाले कतिपय मोहल्लों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में। चौदहवीं सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की गोरखपुर महानगर स्थित मानवेला के 3000 काश्तकारों की जमीन जबरन अधिग्रहीत किये जाने के उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में तथा पन्द्रहवीं सूचना श्री मदन चौहान की जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में एन0एच0-24 पर ओवर ब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित माननीय सदस्यों की सूचनायें अस्वीकार की गयी :-

1-श्री राधेलाल रावत
2-श्री मुकुट बिहारी वर्मा
3-श्री जगन प्रसाद गर्ग
4-श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
5-श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया
6-श्री पंकज गुप्ता
7-श्री भीम प्रसाद सोनकर
8-श्री सुदेश शर्मा
9-श्री रविदास मेहरोत्रा
10-श्री दिलनवाज खान
11-श्री प्रदीप चौधरी
12-श्री संजय प्रताप जायसवाल
13-श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या
14-श्री भगवान सिंह कुशवाहा
15-श्री बृजेश कुमार
16-श्री चन्द्रभान सिंह पटेल
17-श्री काली चरन सुमन
18-श्री उमाशंकर
19-श्री देव नारायण उर्फ जी0एम0 सिंह

20-श्री अवस्थी बाला प्रसाद

21-श्री उमेश पाण्डेय

22-श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा

23-श्री रोशन लाल वर्मा

24-डा0 अरुण कुमार

25-श्री जय प्रकाश अंचल

26-श्री हाजी मुर्सरत अली विट्टन

(सदन की सहमति से स्वीकृत सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं।)

जनपद गाजियाबाद के हिण्डन विहार में जी0टी0 रोड से बालाजी मन्दिर तक की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश बंसल-

[मान्यवर,

मेरी विधान सभा क्षेत्र गाजियाबाद के अन्तर्गत हिण्डन विहार में जी0टी0 रोड से बालाजी मन्दिर को जाने वाली सड़क पूर्णतः क्षतिग्रस्त है। यह हिण्डन विहार की मुख्य सड़क है और इस सड़क पर बालाजी मंदिर भी बना हुआ है। इस सम्बन्ध में यहां के निवासियों द्वारा उच्चाधिकारियों से अनुरोध किया जाता रहा है। परन्तु अभी तक प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है। जनहित में जर्जर हालत में जिस पर चलना दूभर हो रहा है, की मरम्मत कराये जाने का अनुरोध करता हूं।

अतः मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय व लोक महत्व की सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद हाथरस के कतिपय सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गेंदालाल चौधरी-

[मान्यवर,

मैं सदन का ध्यान इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूं कि जनपद हाथरस (महामायानगर) के निम्नलिखित सम्पर्क मार्ग का जनहित में बनाया जाना अतिआवश्यक है, जिससे जनपद हाथरस (महामायानगर) के हजारों निवासी लाभान्वित हो सकेंगे :-

1(अ) हाथरस से लाड़पुर एवं हाथरस से जलेसर रोड तथा

1-सासनी चौराहे से इगलास तक

2-सासनी चौराहे से कैलोरा तक जलेसर रोड पर

3-सासनी चौराहे से विजयगढ़ तक एवं

4-हाथरस मधुगढ़ी से इगलास तक मरम्मत कार्य

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुये उपरोक्त सम्पर्क मार्ग को बनाने एवं इनके मरम्मत कराये जाने हेतु अतिशीघ्र शासन से मांग करता हूं ताकि हजारों लोगों को प्रतिदिन आवाजाही में हो रही परेशानियों से निजात मिल सके।]

वाराणसी के मडुआडीह स्टेशन के ओवर ब्रिज पर बिजली की पर्याप्त व्यवस्था किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत

श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव-

[महोदय,

वाराणसी के मडुआडीह स्टेशन पर एक ओवर ब्रिज है, जिसका एक छोर मडुआडीह के देहात की ओर है, दूसरा ककरमत्ता शहर की ओर। लेकिन पुल के ऊपर बिजली की व्यवस्था नहीं है। खम्भे लगे हैं, बल्ब भी लगा है। पुल के निर्माण के बाद दो चार दिन लाइट भी जली। लेकिन अब उस पर पूर्ण रूप से अंधेरा रहता है। प्रशासन का ध्यान भी कई बार इस ओर दिलाया गया, लेकिन बिजली जलने की व्यवस्था नहीं हुई। पुल से उतरते वक्त ढलान रहता है, गाड़ियों की रफ्तार तेज हो जाती है। मडुआडीह की ओर पुल से उतरते ही डिवाइडर लगे हैं लेकिन रिफ्लेक्टर नहीं है। जिससे गाड़ियां टकरा जाती हैं। कार, जीप पलट जाती हैं तथा पैदल जनता दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है।

लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये मडुआडीह रेलवे ओवर ब्रिज पर तत्काल बिजली जलाने की व्यवस्था कराये जाने की मांग करती हूं।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र आंवला की अरिल नदी पर ग्राम महमूदपुर व ग्राम चकरपुरधई के मध्य रपटा पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मपाल सिंह-

[महोदय,

विधान सभा क्षेत्र आंवला जनपद बरेली में अरिल नदी है। इसके किनारे पर ग्राम महमूदपुर और नदी के पार ग्राम चकरपुरधई बसे हैं। यह दोनों गांव बड़े व महत्वपूर्ण हैं। दोनों गांवों के लोगों का एक दूसरे के यहां अपना-जाना है। ग्राम चकरपुर व अन्य ग्रामों के लोग ग्राम महमूदपुर होते हुये करेंगी रेलवे स्टेशन को जाते हैं। बरसात के महीनों में नदी भरी होने के कारण लोगों का आना-जाना बाधित रहता है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार से काजवे (रपटा पुल) बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

कानपुर नगर में व्याप्त ट्रैफिक जाम की समस्या के निराकरण हेतु मैट्रो ट्रेन चलाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सलिल विश्नोई-

[महोदय,

कानपुर महानगर प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक क्षेत्र है। पूरे प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से यहां मेहनतकश मजदूर एवं आमजन निवास करते हैं। कानपुर की वर्तमान आबादी 50 लाख से ज्यादा है। प्रतिवर्ष महानगर की बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण शहर की यातायात व्यवस्था ध्वस्त हो गयी है।

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रायः महानगर के प्रत्येक मुख्य मार्ग पर लम्बा-लम्बा जाम देखने को मिलता है। यहां तक कि मुख्य मार्ग से जुड़े सम्पर्क मार्ग जो महानगर की कई कालोनियों को जोड़ते हैं, पर भी जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। आये दिन दुर्घटनायें घटित होती हैं जिनमें जानमाल का नुकसान होता है। शहर के बीच में एक दर्जन से अधिक रेलवे क्रासिंग हैं जिन पर लगने वाले जाम से शहर का प्रत्येक नागरिक त्रस्त है। ऐसी स्थिति में स्थानीय निवासियों द्वारा कानपुरर महानगर में मेट्रो रेल चलाये जाने की मांग उठायी जा रही है और आवश्यकता भी है। ध्वस्त यातायात को देखते हुये मेट्रो की समस्या का एकमात्र निदान है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुये कानपुर महानगर में मेट्रो रेल चलवाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद फैजाबाद के विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत वर्ष 2012-2013 एवं 2014 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत चयनित कतिपय ग्राम पंचायतों में धनावंटन धनाभाव के कारण रुके हुए कार्यों हेतु न किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव-

[मान्यवर,

जनपद फैजाबाद विधान सभा, रुदौली अंतर्गत वर्ष 2012-13 व 2013-14 में डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजना के अंतर्गत चयनित ग्राम पंचायतों क्रमशः मानापुर, उमापुर, जखौली, मांजनपुर, मोहम्मदपुर दाउदपुर, पारा पहाड़पुर, परसौली, सराय मझंन, हयातनगर, हलीमनगर तथा जमोली, हाजीपुर, विकास खण्ड बनीकोडर, जनपद बाराबंकी में शासनादेश के अनुसार सभी योजनाओं में संतृप्त किये जाने का कार्य धनावंटन के अभाव में अधूरा पड़ा है। चयनित ग्रामों की गलियों का सी0सी0 कार्य मात्र 1/4 ही हो पाया है। विद्युतीकरण में मजरों को छोड़ दिया गया है। पेयजल योजनान्तर्गत जल निगम द्वारा ग्रामों को संतृप्त दिखाया गया है जबकि सभी समग्र गांवों में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प की स्थापना की मांग ग्रामवासियों द्वारा की जा रही है। संपर्क मार्गों का निर्माण कार्य अधूरा पड़ा है। इन्दिरा आवास/लोहिया आवास में पात्र लाभार्थियों को आवास का आवंटन नहीं किया गया है। इस प्रकार क्षेत्र की चयनित ग्राम पंचायत में सरकार द्वारा घोषित कार्यक्रमों के आधे-अधूरे रहने से क्षेत्रवासियों में आक्रोश व्याप्त है।

अत नियम-301 के अंतर्गत अविलम्बनीय लोक महत्व के इस प्रश्न पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुये प्रभावी कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सवागी पट्टी सिगना व सहवाजपुर के मौन नाले पर पक्का पूल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राधेश्याम सिंह-

[मान्यवर,

मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं कि जनपद कुशीनगर के हाटा विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सवागी पट्टी सिगना व सहवाजपुर के बीच मौन नाले पर पक्का पुल न होने के कारण पचासों गांव के लोगों को तहसील हाटा मुख्यालय पर आने में काफी

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। हाटा विधान सभा क्षेत्र अति पिछड़ा क्षेत्र है उक्त मौन नाले पर पुल बनाया जाना जनहित में अत्यंत आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए सवागी पट्टी सिगना व सहवाजपुर के बीच मौन नाले पर पक्का पुल के निर्माण कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद अलीगढ़ के विधान सभा क्षेत्र इगलास में पेयजल संकट के निवारण हेतु प्रभावी कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिलोकी राम-

[मान्यवर,

जनपद-अलीगढ़ के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र इगलास के अन्तर्गत ग्राम सभा साथिनी का गांव पटपर नगला, कौहन गांव में खारे पानी के कारण लोगों को पीने के लिये पानी के अभाव के कारण जीना दूभर हो गया है। गांव के लोग पीने के पानी के लिए लगभग 2 कि0मी0 से दूर पानी लाना पड़ता है। बहू बेटियों को पानी लाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तथा उन्हें अपनी इज्जत का भी खतरा बना रहता है। जिससे क्षेत्रीय जनता में काफी रोष व्याप्त है।

अतः मैं चाहूंगा कि उक्त समस्या से निजात पाने के लिए पानी की टंकी लगवाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद मथुरा में उत्तर प्रदेश परिवहन निगम के बस स्टैण्ड को स्थानान्तरित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अंतर्गत सूचना

श्री प्रदीप माथुर-

[महोदय,

अवगत कराना है कि मथुरा में जो वर्तमान में उ0प्र0 परिवहन निगम का बस स्टैण्ड है वह भूतेश्वर से स्टेट बैंक वाली सड़क पर स्थित है जिसे मैंने सन् 1988 में शिफ्ट कराया था तब इस सड़क पर वाहन आदि की कोई भीड़ नहीं रहती थी। अब यह भीड़भाड़ वाला इलाका हो गया है। मथुरा के महोली की ओर से भी लोगों के आवागमन के कारण इस सड़क पर अक्सर जाम लगा रहता है, इसलिए जनहित में इस बस स्टैण्ड को नेशनल हाई-वे 2 पर शिफ्ट किया जाना आवश्यक है। शहर से सटे नेशनल हाई-वे 2 पर गोकुल रेस्टोरेण्ट के सामने केवल पराग डेरी परिसर में ही भूमि खाली है जिस पर 05.00 एकड़ भूमि पर नया बस स्टैण्ड का निर्माण किया जा सकता है। उक्त बस स्टैण्ड को स्थानान्तरित करने के लिए यही भूमि सबसे ज्यादा उपयुक्त पायी गयी है। इस संबंध में एक प्रस्ताव जिलाधिकारी, मथुरा एवं यू0पी0एस0आर0टी0सी0 मथुरा के स्थानीय अधिकारियों द्वारा प्रबन्ध निदेशक, यू0पी0एस0आर0टी0सी0 तथा प्रमुख सचिव, परिवहन विभाग, उ0प्र0 शासन के माध्यम से एन0ओ0सी0 (NOC) प्रदान किये जाने हेतु आपके कार्यालय में लंबित है। ज्ञात रहे कि इस संबंध में मैंने विगत बजट सत्र में मा0 परिवहन मंत्री जी से अनुरोध किया था जिसमें विधान सभा में परिवहन विभाग के बजट के अवसर पर मथुरा में नया बस स्टैण्ड के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 2013-2014 में रु0 10.00 करोड़ का बजट प्राविधान किया गया था, किन्तु परिवहन विभाग एवं दुग्ध विकास में सामंजस्य न बनाये जाने के कारण उक्त धनराशि व्यपगत हो गयी। जनहित में मथुरा के इस वर्तमान

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बस स्टैण्ड को तत्काल स्थानान्तरित कर उक्त उपयुक्त स्थल पर स्थापित किया जाना अति-आवश्यक है। इसलिए मथुरा शहर में अवस्थित उ0प्र0 परिवहन निगम के पुराने बस स्टैण्ड को स्थानान्तरित कर नेशनल हाई वे-2 पर गोकुल रेस्टोरेण्ट के सामने पराग डेरी परिसर में, जहां पर पर्याप्त भूमि उपलब्ध है, में 05.00 एकड़ भूमि पर नया बस स्टैण्ड बनाये जाने हेतु प्राथमिकता के आधार पर दुग्ध विकास आयुक्त, उ0प्र0 को वर्तमान सर्किल रेट पर परिवहन विभाग को बेचे जाने हेतु तथा परिवहन विभाग द्वारा आवश्यक बजट की व्यवस्था करते हुए उक्त बस स्टैण्ड को स्थानान्तरित कर स्थापित किया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर कार्यवाही की मांग करता हूं।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी अन्तर्गत ग्राम शेखन का पुरवा व उत्तरांवा के क्षतिग्रस्त पुलों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

[मान्यवर,

वि0स0क्षे0 सरेनी, जनपद रायबरेली का दो तिहाई कृषि क्षेत्र सिंचाई विभाग उन्नाव खण्ड की पुरवा ब्रांच नहर द्वारा पोषित है। खेद का विषय है कि गत 5 वर्षों में ग्रम शेखन का पुरवा व दो वर्षों से ग्राम उत्तरांवा में सिंचाई विभाग द्वारा निर्मित दोनों पुराने पुल गिर चुके हैं एवं किसानों की सिंचाई व आवागमन पूर्णतः बाधित है। अधिकारियों से शिकायत करने पर किसानों की फरियाद को अधिकारी अनसुनी करते हैं जिससे जनता आक्रोषित एवं आन्दोलित है।

अतः मैं माननीय सदन से अनुरोध करता हूं कि इस महत्वपूर्ण विषय पर ध्यान दें एवं तात्कालिकता को दृष्टिगत रखते हुए अविलम्ब कार्यवाही करने की कृपा करें।]

जनपद झांसी के थाना चिरगांव में दिनांक 14-6-2014 को दर्ज मुकदमें के आरोपियों की गिरफ्तारी किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री कृष्णपाल राजपूत-

[मान्यवर,

कृपया अवगत कराना चाहता हूं कि जनपद झांसी के थाना-चिरगांव अन्तर्गत ग्राम अतपेई में दिनांक 14-06-2014 की रात करीब 09 बजे ग्यादीन धोबी पुत्र परमानन्द धोबी के दो पुत्रों पवन एवं कपिल की गांव के ही चार दबंगों की बेगार न करने के कारण गांव के ही बबलू यादव एवं बृजेश यादव पुत्रगण जगत यादव, जगत यादव व सुरेश यादव ने मारपीट उपरान्त वादी के दोनों पुत्रों के उपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी थी जिसमें से वादी के एक पुत्र पवन की मौत के दौरान इलाज मेडिकल कालेज झांसी में हो गयी तथा दूसरे पुत्र कपिल का अभी इलाज मेडिकल कालेज में चल रहा है। वादी ने उपरोक्त घटना की सूचना थाना चिरगांव में जाकर दिनांक 15-06-2014 को दे दी थी जिस पर पुलिस ने मुकदमा भी दर्ज कर लिया था। पुलिस ने उक्त घटना में नामजद अभियुक्तों में से दो अभियुक्तों बृजेश एवं सुरेश को गिरफ्तार किया एवं दो आरोपी गांव में खुले आम घूमकर लोगों को डरा धमका रहे है जिससे गांव में दहशत का माहौल है। क्योंकि इस गांव में दलितों की आबादी बहुत ही कम है और हमेशा से इन प्रभावशाली लोगों के प्रभाव में जीवन यापन करते रहे हैं। इस प्रकरण में

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पुलिस द्वारा तत्परतापूर्ण कार्यवाही न किये जाने के कारण आम जनमानस में सरकार के प्रति रोष एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए वक्तव्य के साथ ही साथ घटना में शामिल आरोपियों को शीघ्र गिरफ्तार कर इस मामले की निष्पक्ष विवेचना कराये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर के कतिपय क्षतिग्रस्त मार्गों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गजेन्द्र सिंह-

[महोदय,

कृपया अवगत कराना है कि जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र अनूपशहर छोटी काशी के नाम पर जाना जाता है। मेरे क्षेत्र के निम्नलिखित ग्रामों की सड़कों की हालत अत्यन्त क्षतिग्रस्त हो गयी है। जिन पर पैदल चलना भी सम्भव नहीं हो पा रहा है। ऐसी स्थित में इन ग्रामों के लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिनमें पी0डब्लू0डी0 विभाग द्वारा लगभग 20 वर्षों से इन पर रिपेरिंग न होने से गड्ढों में तब्दील हो गयी है। जिनमें क्रम से

1-श्याना बुलन्दशहर रोड से सैदपुरा तक।

2-स्वाली शिकारपुर रोड से रसूलपुर उर्फ तेलिया मेथना।

3-अनूपशहर आहर रोड से पहाड़पुर तक।

4-जहांगीराबाद आहार रोड से अवन्तकादेवी तक

5-बीहरा से औरंगाबाद मार्ग तक।

6-औरंगाबाद मार्ग से गंगहारी होते हुए परसौली मार्ग तक।

7-बालका से औरंगाबाद मार्ग तक।

8-पिपाला से खेड़ीमार्ग तक।

इन मार्गों के क्षतिग्रस्त होने से क्षेत्रीय जनता को आने जाने में काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जिससे क्षेत्र की जनता में सरकार के प्रति भारी रोष एवं जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से उपरोक्त सड़क पी0डब्लू0डी0 से बनवाये जाने की मांग करता हूं।]

जनपद फिरोजाबाद की नगरपालिका के अन्तर्गत आने वाले कतिपय मोहल्लों का विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश बाबू-

[महोदय,

जिन मुहल्लों को उपरोक्त विद्युतीकरण योजना में सम्मिलित किया जाना है वह निम्न प्रकार है-

1. किशन नगर, 2. कुशवाहानगर, 3. सवितानगर, 4. संगम नगर, 5. द्वारिकापुरी, 6. रानीनगर, 7. काशीराम विहार, 8. न्यू अम्बेडकरनगर, 9. बघेल कालोनी, 10. सत्यनगर टापा

नोट [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कला, 11. टापा कला, 12. टापा खुर्द, 13. नगला पान सहाय, 14. लोधीपुरम, 15. श्रीराम कालोनी, 16. बाला जी नगर, 17. लोधीपुरम

महोदय मैं उपरोक्त मुहल्लों में विद्युतीकरण कराये जाने की जनहित में मांग करता हूं। तथा सरकार से सदन में वक्तव्य की मांग करता हूं।]

गोरखपुर महानगर स्थित मानबेला के 3000 कास्तकारों की जमीन जबरन अधिग्रहण किये जाने से उत्पन्न स्थित के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

[महोदय,

गोरखपुर महानगर स्थित मानबेला वार्ड संख्या 7 के पीरु शही खान मडईया, पठर कुईंया, मटोलिया, मौर्या टोला, फत्तेपुर, मिर्जापुर, करीमनगर, मुगलपुर आदि करीब 3000 किसानों की भूमि का अधिग्रहण जी0डी0ए0 द्वारा भूमिग्रहण अधिनियम की धारा 17 (1) के तहत, अधिनियम का दुरुपयोग करते हुये 22-11-2003 में कर लिया गया। काश्तकारों में 90 किसान आर्थिक रूप से गरीब, अधिकांशतः अल्पसंख्यक, दलित एवं पिछड़े वर्ग के लोग थे। किसानों को 2005 में अपनी जमीनों के अधिग्रहण का उस समय पता चला, जी0डी0ए0 के अधिकारी जमीनों पर कब्जा लेने आये।

किसान 2005 से ही आन्दोलनरत हैं और जी0डी0ए0 अभी तक कब्जा नहीं ले पायी है। आयुक्त भूमि अध्याप्ति निदेशालय राजस्व परिषद के निर्देश पर 2201/10/भू0अ0/9अ/07 दिनांक 2 जून, 2008 के बाद 14.7.2008 को जिलाधिकारी और काश्तकारों के बीच करार के आधार पर भूमि मूल्य 15 लाख/प्रति हेक्टेयर के स्थान पर रुपये 28 लाख/हेक्टेयर करने तथा स्वीकार करने की लिखित सहमति हुयी।

लेकिन अज्ञात कारणों से राजस्व परिषद ने अपने ही निर्देश पर आहूत बैठक में किये गये समझौते को मानने से इन्कार कर दिया और एक पक्षीय तरीके से भूमि मूल्य, ब्याज जोड़कर 18.77 लाख/हेक्टेयर तय कर दिया। काश्तकारों ने उक्त आदेश को मानने से इन्कार किया और आज भी जी0डी0ए0 इस पर कब्जा नहीं ले पायी। अब नये भूमि अधिग्रहण अधिनियम के लागू हो जाने के उपरान्त, काश्तकारों की मांग मुआवजे की राशि सर्किल रेट के 6 गुने की है।

अत लोक महत्व के इस निश्चित तथा अविलम्बनीय विषय पर नियम-301 के तहत सरकार को सदन के पटल पर जवाब रखने के लिए निर्देशित करने की कृपा करें।]

जनपद हापुड़ के गढ़मुक्तेश्वर में एन0एच0-24 पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मदन चौहान-

[मान्यवर,

मेरी विधान सभा गढ़मुक्तेश्वर में NH-24 पर स्थित स्याना चौराहे पर हाई-वे पर फ्लाई ओवर जो कि लगभग पांच वर्षों से लम्बित है अधूरा है। निर्माणाधीन है। आम जनता के आवागमन में भारी परेशानी है। उ0प्र0 के सेतु निगम द्वारा निर्माण किया जा रहा है। यह सूचना अत्यन्त लोकमहत्व

नोट :- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

व अविलम्बनीय है। मैं शासन का ध्यान आकर्षित करता हूं। तथा तत्काल पूर्ण करने का आग्रह करता हूं।]

[12.25] औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24 जून, 2014 को नियम 300 के अन्तर्गत 2 सूचनायें प्राप्त हुईं हैं दोनों अग्राह्य है। पहली है अगयश रामसरन वर्मा की और दूसरी डा0 अरुण कुमार की है यह दोनों नियम-300 में नहीं आती है। यह सड़क जनपद बरेली का, देखिये डा0 साहब, आपका जनपद बरेली के महानगर के उत्तरी व दक्षिणी हिस्सें को जोड़ने वाली सड़क पर ओवरब्रिज का निर्माण कराये जाने के संबंध में है, यह 300 का विषय नहीं है। यह नियम 301 में देते, 51 में देते, 56 में देते ऐसे ही अगयश रामसरन वर्मा जी का है इन्होंने लिखा है जनपद पीलीभीत के अन्तर्गत सिंचाई विभाग की कोठियों की भूमि पर अवैध कब्जे, बन्द पड़े नलकूपों एवं जनपद गोण्डा के अन्तर्गत एशिया एल्गिन ब्रिज चरसंडी तटबन्ध के बाढ़ कार्य हेतु हुए अनुबन्ध घोटाला विषयक सूचनाओं के सम्बन्ध में जानबूझकर जानकरी न उपलब्ध कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। यह इसमें नहीं आता है।

दिनांक 19 जून, 2014 को सत्र के पहले दिन भाजपा के सदस्य अपने प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में अध्यक्ष के सदन में आने के मुख्य मार्ग को रोकने तत्पश्चात सदन के दरवाजे पर खड़े होकर वन्दे मातरम् के समाप्त होने की प्रतिक्षा करते रहे के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न

श्री अध्यक्ष-

यह एक व्यवस्था का प्रश्न है माननीय मंत्री जी अपनी व्यवस्था उठाइये।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी, यह सदन संविधान के प्राविधानों के अनुसार और जो हमारी कार्य-संचालन नियमावली है उसके अनुसार और इसके अतिरिक्त जो हमारी परम्पराएं हैं उन परम्पराओं के अनुसार चलता है। मान्यवर, आर्टिकल 174 में महामहिम राज्यपाल जी सत्र आहूत करते हैं और नियम 4 में हमारे नियमावली के नियम-4 में इसका प्राविधान है। श्रीमन् सत्र आहूत किया जाता है और सत्र प्रारम्भ होता है और श्रीमन् सत्र के प्रारम्भ के समय श्रीमन्, पहली बार यह 28-10-1992 को ग्यारहवीं विधान सभा के तीसरे सत्र में आपकी पीठ पर आदरणीय केशरी नाथ त्रिपाठी जी आसीन थे और उस समय सदन में एक परम्परा की शुरुआत हुई कि सदन की शुरुआत होगी वन्दे मातरम् गीत के साथ। पहले वन्देमातरम् गीत गाया जाता था उसके बाद वन्दे मातरम् का संगीत बजता है और उसकी शुरुआत की गयी। मान्यवर, वन्देमातरम् के बारे में मुझे कोई ज्यादा विस्तार से नहीं कहना है लेकिन आज मैं जरुर इस बात का उल्लेख करना चाहता हूं कि इसका स्टेट्स क्या हो, इसकी स्थिति क्या हो कि राष्ट्रगान और राष्ट्रीय गीत इन दोनों का फर्क यह है कि जन गण मन को कांस्टीट्यूट असेम्बली ने हमारे नेशनल एंथम के रूप में स्वीकार किया, राष्ट्रीय गान के रूप में और जब मान्यवर, 24 जनवरी, 1950 को 26 जनवरी के जस्ट पहले जब कांस्टीट्यूट असेम्बली की आखिरी मीटिंग रही होगी तो उसमें मान्यवर, यह बात आई थी और उसमें श्री रत्नप्पा ब्रहम्मपा कुमार ने यह बात प्रेसीडेन्ट के सामने रखी थी, तत्कालीन अध्यक्ष डा0 राजेन्द्र प्रसाद जी के सामने और उन्होंने यह कहा था कि ''सांग वन्देमातरम् विच हैज प्लेड ए हिस्टोरिक पार्ट इन दि स्ट्रगल आफ इंडियन फ्रीडम शैल बी हार्नर्ड इक्वली विद जन गण मन एण्ड शैल हैव इक्वल स्टेट्स विद इट आई होप दिस विल सैटिस्फाई दि मेम्बर्स''

श्री अध्यक्ष-

इसका अनुवाद कर दीजिये।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह श्री रत्नप्पा ब्रहम्मपा कुमार ने कहा था कि वन्दे मातरम् जिसका एक ऐतिहासिक योगदान है और स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में शुरू में ही कांग्रेस के अधिवेशन में जब यह वन्दे मारतम् गीत गाया गया था उसके बाद से लेकर स्वतंत्रता संग्राम को मजबूत करने के लिये तथा लोगों में उत्साह बढ़ाने के लिये इस गीत को जगह-जगह गाया जाता था। इस गीत को गाते हुये लोग फांसी के फन्दे पर चढ़ गये, यह इसकी मान्यता है। अर्थ इस कांस्टीट्यूट असेम्बली की कार्यवाही का सिर्फ इतना था कि हमारी कांस्टीट्यूट असेम्बली ने यह स्वीकार किया कि वन्दे मातरम् और जन-गण-मन दोनों एक श्रेणी के हैं और अगर इनके अवमान का कोई प्रश्न उठता है और इनके अपमान की कोई बात आती है तो सदन के बाहर उसके लिये आई0पी0सी0 की धारायें हैं, उसके तहत कार्यवाही होगी और सदन के भीतर चूंकि वह एप्लीकेबिल नहीं है इसलिये हर हालत में श्रीमन् जो हमारी नियमावली संविधान और आपके अधिकार तथा इस विधान सभा की जो परम्परायें हैं उसके अनुसार मान्यवर, इस पर कार्यवाही होगी। इसमें ऐसी स्थिति है। श्रीमन् नेहरू जी ने भी इसके बारे में कोई बात कही और अभी आखिर में जो 8 मई को लोक सभा की आखिरी बैठक थी, उस दिन भी तत्कालीन लोक सभा की स्पीकर आदरणीय मीरा कुमार जी ने भी इस पर बहुत सख्त टिप्पणी की, वहां भी एक ऐसी स्थिति आ गयी, जब वन्दे मातरम् गीत का बहिष्कार एक सदस्य ने कर दिया था।

श्रीमन्, 19 तारीख को इस सत्र का पहला दिन था और 19 तारीख को इस सभा मण्डप के बाहर जो कुछ हुआ, उसका अगर मैं उल्लेख करूं तो यह भी बहुत शर्मनाक था। सभा मण्डप के बाहर भी आपका परिसर है, यह मण्डप ही सिर्फ आपका परिसर नहीं है, हम इस मण्डप के भीतर परिसर की बात नहीं करते और इस परिसर में सरकार की मुखालफत करने के लिए राजनीतिक तौर राजनीतिक दल अगर विरोध करते हैं तो बात समझ में आती है लेकिन इस सदन के संरक्षक, सर्वोच्च पीठ पर आसीन अध्यक्ष के विरुद्ध न कोई एक टिप्पणी की जा सकती है, न उनका अवमान किया जा सकता है और न मान्यवर, किसी भी तरीके की कोई ऐसी हरकत की जा सकती है जिससे उनके सम्मान को आंच पहुंचे। लेकिन जिन लोगों ने भी ऐसा कृत्य 19 तारीख को किया कि सदन में आपके आने का जो मुख्य मार्ग है वहां पर उन्होंने जो भी नाटक किया और जिस तरीके का घृणित कृत्य किया, उसका उल्लेख तो मैं बाद में करूंगा उसके अतिरिक्त जो सबसे गम्भीर बात हुई कि दूसरे रास्ते से आपको आना पड़ा, आकर आप अपने आसन पर विराजमान हुए और भारतीय जनता पार्टी के लोग, सदस्यगण अपने प्रदेश अध्यक्ष की अगुवाई में तब तक यहां खड़े होकर प्रतीक्षा करते रहे, जहां शीशे वाले दरवाजे हैं वहां, जब तक कि वन्दे मातरम् समाप्त नहीं हो जाये। दरवाजे पर खड़े होकर वन्दे मातरम् का समाप्त होना वन्दे मातरम् का पूरी तरह से बहिष्कार है मान्यवर। यह बात मैं आपसे कहना चाहता हूं और वन्दे मातरम् का जिन लोगों ने बहिष्कार किया है, वह उसको अपना ट्रेडमार्क समझते हैं जैसे कई बार इनको भ्रम था कि राम को यह अपनी दुकान की चीज समझने लगे और कहते हैं कि राम की बात आप कैसे करेंगे। वन्दे मातरम् के सवाल पर लम्बी-लम्बी बात करने वाले इन लोगों ने यह कहा कि जो इसे नहीं गायेगा उसे हिन्दुस्तान में रहने का अधिकार नहीं होगा। जो वन्दे मातरम् नहीं गायेगा, वह देशभक्त, देशप्रेमी की बात छोड़ दीजिये, वह देशद्रोही है। ऐसे लोगों ने

मान्यवर, वन्दे मातरम् का अपमान किया और जबकि कार्य-सूची में यह सबसे ऊपर था और परम्परा हमारी है, सत्र का पहला दिन था, शुरूआत थी और खड़े होकर इसका बहिष्कार करने का काम इन लोगों ने किया है।

मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं कि औचित्य प्रश्न के रूप में मान्यवर नियम-300 के अन्तर्गत मेरी आपसे प्रार्थना है कि यह कृत्य राष्ट्रगीत के अपमान का किया गया है, बाहर जब भी हम ध्वज का अपमान करते हैं, राष्ट्रगान का अपमान करते हैं तो आई0पी0सी0 की धारायें उसमें लागू होती हैं। हम इस कृत्य की सिर्फ निन्दा ही नहीं करते, बल्कि इस पर आप अपनी व्यवस्था देने की कृपा करें और मान्यवर, इसमें समुचित कार्यवाही करें ताकि वह कुकृत्य फिर से कभी दोहराया न जा सके, इसमें गम्भीर और कठोर कार्यवाही होनी चाहिए और पूरे सदन का इस पर सरोकार होना चाहिए, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

नेता विरोधी दल (श्री स्वामी प्रसाद मौर्य)-

माननीय अध्यक्ष जी, नियम 300 के अन्तर्गत यह बहुत ही महत्वपूर्ण व्यवस्था का प्रश्न है। चूंकि मान्यवर स्वाभाविक रूप से हम सभी इस पीठ का सम्मान करते हैं और सत्र के प्रथम दिन जिस तरीके से माननीय अध्यक्ष जी को अपने आसन पर आने से रोकने का कुत्सित प्रयास भा0ज0पा0 द्वारा किया गया, यह लोकतंत्र में अच्छी परम्परा नहीं है। स्वाभाविक रूप से लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का, लोकतांत्रिक तरीके से रखने का पूरा अधिकार है। लेकिन लोकतांत्रिक परम्पराओं को, मर्यादाओं को और उत्तर प्रदेश विधान सभा कार्य-संचालय नियमावली के दिये गये निर्देशों के विपरीत जाकर यदि हम कोई कृत्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से न केवल यह पीठ का अपमान है बल्कि सदन का भी अपमान है और साथ ही साथ इसका संदेश पूरे प्रदेश और देश में जो भी इसे देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, वह कहीं न कहीं इसे अच्छा नहीं मानेंगे। स्वाभाविक रूप से उस दिन आपकी गरिमा को ठेस पहुंची। मान्यवर, आपकी गरिमा को ठेस पहुंचने का मतलब सदन में बैठे हुए सभी माननीय सदस्यों को वह बात अच्छी नहीं लगी और यदि माननीय सदस्यों को कोई अपनी बात कहनी भी थी तो इस पीठ पर बैठने के बाद वह आपसे निवेदन करके आपकी अनुमति से भी वह अपनी बात कह सकते थे। साथ ही साथ मान्यवर, सत्र के पहले दिन हम सत्ता पक्ष और विपक्ष सभी दलों के लोग विशेष रूप से शुरूआत में जब वन्दे मातरम् होता है और अंत में जब राष्ट्रगान जनगणमन होता है तब सभी लोग बहुत ही संयमित अनुशासित तरीके से सावधान मुद्रा में अपने-अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और सम्मान में आदर में हम उसमें सम्मिलित होते हैं लेकिन सत्र के प्रथम दिन वन्देमातरम् पर जो अपना एकाधिकार समझते रहे, उन्होंने ही अपनी मर्यादा को तोड़ा शेष दलों के सदस्य तो उसमें सम्मिलित हुए लेकिन जो सबसे बड़ा जिसे वह अपना धर्म समझते थे, उन्होंने अपने धर्म को तोड़ा। केवल अपने धर्म को नहीं तोड़ा बल्कि वन्दे मातरम् का अपमान किया, राष्ट्रगीत का अपमान किया और मान्यवर, हम समझते हैं कि अमर्यादित आचरण, अलोकतांत्रिक आचरण को जायज ठहराने के लिए कोई भी तर्क दिया जाय वह तर्क कुतर्क हो सकता है उसे तर्क नहीं कहा जा सकता। मान्यवर, वह जो आपको उस दिन बगल के रास्ते से आना पड़ा, अपने मुख्य दरवाजे से न आकर जो आपके लिए निर्धारित मार्ग है उससे न आकर के आपको अन्य रास्ते से अपनी पीठ पर आना पड़ा, वह अपने में अव्यवहारिक है, अलोकतांत्रिक है, शर्मनाक भी है और इस मामले में सही मायने में बिना शर्त बिना कहे माननीय सदस्यों को खेद भी व्यक्त करना चाहिए था लेकिन नहीं हुआ तो स्वाभाविक रूप से ऐसे गम्भीर मामले पर पीठ का कोई न कोई निर्देश आना चाहिए जिससे कि इस प्रकार की

पुनरावृत्ति न हो, सत्तापक्ष और विपक्ष दोनों इस सदन के अंग हैं और समय-समय पर यहां पर तनाव की भी स्थितियां पैदा होती हैं, हंसी-ठहाके की भी स्थितियां पैदा होती हैं, नोक-झोंक भी होता है लेकिन यह सब जनता के हितों को ध्यान में रख कर होता है। लेकिन मान्यवर, पीठ का अपमान न तो विपक्ष के द्वारा किये जाने का औचित्य है और न ही सत्तापक्ष के द्वारा, सदन के सभी मा0 सदस्य पीठ का सम्मान करते हैं यह परम्परा बनी रहनी चाहिए अगर पीठ का ही सम्मान नहीं होगा तो हम समझते हैं कि सदन में बैठना भी हम लोगों के लिए उचित नहीं रह जायेगा इसलिए मान्यवर, इस पर कोई न कोई व्यवस्था आपकी तरफ से सुनिश्चित की जानी चाहिए, धन्यवाद।

श्री सतीश महाना-

मा0 अध्यक्ष जी, अभी औचित्य के प्रश्न को जिसे आपने स्वीकार नहीं किया, व्यवस्था के प्रश्न के रूप से एक बात यहां पर आई। 19 तारीख की घटना की याद इनको 24 तारीख को आ गयी व्यवस्था के रूप में और व्यवस्था जिस समय सदन संचालित हो रहा हो उस समय की कोई तात्कालिक बात हो रही हो तो उसी समय उठाया जाना चाहिए। मान्यवर, उस समय इनको नहीं याद थी कि मा0 अध्यक्ष पीठ की किस प्रकार से अवमानना हो रही है, उस दिन इनको नहीं याद था कि वन्दे मातरम् के लिए किस प्रकार का सम्मान होना चाहिए। शायद किसी ने सिखाया होगा तो याद आ गयी होगी कि उसके बारे में भी बात करनी चाहिए। मान्यवर, दो बाते यहां पर आई एक तो मान्यवर, आपसे सम्बन्धित है और दूसरी वन्दे मातरम् से सम्बन्धित है। मान्यवर, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक इस बात को कहना चाहता हूं कि आपकी अवमानना करने का ध्यान भी कभी मा0 सदन के किसी भी सदस्य को न होना चाहिए और न ही हमें है।

(विपक्ष की ओर से बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया शान्त रहें, बोलने दें।

श्री सतीश महाना-

शायद इनको मालूम नहीं है कि जब हम आपसे बात कर रहे हो तो बीच में यदि बोलते हैं तो यह भी आपकी अवमानना है। मान्यवर, ये अवमानना बतायेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

यह अच्छी आदत नहीं है, यह नृत्य की मुद्रा है सदस्यों की ओर घूम करके बोलना, मैं बताऊंगा अभी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, ये अवमानना बतायेंगे जो समय-समय पर आपकी पीठ के निर्णयों पर आपत्ति करते हैं और विधान सभा कैसे संचालित की जाये उसका निर्देश देने का प्रयास करते हैं, मान्यवर, ये अवमानना बतायेंगे हाउस की। मान्यवर, इस हाउस को दो बार अपराध और आपराधिक कृत्य होने के कारण विश्व भर में शर्मसार होना पड़ा तो यही सरकार बैठी थी जब उस तरफ से हाउस चला।

(सदस्य श्री सतीश महाना और श्री अम्बिका चौधरी के एक साथ बोलने पर)

(व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

यहां कल्याण सिंह बैठे थे, रिकार्ड ठीक कर लीजिए और सारे अपराधी आप में से थे मैं नाम लेकर कह रहा हूं। यहां कल्याण सिंह बैठे थे और ये अपराध आपने किया था। कल्याण सिंह किस पार्टी के थे, भूल गये आप।

श्री अध्यक्ष-

आप कृपया विषय पर बोलें।

श्री सतीश महाना-

सही बात बड़ी कड़वी लगती है, जब ये बोल रहे थे तब मैं तो नहीं उठा था।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, यह टिप्पणी आप नहीं करेंगे।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जहां तक आपकी अवमानना का प्रश्न है हमारा न इस प्रकार का भाव था और न हो सकता है। दूसरी बात मान्यवर, वहां पर अपनी बात कहने के लिए पहली बार हम नहीं बैठे थे इससे पहले भी चाहे इधर के सदस्य हों चाहे उधर के सदस्य हों, मा0 विधान सभा अध्यक्ष के कक्ष के बाहर बैठने का कार्य हो चुका है। जिस समय आप आये उसी समय हमने उठकर आपसे बात करनी चाही, हम उधर से हटने वाले थे आप तत्काल उधर से इधर आ गये। आपको अपमानित करने या अवमानना करने के बारे में मैंने न सोचा था और न ही सोच सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

चलिए ठीक है।

श्री सतीश महाना-

दूसरी बात जैसे ही आप आये और जितनी देर में हम उधर से आते, हम आ ही रहे थे अपनी सीटों पर कि आपने वन्दे मातरम् शुरू कर दिया हम लोगों ने अन्दर आकर वहीं पर खड़े हो करके 'वन्दे मातरम्' का गीत गाया। हम लोग अन्दर आ गये थे, दरवाजे पर नहीं खड़े थे ये आपके कैमरे और आपके स्टाफ के लोग इस बात के गवाह होंगे। 'वन्दे मातरम्' की अवमानना की बात करने वाले, भारत माता को डायन कहने वाले 'वन्दे मातरम् की अवमानना की बात करेंगे ? उनका समर्थन करने वाले 'वन्दे मातरम्' की अवमानना की बात करेंगे ?

श्री अम्बिका चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, मुझे दो बातें स्पष्ट करनी हैं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, 'वन्दे मातरम्' की अवमानना करने का प्रश्न ही नहीं था। स्वयं इन दोनों लोगों ने हमें इस बात का सर्टीफिकेट दे दिया कि हम 'वन्दे मातरम्' का सम्मान करते हैं। यह उस श्रेणी में नहीं आते, स्वयं इन्होंने इस बात को कहा है, हम उस श्रेणी में आते हैं इसे कम से कम आपने माना है। 'वन्दे मातरम्' हमारा राष्ट्रगीत है, उसका सम्मान करना हमारी जिम्मेदारी है, हमारा धर्म बनता है और हम अपने धर्म का पालन करते रहते हैं और आगे भी पालन करते रहेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

अध्यक्ष जी, मैं अपना स्पष्टीकरण दे रहा हूं। मा0 महाना जी ने दो बातें कहीं कि 19 तारीख को था तो क्यों नहीं किया ? श्रीमन् 20 तारीख को सदन में जो कुछ था वह बात अपनी जगह पर थी, मैं फिर उसका उल्लेख करूं कि 20 तारीख को फिर वहीं रिपीट हुआ जो 19 तारीख को था। 20 तारीख को यह प्रश्न उठाने की स्थिति ही नहीं बनी कि 20 तारीख को वह प्रश्न उठाया जाता, दूसरे, उस दिन नोटिसेस दी नहीं जा सकती थीं। 21 और 22 तारीख को छुट्टी थी, 23 तारीख को मा0 नेता प्रतिपक्ष को चर्चा की शुरूआत करनी थी इसलिए मान्यवर, मैंने 23 तारीख को नहीं रखा और जो महाना जी ने कहा कि किसी ने सिखा दिया तो मैं सतत् छात्र हूं इस संसदीय परम्परा को सीखने के लिए, मुझे जो कोई सिखा देता है उसको गुरू मानने के लिए तैयार हूं । महाना जी, आपकी तरह से मैं कोई महान पंडित नहीं हूं कि मुझे कोई सिखायेगा नहीं। मैं आज भी सीखता हूं और निरन्तर सीखते रहना चाहता हूं पूरी जिन्दगी भर, जब तक इस सदन में आने की स्थिति में हूं तब तक सीखते रहना चाहता हूं और मुझे अपने इस सीखते रहने में कोई अपमान नहीं है। आप अगर अपनी आंखें बंद रखना चाहते हैं और अपने पांडित्य पर बड़ा गुमान है तो यह अभिमान अच्छा नहीं है। यह अभिमान, चुनाव जीतने के बाद से जो उन्माद पैदा हो गया है यह आपके विवेक को ढंक चुका है। आपके विवेक का पट खुला रहे इसलिए अभिमान से, उन्माद से निकलिए। सीखना कोई बुरी बात नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, 'वन्दे मातरम्' के अवमानना पर आपकी व्यवस्था आनी चाहिए। मान्यवर, मैं रिपीट करता हूं कि यह सदन के बाहर खड़े रहे और जानबूझकर 'वन्दे मातरम्' का अपमान किया।

(श्री प्रदीप माथुर व डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 अग्रवाल साहब सारी बातें आ गयी, अब बैठिये।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

माननीय सदस्य ने संसद का कोड किया, किसी और संसद सदस्य का उल्लेख किया और कहा कि 'वन्दे मातरम्' के समय वह संसद छोड़कर चले गये, सही है। मैं जानना चाहूंगा कि किस दल के वह तात्कालिक सदस्य थे, दूसरी बात, जब वह छोड़कर चले गये तो किसने बधाई स्वरूप उन्हें लोकसभा का टिकट दे दिया। ये दोनों बात आनी चाहिए। अध्यक्ष जी, दूसरी बात आप सदन की कार्यवाही का टेप निकलवाकर देखिये, हम जानना चाहेंगे कि कितने लोग सदन में 'वन्दे मातरम्' गाये जाने के दौरान वास्तव में 'वन्दे मातरम्' गाते हैं और कितने लोग अपना मुंह सिलकर रखते हैं।

श्री अध्यक्ष-

बैठिये, बैठिये।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, 19 तारीख इस विधान सभा के इतिहास का काला दिन होगा जिस दिन 'वन्दे मातरम्' की अवमानना की गयी और आपको भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने जिस तरह से रोका और आपके पीठ की अवमानना की। मान्यवर, यह 'वन्दे मातरम्' को अपनी बपौती समझ रखा है क्या यह लोग वन्दे मातरम् के ठेकेदार हो गये हैं। इन लोगों का देश की आजादी में क्या योगदान है। इनका देश की आजादी में कोई योगदान नहीं है।

(अनेक सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर साहब आप बैठ जाएं।

श्री प्रदीप माथुर-

यह लोग दंगे कराकर सत्ता हासिल करते हैं और आदर्शों की बातें करते हैं। इनके ऊपर अध्यक्ष जी आपका कोई निर्देश आना चाहिए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही होनी चाहिए। यह लोग जब से सत्ता में आये हैं यह बावले हो गये हैं। यह शोर मचाकर विधान सभा को डिस्टर्ब करते हैं।

श्री अध्यक्ष-

माथुर साहब आपकी सब बातें आ गयी हैं अब बैठ जाएं।

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोबिन्द चौधरी)-

माननीय अध्यक्ष जी माननीय सदस्य ने जो बातें उठाई हैं उस पर दो मिनट चर्चा हो जानी चाहिए यह बढ़िया समय है। आपकी कुर्सी सर्वोच्च है, आपके अधिकार सर्वोच्च हैं।

श्री अध्यक्ष-

भदौरिया जी आप बैठ जाएं।

मैंने मंत्री जी को सुना, नेता विरोधी दल को सुना, माननीय महाना जी को सुना, प्रदीप माथुर जी को सुना, माननीय मंत्री जी को सुना, डाक्टर साहब को सुना इस पर मैं पूरी छानबीन करके व्यवस्था रिजर्व करता हूं इस पर बाद में निर्णय दूंगा।

श्री राम गोबिन्द चौधरी-

मान्यवर, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष-

अब मैं अगली मद लेता हूं।

(श्री मोहम्मद आजम खां द्वारा दूसरा वक्तव्य पढ़ने पर)

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्यमंत्री जी मद संख्या-3 टेक अप किया गया है।

[12.40] उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2014 (दिनांक 19 फरवरी 2014 से 26 फरवरी, 2014 तक) नियम 301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश की सोलहवीं विधान सभा के प्रथम सत्र, 2014 (दिनांक 19 फरवरी, 2014 से 26 फरवरी 2014 तक) में उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-301 के अधीन प्राप्त सूचनाओं पर कृत कार्यवाही का विवरण उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश संख्या-14(3) की अपेक्षानुसार सदन के पटल पर रखता हूं।

---

† छापी नहीं गई।

श्री अध्यक्ष-

इसमें कुछ नहीं है।

[12.41] जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत एफ0एस0 ब्रांच से गढ़ीमा-सांधन तक बने कच्चे नाले को पक्का कराये जाने विषयक श्री जोगेन्द्र सिंह आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री सूरज पाल सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत एफ0एस0 ब्रांच से गढ़ीमा-सांधन तक बने कच्चे नाले को पक्का कराये जाने विषयक श्री जोगेन्द्र सिंह व श्री जयन्ती प्रसाद निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ग्राम रिठौरा व गहर्रा खुर्द के बीच खारी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री केशव सिंह आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ग्राम रिठौरा व गहर्रा खुर्द के बीच खादी नदी पर पुल का निर्णण कराये जाने विषयक श्री केशव सिंह व श्री सुनहरी लाल निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका,

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ग्राम गुढ़ा व सलेमाबाद के बीच खारी नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री कान्ता प्रसाद प्रधान आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ग्राम गुढ़ा व सलेमाबाद के बीच खारी नदी पर रपटा पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री कान्ता प्रसाद प्रधान व श्री दिलीप सिंह निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, तथा

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-11 से भड़कौल ब्यारा होते हुए भरतपुर मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने विषयक श्री सुखवीर आदि निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-11 से भड़कौल ब्यारा होते हुए भरतपुर मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने विषयक श्री सुखवीर व श्री हरिओम निवासीगण जनपद आगरा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका, उपस्थित करता हूं।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के अन्तर्गत चांदपुर नसीरपुर शेख मार्ग पर स्थित ग्राम हातमपुर के आबादी के भाग में टूटे एवं जर्जर मार्ग को नाले सहित सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मोहम्मद मेराज आदि निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री इकबाल-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर नसीरपुर शेख मार्ग पर स्थित ग्राम हातमपुर के आबादी भाग में टूटे एवं जर्जर मार्ग को नाले सहित सी0सी0 रोड का

† छापी नहीं गई।

निर्माण कराये जाने विषयक श्री मोहम्मद मेराज व श्री मकबूल अहमद निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका तथा

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के विकास खण्ड हल्दौर अन्तर्गत ग्राम मुबारकपुर कला में विद्युत तारों की कमी को पूर्ण कराते हुए विद्युत व्यवस्था सुचारू रूप से चलाये जाने विषयक श्री असद मुस्तकीम आदि निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री इकबाल-

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के विकास खण्ड हल्दौर अन्तर्गत ग्राम मुबारकपुर कला में विद्युत के खम्भों व विद्युत तारों की कमी को पूर्ण कराते हुए विद्युत व्यवस्था सुचारु रूप से चलाये जाने विषयक श्री असद मुस्तकीम व श्री मो0 वसी निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता के अन्तर्गत ग्राम पूरे तोरई भयहरणनाथ धाम के बकुलाही नदी पर चेकडैम का निर्माण कराये जाने विषयक श्रीमती उर्मिला चौधरी आदि निवासीगण जनपद बिजनौर द्वारा हस्ताक्षरित याचिका†

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 राकेश कुमार वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड मान्धाता के अन्तर्गत ग्राम पूरे तोरई भयहरणनाथ धाम के पास बकुलाही नदी पर चेकडैम का निर्माण कराये जाने विषयक श्रीमती उर्मिला चौधरी व श्री मनोज सरोज जनपद प्रतापगढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

श्री अध्यक्ष- मद संख्या 8 में कुछ नहीं है।

[1.00] विशेषाधिकार हनन एवं सदन की अवमानना के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (चौदहवां संस्करण) के निदेश संख्या-167/168 एवं उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63/64 के अन्तर्गत अभिसूचित निम्नलिखित सूचनाओं को मैंने विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित कर दिया है:-

1-उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के प्रथम सोमवार दिनांक 04 मार्च, 2013 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या 20 के उत्तर के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा निदेश संख्या 167/168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना, दिनांक 11 मार्च, 2013,

2-मा0 श्री दीपक पटेल, सदस्य विधान सभा द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के कुण्डा क्षेत्र के कतिपय पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन की सूचना, दिनांक 25 फरवरी, 2013

उपर्युक्त मामलों के सम्बन्ध में दी गयी सूचना दिनांक 24 जून, 2014 के उपवेशन की कार्यवाही का अंग मानी जायेंगी।

श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल (कैलाश डेरी वाले) स0वि0 सभा द्वारा मा0 नगर विकास मंत्री एवं सचिव नगर विकास उत्तर प्रदेश शासन के विरुद्ध विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष-

उत्तर प्रदेश विधान सभा के प्रथम सत्र, 2013 के प्रथम सोमवार दिनांक 04 मार्च, 2013 को उत्तरित अतारांकित प्रश्न संख्या-20 के उत्तर के सम्बन्ध में श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा निदेश संख्या-167/168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना दिनांक 11 मार्च, 2013 के सम्बन्ध में मा0 नगर विकास मंत्री से प्रश्नगत प्रकरण में सप्रमाण जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु बार-बार स्मरण पत्र भेजे जाने एवं दिनांक 19 फरवरी, 2014 की बैठक में सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास विभाग से स्पष्ट जवाब मांगने के बावजूद शासन द्वारा उपेक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए वस्तुस्थिति की जानकारी उपलब्ध नहीं करायी गयी है। इस कारण प्रश्नगत प्रकरण को मैंने जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन हेतु दिनांक 29 अप्रैल, 2014 को विशेषाधिकार समिति को निर्दिष्ट कर दिया है।

श्री दीपक पटेल स0वि0 सभा द्वारा जनपद प्रतापगढ़ के कुण्डा क्षेत्र के कतिपय पुलिस कर्मियों के विरुद्ध कार्यसूचित विशेषाधिकार हनन के प्रश्न की सूचना

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री दीपक पटेल, सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद-प्रतापगढ़ के कुण्डा क्षेत्र के कतिपय पुलिस कर्मियों के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन की सूचना दिनांक 25 फरवरी, 2014 के सम्बन्ध में शासन द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध कराने में उपेक्षात्मक दृष्टिकोण अपनाये जाने के कारण प्रश्नगत प्रकरण को मैंने जांच, अनुसंधान तथा प्रतिवेदन हेतु दिनांक 14 मई, 2014 को विशेषाधिकार समिति को सन्दर्भित कर दिया है।

श्रीमती अनुप्रिया पटेल स0वि0 सभा द्वारा जिलाधिकारी वाराणसी, तहसीलदार श्री रामजीत मौर्य, नायब तहसीलदार सुश्री रश्मि गुप्ता और लेखपाल श्री गिरीश सिंह तहसीलदार सदर के विरुद्ध दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 को अभिसूचित विशेषाधिकार की सूचना पर श्री अध्यक्ष का निर्णय

श्री अध्यक्ष-

श्रीमती अनुप्रिया पटेल, तत्कालीन मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, वाराणसी, तहसीलदार-श्री रामजीत मौर्य, नायब तहसीलदार-सुश्री रश्मि गुप्ता और लेखपाल-श्री गिरीश सिंह, तहसील-सदर, जनपद-वाराणसी के विरुद्ध अभिसूचित विशेषाधिकार-हनन की सूचना दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 के मामले में मैंने निर्णय ले लिया है और उसमें सदन की अवमानना अथवा विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न अन्तर्गत न पाये जाने के कारण सूचना अग्राह्य कर दी गयी है। प्रश्नगत सूचना पर मेरे द्वारा लिया गया निर्णय सदन के दिनांक 24 जून, 2014 के उपवेशन की कार्यवाही के अंग माना जायेगा। जो निम्नवत् है :-

श्रीमती अनुप्रिया पटेल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 63 के अन्तर्गत जिलाधिकारी, वाराणसी, तहसीलदार-श्री रामजीत मौर्य, नायब तहसीलदार-सुश्री रश्मि गुप्ता और लेखपाल-श्री गिरीश सिंह,

तहसील-सदर, जनपद-वाराणसी के विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन की सूचना दिनांक 05 दिसम्बर, 2013 अभिसूचित की गयी।

मा0 सदस्य द्वारा अवगत कराया गया कि दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 को वह अपने विधान सभा क्षेत्र-रोहनियां में क्षेत्रीय एवं सामाजिक कार्यक्रमों में भाग लेने हेतु दौरे पर थीं। एक सूचना पर मा0 सदस्य अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ थाना-जंसा के ग्राम खेवली पहुंची। वहां रास्ते के विवाद में पैमाइश को लेकर तहसील टीम और ग्रामीणों के बीच कहा-सुनी हो रही थी। विवाद स्थल पर 20-25 मिनट तक प्रतीक्षा करने के बाद तथा उनके कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों द्वारा मा0 सदस्य की उपस्थिति की जानकारी देने के बावजूद भी मौके पर सरकारी जीप में बैठे हुए तहसील अधिकारी एवं कर्मचारी घटना का विवरण देने के लिए उतर कर नहीं आये। समर्थकों की नाराजगी के बाद उक्त लोग जीप से उतर कर आये। लेखपाल गिरीश सिंह नशे में थे और अपशब्द बोलते हुए अमर्यादित बर्ताव करने लगे जिससे कार्यकर्ताओं से कहासुनी हुई। माननीय सदस्य ने जब नायब तहसीलदार से बात की तो उन्होंने कहा कि उन्हें नहीं मालूम कि वह (श्रीमती पटेल) विधायक हैं। उन्होंने माननीय सदस्य से सम्मानजनक बात नहीं की। मौके पर मौजूद तहसीलदार-रामजीत मौर्य, नायब तहसीलदार-रश्मि गुप्ता और लेखपाल-गिरीश सिंह ने माननीय सदस्य की उपस्थिति को पूरी तरह नजरंदाज किया और घटना के सम्बन्ध में बात करने से इनकार कर उनकी उपेक्षा की। मा0 सदस्य द्वारा जब उक्त अधिकारियों से अपने विशेषाधिकार एवं प्रोटोकाल के अन्तर्गत पूरी बात कहने की बात की गयी तो उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों ने एक विधायक एवं एक महिला का सम्मान करने के बजाय मा0 सदस्य को देख लेने की धमकी दी। बाद में माननीय सदस्य को पता चला कि पूरे वाकये को लेकर उनके साथ उनके समर्थकों के खिलाफ संगीन धाराओं में प्रशासन की ओर से अपराध संख्या 122/13, धारा-147/148/149/332/204/253/427/336/504/337/323/506 आईपीसी व धारा-7 क्रिमिनल एक्ट के अन्तर्गत थाना-जंसा में उत्पीड़न करने के उद्देश्य से मुकदमा दर्ज कराया गया। इस मामले में जिलाधिकारी से माननीय सदस्य द्वारा व्यक्तिगत तौर पर दो-तीन बार बात करने की कोशिश की गयी परन्तु उनके द्वारा फोन रिसीव नहीं किया गया।

माननीय सदस्य ने यह भी सूचित किया कि इस घटनाक्रम में चिन्ताजनक बात यह थी कि किसी भी सरकार में सरकारी अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा लोकतंत्र में पक्ष-विपक्ष की भावना से किसी विधायक के साथ बुरा बर्ताव नहीं करना चाहिए। प्रश्नगत मामले में प्रशासन के व्यक्तियों द्वारा विधायिका की छवि को कमतर करने एवं उसके वजूद पर भी सवाल खड़ा करने की कोशिश की गयी। प्रशासन के अधिकारियों द्वारा मा0 सदस्य का अपमान करने और मुकदमा दर्ज कर फंसाने की कोशिश की गयी, जिससे उनके विरुद्ध विशेषाधिकार-हनन एवं विधायिका के अवमान का मामला बनता है। इससे उन्होंने विधायक एवं महिला के तौर पर स्वयं को आहत महसूस किया है। माननीय सदस्य द्वारा पूरे घटनाक्रम की जांच किसी निष्पक्ष समिति या फिर सर्वदलीय समिति से कराने का अनुरोध किया गया।

इस सम्बन्ध में मा0 राजस्व मंत्री के माध्यम से जिलाधिकारी, वाराणसी, तहसीलदार श्री रामजीत मौर्य, नायब तहसीलदार-श्रीमती रश्मि गुप्ता और लेखपाल-श्री गिरीश सिंह के स्पष्टीकरण प्राप्त किये गये।

श्री प्रांजल यादव, जिलाधिकारी, वाराणसी द्वारा आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद्, उ0प्र0 को सम्बोधित अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से अवगत कराया गया कि दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 को

सदर तहसील, वाराणसी में तहसील दिवस का आयोजन था, जिसमें श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री झुन्नर निवासी ग्राम-खेवली थाना-जन्सा तहसील व जिला-वाराणसी द्वारा चकरोड एवं अपनी भूमि की पैमाइश हेतु प्रार्थना-पत्र दिया गया। उस पर तत्काल कार्यवाही के लिए नायब तहसीलदार, श्रीमती रश्मि कुमारी तथा लेखपाल, श्री गिरीश सिंह को मौके पर भेजा गया। उक्त लोगों ने मौके पर पहुंच कर पैमाइश का कार्य सम्पन्न करा दिया किन्तु उक्त पैमाइश शिकायतकर्ता श्रीमती शकुन्तला देवी व उनके पति के मनमुताबिक न होने पर उन लोगों ने लेखपाल के साथ मार-पीट की और राजस्व अभिलेख फाड़ दिये। इसी मध्य श्रीमती अनुप्रिया पटेल, मा0 विधायक अपने 50-60 समर्थकों के साथ मौके पर पहुंची। मा0 विधायक एवं उनके समर्थकों द्वारा भी लेखपाल, श्री गिरीश सिंह के साथ मार-पीट की गयी। श्री सिंह द्वारा उक्त घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना-जन्सा में मू0अ0सं0-143/13 धारा-147, 148, 149, 332, 353, 204, 427, 504, 336, 337, 323, 506 आई0पी0सी0 तथा धारा-7 क्रिमिनल ला एमेंडमेन्ट एक्ट पंजीकृत कराया गया, जो विचाराधीन है। मा0 विधायक का फोन रिसीव न करने के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, श्री यादव द्वारा स्पष्ट किया गया कि उनका सी0यू0जी0 फोन हमेशा आन रहता है तथा रिसीव किया जाता है। विशेष परिस्थितियों में यदि फोन रिसीव करना सम्भव नहीं होता है तो मिस्ड काल पर सम्पर्क कर लिया जाता है। मा0 सदस्य द्वारा यह उल्लेख नहीं किया गया है कि उनके द्वारा किस नम्बर से जिलाधिकारी से बात करने का प्रयास किया गया था। जिलाधिकारी ने यह भी उल्लेख किया है कि उनके द्वारा जनप्रतिनिधियों का हमेशा यथोचित सम्मान किया जाता है और मा0 विधायक, श्रीमती अनुप्रिया पटेल का भी पूर्ण सम्मान किया जाता रहा है कभी उनका असम्मान नहीं किया गया। मा0 विधायक एवं उनके समर्थकों के विरुद्ध मार-पीट की प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री गिरीश सिंह, लेखपाल द्वारा दर्ज कराये जाने से क्षुब्ध होकर मा0 विधायक द्वारा गलत तथ्य अंकित करते हुए विशेषाधिकार-हनन की सूचना दी गयी प्रतीत होती है।

श्री रामजीत मौर्य तहसीलदार (जो मौके पर उपस्थित नहीं थे), सुश्री रश्मि कुमारी नायब तहसीलदार राजातालाब, श्री गिरीश सिंह, लेखपाल, सदर वाराणसी द्वारा जिलाधिकारी, वाराणसी को सम्बोधित अलग-अलग किन्तु समरूप अपने-अपने स्पष्टीकरण के माध्यम से अवगत कराया गया कि दिनांक 03 दिसम्बर, 2013 को तहसील दिवस पर श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री झुन्नर द्वारा चक व चकमार्ग की पैमाइश विषयक दिये गये प्रार्थना-पत्र पर जिलाधिकारी के आदेशानुसार उक्त व्यक्तियों की गठित टीम द्वारा ग्राम खेवली में लेखपाल श्री गिरीश सिंह व श्री सल्टूराम के साथ पैमाइश का कार्य पूर्ण कराया गया। पैमाइश से ज्ञात हुआ कि चकमार्ग को प्रार्थिनी द्वारा स्वयं अपने चक में मिलाकर काश्त किया जा रहा था। वस्तुस्थिति से उन्हें अवगत कराते हुए उपस्थित ग्रामवासियों के साथ निशानदेही कराकर कार्यवाही की जा रही थी। इसी बीच सीमांकन से क्षुब्ध आवेदिका ने फोन कर मा0 विधायक, श्रीमती अनुप्रिया पटेल को बुला लिया। मा0 विधायक श्रीमती पटेल अपने 50 समर्थकों के साथ आयीं और क्षेत्रीय लेखपाल को मारा-पीटा एवं खसरा-खतौनी फाड़ दिया। उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मा0 विधायक का सम्मान करते हुए लेखपाल को इस तरह से न मारने का अनुरोध किया गया और बताया गया कि पैमाइश निष्पक्ष हुई है, अगर मा0 सदस्य चाहें तो उनके सामने पुनः सीमांकन करा दिया जायेगा। इसके बावजूद लेखपाल को मारा-पीटा गया और जबरदस्ती एक कागज पर समझौता लिखवाया गया जिस पर उनके हस्ताक्षर भी हैं। श्री गिरीश सिंह, लेखपाल का सरकारी मेडिकल कराकर थाना-जंसा में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी। श्री सिंह को काफी

अपमानित किया गया। मा0 सदस्य व उनके समर्थकों द्वारा मुकदमा वापस करने के लिए श्री सिंह पर दबाव बनाया गया और जान से मारने की धमकी भी दी गयी। श्री गिरीश सिंह द्वारा अपनी जान-माल की रक्षा का अनुरोध किया गया है।

प्रश्नगत मामले में सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के स्पष्टीकरण के परिशीलन से परिलक्षित होता है कि प्रकरण एक कृषक की भूमि एवं चकमार्ग की पैमाइश का था, जिससे मा0 सदस्य का कोई प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष सम्बन्ध नहीं था, फिर भी अपने समर्थकों के साथ मौके पर जाकर मा0 सदस्य श्रीमती अनुप्रिया पटेल द्वारा अनावश्यक दखल दिया गया तथा उनके समर्थकों द्वारा क्षेत्रीय लेखपाल से मार-पीट की गयी साथ ही सरकारी अभिलेख फाड़कर शासकीय कार्य में बाधा भी पहुंचायी गयी। परिणाम स्वरूप सम्बन्धित थाना-जंसा में प्रथम सूचना रिपोर्ट भी दर्ज करायी गयी, जो विवेचनाधीन है। प्राप्त सभी स्पष्टीकरण में उल्लिखित तथ्यों से मा0 सदस्य द्वारा लगाये गये आरोप बलहीन पाये गये। स्वेच्छा से किसी अधिकारी/कर्मचारी के पास जाने पर मा0 सदस्य के साथ हुए कथित दुर्व्यवहार को विशेषाधिकार-हनन की संज्ञा नहीं दी जाती है। इसके अतिरिक्त उल्लिखित घटना सदन अथवा उसकी किसी समिति के कार्य या विधान सभा के मा0 सदस्य (श्रीमती पटेल) के विधायी कार्य से भी सम्बन्धित नहीं है और कथित अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा मा0 सदस्य के विधायी अधिकारों में किसी प्रकार अवरोध उत्पन्न किया जाता भी प्रमाणित नहीं है बल्कि मा0 सदस्य द्वारा स्वयं शासकीय कार्य में बाधा उत्पन्न की गयी है। जहां तक मा0 सदस्य के विरुद्ध दर्ज कराये गये मुकदमें का प्रश्न है, वह एक पृथक प्रशासनिक मामला है, जिसमें विधान सभा के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। वर्णित स्थिति में प्रश्नगत मामले में विशेषाधिकार-हनन का प्रश्न अन्तर्गत नहीं है।

अतः मैं प्रश्नगत मामले को अग्राह्य करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-10 कुछ नहीं है।

[1.03] विधान सभा के प्रथम सत्र 2013 के प्रथम मंगलवार दिनांक 11 मार्च, 2013 को भी बृजेश कुमार सदस्य विधान सभा के अतारांकित प्रश्न संख्या-46 के उत्तर के सम्बन्ध में निदेश संख्या-168 के अन्तर्गत अभिसूचित सूचना के सम्बन्ध में निदेश संख्या 168 (2) के अन्तर्गत उक्त प्रश्न का संशोधित उत्तर

बेसिक शिक्षा मंत्री (श्री राम गोविन्द चौधरी)-

श्री बृजेश कुमार, माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा प्रथम सत्र 2013 के प्रथम मंगलवार को पूछे गये अतारांकित प्रश्न सं0-46 के .....

(कई माननीय सदस्यों द्वारा इस उत्तर को पढ़ा हुआ मान लिया जाय का अनुरोध करने पर)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, यह लोग कह रहे हैं कि इसको पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, संशोधित उत्तर पढ़ा हुआ माना जाता है।

(सदन की सहमति से उत्तर पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री राम गोविन्द चौधरी-

[उत्तर के सम्बन्ध में उ0प्र0 विधान सभा के अध्यक्ष द्वारा जारी किये गये प्रक्रिया सम्बन्धी निदेश (चौदहवां संस्करण) के निदेश सं0-168 के अन्तर्गत उनके द्वारा अभिसूचित सूचना, दिनांक 11 मार्च, 2013 के सम्बन्ध में निदेश सं0-168(2) के अन्तर्गत कृत कार्यवाही का विवरण एवं संशोधित उत्तर :-

मूल प्रश्न	पूर्व में दिया गया उत्तर	संशोधित उत्तर	प्रश्न के उत्तर के लिए गलत सूचना देने वाले दोषी पाये गये अधिकारी के विरुद्ध की गयी कार्यवाही का पूर्ण विवरण
1	2	3	4
46-क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री कुलदीप कुमार पुत्र स्व0 रामरतन (सहा0 अध्यापक) नि0 ग्राम पूरनमऊ नेगपुर, विकास खण्ड मल्लावां, जिला हरदोई को मृतक आश्रित के रूप में नौकरी दिये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक रावत, संसद सदस्य (लोक सभा) के पत्र दिनांक 7-9-2011 पर प्रमुख सचिव मा0 मुख्य मंत्री द्वारा सचिव बेसिक शिक्षा को आदेश तथा श्री सुरेन्द्र सिंह पटेल, राज्य मंत्री, लोक निर्माण एवं सिंचाई विभाग का पत्र सं07345/वी0आई0पी0/ रा0मं0/लोक निर्माण एवं सिंचाई/ 2012 दिनांक 31-5-2012 तथा श्री राम खिलाड़ी यादव, सदस्य विधान सभा का पत्र दिनांक 13-7-2012 आपको प्राप्त हुआ है ?	जी हां।	जी हां।	प्रकरण के सम्बन्ध में की गयी लापरवाही/ शिथिलता के लिए 02 जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों को कड़ी चेतावनी प्रदत्त की गयी है। इसी प्रकार दोषी लिपिकों में से एक लिपिक को निलम्बित किया गया है व दूसरे के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित की गयी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

1	2	3	4
यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी ?	मृतक आश्रित श्री कुलदीप कुमार के पिता स्व0 रामरतन, सहायक अध्यापक की मृत्यु दिनांक 14-7-2000 को हुई थी और मृतक आश्रित द्वारा अपने सेवायोजन हेतु दिनांक 26-8-2006 को आवेदन-पत्र दिया गया जो कालबाधित है तथा शासनादेश सं0-5193/15-5-2000-400(222)/99, दिनांक 4-9-2000 में निर्धारित समय सीमा 05 वर्ष के अन्तर्गत नहीं है। इसके अतिरिक्त प्रकरण में अवस्यकता के अतिरिक्त शिथिलीकरण हेतु कोई ठोस आधार नहीं बताया गया। अतः श्री कुलदीप कुमार को मृतक आश्रित के रूप में समायोजित करने का औचित्य नहीं पाया गया।	मृतक आश्रित श्री कुलदीप कुमार के पिता स्व0 रामरतन, सहायक अध्यापक की मृत्यु दिनांक 14-7-2000 को हुई थी। पिता की मृत्यु के उपरान्त उनके आश्रित पुत्र श्री कुलदीप कुमार द्वारा अपने मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु दिनांक 27-7-2004 को जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, हरदोई के कार्यालय में अपना प्रथम आवेदन-पत्र दिया जो पांच वर्ष के अन्दर था। इसके उपरांत आवेदन-पत्र दिनांक 26-8-2006 उपलब्ध कराया गया। उक्त के आधार पर उप बेसिक शिक्षा अधिकारी/खण्ड शिक्षा अधिकारी (मुख्यालय) हरदोई के मृतक आश्रित नियुक्ति आदेश सं0-ई/12616/2013-14 दिनांक 21 फरवरी, 2014 द्वारा आवेदक श्री कुलदीप कुमार को जूनियर हाई स्कूल निवादा परस विकास क्षेत्र मल्लावां जनपद हरदोई में चतुर्थ श्रेणी के पद पर नियुक्ति प्रदान कर दी गयी है।	
यदि नहीं, तो क्यों ?	प्रश्न नहीं उठता।	प्रश्न नहीं उठता।]	

श्री राम गोविन्द चौधरी-

माननीय अध्यक्ष जी, जो अधिकारी गलत उत्तर दिये हैं उसमें दो बेसिक शिक्षा अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही की गयी है। एक क्लर्क जिसने गलत सूचना दी थी निलम्बित कर दिया गया है। एक को शो कॉज नोटिस दिया गया है दो को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी है।

उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014†

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय (संशोधन) विधेयक, 2014 को पुरःस्थापित करता हूं।

[1.05] कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचनाएं-

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24-06-2014 को नियम-56 के अन्तर्गत कुल 17 सूचनायें प्राप्त हुईं, जिनमें शलाका के आधार पर निम्नलिखित सूचनायें चयनित की गयी। प्रथम सूचना को ग्राह्यता हेतु सुना जायेगा।

पहली सूचना डा0 राधामोहन दास अग्रवाल की- प्रदेश में माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड द्वारा विधिवत् चयनित योग्य शिक्षकों को पदभार ग्रहण न कराये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में। जिन सूचनाओं पर ध्यानाकर्षण करना है, उसमें श्री सतीश महाना जी की- प्रदेश में सम्भावित बरसात की कमी को देखते हुए मूलभूत आवश्यकतायें जैसे उर्वरक, बिजली तथा डीजल आदि को सस्ते दर एवं उचित मात्रा में दिलाये जाने के सम्बन्ध में।

माथुर साहब, आपने बिजली पर दिया है, कल बिजली पर इतनी चर्चा हुई, बिजली पर प्रश्न भी आये, इसलिए मैंने इसको अग्राह्य किया है जो कहना होगा, अपने भाषण में कह लीजिएगा। डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी, आप अपनी सूचना पर बोलें।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, कल का जो मुद्दा था, वह प्रश्न के अन्तर्गत आया था।

श्री अध्यक्ष-

जो प्रश्न एक बार आ जाता है, उसे दोबारा नहीं लिया जाता, आप तो नेता हैं, आप तो बात मानिए।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, यह बहुत गम्भीर विषय है।

---

† दिनांक 24 जून, 2014 के साधारण गजट के विधायी परिशिष्ट में छापा।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, इस पर कल काफी चर्चा हो गयी है, अब नहीं लिया जायेगा। कल इस पर मौर्या जी बोले, सब बोले, अब नहीं लिया जायेगा।

श्री प्रदीप माथुर-

अध्यक्ष जी, हमारी बात सुन लीजिए, बहुत महत्वपूर्ण विषय है।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, आपकी आवमानना कर रहे हैं, यह।

श्री प्रदीप माथुर-

अध्यक्ष जी, कल प्रश्न पर चर्चा हुई थी।

श्री अध्यक्ष-

माननीय माथुर साहब, आपको अभी बोलना है और आप अपने भाषण में इस विषय को पूरी तरह उठा सकते हैं। यह कल उठा, कल इस पर काफी चर्चा हुई, नेता विरोधी दल बोले, मा0 मुख्य मंत्री जी ने भी उस पर अपनी टिप्पणी की। अब आप उस पर न बोलिए। डा0 राधामोहन दास अग्रवाल जी आप बोलिए।

(श्री प्रदीप माथुर ने कांग्रेस के सदस्यों के साथ सदन से बर्हिगमन कर गये)

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, इसके पहले कि मैं अपने स्थगन प्रस्ताव पर आऊँ, एक तात्कालिक व्यवस्था का प्रश्न खड़ा हो गया है और इसे अध्यक्ष जी आपको सुनना चाहिए। यह पीठ सर्वोच्च है, आपके निर्णय को हम सब मानते हैं, आपका निर्णय अन्तिम होता है। अभी मैं उधर भी सुन रहा था, इधर भी सुन रहा था।

श्री अध्यक्ष-

क्यों बात बढ़ा रहे हो, आप अपनी कार्य-स्थगन की सूचना पर बोलिए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, मैं उसी पर आ रहा हूं, लेकिन पहले मेरी इस व्यवस्था के प्रश्न को सुन लें, आपने कहा कि नियम-56 में नहीं सुना जायेगा, आपके विवेक के ऊपर टिप्पणी करते हुए, वह बहिष्कार कर गये।

श्री अध्यक्ष-

जाने दीजिए, आप अपनी बात कहिए। यह कोई व्यवस्था की बात नहीं है, आप अपनी बात कहिए।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माननीय अध्यक्ष जी, अगर डाक्टर साहब इतना भी लोकतंत्र नहीं रहने देंगे तो कैसे चलेगा ? लोकतंत्र का इतना गला घोटेंगे, माननीय अध्यक्ष जी को भी अपनी राय नहीं रखने देंगे, माननीय अध्यक्ष जी को बोलने भी नहीं देंगे, माननीय अध्यक्ष जी को भी नहीं लेने देंगे ? इतना लोकतंत्र मत खत्म करिए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, यह स्वयं नहीं चाहते कि आपके निर्णय का सम्मान हो। वह बहिष्कार करके चले गये।

श्री अध्यक्ष-

जाने दीजिए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी के निर्णय का विरोध करके बहिष्कार करना क्या अवमानना नहीं है ?

श्री मोहम्मद आजम खां-

यह लोकतांत्रिक व्यवस्था का हिस्सा है और डाक्टर साहब, सत्ता का इतना नशा नहीं, ज्यादा है, उतरेगा जरूर।

श्री अध्यक्ष-

डाक्टर साहब, आप विषय पर बोलिए।

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं, एक बहुत ज्वलंत समस्या है और हम सब का सौभाग्य है कि माध्यमिक शिक्षा मंत्री सदन में हैं। पूरी माध्यमिक शिक्षा के अन्दर जिसको कहा जाये पूरी जड़ को खोखला करने की प्रक्रिया, अधोमानक शिक्षकों की नियुक्ति, शासकीय व्यवस्था के बावजूद प्रबन्ध तंत्र के द्वारा पिछले रास्ते से शिक्षकों को आर्थिक आधार पर नियुक्ति देना और जिनके अन्दर गुणवत्ता न हो और जो माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के द्वारा चयनित हो करके शिक्षक जाते हैं, उन्हें वापस करना, अध्यक्ष जी, आप का यहीं विषय मैं लेकर आया हूं। यह माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड अधिनियम 1982 की कापी है, अध्यक्ष जी, इसकी विभिन्न धाराएं बहुत स्पष्ट हैं। किसी भी माध्यमिक विद्यालय को अगर उसके यहां कोई स्थान खाली हुआ है, अधियाचना करनी है। अधियाचना के बाद चयन बोर्ड उसका चयन करेगा। चयन होने के बाद जिला विद्यालय निरीक्षक को सूचना दी जायेगी। जिला विद्यालय निरीक्षक प्रबन्ध तन्त्र को लिखित रूप से सूचित करेगा कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड ने फलॉं अभ्यर्थी का चयन किया है। उनको एक नियुक्ति-पत्र जायेगा। अब अध्यक्ष जी सवाल यह है कि सारे प्राविधान लिखित रूप से हैं। उल्लिखित है कि माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड के अलावा कोई भी माध्यमिक विद्यालय किसी भी अन्य रास्ते से किसी भी शिक्षक की नियुक्ति नहीं कर सकेगा। मा0 उच्चतम न्यायालय ने तदर्थ नियुक्तियों पर रोक भी लगायी। इस अधिनियम में यह प्राविधान भी है कि यदि किसी चयनित अभ्यर्थी की नियुक्ति नहीं हुई और ऐसा लगता है कि प्रबन्ध तंत्र ने जानबूझकर ऐसा किया तो तीन वर्ष के कारावास की सजा है। इसकी नोटिस दी जायेगी, इसकी जांच होगी जांच होने के बाद तीन वर्ष की सजा का प्राविधान धारा-22 और धारा-23 के अन्तर्गत है। मा0 अध्यक्ष जी, यह सारे नियम कानून हमने बनाये हैं। और इनका खुला उल्लंघन हो रहा है। मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह शासन में हो रहा है। लगातार हो रहा है, पहले से हो रहा है। यह सिस्टम हमने ऐसा बनाया है जिसमें जो योग्यतम व्यक्ति चयन होकर जाता है प्रबन्ध तंत्र उसे ज्वाइन नहीं कराता है और वह बेचारा घूमता रहता है। कभी वह जिला विद्यालय निरीक्षक के पास, कभी वह जे0डी0 के पास कभी निदेशक के पास। और उसे ज्वाइन कराने की कोई भूमिका नहीं की जाती। ऐसे शिक्षक एक-दो नहीं बल्कि सैकड़ों-सैकड़ों की संख्या में हैं। चूंकि मैं गोरखपुर का विधायक हूं इसलिए गोरखपुर की एक

सुस्पष्ट सूचना लेकर आया जिसका मैंने उल्लेख किया था कि वह कौन व्यक्ति है जिसका इस प्रकार से दुर्व्यवहार किया गया। मैं उसका नाम नहीं लूंगा, वह मेरी नोटिस का एक हिस्सा है। मा0 अध्यक्ष जी, यह परम्परा पूरे प्रदेश में चल रही है। इस परम्परा पर रोक लगनी चाहिए। अगर हम चाहते हैं कि शिक्षा की गुणवत्ता बढ़े तो हमें यह सुनिश्चित करना पड़ेगा कि निष्पक्ष तरीके से योग्यतम शिक्षकों का चयन हो और माध्यमिक विद्यालय चलाने वाले लोग इन चयनित शिक्षकों को वेतन वह विद्यालय नहीं देते। इन शिक्षकों को वेतन सरकार देती है। अधिनियम यह कहता है कि हमारे अलावा चयनित शिक्षकों के अलावा यदि किसी और शिक्षक की नियुक्ति की गयी तो शासन उसको वेतन भी नहीं देगा। सवाल यह है कि सारे प्राविधानों के रहते हुए यह कैसे हो रहा है कि सैकड़ों-सैकड़ों चयनित शिक्षक सड़कों पर घूम रहे हैं उन्हें न्याय नहीं मिल पर रहा है। मैं एक बार पुनः कह रहा हूं कि सरकार इसके लिए जिम्मेदार नहीं है एक लम्बे समय से चलती आ रही प्रक्रिया है इस प्रक्रिया पर रोक लगनी चाहिए।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, इसका परीक्षण करा लेंगे और जो भी सम्भव होगा समस्या के निदान के लिए वह करेंगे। आपने खुद ही कहा कि सरकारों की कोई जिम्मेदारी नहीं है एक निरंतर प्रक्रिया है जो चल रही है। लेकिन बहरहाल इसका कहीं न कहीं समाधान भी हो, इसका हल भी निकले।

श्री अध्यक्ष-

मैंने मा0 डा0 साहब को सुना, मा0 संसदीय कार्यमंत्री जी को सुना। यह नियम-56 में नहीं आती है। अतः अग्राह्य करता हूं।

इसके बाद दूसरी सूचना श्री सतीश महाना जी की प्रदेश में सम्भावित बरसात की कमी को देखते हुए मूलभूत आवश्यकताएं जैसे उर्वरक, बिजली तथा डीजल आदि को सस्ते दर एवं उचित मात्रा में दिलाये जाने के सम्बन्ध में। मैं इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर देता हूं।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मेरा आग्रह सुन लें। एक मिनट सुन लें।

श्री अध्यक्ष-

नहीं अब न सुनाओं।

श्री मोहम्मद आजम खां-

महाना जी को सुने बगैर मान्यवर, अब सूखा भी बहुत मामूली सा और सूखे के बारे में अभी तय नहीं है कि सूखा पड़ेगा ही। बारिशें हो भी रही हैं। लेकिन इतना ज्यादा शोर हो रहा है सूखे का खास तौर से केन्द्र सरकार की तरफ से और उनके मंत्रियों की तरफ से कि जनता के दिमाग में यह भर दिया जाये कि रेल का किराया क्यों बढ़ गया क्योंकि सूखा पड़ गया। शक्कर के दाम आज तीन रूपये क्यों बढ़ गये इसलिए क्योंकि सूखा पड़ गया। डीजल और पेट्रोल क्यों महंगा हो गया इसलिए क्योंकि सूखा पड़ गया। अब डीजल और पेट्रोल भी सूखा पड़ने से महंगा होगा। सब्जियां क्यों महंगी हो गयी क्योंकि सूखा पड़ गया। दाले क्यों महंगी हो गयी क्योंकि सूखा पड़ गया। अब स्विज बैंक से और दूसरे बैंकों से पैसा आने ही वाला है, चिट्टी लिख दी है। सारे बैंक कंटेनर भरके पैसा लायेंगे और देश की गरीबी दूर हो जायेगी। मान्यवर, उस धन में से जो विदेशों से आने वाला है, जिस पर वोट मिला है, उसमें से अगर कुछ उत्तर प्रदेश की सरकार को मिल जाय तो हम सब्सीडी के स्टोर्स

खुलवा देंगे, सब चीजें सस्ती बेचेंगे। आप कुछ दिलवाइये, इन्हीं वायदों पर तो आये हैं। एक वायदा तो पूर करें। तो महाना जी हमारे लिए बेहतरीन माध्यम हैं, मेरा और पूरी सरकार का उनसे निवेदन है पूरी सरकार का कि भारत सरकार से कुछ दिलवा दें।

(सदस्य श्री सतीश महाना जी खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया, अब क्या बोलोगे, बात आ गयी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, बात आयी है, बात निकली है तो दूर तलक जायेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैंने जो सूचना दी थी अभी तो आपने उसे पढ़ी भी नहीं।

श्री अध्यक्ष-

पढ़ लिया और उस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया, बस बात खत्म।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, कोई बात आयी है, मान्यवर वह मिर्ची कहां से लगी, यह तो पता चले।

श्री अध्यक्ष-

मैंने इस पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

श्री सतीश महाना-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्तमान में बात यह है कि जिस समय प्यास लगेगी, उसी समय कुंआ खोदेंगे, देश में मान्यवर मैंने यह नहीं लिखा कि सूखा पड़ गया। मान्यवर मैंने यह लिखा कि सम्भावित है।

श्री अध्यक्ष-

आपने लिखा कि सम्भावित बरसात की कमी।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मैंने सम्भावित बोला, मान्यवर वहां तो सिर्फ स्विज बैंक आया, स्विज बैंक सम्भावित सूखे में नहीं था। मान्यवर, पता नहीं क्यों इन्हें परेशानी हो रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

महाना जी, कान पकड़ते हैं, नहीं कहता।

श्री अध्यक्ष-

बैठ जायें, अब हो गया।

तीसरी सूचना, डा0 धर्मपाल सिंह की आगरा महानगर में दिनांक 16-06-2014 को टैंकर द्वारा पानी लिये जाते समय हुए संघर्ष में सती नगर निवासी महेन्द्र मथुरिया पुत्र स्व0 शंकरलाल की हत्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

चौथी सूचना श्री अजय कुमार 'लल्लू' की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र तमकुही राज के ग्राम सभा पिपराघाट के लोहिया ग्राम सभा में चयनित गांवों को बूढ़ी गण्डक नदी के कटान से

बचाये जाने हेतु व्यवस्था न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, इस पर मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट करता हूं।

एक सूचना श्री रामचन्द्र यादव जी की है, इसको नियम-51 में तरमीम कर दिया जाय। मा0 प्रदीप माथुर जी अब आप बजट भाषण पर चर्चा शुरू कर दें।

श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया-

मान्यवर, मेरी सूचना बहुत ही महत्वपूर्ण है, मान्यवर, 50 साल पुरानी बस्ती है, उस पर बुल्डोजर चल रहे हैं।....

श्री अध्यक्ष-

भदौरिया जी, अब कुछ नहीं होगा, आप चाहें जितना कहें। आपके हल्ला मचाने से नहीं माना जायेगा, अब भदौरिया साहब की कोई चीज नहीं लिखी जायेगी, न तो उसे कार्यवाही का अंग माना जायेगा। अब चर्चा शुरू करिये।

मा0 डाक्टर साहब इनको आप समझाइये, यह मनोरोग के शिकार हैं क्या ?

डा0 राधामोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, इनकी सूचना को कल ले लीजियेगा।

श्री अध्यक्ष-

बोलिये माथुर साहब।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, पहले इनका उन्माद तो खत्म कराइये।

श्री अध्यक्ष-

वह बैठ जायेंगे, भदौरिया साहब को बीमारी आ जाती है, जब कोई बात होती है।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अध्यक्ष जी, अच्छा होता यदि मा0 मुख्य मंत्री जी यहां पर बैठे होते।

श्री अध्यक्ष-

अब हम क्या करें यह हमारा काम नहीं है।

[1.12] वित्तीय वर्ष 2014-2015 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा†

श्री प्रदीप माथुर-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने सामान्य बजट के भाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा वित्तीय वर्ष 2014-15 में पिछले साल के बजट से 24 प्रतिशत धनराशि का बजट रखा गया जिसकी टोटल 02 लाख 74 करोड़ 704.5 करोड़ मात्र है। मान्यवर यह तीसरा बजट है मा0 मुख्य मंत्री जी का और यदि आप उसे दो सालों के बजट को रिव्यू करें तो आप देखेंगे कि सबसे पहले आम जनता को उस बजट से क्या लाभ मिला, मूलभूत सुविधायें उस आम आदमी के पास पहुंची कि नहीं पहुंची, तमाम मुद्दे ऐसे हैं कि यदि बनाया जाय, सोच समझ कर

† दिनांक 23 जून, 2014 की कार्यवाही से।

बनाया जाय, प्लान तरीके से बनाया जाय, परन्तु वह मूलभूत सुविधा यदि आम आदमी तक नहीं पहुंचती है तो ऐसे बजट का आना बेकार है। मान्यवर, आज स्थिति यह है कि इन दो सालों में मुख्य मंत्री को मैं होनहार इसलिए कहूंगा कि उनकी सोंच है, उनकी विजन है, वह कुछ करना चाहते हैं, पर मैं समझता हूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा हूं और उसमें काफी योग्य मंत्री भी बैठे हुए हैं, हमारे संसदीय कार्य मंत्री, हमारे लोक निर्माण मंत्री, हमारे शिक्षा मंत्री, बेसिक शिक्षा मंत्री तमाम सुयोग्य मंत्री भी इस कैबिनेट में भी बैठे हुए हैं, उन लोगों को भी यह आंकलन करना चाहिए कि बजट का पैसा प्रदेश में ठीक से लग रहा है कि नहीं लग रहा है। मान्यवर, दो बजट पिछले आये, उसमें आप जाकर देखिये। प्रदेश में ऐसा लगता है कि जैसे कुछ भी कार्य न हुआ हो, विकास का काम नहीं हुआ हो। आपकी सरकार में कोई तालमेल नहीं है, अधिकारियों में सामन्जस्य नहीं है, विभागों में सामन्जस्य नहीं है। हमारे परिवहन मंत्री जी बैठे हुए हैं, मैं अपने ही जनपद की बात करूंगा। मा0 मुख्य मंत्री जी से कहकर, तत्कालीन परिवहन मंत्री राजा अरिदमन सिंह जी से कहकर हमने मथुरा के लिए 10 करोड़ का बजट प्रावधान कराया था और आप विश्वास मानिये, आपसी लालफीताशाही में। दुग्ध विकास मंत्रालय और परिवहन मंत्रालय की रेडटेपिज्म में, लालफीताशाही में वह 10 करोड़ रुपया बेकार चला गया और वह लैप्स कर गया, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। मा0 मंत्री जी अफसरों से कहते रहे, पर अफसरों के कान पर जूं नहीं रेंगी। आप यह समझ सकते हैं कि यह हालत है इस सरकार की कि पैसा आवंटित होता है। मुख्य मंत्री चाहते हैं कि काम हो पर वो अफसर नहीं करना चाहते। नीचे ग्रास रूट पर वह पैसा नहीं पहुंचता। मंत्री कहते रहते हैं उनकी कोई सुनवाई नहीं है। इसी तरह केन्द्रीय परियोजनाओं का हाल है। आपके वहां सशक्त विभाग कोई ऐसा नहीं है जो केन्द्रीय परियोजनाओं को ला सके। कई बार मैंने विधान सभा के बजट में, अवस्थापना के बजट पर बोला कि आपको एक ऐसा विभाग बनाना होगा, जहां टेक्नोकेट्स हों, जो डी0पी0आर्स बनाना जानते हों। जो विजन जानते हों, जो केन्द्र सरकार में जाकर पैसा ला सकते हों, वहां के लोगों से नेगोशिएट कर सकते हों, पर ऐसा कोई भी विभाग आपके यहां नहीं है। नॉनटेक्निकल लोग, जे0ई0 स्तर के लोग जब प्रमोट होकर आज चीफ इंजीनियर, ऐग्जक्यूटिव इंजीनियर बन गये। वो डी0पी0आर्स बनाते हैं, वो केन्द्र सरकार को भेजते हैं और उसे भेजने के बाद उल्टी-सीधी डी0पी0आर्स0 पर जब पैसा आवंटित होता है, उसका अनुपालन भी ठीक से नहीं होता। आपकी सरकार में केन्द्र सरकार के पैसे का इस्तेमाल कैसे हो, वह इस्तेमाल नहीं होता। जवाहर लाल नेहरू नेशनल अरबन रिन्यूइल मिशन का पैसा केन्द्र सरकार में लम्बित पड़ा रहा। आपके यहां प्रदेश सरकार में आया, क्या छीछालेदर उस पैसे की हुई है। हमारे सम्मानित संसदीय कार्य मंत्री, सम्मानित नगर विकास मंत्री खूब डण्डा बजाते रहे पर जल निगम के अधिकारियों के कान पर कोई जूं नहीं रेंगी और वह वैसे का वैसा ही रहा। मैं कह सकता हूं कि आपका इकबाल उस विभाग पर है। आपके भय से वहां के अधिकारी इतने आक्रान्त हैं कि वो न हां कर सकते हैं न, न कर सकते हैं। सही को सही नहीं कह सकते, गलत को गलत नहीं कह सकते। इतना जबर्दस्त आपका वहां इकबाल है। स्थिति यह है कि गलत काम होगा तो कौन जिम्मेदार होगा इस प्रदेश का क्या होगा।

(संसदीय कार्य मंत्री श्री मोहम्मद आजम खां द्वारा बीच में बोलने का प्रयास करने पर)

श्री प्रदीप माथुर-

अरे, मा0 मंत्री जी आप तो रोज ही बोलते हैं। बड़े भाई आप तो रहते हैं, रोज ही बोलते हैं। मैं आपके ही इकबाल को बुलन्द कर रहा हूं। आपके जज्बे को कह रहा हूं कि अधिकारियों के पसीने निकलते हैं आपसे पर वो पसीने में इतने तर-बतर हो जाते हैं कि कुछ काम नहीं कर पाते।

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

माथुर साहब, जिससे आपको शिकायत थी उसका इलाज भी हो गया है।

(इस समय 01 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता श्री अनुग्रह नारायण सिंह पीठासीन हुए)

श्री प्रदीप माथुर-

मुझको किसी से शिकायत नहीं है। मान्यवर, मैं किसी मुद्दे पर नहीं जाऊंगा। मैं सबसे पहले अवस्थापना से शुरू करूंगा। मा0 मुख्य मंत्री जी की सोच अच्छी, आगरा समिट उन्होंने बुलाई, अभी दिल्ली में इन्वेस्टमेण्ट कॉन्क्लेव बुलायी लेकिन मान्यवर, ये सब बुलाने का और तमाम लोगों से मिलने का प्रयास करते रहते हैं, डेलीगेशन्स को, विदेशी डेलीगेशन्स को बुलाते रहते हैं। अपने तमाम साथियों को विदेश भेजते रहते हैं। मान्यवर, आप कितने ही डेलीगेशन्स बुला लीजिये, कितने ही कॉन्क्लेव कर लीजिये लेकिन जब तक प्रदेश की कानून व्यवस्था ठीक नहीं होगी, जब तक प्रदेश के मुख्य मार्ग ठीक नहीं होंगे, जब प्रदेश का इन्फास्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा। कितना ही पैसा आप लोक निर्माण विभाग में दे दीजिए। नये इण्डस्ट्रियलिस्ट कैसे आयेंगे। ये बड़ा अहम विषय है, मैं उनके प्रयासों की प्रशंसा करूंगा, मैं उनके प्रयासों के बारे में कहूंगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी बराबर चाहते हैं, दिलीतौर पर चाहते हैं परन्तु यदि आप देखें कि दिल्ली इन्वेस्टमेण्ट कॉन्क्लेव में कितने एम0ओ0यू0 साइन हुए, एम0ओ0यू0 साइन होने से कोई काम चलने वाला नहीं है। पिछली सरकार ने भी एम0ओ0यू0 साइन किये थे, बिजली के तमाम 9 एम0ओ0यू0 साइन किये थे पर कितनी यूनिटें आ पायी। आप नेट रिजल्ट देखिये कि उस बजट को पास करने के बाद वह बजट उस विभाग में जाने के बाद उसका अनुपालन कैसे होता है। मान्यवर, आज प्रदेश के विकास की दर की बात करें पिछले बार 5.2 परसेन्ट ज्यादा थी, वर्ष 2013-14 में अबकी बार तो आपने बजट योजना आयोग से क्लियर ही नहीं कराया और आपकी सरकार ने योजना आयोग को भंग करने की बात कर ली। इस बार जो बजट प्रस्तुत हो रहा है वह बिना योजना आयोग की चर्चा के, बिना डिस्कसन के बाद ही यहां बजट प्रस्तुत कर दिया गया। मान्यवर, इस बार आपने अवस्थापना सुविधायें 82 प्रतिशत बढ़ायी, अच्छी बात है, पर उसका प्रभाव जनता को दिखना चाहिए। शहरी क्षेत्रों की सड़कों का इतना पुरसाहाल है, हमारे सम्मानीय पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी यहां बैठें हैं, सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं, मैं समझता हूं कि वह समदृष्टि से (लोक निर्माण मंत्री जी की ओर इंगित करते हुए।) मा0 मंत्री जी आप सुन रहे हैं। लोक निर्माण मंत्री जी मैं आप ही से गुजारिश कर रहा हूं। मा0 मंत्री जी 403 विधान सभा क्षेत्र हैं। आप बड़े विशाल हृदय के व्यक्ति हैं, आप सबको समदृष्टि से देखते हैं। जब आपकी कलम चल जाती है तो काम हो जाते हैं....

(सत्ता पक्ष की तरफ से आवाज आयी की कौन समदृष्टि से नहीं देखता है।)

तमाम हैं, तमाम हैं, जिनको पता ही नहीं है कि कलम कहां चलानी है। तो जब इनकी कलम चलती है तो काम होते हैं। मैं चाहूंगा कि अपने विशाल हृदय से शहरी क्षेत्रों के विधायकों की सड़कों का ध्यान दें, क्योंकि नाम तो आप ही का होना है। (मा0 शिवपाल सिंह द्वारा अन्य मंत्री की ओर इशारा करने पर) ये नहीं देंगे, काम तो आप ही से होना है। शहरी सड़कों पर ध्यान दें। ये तो नगरपालिका से एन0ओ0सी0 दिलायेंगे, पैसा आप देंगे। ग्रामीण अंचल के लिए पैसा दें क्योंकि प्रदेश आपका ही पत्थर आप के लगेंगे। पत्थर हमारे लगने वाले नहीं हैं। हम तो यह कहेंगे कि मा0 शिवपाल जी ने पैसा दिया। हम तो यह कहेंगे कि मा0 आजम खां साहब ने पैसा दिया तो उसमें क्या दिक्कत

है। यही तो कारण रहा ठीक है हम तो पिटे हैं, पर आप भी बहुत पिटे, आप भी बहुत पिटे, जिसकी आपकी उम्मीद नहीं थी। तो इसलिए उसके पीछे कारण ही यही है कि आपने इधर के भाइयों पर ध्यान देंगे तो हम भी आपके गीत गायेंगे कि आजम भाई ने काम किया, शिवपाल भाई साहब ने काम किया, तो इसलिए आंखें खोलिए वक्षु खोलिये और इधर के लोगों पर भी कृपा करिये। मान्यवर, कृषि एवं अन्य सेवाओं हेतु 7625 करोड़ रुपये जो आपने दिये वह पैसा काफी कम है। आप किसानों की बात करते हैं। आप खेत-खलिहान की बात करते हैं, वह पैसा कम है। इसमें धनराशि बढ़ाई जानी चाहिए थी। इसी तरह शिक्षा के विस्तार के हेतु आपने 41538 करोड़ रुपये दिये, जिसमें बेसिक शिक्षा का कम्पोनेन्ट मैं समझता हूं कि कम है। उसमें और मद ऐसे हैं, जिसे जोड़कर यह पैसा हो गया है। इसी तरह उच्च शिक्षा के लिए भी है। प्रदेश में उच्च शिक्षा का स्तर बहुत गिर रहा है। स्थिति यह है कि नकल माफिया सक्रिय हैं। जिससे इमेज बनती है, उस मामले पर आप हाथ नहीं डालते। आप नकेल नहीं कसते। आज स्थिति यह है कि डिग्री कालेजेज के पढ़े हुए बच्चे एक एप्लीकेशन नहीं लिख सकते क्योंकि वह नकल से पास होकर आते हैं। किसी भी जॉब में जाकर के इन्टरव्यूस को फेस नहीं कर पाते हैं। दिल्ली में मल्टीनेशनल कम्पनियों के आगे जाकर फेस नहीं कर सकते। उच्च शिक्षा का स्टैण्डर्ड गिर रहा है। आपने पैसा दिया पर आपने उसमें क्या कोई ऐसा प्रयास किया कि किस तरह से क्वालिटी कन्ट्रोल लायेंगे और किस तरह से एजूकेशन का स्टैण्डर्ड बढ़ायेंगे। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 14377 करोड़ रूपये का बजट रखा गया, जो कि बहुत कम है। आप पी0एच0सीज़0 की हालत देखिये, सी0एच0सीज़0 की हालत देखिये। प्रदेश के तमाम पी0एच0सीज़0, में दवाएं नहीं मिलती हैं, जो आपरेशन थिएटर हैं वह बंद पड़े हुए हैं। अस्पतालों में जनरेटर सेट नहीं है और गांवों में पी0एच0सी0, सी0एच0सी0 में देखें तो वहां लोगों ने कब्जे कर रखें हैं। भैंसे बंधी हुई हैं, वहां पर और आदमी का जाना तो दूर रहा, वहां जानवर आना पसंद नहीं करते हैं। यह वास्तविक स्थिति है। उन लोगों की बात मैं नहीं करता जो सत्ता पक्ष में बैठे हुए विधायक या प्रभावशाली मंत्री हैं। मान्यवर, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि यदि आप गृह विभाग का देखें। गृह विभाग की स्थिति तो आज पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है। पूरे प्रदेश की कानून व्यवस्था बिल्कुल छिन्न-भिन्न है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतने प्रयासों के बावजूद भी आज तीसरा वर्ष होने को आ गया, क्यों नहीं कन्ट्रोल हो रहा है। आजम साहब बैठे हुए हैं, मा0 मुख्य मंत्री जी बैठे हुए हैं, मा0 शिवपाल जी बैठे हैं, आप लोगों के नाम से अधिकारी दहशत खाते हैं। आप लोगों के नाम से अधिकारियों को पसीना आ जाता है। आज स्थिति यह है कि आप लोगों को यदि मा0 मुख्य मंत्री जी नहीं कर पा रह हैं। मान्यवर, आप लोगों को मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना चाहिए कि भाई भतीजे तुम्हें सब कुछ देखना चाहिए, सत्तापक्ष को बदनाम मत होने दो क्योंकि आपके साथ-साथ हम भी बदनाम हो जाते हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश की कानून-व्यवस्था के बारे में दूसरे प्रदेशों के लोग पूछते हैं। मान्यवर, यहां आज महिलायें सुरक्षित नहीं हैं उनकी अस्मिता लूटी जा रही है। बहन बेटियों की हत्या कर उनकी लाशों को पेड़ों पर लटका दिया जाता है। मान्यवर, आज बलात्कार, राहजनी, डकैती की घटनायें होना आम बात हो गयी है। अभी अलीगढ़ में एक बड़ी डकैती की घटना घटित हुई है। मान्यवर, माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कल लगभग दो घंटे का भाषण दिया था। वे हम सबके नेता हैं। उन्होंने जो आंकड़े यहां बताये हैं उनको मैं दोहराना नहीं चाहता हूं। मान्यवर, आपने यह जो बजट यहां पर रखा है इसमें प्रदेश का कुछ विकास होने वाला नहीं है। मान्यवर, मैं इधर से भी बोल रहा हूं और उधर के सदस्यों की बातों को भी कह रहा हूं। हमारे प्रदेश में जो कमियां हैं हमें उसके मूल कारणों में जाना होगा। आज कानून

व्यवस्था की स्थिति यह है कि दरोगा सिपाही आपके पूरी हिम्मत रखते हैं अपने एसपी, एसएसपी, डीआईजी, आईजी, और डीजीपी का स्थानान्तरण कराने की हिम्मत रखता है। अभी एक घटना एक सदस्य ने मुझे बतायी कि डीआईजी साहब का इंस्पेक्शन होना था एक सिपाही धोती पहने था और दातून कर रहा था उसे दरोगा साहब ने बताया कि साहब आ रहे हैं। तो उसने कहा कि आने दो ज्यादा बोलेंगे तो उनका स्थानांतरण करा देंगे हमारी ही तो सरकार चल रही है। मान्यवर, इसलिए आपको निचले स्तर पर स्क्रू को कसने की जरूरत है। आपके दो साल निकल गये हैं तीसरा साल चल रहा है। अगर यही स्थिति रही कानून-व्यवस्था की तो फिर प्रदेश में निवेश कहां से आयेगा, अवस्थापना सुविधाएं कैसे बढ़ पायेंगे। आप कब जनता का दिल जीत पायेंगे। जनता ने आपको यहां एब्सोल्यूट मैजारिटी के साथ चुनकर भेजा है। जनता ने आपसे बहुत सारी उम्मीद बांधी है। आप उसकी उम्मीदों पर खरा उतरने का काम करें। आज हालत यह है कि जनता पूरी तरह से आपसे त्रस्त हो चुकी है उसकी उम्मीदें आपसे टूट सी रही है। हमारे बगल में भारतीय जनता पार्टी के मा0 सदस्य बैठे हैं यह भी अपनी जीत से आत्मविभोर हैं।

मान्यवर, मैं अब पर्यटन विकास की बात करूंगा। मान्यवर, उत्तर प्रदेश से उत्तराखण्ड के अलग हो जाने के बाद से पूरा पहाड़ी क्षेत्र हमारे यहां से चला गया है। उसके बाद से हमारे प्रदेश से पर्यटन के स्थान बहुत सीमित हैं। हम इसमें पर्यटन विकास कैसे कर सकते हैं। जब आपने मात्र 64 करोड़ का बजट ही इस मद में रखा है। मान्यवर, आप सिंगापुर चले जाइये, यूरोपियन देशों में चले जाइये, अमेरिका नार्थ अमेरिका में चले जाइये और जो दूसरे छोटे-छोटे देश हैं वहां चले जाइये वहां बजट का अधिकांश भाग पर्यटन के विकास पर जाता है वहां की अर्थव्यवस्था ही पर्यटन पर आधारित है। हम इतने कम बजट में पर्यटन के विकास की बात को कैसे सोच सकते हैं। मैं चाहूंगा कि इसमें आप बजट की धनराशि को बढ़ायें। इसमें आपकी सोच बड़ी होनी चाहिए। मैं आजम साहब से कहना चाहूंगा कि आपका रामपुर है और दूसरी जगह बहुत अच्छे हैरिटेज साइट है, रामपुर तो आपकी सल्तनत है आप वहां का विकास कराइये। इसके अलावा चाहे मुरादाबाद हो, ब्रज का क्षेत्र हो, आगरा हो, इलाहाबाद हो, बनारस हो, पूर्वांचल का क्षेत्र हो कुशीनगर हो यहां पर पर्यटन के विकास की काफी संभावनायें हैं यहां पर आप बजट देने का काम करें। आपने इस बजट प्रस्तावों में इसके लिए ज्यादा नहीं दिया है। आज स्थिति यह है कि आपके जो पर्यटक स्थल हैं हैरिटेज साइट हैं उनको कंट्रोल संस्कृति विभाग करता है। आपके पर्यटन विभाग का कंट्रोल दूसरा विभाग करता है। बाहर का अधिकारी कंट्रोल करता है। इसको आप देखने का काम करें।

मान्यवर, आज प्रदेश में बिजली आपूर्ति की जो दुर्दशा है वह किसी से छिपी नहीं है। बिजली आपको नेशनल ग्रिड से मिल नहीं रही है। कल हमने देखा कि बिजली को लेकर यहां पर दो पक्ष नहीं तीन पक्ष आपस में उलझ रहे थे। मान्यवर आज जितने भी पॉवर प्लांट लगे हैं वह कांग्रेस के जमाने के लगे हुए हैं, बीजेपी और बीएसपी के लोगों ने तो एमओयू साईन किया है आप उसे अपग्रेड करना चाह रहे हैं। आज विद्युत विभाग की जो स्थिति है वह सबको पता है आप देखें आपने इस सेक्टर के विकास के लिए बजट में कितना एलोकेशन किया है। आपके लाइन लॉस बहुत ज्यादा हो रही है कितनी चोरी हो रही है इसको आपको देखने की जरूरत है। मान्यवर, खाली वक्तव्य दे देने से और अखबारों में भाषण दे देने से बिजली की व्यवस्था सुधरने वाली नहीं है। इस पर आपको ध्यान देना होगा। अखबारों में भाषण करने और भाषण करने में गम्भीर नजर नहीं आती है। ताज ट्रिपेजियम जोन में जितने भी आंकड़े कल प्रस्तुत किये गये सब झूठे हैं। ताज ट्रिपेजियम जाने में 24 घंटे सुप्रीम

कोर्ट के आदेश पर बिजली देने की बात की गयी थी परन्तु वहां 8-10 घंटे ही बिजली आती है। मान्यवर, औद्योगीकरण की बात करते हैं जब बिजली नहीं होगी, कानून-व्यवस्था नहीं होगी तो कहां से उद्योग आयेंगे। औद्योगीकरण के मामले में आप नयी बातें तो करते हैं उत्तर प्रदेश में पड़े हुए कितने इण्डस्ट्रियल एरिया रूग्ण पड़े हुए हैं आप उनकी बात नहीं करते हैं कि उनको कैसे रिहैबिलिटेट किया जायेगा, उनके लिए वन टाइम सिटिलमेन्ट कैसे होगा उसका बजट में कोई प्राविधान नहीं है न बैंकर्स से बात की जाती है कि किस तरह वन टाइम सिटिलमेन्ट का रिहैबिलिटेशन का प्रोग्राम बने। मान्यवर, तमाम इण्टरप्रिन्योर उद्यमी आत्महत्या कर रहे हैं आज स्थिति यह है कि औद्योगिक मामले बिलकुल ठप हो गये हैं। स्थिति यह है कि उद्योग के मामले में प्रदेश शून्य हो गया हैं। किस तरह काम चलेगा, प्रदेश कैसे आगे बढ़ेगा। मान्यवर, यदि आप देखें यह लोग गम्भीर नहीं हैं। आप बैठे हैं, बाकी तो मुख्य मंत्री चले गये सब लोग चले गये अब ज्यादा नहीं सुन सकते।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

आपको प्रदेश की स्थिति गम्भीर करने का अवसर मिल रहा है हम आप पर गम्भीर कैसे नहीं होंगे।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, आज स्थिति यह है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश तो कमाता है लेकिन बजट में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए कोई एलोकेशन नहीं है और पूर्वांचल को भी कोई खास तरजीह नहीं दी गयी है। आज स्थिति यह है कि चुनिन्दा शहर जहां सत्तापक्ष के मंत्री हैं, हनकदार विधायक हैं वहां के लिए बजट का एलोकेशन किया गया है। कोई बात, पूर्वांचल विकास निधि की बात होती है मान्यवर, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूं पश्चिम उत्तर प्रदेश की इन्फ्रास्ट्राक्चर के मामले में सड़कों का बड़ा पुरसाहाल है, हम कमा के देते हैं पुरसाहाल है, पश्चिम उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। सबसे ज्यादा रेवन्यू हम लोग जेनरेट करते हैं और पश्चिम उत्तर प्रदेश की ओर ध्यान नहीं दिया जाता है। वहां सबसे ज्यादा क्राइम होता है वहां बिजली नहीं दी जाती वहां पर डबल स्टैण्डर्ड की बात की जाती है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को हमेशा इग्नोर किया जाता है। इनको पश्चिमांचल विकास निधि का भी गठन करना होगा उसके लिए भी फण्ड का एलोकेशन करना होगा और स्थिति बनानी होगी। आप भी देखिये माननीय मंत्री जी, मान्यवर, गन्ना किसानों की बड़ी हितैषी बनती है सरकार। कुल 400 करोड़ रुपये का प्राविधान इन्होंने आउटस्टैण्डिग ड्यूज देने के लिए किया है। गन्ना मिल मालिकों से लगता है यह मिल हुए हैं स्थिति यह है कि लगभग साढ़े सात हजार करोड़ की आउट स्टैण्डिंग ड्यूज है। सख्त कार्यवाही करते तो हमें लगता, आरसी जारी करने से क्या होता है कोर्ट में जाकर स्टे ले आये आरसी फिर रुक जाती है प्रोसिडिग्स, किसान पिसता रहता है। मान्यवर, अच्छा होता हमारे होनहार मुख्य मंत्री 400 करोड़ से ज्यादा का बजट इसमें रखते। मान्यवर, मैं दो चीजों की तारीफ करूंगा एक तो मेट्रो लखनऊ वह लाने का प्रयास कर रहे हैं उससे बिलकुल एक अच्छा लुक लखनऊ का आयेगा। आज गाजियाबाद की मेट्रो के लिए भी पैसे का एलोकेशन किया उसके लिए भी उनको बधाई दूंगा। लखनऊ आगरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे के लिए भी हालत यह है कि यह घोषणा उनकी पिछले वर्षों की थी परन्तु मुझे पता है कि किसी भी काम के लिए समय लगता है उसके लिए भी माननीय मुख्य मंत्री जी बधाई के पात्र हैं। मान्यवर, ग्राम्य विकास योजनाओं के मामले में ग्राम्य विकास की बात करूंगा। इस समय लोहिया ग्राम योजना, जनेश्वर मिश्र ग्राम योजना है। मैं कहना चाहूंगा कि पिछली सरकार में एक

काम अच्छा होता था, अम्बेडकर गांव जो लिये जाते थे, उनको पूर्ण रूप से संतृप्त किया जाता था, सारी सड़कें बनाई जाती थीं, एक-एक व्यवस्था का ध्यान रखा जाता था परन्तु लोहिया ग्राम में आपने 18 लाख रुपये दे दिये, सड़क बनाने के लिये लेकिन इतने आउटस्टैन्डिंग गांव हो गये हैं कि उनका नम्बर आउटस्टैन्डिंग में ही चल रहा है और उसमें यह नहीं कि आप समदृष्टि से देखें, विपक्ष के लोगों से भी लोहिया ग्रामों के नाम लें फिर वह पूछें, क्योंकि विकास सभी 403 विधान सभाओं का होना चाहिये परन्तु उसें बिल्कुल बायस्ड मामला है, सत्ता पक्ष का मामला है। त्वरित विकास के लिये एक हजार करोड़ रुपये रखा, कल नेता प्रतिपक्ष ने बिल्कुल सही कहा उस त्वरित विकास की आवाज हर विधायक के क्षेत्र में जानी चाहिये, मैं मुख्य मंत्री जी को तभी समदृष्टि कहूंगा। मान्यवर, इसके अलावा तमाम इस तरह की व्यवस्थायें हैं कि मैं कह सकता हूं कि कोशिश की गयी एक अच्छा बजट बनाने की। परन्तु पुरानी बोतल में नई शराब। यह मेरा वक्तव्य रहेगा वाइन इन ओल्ड बॉटल।

श्री अम्बिका चौधरी-

यह माथुर साहब का दोष नहीं है, यह तो कब का छोड़ चुके लेकिन वह इनका पीछा नहीं छोड़ रही।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि यह जो बजट है। बजट कभी भी पालीटिकल उद्देश्यों को लेकर नहीं बनाया जाना चाहिए। जब यह लोग फ्री लैपटाप बांटने की योजना लाये, तब हम लोगों ने यहां बैठकर इसका विरोध किया, कन्या विद्या धन योजना लाकर इन्होंने व्यवस्था की बात की तो एक सपना दिखाया इन्होंने, उन बेटियों को उन बच्चियों को कि उनको कन्या विद्या धन योजना में पैसा मिलेगा। फिर उसके बाद जब इन्होंने बेरोजगारी भत्ते की घोषणा की तो इन्होंने सोचा था कि लैपटाप देने से इनका वोट बैंक बढ़ेगा। कन्या धन देने से महिला सशक्तीकरण होगा और महिलाओं का वोट इनकी तरफ आयेगा। इसी तरह बेरोजगारी भत्ता देने से यह लोग वोट को अपनी तरफ खीचेंगे। पर दुर्भाग्य यह रहा कि लैपटाप पाने वालों ने इनका यानि भारतीय जनता पार्टी का काम किया, उस पर इनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की पब्लिसिटी हुयी। बेरोजगारी ने बेरोजगारी भत्ता लेने के बावजूद इन्हीं की पार्टी के जिन्दाबाद लगाये और सब फर्जी आंकड़े जो आपने बहकाया था लोगों को, उस बहकावे में जनता आ गयी और अब उनका मिथक भी टूटने वाला है।

श्री अधिष्ठाता-

माथुर जी, अब समाप्त कीजिए।

श्री प्रदीप माथुर-

माननीय अधिष्ठाता जी, इस बार बजट में अपेक्षित इन चीजों का आवंटन न करके सरकार ने धोखा दिया है, उन बेरोजगारों को धोखा दिया है, जिन्होंने सपने देखे थे लैपटाप पाने के, उनको धोखा दिया। जो बच्चियां कन्या धन के लिए इंतजार कर रही थीं आपने उनको भी धोखा दिया। आपने यह सब करके लोगों के दिलों को तोड़ा। मान्यवर, आपने लोकसभा चुनाव में हुई करारी हार की वजह से सब योजनाओं पर ब्रेक लगा दिया। इस तरह से यही लगता है कि आपकी यह तीनों योजनाएं और जो लोक लुभावने वायदे थे, वह हिब्नोटाइज करने के लिए वोट बैंक में तब्दील करने के लिए आपने वायदे किये थे और उनको आपने बंद कर दिया।

मान्यवर, इसके अलावा पश्चिम उत्तर प्रदेश के परम्परागत उद्योग जैसे पीतल उद्योग, पाटरी उद्योग, कैंची उद्योग, खेल उपकरण, आगरा का जूता उद्योग, फिरोजाबाद का कांच उद्योग, इन सब पर आपने कोई ध्यान नहीं दिया जिससे कि जो हमारे इन्टरप्रिन्योर्स है जो छोटी पूंजी वाले उद्यमी हैं, उनके भविष्य के बारे में ध्यान रखा जा सकता। मान्यवर, कानून-व्यवस्था के लिये कोई त्वरित योजना का उद्देश्य नहीं रहा। मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह बजट पूरी तरह असंतुलित है, आंकड़ों की बाजीगरी है और कानून-व्यवस्था, बिजली, सिंचाई, गन्ना बकाया, शहरों को 24 घन्टे तथा गांवों को 18 घन्टे बिजली दिये जाने, ताज ट्रिपेजियम जोन में 24 घन्टे बिजली दिये जाने एन0सी0आर0 क्षेत्र में आने वाले जनपदों का समन्वयक विकास करने इत्यादि सुधार करने की बात केवल कोरा आश्वासन है। मान्यवर, अरबी, फारसी, मकबरों के आधुनिकीकरण तथा कब्रिस्तानों के लिए 1675 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है वहीं संस्कृत हिन्दी भाषा के उत्थान तथा पाठशालाओं के लिए कोई भी धनराशि आवंटित न किया जाना भारतीय संस्कृति की उपेक्षा है। मान्यवर, पूर्वांचल में फैलने वाली बीमारी दिमागी बुखार से निपटने के लिए 64 करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान बहुत कम है।

(मा0 सदस्य श्री राधेश्याम का नाम पुकारे जाने और मा0 सदस्य श्री प्रदीप माथुर के बोलते रहने पर)

श्री राधेश्याम-

मा0 अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री प्रदीप माथुर-

मान्यवर, बिजली उपलब्धता को लेकर हजारों करोड़ रुपये की धनराशि का प्रावधान किया जा रहा है मगर एक भी मेगावाट बिजली का उत्पादन नहीं बढ़ा। यह बजट एक तरह का झुनझुना है जनता को। मैं चाहूंगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी फिर से विचार करें कि प्रदेश को आगे के दो सालों में किस तरह से आगे ले जाना है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि यह बजट एक तरह से मृगमारीच है और जनता को गुमराह करने वाला है।

श्री दलवीर सिंह-

मान्यवर, यह परम्परा है कि पहले दलों के नेता बोलेंगे उसके बाद सदस्य बोलेंगे इसलिए पहले मुझे समय मिलना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

एक सदस्य इधर से बोल लें उसके बाद आप बोल लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, जैसा निर्देश कल मा0 अध्यक्ष जी ने दिया था और जैसी परम्परा है दलीय नेताओं के क्रम में पहले मा0 दलवीर सिंह जी को सुन लें।

श्री दलवीर सिंह-

बहुत-बहुत धन्यवाद आपने मुझे बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया। वैसे मेरे पूर्व साथी बड़े विद्वान हैं मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 महाना जी और मा0 प्रदीप माथुर जी ने शायद एक हफ्ते तक लाइब्रेरी में बजट की तैयारी की है और बड़ी दक्षता और कुशलता के साथ अपनी बात रखी है। मा0 मौर्या जी ने शायद कोई भी डाटा नहीं छोड़ा है जो उन्होंने रखा न हो। उनके जैसा डाटा मैं यदि

पूरे महीने पढ़ूं तब भी नहीं दे सकता हूं इसलिए मैं कुछ मोटी-मोटी बाते कहना चाहता हूं। आपकी सरकार आयी लेकिन लेट आई, फिर भी देर आये दुरुस्त आये। ढाई वर्ष का समय पूरी सरकार का, इस सब लोगों का व्यर्थ में बरबाद हो गया। पिछली बार भी हम लोगों ने कहा था कि व्यर्थ की योजनाओं में जो इतना पैसा खर्च कर दिया उसका कोई उपयोग नहीं हुआ। वह पैसा इसीलिए खर्च किया था कि आगे आने वाले लोकसभा चुनावों में हमें बड़ा वोट मिलेगा। अब आपने देख लिया कि तुष्टिकरण की नीति से चाहे किसी जाति विशेष, धर्म विशेष या कुछ वर्ग विशेष के लोगों को यदि कोई सरकार या पार्टी ओबलाइज करेगी उन्हें लाभान्वित करेगी तो उतना ही विरोध होगा जितना कि वर्तमान लोकसभा चुनाव ने सिद्ध कर दिया है। मैं आपसे कुछ वर्तमान बजट के सम्बनध में जानकारी देना चाहता हूं जैसा कि अभी हमारे साथी बता रहे थे कि बी0एस0पी0 की सरकार में जब अम्बेडकर ग्राम चुने गये थे तो उन गांवों को संतृप्त करने का काम किया गया था। हमारी वर्तमान सरकार ने लोहिया समग्र ग्रामों की योजना के लिए मात्र आठ सौ करोड़ की व्यवस्था की है उस आठ सौ करोड़ की व्यवस्था में कोई ग्राम प्रदेश का संतृप्त नहीं हो सकता है मेरा निवेदन है कि इस बजट में बढ़ोत्तरी की जाये। पश्चिमी उत्तर प्रदेश बहुत महत्वपूर्ण जगह है पूरे प्रदेश का विकास वहां से सम्भव होता है सबसे ज्यादा राजस्व भी पश्चिमी उत्तर प्रदेश देता है और यहां सदन में जितने भी नेता बैठे हैं उनमें से अधिकांश लोग चाहते हैं कि हम किसी तरह से भागदौड़ करके वहां पहुंचे और स्थाई रूप से हमारे परिवार नोएडा, दिल्ली के इर्दगिर्द रहें। आप पूर्वांचल का बजट बढ़ाइये किसी का भी बजट बढ़ाइये हमें कोई आपत्ति नहीं है लेकिन पश्चिमांचल की जो उपेक्षा हो रही है आपकी सरकार में यह बहुत घाटे का सौदा है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि पश्चिमांचल के लिए भी एक निधि होनी चाहिए। मान्यवर, स्वास्थ्य का बजट बहुत कम रखा है। यह बड़ा महत्वपूर्ण विभाग है और स्वास्थ्य पर सभी जनमानस काफी निर्भर रहते हैं तो मैं चाहूंगा कि स्वास्थ्य के बजट में भी थोड़ी सी बढ़ोत्तरी की जाये। बेसिक शिक्षा का बजट आवश्यकता के हिसाब से बहुत कम है, अध्यापकों की बहुत कमी है। हमारे बेसिक शिक्षा मंत्री बड़े तेज और अच्छे मंत्री हैं तथा मेहनत करके काफी कोशिश कर रहे हैं लेकिन पर्याप्त मात्रा में अध्यापकों की व्यवस्था अभी तक नहीं हो पायी है। न जाने क्या टी0ई0टी0 के झगड़े फंस जाते हैं और हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के झगड़े फंस जाते हैं अभी तक यह निर्णय नहीं हो पाया कि कब अध्यापकों की नियुक्ति होगी, कब क्या होगा? अच्छा होगा कि इसमें भी कुछ बजट कर वृद्धि की जाये। गन्ना किसानों के सम्बन्ध में काफी चर्चा इस सदन में कई बार हो चुकी है, काफी पैसा किसानों का बकाया है। सरकार ने जो व्यवस्था इस बजट में की है मात्र 400 करोड़ रुपये की है। मा0 मंत्री जी यह धनराशि बहुत कम है। 400 करोड़ रुपये से आपकी जो चीनी मिलें हैं चाहे सहकारी या सरकारी चीनी मिलें हैं उनका भी किसानों का भुगतान नहीं होता, प्राईवेट चीनी मिलों का तो बहुत बकाया है। सरकार की इच्छाशक्ति यदि हो तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 24 घंटे का समय दे दें, एक-एक चीनी मिल के मालिक से 24 घंटे के अन्दर वसूली की जा सकती है या फिर आर0सी0 कट रही हो, आर0सी0 कट रही है तो उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रहा है, कोई कार्यवाही किसी तरह से हो नहीं रही है, मिल-मालिकान बिल्कुल निश्चिन्त हो करके मुम्बई और दिल्ली में बैठे हैं। भुगतान की किसी को चिन्ता नहीं है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करूंगा कि गन्ना किसानों के भुगतान के सम्बन्ध में विशेष ध्यान दें। अभी भारत सरकार के केन्द्रीय मंत्री जी ने कोई मीटिंग बुलायी है, आज मैंने भी अखबारों में पढ़ा, उन्होंने बहुत जोर दिया है, हमारी सरकार भी जोर दे कि मिल तब तक नहीं चलने दी जायेगी जब तक किसानों का बकाया भुगतान करने के लिए बैंकों से ऋण

लेकर किसानों का भुगतान नहीं करेंगे। यदि सरकार इस पर बल देगी तो निश्चित रूप से मिल मालिक बिना ब्याज का ऋण लेकर के जैसा कि भारत सरकार प्रयास कर रही है भुगतान करेंगे, तो निश्चित रूप से सबका भुगतान हो जायेगा यह आप पर निर्भर करता है। मैं चाहूंगा कि किसी भी तरह से गन्ना किसानों का भुगतान कराया जाये। सबसे बड़ी समस्या है उच्च शिक्षा की। आपके सभी जनपदों में अनाप-शनाप ढंग से बालक-बालिकायें इण्टरमीडिएट पास कर चुके हैं लेकिन डिग्री कालेजों में दाखिले के लिए कोई जगह नहीं है। आप बताईये सब लोग बैठे हैं डिग्री कालेजों में कोई जगह नहीं है, आपकी वित्तीय स्थिति भी अच्छी नहीं है, आप पैसा भी नहीं देना चाहते हैं तो मैं आपके माध्यम से सुझाव देना चाहता हूं कि सायंकालीन क्लासेस चलायी जायें या जो नये डिग्री कालेज खुल रहे हैं उनकी तत्परता से स्वीकृति दिलायी जाये जिससे कि इस सत्र में छात्र-छात्राओं का दाखिला हो सके यह मेरा सुझाव है।

जनेश्वर मिश्र योजना, बहुत अच्छी योजना है, उसमें पैसा भी बढ़ा दिया, 25 लाख रुपये की जगह 40 लाख रूपये कर दिया है लेकिन इस बजट में मैंने पूरी किताब पढ़ी है शायद कोई प्राविधान इसके लिए नहीं किया गया है जैसा मैंने किताब में पढ़ा है, किया है नाम उल्लेख किया है जनेश्वर मिश्र का, अगर उसमें पैसा और बढ़ाया जाये और जैसा हमारे सभी विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि पारदर्शी नीति अपनाई जाये तो बहुत अच्छा रहेगा। आपने लैपटाप, बेरोजगारी भत्ता दे करके देख लिया, तुष्टिकरण भी करके देख लिया, मेरा दावा है कि जब-जब सरकार किसी जाति विशेष, किसी समुदाय विशेष, किसी धर्म विशेष के लिए कोई विशेष योजना चलायेगी तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि वही हाल होगा हमारा, आपका जिसकी वजह से ये सब लोग बैठे हैं, उसका रियेक्शन यह है। इनमें कोई खासियत नहीं है, कोई क्वालीफिकेशन नहीं है लेकिन उसके रियेक्शन की वजह से भारी बहुमत से बैठे हैं। इसलिए मेरा सुझाव है कि पारदर्शी नीति अपनाये जाने के बारे में मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि 1000 करोड़ रुपये की व्यवस्था जो मुख्यमंत्री जी का कोष बना है उसमें से सभी को समान भाव से बांटा जाये। जैसे नलों की बात की, नलों के लिए कोई प्राविधान नहीं किया है। सभी विधायकों के लिए 100-100 नल पिछली बार दिये गये थे, जहां कहीं जाता है क्षेत्रीय विधायक यदि एक नल भी नहीं दे सकता है तो काहे का विधायक। तो मेरा आपसे निवेदन है, मा0 मंत्री जी आप बड़े प्रभावशाली हैं नलों की व्यवस्था सभी विधायकों के लिए करायी जाये। अभी कुछ दिन हुए 14 प्रतिशत रेल भाड़ा बढ़ा दिया गया, यहां के लोकल विधायक या लखनऊ के आसपास के विधायक बिना कूपन के चलते रहते हैं लेकिन सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, मेरठ, अलीगढ़, गाजियाबाद वहां से आने वालों के लिए बहुत दिक्कत होती है दो आदमियों के आने में 3 हजार और जाने में 3 हजार, कुल 6000 रूपये आने-जाने में खर्च होता है। आपने इसमें कूपनों का कोई प्राविधान नहीं रखा है। राम सरन दास को सम्मान दिया अच्छा लगा पुराने समाजवादी थे दुनियां से चले गये सभी को जाना है लेकिन उनके नाम पर मात्र 50 करोड़ की व्यवस्था की गयी है। जो कम है अगर उनका नाम बढ़ाना चाहते थे तो इसको और बढ़ाते मैं जरूर चाहूंगा। हम और आप जो यहां पर बैठे हैं उनमें से अधिकांश लोग चौधरी साहब के अनुयायी हैं। आपकी सरकार भी चौधरी साहब की अनुयायी है नेता जी भी उनके साथ रहे हैं। आप सब लोग रहे हैं मैं चाहूंगा कि चौधरी साहब के नाम से जरूर कोई योजना चलाई जाये। आप कई बार कह चुके हैं 50 करोड़ की योजना जब इनके नाम से चला दी गयी है तो चौधरी चरण सिंह के नाम से कोई न कोई योजना जरूर चलाने का प्राविधान करना चाहिए। आलू किसानों के सम्बन्ध में मेरे ख्याल से बहुत कम लोग बोलते हैं। गन्ना की बात तो पूरा सदन

करता है। आपको शायद जानकारी है या नहीं है मैं आपको सदन के माध्यम से जानकारी देना चाहता हूं आलू का बहुत बड़ा उत्पादन आगरा से लेकर गाजियाबाद तक एक तरह से यह आलू का जोन बन चुका है। किसान 75 फीसदी जमीन पर आलू की खेती कर रहे हैं लेकिन सरकार ने आलू को प्रमोट करने के लिए न कोई योजना चलाई है न कोई बजट में प्राविधान किया है मैं चाहूंगा कि बजट में प्राविधान करके आलू की फसल को प्रमोट करने की व्यवस्था की जाय। यह कृषि शिक्षा और कृषि विश्वविद्यालय की बहुत कमी है ऐसा कोई बजट नहीं रखा कि कृषि विश्वविद्यालय खोले जायें न उन पर जोर दिया गया पर्यटन के सम्बन्ध में अभी प्रदीप जी भी कह रहे थे मैं भी कह रहा हूं पर्यटन को प्रमोट करने की बहुत सम्भावना है। पर्यटन का भी बजट बहुत कम है जब से उत्तराखण्ड हमसे अलग हो गया है हमारा पर्यटन का कारोबार बहुत ढीला हो गया है। मैं चाहूंगा कि हमारे जनपद अलीगढ़ में भी भोजताल, घरणीधर, हरदासपुर, सेखाझील, भुमिया बाबा जैसे बड़े महत्वपूर्ण पर्यटक स्थल हैं इनको भी पर्यटन के क्षेत्र में शामिल किया जाय। हरदुआगंज तापीय विद्युत गृह अभी सरकार कह रही थी कि हम विद्युत का उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं जब से यह सरकार आयी है तब से हरदुआगंज में तापीय विद्युत गृह 660 की योजना आपने स्वीकृत कर दी सब काम उसके हो गये लेकिन आज तक चालू नहीं हुई है और इस बजट में 660 की परियोजना को चलाने के लिए कोई वित्तीय व्यवस्था नहीं की गयी है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि हरदुआगंज तापीय विद्युत गृह का चलाना अति आवश्यक है उस योजना को बनाया जाना बहुत आवश्यक है। नादर्न इंडिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश की विद्युत व्यवस्था के लिए इसका चलना बहुत जरूरी है। आप इसकी व्यवस्था करायें। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अलीगढ़ में बड़ी अच्छी घोषणा की कि हम स्पोर्टस यूनीवर्सिटी बनायेंगे दो साल से अलीगढ़ की जनता प्रतीक्षा कर रही है कि हमारे यहां स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी ने की थी क्या हुआ हमसे लोग सवाल करते हैं। हमारे जनपद से समाजवादी पार्टी के चार विधायक हैं। उनमें कोई दिखाई नहीं दे रहा है। चारों विधायकों से जनता पूछती है हम तो लोकदल के हैं उनसे पूछती है कि मुख्यमंत्री जी की घोषणा का क्या हुआ स्पोर्ट्स यूनीवर्सिटी का क्या हुआ। यह यूनीवर्सिटी क्यों नहीं अलीगढ़ में बनी मैं आपके माध्यम से सरकार को अवगत कराना चाहता हूं कि अगर कही पर जमीन की कमी दिखाई दे रही हो तो हम अपने विधान सभा क्षेत्र में जमीन दे सकते हैं अलीगढ़ में कहीं भी हम जमीन उपलब्ध करा सकते हैं। उसके लिए बजट का प्राविधान करायें। आपने जो जवाब दिया उसकी मुझे भी थोड़ी बहुत जानकारी थी लेकिन आपके जवाब से पूरे प्रदेश में संदेश जायेगा कि आपने वैट निल कर रखा है। कृषि यंत्रों पर लेकिन रसायन खाद जितने हैं उनमें से किसी पर आपने वैट नहीं हटाया है।

श्री अम्बिका चौधरी-

ट्रैक्टर पर वैट है बाकी कृषि यंत्रों पर वैट नहीं है।

श्री दलवीर सिंह-

किसान का मुख्य यंत्र तो ट्रैक्टर है कोई खुरपिया फावड़ा कोई यंत्र है। न रसायन पर वैट हटाया न ट्रैक्टर पर हटाया आप ट्रैक्टर पर भी माफ करेंगे तो अच्छा रहेगा। डेरी की स्कीम पर बड़ा जोर दे रहे हैं आपकी सरकार का खूब इश्तिहार आता है बड़े-बड़े अखबारों में लेकिन जो डेरी हाथरस और अलीगढ़ की बहुत बड़ी सम्पत्ति लिये हुए बैठी है उसे प्रमोट करने के लिए तो आपकी सरकार बात नहीं कर रही। मगर नये डेरी खोलने की तो बात कर रही है। उसमें बजट का कोई

प्राविधान नहीं किया है। उत्तर प्रदेश में अलीगढ़ का दुग्ध संघ और हाथरस का दुग्ध संघ बहुत नम्बर वन का अपने समय में रहा है। मैं चाहूंगा कि इस बजट में उसे प्रमोट करने के लिए, उसके रख-रखाव के लिए, उसके कर्मचारियों के लिए, किसानों के भुगतान के लिए बजट में व्यवस्था करायी जाय। अलीगढ़ मण्डल में कोई राजकीय महाविद्यालय, कोई यूनीवर्सिटी नहीं है। मेरे पिछले प्रश्न के जवाब में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि अलीगढ़ में राजकीय विश्वविद्यालय खोला जायेगा लेकिन अभी तक उसकी कोई शुरूआत नहीं की और न ही बजट में उसकी कोई व्यवस्था की गयी है। अलीगढ़ मण्डल बने लगभग 8-9 वर्ष हो गये। 9 वर्षों में अलीगड़ मण्डल में जो सम्बन्धित विभागों के अधिकारी हैं, आज तक उनकी तैनाती नहीं हुई है, न कोई आफिस बने हैं, न कोई व्यवस्था हुई न कोई इस बजट में प्राविधान किया गया। पूरा चौपट पड़ा हुआ है। बेचारे कोठरिया-मोठरिया में बैठकर कमिश्नरीय स्तर के अधिकारी अपना काम चला रहे हैं तो मैं चाहूंगा कि बजट में व्यवस्था करायी जाय वहां पूर्ण रूप से मुख्यालय बनाने की तैयारी की जाय। यह हम लोग बड़े मन से सभी लोग प्रभारी मंत्री के पास बैठ कर जिला योजना बनाते हैं। जिला योजना जिस दिन बनती है, हम सब लोग समझते हैं कि हमको जिला योजना पर हमको धन आवंटित होगा। दो वर्ष से अधिक हम लोग जिला योजना भेज चुके हैं। 10 प्रतिशत पैसा भी नहीं मिला। क्या फायदा ऐसी योजना का ? हम आपका ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं कि जिला योजना जो जिलों में आयी है, सभी विभागों के लिए पर्याप्त मात्रा में धन की व्यवस्था करायी जाय जिससे वहां के विकास कार्य चलें और न रूकें। वैसे मैं यह जरूर कहूंगा कि सरकार ने हम सब विपक्षियों के सुझाव से, हमारे सुझाव से, या हमारे डर से, या हमारे भय से इस बार जो बजट बनाया है वह कुछ कहने लायक है कि हां, कुछ कोशिश की है। बहुत अच्छा तो नहीं कहूंगा, लेकिन कुछ कोशिश की है ठीक-ठाक करने की और जो बेकार की योजनायें थीं, वह सब खत्म कर दीं। यह बहुत अच्छा काम किया और भविष्य में भी हमें आशा है, इस बजट का तो मैं विरोध कर रहा हूं क्योंकि इसमें अभी बहुत कमी खामी है। आगे आने वाले बजट में आप निश्चित रूप से सुधार करेंगे और अच्छी योजनाओं पर, सड़क, बिजली ऐसी चीजों पर खर्च करेंगे, ऐसी मुझे आशा है। इन्हीं शब्दों में साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं और विपक्ष के अपने सभी साथियों का धन्यवाद करता हूं।

डा0 मो0 अयूब-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने बजट पर चर्चा के लिए हमें अवसर दिया। सबसे पहले मैं यह कहना चाहता हूं कि प्रदेश के बजट का महत्व इसलिए सबसे ज्यादा है कि इससे प्रदेश के विकास के साथ-साथ समाज के सबसे कमजोर वर्गों का जीवन स्तर भी बेहतर हो, यह बजट का उद्देश्य होना चाहिए और इसके लिए समाज की जनता इस सरकार से अपेक्षा करती है। इसके लिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि इस बजट में जिस तरीक से बजट का प्राविधान अनुसूचित जाति के लिए होता है, केन्द्र सरकार में ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है, कि समाज के अन्य पिछड़े वर्ग जो उसी तरीके से कमजोर, गरीब और लाचार हैं, उनके विकास के लिए प्रदेश सरकार ने समुचित व्यवस्था उनके आबादी के अनुरूप नहीं किया है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह अनुरोध है कि जिस तरीके से अनुसूचित जाति के लिए आबादी के हिसाब से बजट में व्यवस्था होती है और उनके विकास के लिए उनके क्षेत्रों में उसकी प्राथमिकता भी होती है, उसी तरीके से पिछड़े वर्ग के लोगों के जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए उनकी आबादी के हिसाब से ही उसमें व्यवस्था होनी चाहिए। इसी प्रकार समाज का अल्पसंख्यक वर्ग जो सच्चर कमेटी

और रंगनाथ मिश्रा कमीशन के हिसाब से समाज का सबसे कमजोर वर्ग है, सबसे उपेक्षित और सबसे अविकसित वर्ग है जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से दलित से भी निचले पायदान पर पहुंच गया है, उसके भी जीवन स्तर को उठाने के लिए सरकार का दायित्व है कि उसकी आबादी के हिसाब से उसके विकास के लिए बजट में व्यवस्था की जाए। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि अनुसूचित वर्ग एक बहुत बड़ा वर्ग है, इसमें बहुत सारी जातियों का समूह है और इस समूह में एक बहुत बड़ा समूह जो अति दलित वर्ग के नाम से जाना जाता है या महादलित के नाम से जाना जाता है, जिसका जीवन स्तर सबसे निम्न स्तर का है। हमारी जानकारी के हिसाब से इसकी आबादी 23 परसेंट में 12 परसेंट है, मगर विकास में इसकी हिस्सेदारी 1 से 2 परसेंट ही रह गयी है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं क्योंकि सबसे कमजोर वर्गों का विकास करने का दायित्व सरकार का है इसलिए भी अनुसूचित जाति का जो हिस्सा है, उसका लाभ अनुसूचित जाति के सभी वर्गों को मिले और विशषि तौर पर उन वर्गों को मिले, जिनके साथ इंसाफ नहीं हो पा रहा है, जिनको उनका हक नहीं मिल पा रहा है, इसलिए आपके माध्यम से मैं सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं, सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार अनुसूचित वर्ग में विकास का हिस्सा अनुसूचित वर्ग के अति दलित वर्गों को अलग किया जाये। उसी तरीके से पिछड़े वर्ग का जो विकास का हिस्सा है जो सबल पिछड़े वर्ग के लोग हैं, वह लोग अति पिछड़े वर्ग जिनका 29 परसेंट करीब-करीब हिस्सा है, उनको विकास की हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है और उनका जीवन स्तर सबसे निम्नस्तर पर है। चाहे सरकारी नौकरी हो, चाहे विकास में हो, चाहे शिक्षा में हो, उनकी हिस्सेदारी जो उनके लिए आरक्षित है, नहीं मिल पा रही है। मेरा आपसे अनुरोध है और मेरा आपके माध्यम से सरकार को सुझाव है कि इस अति पिछड़े वर्ग जिसको अभी तक हिस्सेदारी नहीं मिल पा रही है और यह सरकार संवेदनशील तभी मानी जायेगी कि जब इन अति पिछड़े वर्गों को जो समाज के सबसे कमजोर लोग हैं, उनकी हिस्सेदारी अन्य पिछड़ा वर्ग में अलग करें और उनको हिस्सेदारी दे। इस तरीके से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि अल्पसंख्यक वर्ग में एक बहुत बड़ा समूह है। जिसमें मुसलमान, ईसाई, बुधिस्ट, जैन, पारसी, सिख, बहुत सारे समाज और धर्म के मानने वाले लोग हैं। मगर इसमें जो सामाजिक और शैक्षिक दृष्टि से मुसलमान सबसे ज्यादा पिछड़ा है और सबसे ज्यादा विकास से दूर है। इसलिए आपके माध्यम से मैं यह कहना चाहता हूं कि इन वर्गों की आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यकों के विकास का जो हिस्सा है, उनकी आबादी के हिसाब से बांटा जाए और उनको दिया जाए ताकि विकसित वर्ग के लोग अविकसित वर्ग के लोगों का हिस्सा न लें। अधिष्ठाता महोदय, कृषि के बाद बुनकर और दस्तकार, ये सबसे बड़ी आबादी है जो इस देश के गरीब लोगों को स्वरोजगार और रोजगार का अवसर देती है या उसके सबसे ज्यादा मजदूर है। जो यहां पर 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था बुनकर और दस्तकारों के लिए की गयी है मैं समझता हूं कि इनकी आबादी और महत्व के हिसाब से बुनकरों और दस्तकारों के विकास के लिए और उनके स्वरोजगार के लिए बहुत कम है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से यह सुझाव है कि चूंकि यह समाज के कमजोर वर्ग हैं और इनकी आबादी कृषि के मजदूरों से स्वरोजगार से सबसे ज्यादा है इसलिए इनकी आबादी के हिसाब से बजट में और व्यवस्था होनी चाहिए। आपके माध्यम से मैं सरकार को यह सुझाव देना चाहता हूं कि इस प्रदेश में उर्दू बोलने, लिखने और बातचीत करने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है मगर सरकार के बजट में उर्दू के बढ़ावे और विकास के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। मैं आपके माध्यम से दो सुझाव देना चाहता हूं कि उर्दू के विकासके लिए समुचित व्यवस्था की जाये।

अधिष्ठाता महोदय जो सबसे बड़ी त्रासदी है कि मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो केंद्र का पैसा आता है। इसमें प्रदेश सरकार का कुछ नहीं लगना है। जो अविकसित अल्पसंख्यक बाहुल्य ब्लाक है। उनके लिए 10-10 करोड़ रुपये विकास के लिए आता है। सरकार इन पैसों को अल्पसंख्यकों के विकास के बजाये वह दूसरे प्रोग्राम में डायवर्ट करके लगा रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मल्टी सेक्टोरियल डेवलपमेंट प्रोग्राम का जो पैसा है उसको दिया जाये और आपके माध्यम से सरकार का ध्यान मैं आकर्षित करना चाहता हूं कि मल्टी सेक्टोरियल डेवपलमेंट प्रोग्राम का जो भी धन केंद्र सरकार से प्रदेश सरकार को आया है वर्ष 2012-13 का और 2013-14 का वह अल्पसंख्यक बाहुल्य इलाकों में नहीं लागू हो रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें। डा0 साहब आपकी बात पूरी हो गयी।

डा0 मो0 अयूब-

आपने हमें सुना इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। धन्यवाद।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0के0 वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता जी आपने मुझे सामान्य बजट चर्चा पर दो शब्द कहने का अवसर दिया इसके लिए शुक्रगुजार हूं। महोदय जी, बजट केवल हम लोगों के सदन में उपिस्थित सदस्यों की आकांक्षाओं का बजट नहीं होता। हमसे जुड़े हुए पूरे प्रदेश की जनता की उम्मीदों का यह बजट है और हम सभी को पांच वर्षों में या कभी-कभी पांच वर्ष के पहले भी चुनाव रुपी अग्निपरीक्षा से गुजरना पड़ता है उस अग्नि परीक्षा को उत्तीर्ण में बजट का योगदान होता है और पूर्व की भांति प्रदेश की जनता ने बजट से जो उम्मीदें लगायी थी निश्चित रुप से पूर प्रदेश की जनता कहीं न कहीं उस बजट से निराश हुयी है जब पिछला बजट इस सदन में प्रस्तुत हुआ था तो हम सभी लोग उस समय सदन से बाहर थे।

(इस समय 2 बजकर 12 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0के0 वर्मा-

सबकी प्रतिक्रियाएं अपने-अपने क्षेत्रों में अपने जनपदों में हुई थीं, बड़ी आशायें थीं, लेकिन जो सबसे बड़ी चीज समझ में आती है, बजट काफी अच्छा है, बजट का आकार देखते हुए हम सभी लोग उसकी सराहना करते हैं, लेकिन मात्र बजट के आकार से जनता की उम्मीदें पूरी नहीं होती। सब कुछ निर्भर करता है नीति से, नीति से ज्यादा जरुरी नीयति होती है, अगर नीयति सही है, अपनी इच्छाशक्ति मजबूत है, योजनाओं को क्रियान्वित करने वाले सभी अधिकारियों की इच्छाशक्ति मजबूत है, उन पर अच्छी लगाम है, उनको अपनी जिम्मेदारियों का एहसास है और उनकी जवाबदेही अगर तय है तो निश्चित रुप से ऐसे बजट से प्रदेश की पूरी जनता को लाभ मिलता है, लेकिन अगर यह सुनिश्चित नहीं है, सम्बन्धित अधिकारियों को अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं है और उनकी जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की गयी है, तो मैं नहीं समझता हूं कि परिणाम कुछ अलग वाले हैं। अभी पूर्व के सभी वरिष्ठ नेताओं ने बजट पर सारे आंकड़े सदन के समक्ष पेश करने का काम किया और केवल आंकड़ों के आधार पर संतोष नहीं किया जा सकता चूंकि उसका क्रियान्वयन होना चाहिए, हमारे यहां कहावत है कि जो जीता वही सिकन्दर है और बजट का सही क्रियान्वयन जमीन पर हो, ऐसी नियति हम सब सदन में बैठे हुए सदस्यों की होती है और उस नीयति के साथ इस बजट का क्रियान्वयन करने वाले

सारे मामले आये थे कि पूर्व के प्रस्तावित बजट के बहुत सारे हिस्से का धन योजनाओं के क्रियान्वित न होने की वजह से वापस गया था, इसमें कहीं न कहीं हम सबकी चूक होती है और इसका एहसास हम सबको करना चाहिए और सबसे जरुरी चीज है कि इसकी पुनरावृत्ति न हो कि योजनाएं जनता तक न पहुंच सके, निश्चित रूप से ऐसी योजनाओं पर, योजनाओं को संचालित करने सम्बन्धित सभी अधिकारियों पर हम सबकी नजर रहनी चाहिए और नहीं रहती है तो बजट चाहे जितना भी बड़ा हो, उससे प्रदेश की जनता का भला होने वाला नहीं है। रही बात क्षेत्रवाइज पूरे बजट का आंकलन कर लीजिए बहुत सारी विषमतायें इस बजट में है। विगत 15 वर्षों में चाहे जो भी सरकार रही होगी, आज नोयडा से लेकर लखनऊ तक विकास अधिक देखा जाता है, लेकिन सबसे बड़ी उपेक्षा पूर्वान्चल और बुन्देलखण्ड की रही है। पूर्वान्चल और बुन्देलखण्ड के सारे हिस्सों को देख लिया जाय, जितनी भी विधान सभायें हैं, जितने जनपद हैं वहां पर कितने औद्योगिक केन्द्र खुले हैं, कितने बड़े शिक्षा के केन्द्र है, कितने बड़े व्यवसायिक केन्द्र है, इससे उस क्षेत्र के विकास की गति का आंकलन हमें हो जायेगा। पूर्वांन्चल के विकास के लिए 291 करोड़ रुपये रखना निश्चितरुप से हम सबके लिए यह सुन कर के अच्छा नहीं लग रहा है, यह ''ऊंट के मुंह में जीरा'' के जैसा है, इसलिए मैं इसका विरोध करता हूं। हमें पूर्वांचल के विकास की निधि और बढ़ाने की जरुरत है। ऐसे-ऐसे क्षेत्र हैं, जिस विधान सभा क्षेत्र से मैं चुनकर के आता हूं, मैं मा0 अध्यक्ष जी को, मा0 सदन को यह बताना चाहूंगा।

हम लोग गांव में हैं, पक्के मकानों को देखा करते हैं कि गांव में कितने पक्के मकान हैं, उससे उस गांव की तरक्की दिखती है लेकिन मैं ऐसे गांवों को भी बताना चाहूंगा कि जहां किसी भी घर पर खपरैल तक नहीं है, पूरे-पूरे गांव में खपरैल नहीं है एक भी पक्का मकान नहीं है, केवल सरपत के छपर में जीवन व्यतीत रहा है। इसलिए आज सबसे ज्यादा जरुरी है कि हमारे पूर्वांचल पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाना चाहिये। किसानों के बारे में चर्चा खूब हुयी। बजट में किसानों का पर्याप्त हिस्सा है उनकी स्थिति को देखते हुये संतोषप्रद है लेकिन केवल गन्ना किसानों से किसानों की बात पूरी नहीं होती।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं एक मिनट का समय लूंगा। मैं समय सीमा में रहते हुये अपनी बात को खत्म करुंगा। मेरा प्रतापगढ़ जिला आंवला के नाम से जाना जाता है लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बजट में आंवला के किसानों की कोई चर्चा हुयी हो या उनके लिये कोई बात कही गयी हो। आलू की पैदावार भी प्रतापगढ़ से लेकर लखनऊ तक हर क्षेत्र में लगभग होती है। इलाहाबाद के क्षेत्र सोरांव तहसील और फर्रुखाबाद भी आलू का गढ़ माना जाता है लेकिन आलू के किसानों की भी चर्चा इस बजट में कोई खास नहीं की गयी है। यह संतोषप्रद नहीं है इसलिये मैं यह चाहूंगा कि आलू के किसानों के लिये, गेहूं और धान के किसानों की खुशहाली के लिये बजट में प्रावधान होना चाहिये और ऐसी योजनायें बनायी जानी चाहिये जिससे सभी किसानों को फायदा हो, उनके घरों में खुशहाली आये और पूर्वांचल की उपेक्षा को देखते हुये मैं इस बजट का विरोध करता हूं। बहुत-बहुत शुक्रिया।

श्री राधेश्याम सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने बजट पर समर्थन में बोलने का मौका दिया, आपके प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मा0 मुख्य मंत्री जी ने 2014-15 का जो बजट प्रस्तुत किया है उसका मैं पुरजोर

समर्थन करता हूं। यह बजट गांव, किसान, मजदूर, नौजवान और प्रदेश की 20 करोड़ जनता से जुड़ा हुआ बजट है। इस जनहित के बजट को अच्छा होता कि हमारे नेता विरोधी दल और हमारे सभी मा0 सदस्य इसका समर्थन करते और इस बजट में अपना सुझाव दे करके प्रदेश को विकास के रास्ते पर ले जाने की बात करते। देश की आजादी को लगभग 60 साल हो गया। इन 60-65 सालों के अन्दर पूरे बजट का 75 प्रतिशत धन ग्रामीण क्षेत्रों में, गांव में खर्च करने के लिये कभी किसी सरकार ने प्रावधान नहीं किया था। हमारे विपक्ष के जो मा0 नेता लोग हैं इनको भी इधर बैठने का मौका मिला लेकिन पूरे बजट का 75 प्रतिशत धन गांव के विकास में खर्च हो। यह पहली बार समाजवादी पार्टी की सरकार ने किया है और गांव के विकास के बगैर देश का विकास सम्भव नहीं है। गांव के विकास की बात अगर समाजवादी पार्टी ने की है तो कानून-व्यवस्था के सवाल पर, तमाम बातों के सवाल पर इस विकास के काम से जनता का ध्यान दूसरी तरफ बांटने का काम हमारे विपक्षी नेताओं ने किया है। हम आपसे कहना चाहते हैं कि 2 साल पहले सत्ता में आने से पहले समाजवादी पार्टी की सरकार ने जो भी वादे जनता के बीच किये थे। एक-एक वादा दो साल के अन्दर, सभी वादों को सरकार ने पूरा किया। चाहे गांव में सड़क हो, पिछले साल की सरकार में जो सड़कें टूट गयी थीं, जो सड़कें गड्ढे में तब्दील हो गयी थी, उन सड़कों का निर्माण और उसकी मरम्मत 2 साल के अन्दर हुयी।

गन्ना किसानों की बात अभी हमारे साथियों ने कही है। गन्ना किसानों की खुशहाली को वास्तविक रुप से हमारे लोकदल के साथी ने कल उठाया था। मैं चाहता हूं और आपके माध्यम से मा0 अध्यक्ष जी, सदन के माध्यम से मांग करता हूं कि जो विदेशों से चीनी भारत में मंगायी जा रही है, जिसमें 15 परसेन्ट से बढ़ा करके 40 परसेन्ट टैक्स कर दिया गया। हमारी मांग है कि हमारे प्रदेश और देश की चीनी मिलों में इतनी चीनी पैदा होती है कि हमारे प्रदेश और देश के लोगों का उससे उपयोग हो सकता है, जो विदेशों को चीनी मंगवायी जा रही है। उस पर पूर्ण रुप से प्रतिबन्ध लगाया जाये। हमारे भाजपा के भी लोगों ने, बसपा के भी लोगों ने कई मा0 सदस्यों ने नेताओं ने किसानों की बात की। इनको जब अवसर मिलता है, सरकार में रहने के लिए, बसपा को अवसर मिला तो पूर्वांचल और प्रदेश की अन्य चीनी मिलों को बेचने का काम किया। जब भाजपा को अवसर मिला, पहली बार वर्ष 1996 में तत्कालीन मुख्य मंत्री श्री कल्याण सिंह, जब इस सदन के नेता के रुप में बैठे पहली बार तभी सरकारी चीनी मिलों के बंद होने का सिलसिला शुरु हुआ और तभी से बहुजन समाज पार्टी की सरकार में लगातार चीनी मिलों को बंद करने का काम किया गया। समाजवादी पार्टी की सरकार जब वर्ष 2003 में बनी थी, तो यह पहली सरकार थी, जिस सरकार ने अपने 3 साल के कार्यकाल में 28 नई चीनी मिल उत्तर प्रदेश में लगाने का काम किया, तो इतिहास में किसी भी सरकार ने सत्ता में रहकर 28 नई चीनी मिल लगाने का काम नहीं किया। समाजवादी पार्टी चीनी मिल बंद नहीं करती है। आज हम कहना चाहते हैं कि बाजारों में अगर चीनी का दाम नहीं बढ़ेगा, विदेशों से चीनी कम पैसे से मंगायी जायेगी तो गन्ना किसानों को लाभकारी मूल्य कैसे मिलेगा। हमने मांग की है आपके माध्यम से जो विदेश से चीनी आ रही है उस पर प्रतिबन्ध लगाया जाये और जो हमारी सरकार ने समाजवादी पेंशन योजना शुरु की है। इसमें कहीं भी जाति, धर्म, कहीं कोई भी बंधन नहीं है, जो गरीब लोग हैं, जो पात्र लोग हैं, उन्हें 500 रुपये समाजवादी पेंशन का लाभ मिलेगा। जहां तक अभी हमारे डाक्टर साहब भी पूर्वांचल की बात कर रहे थे। पूर्वांचल में आज जो भी बड़े काम हुये हैं, वह समाजवादी पार्टी की सरकार में ही हुये हैं। यह कहने में संकोच नहीं कि पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना 1989 में नेता जी ने की और जब-जब नेता जी की सरकार आती है, तो पूर्वांचल के लिए काम होता है।

कुशीनगर जिले को जिला समाजवादी पार्टी ने बनाया और आज बधाई देना चाहता हूं कि प्रदेश के मुख्य मंत्री जी ने, हम लोगों के जिले में दो नई तहसील दी। ये भी एक इतिहास है। हमारे जिले से नेता विधायक हैं पडरौना से, मंत्री भी रहने का अवसर मिला लेकिन गन्ना किसानों की बात करेंगे और नेता प्रतिपक्ष के ही जिले में कठकुइया की चीनी मिल बंद है, पडरौना की चीनी मिल बंद है। बसपा की सरकार में ताकतवर मंत्री थे, ये अपनी चीनी मिल को नहीं चला सके। मैंने 19 तारीख को टेलीविजन को देखा, नेता प्रतिपक्ष बहुत सीनियर हैं। कुछ शब्द पढ़ रहे थे हमारे नेता सदन का नाम लेते हुए कि तेरे जमाने में गुन्डे चले गये थाने में मौर्या जी याद करिए 8 दिसम्बर, 2008 को आप पडरौना से जीते और पडरौना की जनता ने आपको विधायक बनाया और आप मंत्री बने, ताकतवर मंत्री बने। आपके ही मंत्री रहते हुए रामकोला थाने के अंदर 7 बजे शाम को विजय बहादुर यादव सिपाही की हत्या हुई।

मान्यवर, थाने के अंदर गोली मारकर के हत्या हुई हम लोग धरना प्रदर्शन करते रह गये मुकदमा तक दर्ज नहीं हुआ और जांच भी नहीं हुई। सीओ ने अपनी पिस्टल से उनको मारा था और वह भी शराब की नशे में मारा था रामकोला थाने के अंदर विजय बहादुर यादव को। यह 8 दिसम्बर, 2008 की घटना है उस समय आप उस जिले के मंत्री थे। आप कानून-व्यवस्था की बात करते हैं। आपके ही कार्यकाल में पट्टी थाने के सामने धरीबर यादव की हत्या हो गयी। हम लोग उसके लिए लगातार वहां पर धरना प्रदर्शन करते रहे उसमें किसी तरह से मुकदमा दर्ज हुआ लेकिन मुजरिम गिरफ्तार नहीं हुए। वह लोग अदालत में हाजिर हुए। मान्यवर, मैं इस बजट के बारे में कहना चाहता हूं कि यह सरकार अगर गांवों की विकास की बात कहती है तो आपको उसका समर्थन करना चाहिए। हमारी सरकार ने बिजली के क्षेत्र में विकास के लिए ऐतिहासिक काम करने का निर्णय लिया है। मान्यवर, हमारी सरकार आम जनता के उत्थान की बात करती है उसके विकास की बात करती है। नहरों और नदियों के आसपास के क्षेत्रों के विकास की बात करती है। बड़े-बड़े नालों पर पुलों के निर्माण की बात करती है और इसके लिये इस बजट में बड़े-बड़े प्रावधान भी किये गये हैं। मान्यवर, यह प्रदेश 20 करोड़ की जनता का प्रदेश है। यह बजट उनके उत्थान, कल्याण और विकास का बजट है। जो आंकड़ें आप लोगों ने प्रस्तुत किये हैं उनके अनुसार अगर हमारी सरकार ने इस बजट को प्रस्तुत किया है तो आप लोगों को इसका समर्थन करना चाहिए। मान्यवर, जब मैं इस सदन में आता हूं तो मुझे गौरव महसूस होता है कि हमारे नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी प्रतिदिन यहां पर आते हैं और हम लोगों की बातों को सुनते हैं और निर्णय लेते हैं। आपकी बसपा सरकार के समय में आपकी मा0 मुख्य मंत्री जी जो बसपा की नेता हैं कभी हाउस में पूरे समय नहीं आती थी और नेता प्रतिपक्ष आजम साहब की बातों को पूरा समय देकर सुनने का काम नहीं करती थी। मान्यवर, आप पिछले दो सालों में देखें कि कितना लम्बा-लम्बा सत्र चला है बजट सत्र कितने अधिक दिनों चला है। माननीय मुख्य मंत्री जी आप लोगों के एक-एक सवाल को सुनकर उसका जवाब देने का काम करते हैं। यह हम सब के लिए सौभाग्य की बात है। मान्यवर, जो हमारे माननीय सदस्यगण गांवों से चुनकर आते हैं और माननीय अध्यक्ष महोदय की अनुमति से जब यहां पर जनता की बात रखते हैं तो वह उनकी बात सरकार तक, जनता तक पहुंचती है। मान्यवर, हमारी सरकार ने जो यह बजट प्रस्तुत किया है यह पूरी तरह से जनहित में प्रस्तुत किया है। हम इसका पूरा समर्थन करते हैं। मान्यवर, पूर्वांचल के विकास के लिए इसमें प्रावधान किया गया है। डाक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी यहां पर बैठे हुए हैं। हमारे यहां मस्तिष्क ज्वर की बीमारी पर बहुत राजनीति होती है। जब हमारी सरकार

2003 में बनी थी तो उस समय सरकार ने मस्तिष्क ज्वर बीमारी से पीड़ित होने पर विकलांग होने पर 50 हजार रुपये का अनुदान मिलता था और जिनकी मृत्यु हो जाती थी उनके परिजनों को सरकार की ओर से 25 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती थी। आपकी जब बसपा की सरकार आयी तो उसने इस आर्थिक सहायता योजना को बंद कर दिया था। मान्यवर, वर्ष 2012 से जब से हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार सत्ता में आयी है हमारी सरकार ने मस्तिष्क ज्वर से पीड़ित होने पर मृत्यु होने की दशा में 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता और विकलांग होने पर एक लाख रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान करने की योजना बनायी है। मान्यवर, यह बीमारी पूर्वांचल के तीन चार जिलों में सर्वाधिक है वहां के गरीब लोगों के लिए यह आर्थिक सहायता बहुत सहायक होती है। इसी तरह से हमारी सरकार ने गोरखपुर में 500 बेड के अस्पताल के निर्माण के लिए 68 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया है। इसी के साथ गोरखपुर स्थित मेडिकल कालेज के उच्चीकरण हेतु और उसके विकास के लिए इस बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। मान्यवर, हमारी सरकार गोरखपुर में तकनीकी शिक्षा को बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित है। हमारे यहां जो मदन मोहन मालवीय तकनीकी महाविद्यालय था उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा देने की योजना है। इसके बारे में न तो आपकी बसपा की सरकार ने सोचा। हमारी सरकार चाहती है कि वहां पर तकनीकी शिक्षा का विकास हो और तकनीकी विश्वविद्यालय की स्थापना होनी चाहिए। मान्यवर, माननीय अध्यक्ष जी आपके यहां सिद्धार्थनगर जनपद में हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार ने एक विश्वविद्यालय की स्थापना का निर्णय लिया है और इसलिए इसमें बजट का प्रावधान किया गया है। यह सब प्रावधान हमारे माननीय नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट में किये हैं।

इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश का विकास जहां इस बजट में समाहित है जहां 20 करोड़ लोगों का विकास इसमें समाहित है ऐसे बजट का स्वागत करना चाहिए। इसका विरोध करने वाले लोग, साथियों हम आपसे कहेंगे कि अगर कोई बड़ा नेता हो और हमारे नेता को कहता हो कि अखिलेश तेरे जमाने में गुण्डे चले गये थाने में तो अगर हम कहें कि मायावती तेरे जमाने में गोली मारे गये थाने में, पुलिस वाले गोली मारे गये थाने में तो आपको कैसा लगेगा। कभी आप यहां बैठते हैं कभी हम यहां बैठते हैं। हम सभी को मिलजुल करके एक ऐसा सुझाव देना चाहिए कि उत्तर प्रदेश उत्तम प्रदेश के रास्ते पर जाय और हमारी सरकार का यह जो बजट जो हमारे मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया है 2014-15 का बजट, निश्चित रूप से यह गांव का बजट है गरीब का बजट है और जाति और धर्म से ऊपर उठ करके सभी लोगों का बजट है। इसलिए हम इस बजट का समर्थन करते हैं और सभी माननीय जो हमारे विपक्ष के सदस्य हैं उनसे आग्रह भी करते हैं कि यह जो जनता के हित में बजट है चाहे बिजली के क्षेत्र में, चाहे सड़क के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो आप सभी लोग इस बजट का समर्थन करेंगे और एक बार पुनः इस बजट का समर्थन करते हुए अध्यक्ष जी आपको धन्यवाद देते हैं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विरोधी दल, अबकी आपके त्रिभुवन राम जी को बोलना था लेकिन डा0 साहब जल्दी में हैं कहीं जाना चाहते हैं वह पहले बोल लें तब जांय।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, हमारे नेता उप नेता चले गये इसलिए मुझे बैठना है।

श्री अध्यक्ष-

तब ठीक है।

श्री त्रिभुवन राम-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आज इस बजट पर चर्चा में भाग लेने के लिए आपने हमें जो अवसर प्रदान किया है उसके लिए मैं आभारी हूं। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी ने 20 जून को दो लाख चौहत्तर हजार सात सौ चार दशमलव उनसठ करोड़ रुपये का बजट माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट भाषण में यह उल्लेख किया है कि यह बजट केवल एक दस्तावेज या आमदनी और खर्चे का लेखा-जोखा नहीं बल्कि सामाजिक और आर्थिक विकास और परिवर्तन का एक सशक्त माध्यम है। हमारा यह बजट एक साधारण बजट न होकर नई आशा और प्रतिबद्धता का बजट है और इस बजट में समाज के हर वर्ग के लिये आशा और प्रतिबद्धता का संदेश भी है। मान्यवर, यह वास्तविकता है कि इतना बड़ा बजट अभी तक कभी नहीं प्रस्तुत किया गया है और इस बजट पर चर्चा के लिए सदन के दोनों पक्ष चाहे सत्तापक्ष हो चाहे सदन का विपक्ष हो सभी लोगों की चिन्ताएं एक ही हैं कि इस प्रदेश, इस देश का सामाजिक और आर्थिक विकास हो सके, सभी की चिन्ताएं एक हैं इस प्रदेश को आगे ले जाने के लिए है। मान्यवर, कल हमारे विपक्ष के नेता सदन में इस बजट पर चर्चा कर रहे थे और उन्होंने बड़े विस्तार से बजट के विषय में अपनी प्रतिक्रिया और अपनी बातें रखी थी और उनके उस चर्चा के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों में नोकझोक भी होता रहा और यहां तक कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी मुस्कराते हुए अपनी कुछ आकांक्षाएं उस समय प्रदर्शित कर रहे थे। मान्यवर, मैं यह मानता हूं कि प्रदेश में जो बिजली की समस्याएं हैं उसके विषय में लगभग सभी जो हमारे विपक्ष के नेता है और सभी लोग इस पर काफी वार्ता कर चुके हैं, चर्चा कर चुके हैं। मैं यह मानता हूं कि मान्यवर, बिजली की समस्या एक दिन की समस्या नहीं है। कोई सरकार कभी ऐसा नहीं चाहती कि उसके प्रदेश में जनता सड़क पर आवे और बिजली के लिये परेशानियों का सामना करना पड़े। इस प्रदेश का विभाजन नवम्बर, 2000 में हुआ था। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जितनी थी, अधिकांश उत्तराखंड में चली गयी और उत्तर प्रदेश को मात्र थर्मल पावर पर आश्रित रहना पड़ा है। थर्मल पावर की कैपेसिटी और जो पूरे उत्तर प्रदेश में विद्युत का जो उत्पादन है उसकी क्षमता लगभग 5 हजार मेगावाट है जबकि पीक आवर्स और जो हमारी वर्तमान आवश्यकता है, वह लगभग 12 हजार मेगावाट की है। मान्यवर, बिजली की आपूर्ति होती है, जो उत्पादन है अपने प्रदेश का उससे तथा नेशनल ग्रिड और उसके साथ-साथ एन0टी0पी0सी0 नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन से प्राप्त कर रोस्टरिंग के माध्यम से शहरी क्षेत्रों में अधिक और ग्रामीण क्षेत्रों में कम एक रोस्टर जो सरकार ने बनाया है, उसके माध्यम से आपूर्ति करने की बात चल रही है और जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें दिक्कतें ज्यादा दिखाई पड़ती हैं उसका जो मुख्य कारण है वह यह है कि जितनी विद्युत की आपूर्ति हो रही है, करीब-करीब हर गांव में जो कटिया लगाकर या जो अधिकृत रूप से बिजली की खपत की जाती है उसके कारण लोड बढ़ जा रहा है जिससे ट्रांसफारमर फुंक जाते हैं। ट्रांसफारमर के फुंकने के बाद यह नियम है कि 72 घन्टे में ट्रांसफारमर बदल दिये जायें लेकिन यह बदल नहीं पाते हैं और उसमें जब हम लोग भी कहते हैं तो फिर वहां से यह बात कही जाती है कि एक चिट्ठी विधायक जी लिख दें और फिर ट्रांसफारमर बदल जायेगा और जब विधायक जी की चिट्ठी लिख जाती है तो फिर उस पर यह कहा जाता है कि इसमें विधायक निधि से पैसा दिया जाये। मान्यवर, यह एक प्रवृत्ति बन गयी है और मेरे क्षेत्र में मेरा तो लगभग आधा पैसा

विधायक निधि का इसी ट्रांसफारमर बदलवाने में चला जाता है और जो विधायक निधि का थोड़ा पैसा बचता है वह हैन्डपप्प में चला जाता है। तो मैं एक बात सुझाव के रूप में यहां कहना चाहता था कि जहां पर विद्युतीकरण हुआ है और अनाधिकृत रूप से कटिया लगाकर उसका लोग इस्तेमाल कर रहे हैं, उसका सर्वेक्षण कराकर कुछ उस पर धनराशि फिक्स कर दी जाय जिससे हमारे बजट पर असर नहीं पड़ेगा, कुछ धनराशि प्राप्त हो जायेगी और दूसरे उन लोगों को भी यह पता लग जायेगा कि

(इस समय 2 बजकर 36 मिनट पर अधिष्ठाता श्री सुरेश कुमार खन्ना पीठासीन हुए)

और भी पैसा देना है। तीसरी बात मान्यवर, यह है कि एक असेसमेन्ट होना चाहिये कि वास्तव में किसी गांव में कितनी बिजली की आवश्यकता है उसके हिसाब से यदि ट्रांसफारमर की लोड कैपेसिटी बढ़ानी है तो वह बढ़ाई जाये। जिससे बिजली होने के बावजूद भी गांव में जो आज बिजली नहीं मिल पा रही है उस समस्या का निदान हो सके। ग्रामीण विद्युतीकरण में अभी जो बजट माननीय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है उसमें यह बताया गया है कि एक लाख चौंतीस हजार मजरों में विद्युतीकरण के लिये 7282 करोड़ रुपये की योजनायें पहले से स्वीकृत हो चुकी है और इन पर कार्य प्रगति पर है। मान्यवर, मैं केवल यह सुझाव देना चाहूंगा कि ग्रामीण विद्युतीकरण में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना कीतरह से अवरोही कम में जो मजरे पड़ते हैं, उनमें विद्युतीकरण के लिये एक नीति बना ली जाय तो यह आरबीट्रेरीनेस जो बिजनेस प्लान के अन्तर्गत मनमाने ढंग से विद्युतीकरण के लिये स्वीकृतियां जारी की जाती है, वह समाप्त हो जायेंगी। मान्यवर, दूसरी बात प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना पर कहना चाहूंगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसम्बर, 2000 से पूरे देश में लागू हुयी है और इस योजना का लाभ बहुत ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र को मिला है और इस योजना के आधार पर ही इस प्रदेश में एक लाख सत्तर हजार चार मजरों में एक हजार से ऊपर आबादी के सारे मजरे जुड़ चुके हैं। 500 से 999 आबादी के मान्यवर, केवल 9 असाध्य मजरों को छोड़कर बाकी जुड़ चुके हैं।

...अब केवल 250 से 499 के मजरे जो 21 हजार 718 बाकी हैं, उनको जोड़ने के लिए प्रदेश सरकार को अपनी योजनाओं के अन्तर्गत लेने की आवश्यकता है और इसके लिए 2593 करोड़ रुपए का बजट इस साल रखा गया है। मान्यवर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में पहले तो एस0आर0आर0डी0ए0 के माध्यम से पैसा आता था लेकिन पिछले साल से यह प्रदेश के बजट के माध्यम से पैसा जाने लगा है और उसमें इसके स्वरूप को भी भारत सरकार ने बदल दिया है। पहले कनेक्टिविटी के लिए पैसा आता था और जब प्रदेश में 500 से ऊपर की आबादी के जब सारे मजरे जुड़ गये तो अब केवल अपग्रेडेशन के लिए पैसा आता है। जो सड़कें हमारी बनी हुई है और पांच किलोमीटर से बड़ी सड़कें हैं उनके सुधार के लिये पैसा भारत सरकार से मिलता है और भारत सरकार ने भी इसमें दो योजनाएं कर दी है एक प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जिसके अन्तर्गत शतप्रतिशत पैसा भारत सरकार से मिलता है और इस साल 1846 करोड़ रुपए की धनराशि भारत सरकार से मिलने की उम्मीद है। दूसरी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना फेज-2 है जिसमें 75 प्रतिशत धनराशि भारत सरकार से मिलेगी और 25 प्रतिशत की धनराशि प्रदेश सरकार को वहन करनी पड़ेगी। इसके लिए इस साल में 717 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है। मान्यवर, इसमें जो सबसे बड़ी समस्या आती है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में वह यह है कि यह योजना ग्रामीण विकास विभाग के अन्तर्गत है और इसका संचालन इसकी जो कार्यदायी संस्थाएं हैं वह लोक निर्माण विभाग और ग्रामीण समय अभियंत्रण विभाग है। इनमें जो सामंजस्य होना चाहिए वह नहीं हो पाता है प्रोजेक्ट समय से नहीं जाता और यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट समय से नहीं जाता है इसलिए इस योजना का जितना फायदा इस प्रदेश को

पहुंचना चाहिए वह नहीं पहुंच पा रहा है। चूंकि इसमें तीन विभाग सम्मिलित हैं तो मेरा निवेदन है कि कम से कम इसमें एक मंत्री समूह गठित कर दिया जाए ताकि इस योजना की समीक्षा नियमित रूप से होती रहे और इससे अधिक फायदा जनता को मिल जाये। मान्यवर, मनरेगा एक भारत सरकार की योजना है और मनरेगा के अन्तर्गत मान्यवर, 1980-81 से खाद्यान्न योजना के रूप में एक योजना भारत सरकार ने चलाई थी, बाद में आर0एल0जी0पी0 हुई अब महात्मा गांधी ग्रामीण आर्थिक विकास के लिए योजना चलाई गई है और यह योजना मान्यवर, गांवों में जो कमजोर वर्ग है उसके जीविकोपार्जन का एक साधन बनकर रह गई है। यह वास्तविकता है कि इस समय इस योजना से जो गरीब लोग हैं वह लाभान्वित होते हैं और इसमें यह भी शर्त है कि साल भर में एक परिवार को 100 दिन का रोजगार मिलना चाहिए लेकिन मान्यवर, इसमें केवल पिछले साल 37 दिन ही रोजगार मिल पाया।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री त्रिभुवन राम-

मान्यवर, मेरी बात अभी पूरी नहीं हो पाई लेकिन आपने समाप्त करने का आदेश दिया है तो मैं समाप्त कर रहा हूं आपने मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अवधेश कुमार सिंह उर्फ मंजू सिंह-

मान्यवर, बहुत-बहुत धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय आपने मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये वर्ष 2014-15 के बजट पर चर्चा करने का मुझे अवसर दिया। वर्ष 2014-15 का जो बजट है वास्तव में यह बजट गांव, गरीब, किसान, अवस्थापना सुविधाओं के प्रति समर्पित है। इस बजट का आकार पिछले वर्ष के बजट से लगभग 24 प्रतिशत अधिक है इसी से इसका आंकलन किया जा सकता है कि इस बजट का आकार क्या है और इस आकार में इस प्रदेश के विकास की सम्भावनाएं छिपी हुई हैं। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में बिजली की समस्या इस सरकार को विरासत में मिली है सरकार बने हुए दो साल हुए दो साल में बिजली पर निरन्तर सरकार काम कर रही है और अधिक से अधिक चाहे वह विद्युत सप्लाई की बात हो या विद्युतीकरण की बात हो या ट्रांसमिशन की बात हो, सब पर निरन्तर काम करने का प्रयास हो रहा है और इस बजट में 23,928 करोड़ रुपये की व्यवस्था करके माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह दर्शाने और बताने का काम किया है और जो उन्होंने वायदा किया है कि आने वाले दिनों में गांवों में 16 से 18 घण्टे और शहरों में 22 घण्टे से 24 घण्टे बिजली आपूर्ति का काम होगा, वह इतना बड़ा खर्चा इस बात का विश्वास दिलाता है कि यह लक्ष्य माननीय मुख्य मंत्री जी हासिल करेंगे और इसके लिए वह बधाई के पात्र हैं। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण गांवों के अन्दर रहने वाले गरीब चाहे जिस जाति, धर्म, मजहब के हों समाजवादी पेंशन योजना के माध्यम से उन 40 लाख गरीब परिवारों को 500 रुपया प्रतिमाह पेंशन देने की घोषणा जो इस बजट में की गयी है उसकी भी जितनी सराहना की जाए वह कम है। सबसे बड़ी चीज वर्ष 2013-2014 के बजट से 2014-2015 के बजट की तुलना करते हैं केवल अवस्थापना सुविधाओं पर, तो 82 प्रतिशत धनराशि की ज्यादा व्यवस्था पिछले बजट से की गयी है उससे यह साबित होता है कि आने वाले दिनों में उत्तर प्रदेश के अंदर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के काम बहुत तेजी से होंगे जैसे सड़कें हैं, पुल हैं, अस्पताल हैं या तमाम ऐसे

जो विकास के और मानक हैं उनको पूरा करने का काम होगा। निवेश के क्षेत्र में अभी जो निवेशक सम्मेलन दिल्ली में आयोजित किया गया 23 कम्पनियों के एम0ओ0यू0 साइन हुए उसमें लगभग 60 हजार करोड़ रुपये के लगभग एम0ओ0यू0 साइन हुए हैं और जो एम0ओ0यू0 हुये हैं उसमें यह विश्वास है कि कोई ऐसी कम्पनी नहीं है जिनका निवेश उत्तर प्रदेश में नहीं होगा वह लगभग सभी निवेश के रास्ते पर हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में 34 प्रतिशत अधिक धनराशि की व्यवस्था करके इस क्षेत्र में भी अच्छा काम करने का प्रयास इस बजट में किया गया है। अनुसूचित जाति, अनुसूजित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, विकलांग, अल्पसंख्यक, सामान्य जाति के गरीबों के लिए इस बजट में पिछले वर्ष की तुलना में 26 फीसदी अधिक धनराशि की व्यवस्था की गयी है। अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए भी 40 करोड़ रुपये की व्यवस्था इस बजट में की गयी है जिसके लिए मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं। एक सुझाव मैं देना चाहता हूं कि हम लोग पूर्वान्चल से आते हैं, पूर्वान्चल विकास निधि की स्थापना मा0 नेता जी ने की थी। हर बजट में उसमें कुछ धनराशि का प्राविधान होता है, इस वर्ष भी 291 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है लेकिन मेरी यह व्यक्तिगत राय और सुझाव है कि इस पूर्वान्चल विकास निधि में धनराशि बढ़ाने की आवश्यकता है। कानून-व्यवस्था पर भी इस वर्ष बहुत बड़ा बजट, 12 हजार 400 करोड़ रुपये खर्च करने का काम सरकार करने जा रही है जिसमें पुलिस के सिस्टम को ठीक करने, उनको साधन उपलब्ध कराने या और जो उनकी आवश्यकतायें हैं उसको पूरा करने का काम होगा जिससे प्रदेश की कानून-व्यवस्था और मजबूत व सुदृढ़ हो सके, यह बजट में व्यवस्था की गयी है। अधिष्ठाता महोदय, निषाद समाज के मछुआ समुदाय के लोगों के लिए आवास उपलब्ध कराने के लिए लोहिया आवास की भांति धनराशि उपलब्ध कराने के लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं तथा उन्हें भी किसान दुर्घटना बीमा की भांति उनको भी दुर्घटना योजना में शामिल करके दुर्घटना बीमा योजना में सम्मिलित करने के लिए मैं बधाई देता हूं। सड़कों और पुलों के निर्माण पर जितने बड़े बजट की व्यवस्था की गई है उसकी भी मैं प्रशंसा और सराहना करता हूं और यहां पर रखे गए भाई राधेश्याम सिंह द्वारा व अन्य साथियों द्वारा रखे गए विचारों से अपने को सम्बद्ध करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गए बजट प्रस्ताव के समर्थन की घोषणा करता हूं उसके साथ-साथ कुछ अपने विधान सभा क्षेत्र और जिले की भी बात कहना चाहता हूं। हम गोण्डा के रहने वाले हैं सभी जिला मुख्यालयों को फोर लेन से जोड़ने की योजना इस बजट प्रस्ताव में कही गयी है गोण्डा और बलरामपुर को भी फोर लेन से जोड़ लें इसे योजना में शामिल किया जाय यह मेरा सुझाव है देवीपाटन मण्डल मुख्यालय में कोई भी मेडिकल कालेज की सुविधा नहीं है देवीपाटन मण्डल मुख्यालय गोण्डा है वहां पर मेडिकल कालेज की स्थापना की जाय यह हमारे सुझाव है हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत घाघरा और सरयू नदी पर ढेमवा घाट और कैथी घाट दो बड़े घाट है जिन पर लोग नाव से आवागमन करते हैं उन दो घाटों पर ढेमवा घाट पर पक्का पुल और कैथी घाट पर पीपे का पुल बनाने का काम हो यह हमारी मांग है हमारे यहां पी0डी0 बांध है जो बाढ़ से बचाव का काम करता था उसके साइड में एक बांध और बन जाने के नाते पी0डी0 बांध को पक्का कर दिया जाय तो आवागमन का एक बहुत बड़ा रास्ता खुल सकता है इसी प्रकार ऐली परसौली से लोलपुर तक एक नए बांध की आवश्यकता है उस नए बांध को बनाने का काम हो बेलसर गांव को टाऊन एरिसा घोषित करने का काम किया जाय यह सब हमारे सुझाव है इन्हीं सुझावों के साथ मैं अपनी चर्चा को समाप्त करते हुए इस बजट प्रस्ताव का समर्थन करता हूं। धन्यवाद।

श्री मनीष असीजा-

धन्यवाद अधिष्ठाता महोदय आपने मुझे बजट पर चर्चा का अवसर दिया। महोदय मैं फिरोजाबाद विधान सभा क्षेत्र से आता हूं जो भारत ही नहीं पूरे विश्व में कांच चूड़ी उद्योग के नाम से मशहूर है। महोदय इतने बड़े आकार के बजट में मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि इतना महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर जो बहुत बड़ी मात्रा में विदेशी मुद्रा का अर्जन भी करता है और ऐसे अनेक टैक्स राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को उपलब्ध कराता है जो राजकोषीय खजाने की वृद्धि करते हैं। किन्तु फिरोजाबाद नगर के लिए कोई योजना शामिल नहीं की गयी है। मैं आपके माध्यम से यह ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि एक बहुत बड़ी समस्या हमारे फिरोजाबाद में पीने के पानी की है इस समस्या के कारण आए दिन कानून व्यवस्था भंग होती है अनेक बार ऐसी स्थितियां पड़ी है कि पुलिस के हस्तक्षेप हुए हैं।

मैं पटल पर इस प्रकार की घटनाओं की जो पुलिस थानों में रिपोर्ट दर्ज है, उसके कागज भी आपको उपलब्ध करा सकता हूं और यह संकट का समाधान जब तक एक बड़ी योजना का निर्माण नहीं होगा तब तक पूरी नहीं होने वाली है उसकी वजह यह है कि फिरोजाबाद में 400 फुट से नीचे आर्सेनिकयुक्त और हाई क्लोराइज्ड वाला पानी है जिससे कि स्वास्थ्य को गम्भीर खतरा होता है। पूरे शहर में घटते जल स्तर के कारण से लोग-बाग त्राहिमाम कर रहे तथा पानी खरीदकर पीने को मजबूर हैं। इस क्रम में जल निगम के द्वारा झेड़ाजाल लोवर गंगा कैनाल योजना में पानी को लाकर फिरोजाबाद में सप्लाई करने की एक योजना, उसकी प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाई गई है। 498 करोड़ की इस प्री फिजिबिलिटी रिपोर्ट को बने हुए आज डेढ़ वर्ष से ऊपर हो गया। इस परियोजना का न कोई डी0पी0आर0 बना है, न सिंचाई विभाग और जल निगम के बीच में पानी की उपलब्धता का करार हुआ है न बजट रिलीज हुआ है मैं चाहता हूं कि शीघ्रातिशीघ्र सरकार इस ओर ध्यान दे और स्टेट फंड से बजट जारी करके इस योजना को लागू कराने का काम करे। नगर पालिका की आबादी भी 2011 की जनगणना के अनुसार 6 लाख से ऊपर चली गई है। मैं यह मांग भी करता हूं कि फिरोजाबाद नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा दिया जाय। इसी के साथ मैं यह भी कहना चाहता हूं कि फिरोजाबाद में पहले से स्थापित जो पानी की टंकियां है और जो गिरते जलस्तर के कारण से ठीक से भर नहीं पा रही है उसमें सी0डब्लू0आर0 बनाने की मांग करता हूं। जिसमें प्रमुख रूप से विष्णु का नगला, गणेश नगर, लालपुर, नगलापचिया, दीदामई, ग्रीन पास्ट्रेट और मंडी समिति स्थित टंकियों पर सी0डब्लू0आर0 बनाया जाय। महोदय, इसके साथ-साथ हमारे नगर फिरोजाबाद में औद्योगिक गतिविधियां अत्यन्त सघन चलती है इस कारण से जो एन0एच0-2 का जो मार्ग है, इस पर आये दिन बहुत-बहुत दुर्घटनाएं होती हैं। कोई दिन ऐसा नहीं जाता है जिस दिन 2/3 या 4 लोगों को अकाल मृत्यु का सामना न करना पड़ता हो। वस्तुतः यह राष्ट्रीय राजमार्ग जो राजा के ताल से मक्खनपुर के बीच का है, वह एक तरह से खूनी राजमार्ग के रूप में बदल गया है क्योंकि दोनों तरफ इस राजमार्ग के घनी आबादी है, स्कूल है, अस्पताल हैं, कारखाने हैं और इन्हीं के आस-पास संचालित सारी गतिविधियां होती है और दिल्ली से कानपुर जाने वाले जो भारी वाहन हैं वह तेज गति से आते हैं और आये दिन एक्सीडेंट होते हैं। तो मैं यह मांग करता हूं कि राजा के ताल से मक्खनपुर तक एक आउटर रिंग रोड का निर्माण कराया जाय। महोदय, लगभग इसी से मिलती जुलती एक समस्या और है कि हमारे यहां दिल्ली से हावड़ा के बीच में जिसमें लाखों की संख्या में जनता रहती है अत्यन्त व्यस्त रेल मार्ग है। रेल मार्ग के जो दूसरी तरफ का हिस्सा है, आपको आश्चर्य होगा कि आजादी के

इतने दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कोई अपरिगामी सेतु आर0ओ0बी0 नहीं है जिसके कारण बहुत बड़ी संख्या में उस तरफ की जो आबादी है वह अपनी सामान्य सुविधाओं से वंचित रहती है। तो मैं यह मांग करता हूं कि आफसाबाद से लेकर दबरई के बीच में कहीं एक जगह पर आर0ओ0बी0 उपरिगामी सेतु का निर्माण कराया जाय। साथ में मैं महोदय, चूंकि हमारे फिरोजाबाद में घर-घर चूड़ी का काम होता है और इस काम को करने के लिये महिलाएं, बच्चे सब लोग लगे रहते हैं। एक गड्डा बाजार वहां पर सवेरे 6 बजे से दिन के 2 बजे तक लगता है। इसमें सभी धर्मों के लोग होते हैं, अनुसूचित समाज के भी लोग होते हैं, यह सब लोग हाथ के ठेलों पर या अपनी छाबड़ियों में या जो डलिया होती है उसमें चूड़ियां रखकर वहां पर लाते हैं। जिस तरह से सब्जी मंडी लगती है, उस तरह से चूड़ी की मंडी लगती है। यह मंडी जब मई, जून का पारा ऊपर होता है तब भी लगती है और जब दिसम्बर की कड़कड़ाती सर्दी होती है और बरसात होती है तब भी लगती है और खुले में लगती है। तो मैं यह भी मांग करता हूं कि यहां पर एक ठीक प्रकार का शेड बनवाकर बहुत बड़ी संख्या में लोगों को सुविधा मिल सकेगी चूड़ी के व्यापार के लिये। तो इस प्रकार का यह जो गड्डा बाजार है उसको एक पक्का निर्माण कराने की मांग करता हूं। महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं। हमारा फिरोजाबाद प्राचीन रूप में यमुना के किनारे बसा हुआ था जो धीरे-धीरे शहरीकरण के बाद थोड़ा दूर हट आया है। प्राचीन जो फिरोजाबाद का उद्गम है वह चन्द्रवार गांव से हुआ था वहां आज भी अत्यन्त प्राचीन महत्व के जैन मन्दिर, हजरत सूफी शाह साहब का मकबरा और हनुमान जी का एक बहुत बड़ा प्राचीन मंदिर एक टीले पर है।

(इस समय 3 बजकर 2 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

यह यमुना के किनारे अवस्थित है। वहां बड़े-बड़े मेले भी लगते हैं। यमुना की स्थिति वहां पर उचित देखभाल के न होने के कारण से अत्यन्त प्रदूषित भी है और वहां कोई पक्का घाट भी नहीं है तो मैं यह मांग करता हूं कि वहां पर पक्का घाट बन जाए। माननीय मुख्य मंत्री जी भी आ गए हैं, उनका भी ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। बहुत बड़ी मात्रा में वहां लोग इकट्ठे होते हैं, हजरत सूफी साहब के उर्स पर, हनुमान जयन्ती पर और जैन मन्दिर पर। तो पक्का घाट बन कर वहां सौन्दर्यीकरण हो जाए और वहां पर्यटन को बढ़ाने का बहुत बड़ा काम हो सकता है। महोदय, जहां मैंने आपको बताया कि फिरोजाबाद अपने कांच-चूड़ी उद्योग के लिए मशहूर है, बड़ी मात्रा में राजस्व सरकारों को देता है पर वहीं पर इस उद्योग की आत्मा, श्रमिक अत्यन्त विपरीत परिस्थितियों में रहने को बाध्य है। फिरोजाबाद का चूड़ी का जो कारीगर है, वह असल में श्रमिक न होकर एक कलाकार का दर्जा रखता है। उसके हाथ से बनी हुई चीजें आज भारत में नहीं पूरे विदेशों में जाती है, मा0 मुख्य मंत्री जी भी इस तथ्य को जानते हैं और बड़े हौसले के साथ फिरोजाबाद के उद्यमी यूरोपियन कन्ट्रीज और चाइना सामना फिरोजाबाद के कारीगरों की कुशलता के कारण, हस्तशिल्पी की कुशलता के कारण फिरोजाबाद कर पा रहा है। इनकी भी स्थिति बहुत खराब है। जिस प्रकार आपने वाराणसी में बुनकरों को स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किया, क्योंकि कांच का काम गरम होता है और चौबीस घण्टे, 12 महीने यह कारीगर गरम भट्ठी के सामने काम करता है तो उसके स्वास्थ्य पर बहुत विपरीत प्रभाव पड़ता है, उनके लिए भी स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किया जाए। चूड़ी की जुड़ाई का काम करने वाले जो श्रमिक हैं, वह बहुत विपरीत परिस्थितियों में रहते हैं। सभी समाज, सभी धर्म के लोग हैं, उनके लिए भी स्वास्थ्य बीमा कार्ड जारी किया जाए। मैं साथ में एक निवेदन और करना चाहता हूं, इन श्रमिक भाइयों के लिये मेहनतकश मजदूरों के लिये साफ सुथरे तरीके से रहने की कोई आवासीय व्यवस्था नहीं है। ये

लोग अवस्थापना के अभाव में नारकीय स्थिति में जीवन जीने को मजबूर हैं तो मैं सरकार से मांग करता हूं कि लाखों की संख्या में काम करने वाले मेहनतकश मजदूरों के लिए एक बड़ी आवासीय योजना बनायी जाए जिससे कि फिरोजाबाद के कांच-चूड़ी उद्योग को जीवित रखने वाले कुशल हस्तशिल्पी और उनके परिवारों को सम्मानजनक जीने का अवसर मिले। महोदय, इसके साथ-साथ मैं एक निवेदन के साथ मांग करता हूं कि फिरोजाबाद कांच-चूड़ी उद्योग को जो दर्जा उत्तर प्रदेश में मिलना चाहिए, वह उसे मिल नहीं पाया है। एक संयुक्त संसदीय कमेटी मा0 मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में फिरोजाबाद में अध्ययन करे कि कितनी बड़ी मात्रा में कांच और चूड़ी के उद्योग, विपरीत परिस्थितियों में काम कर रहा है। मैं इसलिए यह कह रहा हूं कि ताला उद्योग का नाम होता है, मुरादाबाद के पीतल उद्योग का नाम होता है, बनारस के कारपेट के काम का नाम होता है, लेकिन फिरोजाबाद के कांच चूड़ी उद्योग का बजट में कभी नाम नहीं मिलता है। आप वहां आकर देखिए किस प्रकार से सभी धर्मों और वर्गों के लोग मिलजुल कर कांच और चूड़ी के उद्योग में किस कुशलता के साथ काम रहे हैं और इस उद्योग की कितनी बड़ी सम्भावनाएं हैं। एक संयुक्त प्रतिनिधि मण्डल आकर वहां इसका अध्ययन करे और एक विशेषज्ञों की कमेटी बनाये जिससे कांच और चूड़ी के उद्योग को और अधिक तरक्की मिल सके। यहां पर स्वास्थ्य की दृष्टि से हमारे यहां मात्र एक जिला अस्पताल है, मैं सरकार से मांग करता हूं कि वह जांच कराकर पता करे, वर्तमान में अस्पताल में पीने के पानी की व्यवस्था तक नहीं है। एक ट्यूबवेल लग जाने से वहां मरीजों से लेकर स्टाफ को कितनी बड़ी सुविधा होगी यह आप समझ सकते हैं। हमारे जिला अस्पताल में चूंकि औद्योगिक शहर है, आएदिन दुर्घटनाएं होती हैं, न तो सीटी स्कैन है न एम0आर0आई0 है, न सीआर्म मशीन है जो हड्डी वगैरह के जोड़ने के काम आती है और न ही कोई आई0सी0यू0 यूनिट है। मैं चाहता हूं कि आप फिरोजाबाद के एक मात्र जिला अस्पताल को उच्चीकृत कर देंगे तो उससे आम जनता को मजदूरों को बहुत लाभ होगा, निजी रूप से सम्पन्न आदमी तो अपने संसाधन से सब काम कर लेता है। मैं इसके साथ-साथ फिरोजाबाद में पीने के पानी की जो कमी है तथा गिरता हुआ भू-गर्भ जल स्तर है उनमें अगर पानी का संचय किया जाए, खासकर बरसात में जब नदी का बहाव बढ़ता है। तो पानी अगर उन खादरों में आकर रुक जाये तो वहां पर भूगर्भ जल स्तर बढ़ने की बहुत संभावनायें हैं। तो मैं अपेक्षा करता हूं कि सरकार इस ओर ध्यान दे। मैं एक निवेदन और करता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी जब फिरोजाबाद में पहली बार एम0पी0 का इलेक्शन लड़े थे तो एम0जी0 डिग्री कालेज की बच्चियों ने अपनी समस्या के लिए हड़ताल की हुयी थी उस विद्यालय में 14 हजार बच्चियां पढ़ती हैं। उसके बगल में जिला पंचायत की एक खाली निष्प्रयोजित भूमि है। उसके संदर्भ में फिरोजाबाद का एक प्रतिनिधि मंडल आपसे मिला भी था और आपने आश्वासन भी दिया था। आज भी वह जगह निष्प्रयोजित है या भू-माफियाओं के हाथ चली जाएगी। आप अपने हाथ से उसे विद्यालय को दे दें और उस विद्यालय में हिन्दू, मुसलमान सबकी बच्चियां बेटियां पढ़ती है। तो यह बहुत बड़ा भला हो जाएगा। आप निश्चित रूप से इस पर ध्यान देंगे मुझे पूरा विश्वास है। इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि फिरोजाबाद चूंकि ताज ट्रिपेजियम जोन में आता है और इसमें विद्युत की निर्बाध रूप से आपूर्ति के मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश है। पूरे फिरोजाबाद का जो बिजली का इन्फ्रास्ट्रस्क्चर है वह ओवरलोडिंग के कारण मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेशों का अनुपालन नहीं कर पाता है। अगर पीछे से बिजली आती भी है तो सप्लाई इसलिए नहीं हो पाती है कि वहां के जो सब-स्टेशन है वह ओवरलोड हो जाते हैं अगर उनको अपग्रेड कर देंगे तो ताज ट्रिपेजियम जोन के लिए मा0 सर्वोच्च

न्यायालय की जो मंशा है उसके अनुरूप फिरोजाबाद की जनता को बिजली निर्बाध रूप से मिल सकेगी। साथ ही नगर में इसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि वर्ष 2013-14 में 1010 बच्चे-बच्चियां दशमोत्तर छात्रवृत्ति जो उनको मिलनी थी वह एस0आर0के0 डिग्री कालेज के प्रबंधन की लापरवाही के कारण से नहीं मिल पा रही है। 31 जनवरी, 2014 उसकी आखिरी तारीख थी। डी0आई0ओ0एस0 कार्यालय पर इन 1010 बच्चे-बच्चियों की सूची न जाने के कारण से उनको छात्रवृत्ति नहीं मिल पा रही है। इसलिए मैं चाहता हूं कि सरकार इसको संज्ञान में लेकर इस पर ध्यान दे।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री मनीष असीजा-

मान्यवर, सरकार इसको अपने ध्यान रखेगी कि हमारे फिरोजाबाद में जो कांच का उद्योग है और जो सामाजिक वातावरण है उसको सुदृढ़ करने का काम करेगी। आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री मो0 इरफान-

बहुत ही काबिले ऐहतराम अध्यक्ष जी, आज आपने मुझे बजट के समर्थन में अपनी बात कहने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका सबसे पहले दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं। हमारे मा0 मुख्य मंत्री जी ने जो एक ऐसा अनूठा बजट पेश किया है तो अपनी मिसाल आप हैं। जो योजनायें प्रस्तावित की गयी हैं वह अब तक जितने बजट का इतिहास है उसमें सबसे अच्छा बजट मा0 मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है। मैं बड़े अदब से यह कहना चाहूंगा कि जो झील संरक्षण योजना पहली बार मुख्य मंत्री जी ने अपने बजट में सुझाई है वह एक ऐसा काम जो प्रदेश को हराभरा बनाने के लिए जीव संरक्षण के लिए जो 66 करोड़ रुपये का प्रोवीजन किया है वह बहुत ही सराहनीय काम है और अब तक का बिल्कुल नया काम है। डा0 राम मनोहर लोहिया गांव की तरह एक ऐसी शख्सियत जो विधान सभा, समाजवादी पार्टी हमारी पूरी पार्टी की जान और शान रहे हैं रामशरण दास जी, उनके नाम पर सड़क योजना, सम्पर्क मार्ग का ऐलान करके उनके नाम पर उन सड़कों का जो निर्माण कराया जाएगा वह यकीनीतौर पर ऐसा काबिलेकद्र काम है जो उनको याद रखने का इससे अच्छा कोई और काम नहीं हो सकता था। मैं बड़े अदब से यह कहना चाहूंगा कि जो अल्पसंख्यक कल्याण योजनाएं हैं बहुत शानदार हैं। छात्रवृत्ति के बारे में मैं यह कहना चाहूंगा, चूंकि छात्रवृत्ति का आधार गरीबी होता है, तो जितने बच्चे चाहे वह सामान्य वर्ग के हों, चाहे बी0सी0 वर्ग के हों, चाहे एस0सी0 के हों, गरीब हैं तो कोई भी बच्चा जो उसकी पात्रता की श्रेणी में आता है, उन सबको वजीफा दिया जाना चाहिए, कोई भी छात्र उससे वंचित न रहे, इसके लिए मैं आपसे अदब से गुजारिश करना चाहूंगा। मैं मुरादाबाद जनपद और सम्भल जनपद दोनों में पड़ने वाली विधान सभा क्षेत्र का विधायक हूं, अभी पांच जिले बल्कि छः जिले जो टोटल फारेस्ट कवर योजना में शामिल किये गये हैं, जो बदायूं तक है, मैं चाहूंगा कि मुरादाबाद को भी उसी फारेस्ट कवर योजना में शामिल किया जाय। जो ब्लाक डार्क है वहां के किसान बहुत परेशान हैं, उनका जल स्तर बढ़ाने के लिए, उनको डार्क से निकालने के लिए कोई न कोई कल्याणकारी योजना इस तरह की गांवों के अन्दर चलाई जाय जिससे वहां का जल स्तर ऊंचा हो और वह किसान जो ट्यूबवेलों से वंचित है उनको कनेक्शन नहीं मिल रहे हैं, उनको

ऐसा रास्ता सुझाया जाना चाहिए। जहां तक सोलर एनर्जी की बात है तो जो बजट में प्रस्ताव किये हैं, बहुत खूबसूरती के साथ उसका विकल्प तैयार किया गया है और मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारा उत्तर प्रदेश ऐसी उन योजनाओं के तहत बहुत जल्दी आत्मनिर्भर हो जायेगा और मुख्य मंत्री जी ने जो वायदा किया है, उसके तहत पूरे प्रदेश को बिजली मिलनी शुरू हो जायेगी। सहकारी प्रशिक्षण केन्द्र जो बहुत पुराने जमाने से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दो हैं, को-आपरेटिव के बच्चे को प्रशिक्षण के लिए उसमें एक केन्द्र बिलारी में है और एक मेरठ साइड में है, वह जीर्ण-क्षीर्ण अवस्था में है, सहकारिता का बजट तो प्रस्तावित है, लेकिन उसमें कोई मरम्मत का प्राविधान नहीं है, मैं अदब से कहना चाहूंगा कि इन छोटी-छोटी चीजों को लेकर भी बजट में कहीं न कहीं प्रस्ताव किया जाना चाहिए। शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों चीजें एक दूसरे की पूरक है, जो समाज जितना शिक्षित होगा, जितना स्वस्थ होगा, वह समाज उतनी ही तरक्की करेगा, हमारे आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने जो इन दोनों विभागों पर दिल खोल कर पैसा आवंटित किया है, पैसा प्रस्तावित किया है वह बहुत काबिले कद्र का कारनामा है। ग्रामीण अन्त्येष्टि स्थल के विकास के लिए सौ करोड़, शहरी अन्त्येष्टि के लिये सौ करोड़ और कब्रिस्तान की चहारदीवारी के लिये दो सौ करोड़ का प्रावीजन अपनी तरह का पहली बार किया जाना एक बहुत बड़ा सराहनीय काम है। खेल-कूद, खेल युवा कल्याण में 128 करोड़ रुपया अवस्थापना सुविधाओं के लिए और स्टेडियम के अनुरक्षण पर 38 करोड़ रुपये का प्रावीजन पहली बार किया गया है, इस तरह का प्राविजन जहां-जहां पर पुराने स्टेडियम है उनको यकीनी तौर पर लाभ होगा अगर अच्छी तरह से उनका अनुरक्षण किया जायेगा तो खेल को बढ़ावा मिलेगा। मैं आदरणीय अध्यक्ष जी, इस पूरे बजट के प्रस्तावों के लिये आपको मुख्य मंत्री जी की तरफ से यह धन्यवाद देना चाहूंगा आपने इस तरह के बजट अनूठे में जो प्राविधान मुख्य मंत्री जी ने रखे हैं, उसके समर्थन में मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए धन्यवाद प्रकट करता हूं, धन्यवाद।

श्री उमाशंकर-

माननीय अध्यक्ष जी, वर्ष 2014-2015 के मा0 मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण के विरोध में जो बातें नेता प्रतिपक्ष, मा0 नेता भाजपा, मा0 नेता कांग्रेस ने रखी हैं उनसे अपने आप को सम्बद्ध करते हुए, कुछ बातें मुख्य रूप से मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी को एक सुझाव के रूप में देना चाहूंगा चूंकि हम लोग पूर्वान्चल से चुन कर के आते हैं जहां पूर्वान्चल विकास निधि एक योजना पूर्वान्चल के क्षेत्रों में काम करने के लिए बनाई गई, यह सत्य है जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा कि वह मा0 नेता जी के समय का ही यह योजना बनायी गई है।

यह बहुत अच्छी बात है लेकिन मा0 नेता जी ने इसको स्थापित किया है तो जरूर इसके पीछे उनकी कोई मंशा रही होगी कि पूर्वांचल को भी विकास से जोड़ा जाये। आप देख लें कि जो 2011-2012 में पूर्वांचल विकास निधि के लिये जब बजट रखा गया था 291 करोड़। 2012-13 में पूरा बजट मात्र 291 करोड़ ही रखा गया है जबकि उस बार भी पूरे बजट में वृद्धि करके रखी गयी थी मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा उनकी पूरी बजट वृद्धि थी उसमें 18 परसेण्ट रखी गयी थी। पूरा बजट 18 परसेण्ट बढ़ा करके रखा गया लेकिन फिर भी वह बजट पूर्वांचल विकास निधि का नहीं बढ़ा। फिर 2013-14 में भी वह बजट मात्र 291 करोड़ ही रखा गया है जिसमें उस समय बजट वृद्धि 10 परसेण्ट की हुयी थी। फिर 2014-15 में भी यह बजट मात्र 291 करोड़ ही रखा गया जबकि इस बार बजट वृद्धि 24 परसेण्ट की हुयी है। मान्यवर, यदि केवल बजट में वृद्धि हुयी है उतनी ही वृद्धि अगर पूर्वांचल के साथ भी कर दी जाती, अधिक न करते। कोई स्पेशल अलग से न दिया जाता तो जो

वृद्धि हुयी है, पूरे बजट में अगर पूर्वांचल विकास निधि में भी उसी तरह का व्यवहार किया गया होता तो पूर्वांचल विकास निधि आज 467 करोड़ की हो जाती। मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री से निवेदन करूंगा कि चूंकि अभी बजट पर बहस चल रही है। बड़ी कृपा होगी अगर पूर्वांचल विकास निधि को जो आज 24 परसेण्ट की बजट वृद्धि हुयी है, उसके हिसाब से अगर 467 करोड़ रुपये किया जाये। साथ ही हम लोगों को और भी काफी उम्मीदें और बढ़ गयी थी जब मा0 नेता जी ने अपना लोकसभा क्षेत्र आजमगढ़ चुना, वहां से सांसद भी निर्वाचित हुये, उस सीट को उन्होंने अपने पास रखा भी है। उसके बाद ये बजट आया है तो हम लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि पूर्वांचल के लिये और भी काफी कुछ लाया जायेगा लेकिन इससे निराशा हुयी है कि नहीं पूर्वांचल के बजट में वृद्धि हुयी है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक और निवेदन करना चाहूंगा कि लोकसभा के चुनाव के पहले हम लोगों के यहां घोषणा हुयी थी बलिया में कि विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी। जगह के चयन की बात भी हो गयी लेकिन इस बजट पुस्तिका और मा0 मुख्य मंत्री जी बजट भाषण को सुनने के बाद उसके लिये कोई धनराशि की व्यवस्था न होना इससे भी हमारे बलिया जनपद में काफी निराशा हुयी है। चूंकि उस बात में कहा गया कि आचार संहिता लग गयी है और आचार संहिता के बाद बलिया जनपद में विश्वविद्यालय का काम शुरू कराया जायेगा लेकिन इस बजट में प्रावधान न होने से हमारे जनपद में निराशा हुयी है इसलिये मैं चाहूंगा कि अगर बजट में संशोधन हो रहा है तो कुछ भी धन बलिया जनपद के लिये, विश्वविद्यालय के लिये हो। हमारे बलिया जनपद के लोग काशी विद्यापीठ जाते हैं, 180 किलोमीटर दूर पड़ता है। काशी विद्यापीठ में भी चूंकि विश्वविद्यालय का एक मानक है कि 128 से 130 विद्यालय ही सम्मिलित होंगे लेकिन उसमें आज भी 200 से अधिक विद्यालय सम्मिलित है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि कितनी कठिनाई का सामना करना पड़ता है इसलिये मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा। मा0 अध्यक्ष जी, साथ ही हमारे बलिया जनपद में एक ही उद्योग है चीनी मिल का। एक कताई मिल थी वह भी बहुत पहले से बन्द है। चीनी मिल भी पिछले साल पिछले पेराई सत्र तक चली है लेकिन वहां के हमारी चीनी मिल कर्मियों का एवं चीनी मिल की उसमें जो हमारी मशीनरी है वह इतनी जर्जर अवस्था में हो गयी है कि जिस कारण से पहले तो कर्मचारी विरोध में आ गये कि हमारी जो 5 साल की सैलरी है या जो हमारे बकाये हैं अगर नहीं मिलेंगे तो हम लोग चीनी मिल नहीं चलाने देंगे। हुआ ये कि हमारे बलिया जनपद के जितने भी गन्ना किसान है पिछले साल मिल न चलने से उनको घोसी या अन्य गन्ना केन्द्रों पर गन्ना लेकर जाना पड़ा जो कि अगर बलिया से जोड़ा जाये तो 80 से 100 किलोमीटर की दूरी हो जाती है तो आपके माध्यम से मैं निवेदन करूंगा कि यदि जो भी कुछ वहां बकाया है, बहुत बकाया भी नहीं है। मैंने एक पत्र भी पढ़ा, पत्र में बकाये की जो चीनी मिल के द्वारा डिमाण्ड आयी है, वह मात्र 30 करोड़ रुपये की है जिसमें उनकी बकाया राशि भी है और चीनी मिल की मरम्मत भी है तो इससे जो मा0 मुख्य मंत्री जी जो उद्योगों के प्रति जागरूक हैं और साथ ही नये-नये उद्योगों को बढ़ावा भी दे रहे हैं तो जो उद्योग बन्द होने की स्थिति में हैं। कम से कम उन्हें चालू कराया जाए अगर इसी तरह एक साल और बन्द हो जायेगा तो वो उद्योग जैसे कताई मिल आज बरसों से बन्द है उसी तरह से हमारी वो चीनी मिल भी बन्द हो जायेगी इसलिये मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि मा0 मुख्य मंत्री जी उस चीनी मिल को चलाने हेतु जो भी मद हो सके उसमें प्राविजन कर दें।

साथ ही एक बात और मा0 अध्यक्ष जी, जिससे हमें लोगों को कोई एतराज नहीं है, वाराणसी में 24 घंटा बिजली दी गई, पहले ही हो जाना चाहिए था। चूंकि मीडिया का संज्ञान नहीं

लिया जाता है, जब यह आया टी0वी0 पर यह अखबारों में चला, हालांकि वह बहुत वरिष्ठ विधायक हैं, लेकिन फिर भी अगर कोई विधायक आंदोलन करके बिजली को प्राप्त करता है तो इस तरह से तो हम इन आंदोलनों को और बढ़ावा देंगे। उसका कोई दूसरा मानक होना चाहिए। अगर मा0 श्यामदेव राय चौधरी जी अनशन पर बैठें, उनको लखनऊ में बुला करके अनशन तुड़वाया गया और बिजली को 24 घंटे कर दिया गया। मा0 अध्यक्ष जी, हम तो बलिया जनपद से आते हैं, हमारे बलिया जनपद सत्ता पक्ष के चूंकि सबसे ज्यादा सदस्य हैं। बलिया जनपद का तो अपना एक इतिहास है। हमारे सत्ता पक्ष के लोग बोल नहीं पाते हैं जो हमारे बलिया जनपद के हैं उनके पास भी वही समस्या है पास भी वही समस्या है, कि भाई आप लोग भी लड़िए, लेकिन आंदोलन वह नहीं कर सकते हैं, तो हम केवल यह आपके माध्यम से अवगत कराना चाहते हैं कि अगर आंदोलन से ही बिजली मिलेगी, तो सारे सदस्य बलिया के आंदोलन करने के लिए तैयार हो जायेंगे। जब कोई भी बलिया जाता है तो अपने भाषण में एक क्रांतिकारी बलिया का जिक्र करता है कि बागी बलिया की धरती तमाम हमारे लोगों का चित्तू पाण्डे, मंगल पाण्डे का नाम लेते हैं और जब बलिया के कुछ हिस्सेदारी की बात आती है तो उसमें बलिया जनपद वंचित होता है।

श्री अध्यक्ष-

अब समय समाप्त हो रहा है।

श्री उमाशंकर-

मा0 अध्यक्ष जी, हम कुछ सुझाव दे रहे हैं...

श्री अध्यक्ष-

अरे आप तो बढ़िया सड़क बनाते हैं, थोड़ा उस पर भी सुझाव दीजिए।

श्री उमाशंकर-

मा0 अध्यक्ष जी, सड़क हम बनाते हैं, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपने बुला करके हमसे कहा कि भाई उमाशंकर तुम्हारी एक कंपनी है जो सड़क बना रही है, वैसी अच्छी सड़क तो हमारे क्षेत्र के लोग देखे ही नहीं थे। मुझे बड़ा अच्छा लगा।

श्री अध्यक्ष-

जरा उसे पूरा तो करवा दो। बहुत दिन हो गया, चार वर्ष हो गया।

श्री उमाशंकर-

मा0 अध्यक्ष जी, इस बार पी0डब्लू0डी0 के बजट में बढ़ोत्तरी हुई है, मुझे लगता है कि पुराने कार्य जो रुके पड़े हैं। मुझे लगता है कि इस साल वे पूरे करा लिये जायेंगे। इसके लिए मा0 मुख्य मंत्री जी को मैं बधाई दूंगा कि इस बार पी0डब्लू0डी0 के बजट में जो बढ़ोत्तरी हुई है, उससे हम लोगों के पुराने कार्य जो रुके पड़े हैं, उसमें बजट मिल जायेगा और वह कार्य कम्प्लीट हो जायेंगे। एक और बात के लिए हम बधाई देना चाहेंगे कि जो ग्रामीण अंत्येष्ठि स्थलों के लिए जो नया प्रोविजन किया गया है 100-100 करोड़ का यह बहुत अच्छी बात है लेकिन पिछली बार जो 200 करोड़ रुपये कब्रिस्तानों की बाउन्ड्री के लिए किया गया था, उसमें कुछ लोग, जो जगह-जगह विवादित होकर उच्च न्यायालय में लोग चले गए, इसमें हम चाहेंगे कि सरकार अपना पक्ष मजबूती के साथ न्यायालय में रखें। वह बहुत अच्छी चीज हो रही थी, तमाम जगहों पर जो विवाद खड़े होते हैं। विवाद का सबसे

बड़ी जड़ यही है हमारे बिल्डर वाले लोग, कब्रिस्तान में देखा कि कोई कब्र नहीं बन रही है तो वहां पर कब्जा करके अपनी बिल्डिंग तैयार करने लगते हैं, तो इस तरह से कब्रिस्तानों की बाउन्ड्री करने की स्कीम बहुत अच्छी है लेकिन इसमें हमने देखा कि कहीं-कहीं पर नींव खुदी तब तक कोई कोर्ट से स्टे ले लिया। इसमें सरकार मजबूती से अपना पक्ष रखे। काफी कुछ और था बोलने के लिए।

श्री अध्यक्ष-

अब हो गया। आपके नेता प्रतिपक्ष मौर्या जी ने कुछ छोड़ा नहीं है बोलने के लिए।

बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री (श्री योगेश प्रताप उर्फ योगेश भइया)-

मा0 अध्यक्ष महोदय मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत बजट के पक्ष में बोलने के लिए आपने मुझे अवसर दिया जिसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार एवं कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। मान्यवर, मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2014-15 का बजट जो एक नई आशा और एक नये विश्वास को लेकर इस सदन में प्रस्तुत किया गया है, के पक्ष में मैं बोलने के लिए खड़ा हूं। मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा यह बजट प्रस्तुत किया गया है अगले दिन समाचार-पत्रों में चाहे वह इस प्रदेश के कुछ अर्थशास्त्री रहे हों, चाहे इस प्रदेश की मीडिया रही हो और चाहे औद्योगिक क्षेत्र से जुड़े हुए लोग रहे हों सारे लोगों ने इस बजट का हृदय से स्वागत किया है और इस बजट की जो पीड़ा है, जिसके आधार पर इस बजट का निर्माण हुआ उसकी प्रस्तावना में यह है कि जब कृषि को दोयम दर्जा दिया गया, तो ग्रामीण क्षेत्रों से पलायन शुरू हुआ।

मान्यवर, आज गांवों से शहरों की ओर पलायन की समस्या बहुत गंभीर समस्या के रूप में है और यह देश की सबसे बड़ी समस्या है। मान्यवर, इसी क्रम में जिस तरीके से इस बजट का 75 फीसदी भाग अवस्थापना सुविधाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया गया है चाहे उसमें बिजली हो पानी हो, सड़क हो और दूसरी चीजें हों उससे प्रदेश का विकास होगा। मान्यवर, 12 जून, 2014 को नई दिल्ली में माननीय मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में निवेशक सम्मेलन हुआ उसके बहुत ही पाजीटिव परिणाम सामने आये हैं और करीब 54600 करोड़ रुपये के एमओयू पर हस्ताक्षर हुए हैं। मान्यवर, एक बात मैं कहना चाहता हूं कि कृषि की जोतों का विभाजन किया गया था उससे वह अलाभकारी हो गयी हमारी सरकार ने उस तरफ ध्यान देने का काम किया है और कृषि क्षेत्र के विकास के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहरायी है। मान्यवर, यह प्रदेश के किसानों के लिए एक शुभ संकेत हैं। मान्यवर, अवस्थापना सुविधाओं में सड़क, बिजली, सिंचाई प्रमुख हैं। वैसे तो बिजली का संकट पूरे देश में है और उत्तर प्रदेश में कहीं न कहीं उसमें कमी है, लेकिन यह सब हमें विरासत में मिला है। मान्यवर, कल माननीय नेता विरोधी दल बोल रहे थे वह कुछ आंकड़े लेकर यहां आये थे परन्तु जब माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनसे कुछ जानना चाहा तो वह मौन हो गये और पूरी तरह से निरुत्तर हो गये वह बता नहीं पाये, वे माननीय मुख्य मंत्री जी की जिज्ञासाओं का जवाब नहीं दे सके।

मान्यवर, लखनऊ इस प्रदेश की राजधानी है। लखनऊ के विकास के लिए वर्तमान सरकार पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। मान्यवर, लखनऊ के चतुर्दिक विकास का संकल्प हमारी सरकार ने लिया है। इसके अंतर्गत सी0जी0 सिटी का निर्माण, इसमें 100 एकड़ पर आई0टी0 सिटी, 50 एकड़ भूमि पर इन्फारमेशन टेक्नालाजी इंस्टीट्यूट, 100 एकड़ पर विश्व स्तरीय कैंसर अस्पताल, मेडिसिटी, कार्डियोलाजी सेन्टर व 25 एकड़ पर प्रशासनिक (आईएएस) प्रशिक्षण अकादमी की स्थापना से राजधानी का विकास होगा। मान्यवर, इसी तरह से लखनऊ में मेट्रो रेल की स्थापना हमारी सरकार की

प्रतिबद्धता है। इन सबसे लखनऊ का बदला हुआ स्वरूप दो तीन सालों में दिखाई देने लगेगा, जो इस प्रदेश की प्रगति का वाहक होगा।

मान्यवर, मैं यह बताना चाहता हूं कि प्रदेश की विकास दर 2013-2014 में 5.2 प्रतिशत थी, जो देश के विकास दर 4.9 प्रतिशत से अधिक है।

मान्यवर, अब तक का यह सबसे बड़ा बजट है, यह 2 लाख 74 हजार 704 करोड़ 59 लाख रु0 का बजट है। मान्यवर, जो गत वर्ष के सापेक्ष 24 प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, इस बजट में त्वरित आर्थिक विकास कार्यक्रमों के लिए 1000 करोड़ का प्रावधान किया गया है। कृषि एवं सम्बद्ध सेवाओं के लिए 7625 करोड़ शिक्षा के विस्तार एवं गुणवत्ता हेतु 41538 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इसमें चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण के लिए 14377 करोड़ रु0 का प्रावधान किया गया है। मान्यवर, इसमें अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक, पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य वर्ग के गरीबों के लिए 25522 करोड़ का प्रावधान है जो गत वर्ष की तुलना में 26 प्रतिशत अधिक है। मान्यवर, सहकारी चीनी मिलों के गन्ना मूल्य के भुगतान हेतु 400 करोड़ का बजटीय प्रावधान है। मान्यवर, सम्पूर्ण बीज बदलाव हेतु 350 करोड़ का प्रावधान है। मान्यवर, इससे स्पष्ट है कि हमारी सरकार गन्ना क्षेत्र के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और गन्ना मूल्य भुगतान के प्रति प्रतिबद्ध है। मान्यवर, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्री जी को उन्होंने गन्ना मूल्य का भुगतान हेतु इतना बड़ा प्रावधान किया गया है। मान्यवर, कल माननीय नेता विरोधी दल चीनी मिलों से बिजली के उत्पादन हेतु को-जनरेशन की बात कर रहे थे मान्यवर वह नीति तो हमारी पिछली सरकार में बनी थी। मान्यवर, हमारी सरकार ने उस सम्बन्ध में एक नयी नीति बनायी थी। मान्यवर, मैं बताना चाहता हूं कि कल माननीय नेता विरोधी दल चीनी मिलों के बारे में कह रहे थे। मान्यवर, पिछली बार माननीय नेता जी की सरकार में चीनी मिलों के प्रोत्साहन हेतु नीति बनायी गयी थी, जिससे प्रदेश में 34 नई मिलें लगी थी परन्तु बसपा ने 27 सरकारी चीनी मिलों को बेचा और प्रोत्साहन नीति को बन्द कर दिया।

और वह चीनी मिलें औने पौने दाम पर बेची गयी मैं तो मुख्य मंत्री को धन्यवाद देना चाहता हूं उसके बाद हमारी सरकार आयी हम लोगों ने आपसे निवेदन किया और आपने मेरठ की चीनी मिल को और शाहजहांपुर के पुवाया चीनी मिल को प्रयोग के तौर पर केवल 78000 रुपया लगा करके पुनः आपने चलाने का काम किया। मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री के आशीर्वाद से ही वर्तमान में जो बजट प्रस्तुत हुआ है इसमें हमारे जनपद गोण्डा के लिए विशेषता मेरे निर्वाचन क्षेत्र के लिए कृषि महाविद्यालय के लिए बजट प्राविधान किया गया है इसके लिए मैं अपने पिछड़े हुए क्षेत्र की तरफ से माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। माननीय सिंचाई मंत्री जी बैठे हैं जब 2005 में हमारी सरकार थी मैं उस सरकार में राज्य मंत्री सिंचाई था माननीय नेता जी के आशीर्वाद से जो हमारा पूरा क्षेत्र बाढ़ से डूब जाता था उस क्षेत्र में एल्गिन ब्रिज चरसडी बांध बना, सकरौर भिखारीपुर बांध बना 2006 में इसका निर्माण हुआ, 2007 व 2008 में नहीं टूटा 2009 में मरम्मत के अभाव में अधिकारियों और यहां बड़े-बड़े नेताओं की मिलीभगत से 2010 में और 2011 में वह बांध दो बार टूटा। तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री जी उस समय प्रदेश अध्यक्ष थे आप स्वयं पानी में गये है आपने जाकर के उस पीड़ा को देखने का काम किया है। 2011 में माननीय सिंचाई मंत्री जी आप नेता विरोधी थे आप भी क्षेत्र में गये थे और वहां की पीड़ा को देखने का काम किया था। आप दोनों लोगों ने वहां वायदा किया था कि समाजवादी पार्टी की सरकार आने के बाद इस बांध पर काम कराया जायेगा, बांध को टूटने नहीं दिया जायेगा। मैं आप दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं कि 2012 में भी बाढ़ आई और बांध

नहीं टूटा 2013 में भी बाढ़ आई और बांध नहीं टूटा और 2014 में भी हमारा विश्वास है कि आपके नेतृत्व में उस बांध के उपर कहीं जर्रा नहीं आयेगा। लेकिन मैं आप से अनुरोध करना चाहूंगा कि आप लोगों ने निर्देश दिया था योजनाएं बन करके आ गयी है और वह प्रतीक्षा कर रह ही है कि बांध का पक्काकरण होना चाहिए और वह आपके आशीर्वाद से बनेगा ऐसा मेरा विश्वास है। पिछले वर्ष जब यहां पर बजट प्रस्तुत हुआ था पूरे प्रदेश में माननीय मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की थी कि जिला मुख्यालय को फोर लेन से जोड़ा जायेगा। फोरलेन का काम हमारा गतिमान है, प्रगतिशील पर है, आगे की तरफ हम बढ़ रहे हैं उस समय हमारे जनपद गोण्डा को भी जोड़ने के लिए जरवल से लेकर के गोण्डा होकर के बलरामपुर तक फोरलेन की घोषणा हुई थी वह भी आपकी प्रतीक्षा कर रहा है।

श्री अध्यक्ष-

गोण्डा से बलरामपुर तक की सड़क के बारे में आपकी क्या राय है।

श्री योगेश प्रताप सिंह योगेश भइया-

मान्यवर, हमारी राय, मैं तो मांग रहा हूं कि फोर लेन किया जाय। बलरामपुर तो क्या मा0 अध्यक्ष जी वह तो आपके यहां तक जायेगी।

मान्यवर, वही तो मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं कि जरवल से गोण्डा होकर के बलरामपुर और बलरामपुर से ले करके सिद्धार्थनगर जाने वाली सड़क फोर लेन करने के लिए पिछली बार प्राविधान किया गया था वह अभी तक नहीं हो पाया है उसके लिए मैं आपका ध्यान जरूर आकृष्ट करना चाहता हूं। मान्यवर, इस बजट की प्रशंसा चारों तरफ हुई है और बजट एक आशावादी बजट है। बजट एक नई उम्मीदों को लेकर बनाया गया बजट है और उस बजट को ले करके हम पूरी तरह से आशान्वित है कि आपके इस प्रगतिशील बजट के आधार पर यह प्रदेश उन्नति करेगा। आपने चारों तरफ अवस्थापना सुविधाओं को बढ़ाने के लिए आपने इसमें प्राविधान किया है और वह अवस्थापना सुविधाएं बढ़ाने के साथ यह प्रदेश आगे बढ़ेगा ऐसा मेरा विश्वास है और मैं अंत में दो शब्द कह करके अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं-

वो पथ क्या, पथिक कुशलता क्या,
जिस पथ में बिखरे शूल न हों।
नाविक की धैर्यकुशलता क्या,
जब धाराएं प्रतिकूल न हो।

विपरीत परिस्थितियों में जो व्यक्ति आगे बढ़ता है सदैव समय ने उसका सम्मान किया है सदैव समय ने उसकी इज्जत की है आज जो परिस्थितियां है उन परिस्थितियों में माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय सिंचाई मंत्री जी के नेतृत्व में इस प्रदेश को आगे ले जाने का संकल्प करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने बजट के सामान्य चर्चा पर बोलने का अवसर दिया। मुझे प्रसन्नता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी भी है और माननीय आजम खां भी है दोनों ही महत्वपूर्ण निर्णय लेने में सक्षम हैं।

श्री अध्यक्ष-

लेकिन शाहजहांपुर से आगे बढ़ाकर कहियेगा, वहीं तक नही सीमित रहियेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह 20 करोड़ जनता का एक साल का भाग्य निर्माण करने वाली किताब है। इसमें एक शब्द भी आबादी के उपर नहीं कहा गया। बढ़ती हुयी आबादी के ऊपर एक शब्द भी नहीं कहा गया।

(सता पक्ष के सदस्यों की ओर से टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

आप कहां यह सवाल छेड़ दिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, इसमें हम आजम साहब से भी कहेंगे कि इसको हल्के में न लें। यह अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है कि हम कितने भी संसाधन बढ़ायें, कितनी ही सेवाओं और वस्तुओं को हम लोगों को बांटे लेकिन जिस रेशियो से आबादी बढ़ रही है, अभी तक जितने भी आबादी को रोकने के चेक्स लगाये गये अगर वह निष्प्रभावी न होते तो यह स्थिति नहीं आती। इसको हल्के में नहीं लिया जाना चाहिये और मान्यवर, इसे मेरी व्यक्तिगत स्थिति से भी नहीं जोड़ा जाना चाहिये।

(सता पक्ष के सदस्यों की ओर से पुनः टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

लोग यह कह रहे हैं कि आपके रास्ते पर चलने से जनसंख्या अपने आप कम हो जायेगी।

डा0 मो0 अयूब-

मान्यवर, इन्हें सांत्वना पुरस्कार दिया जाना चाहिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं विशेष रूप से आपकी पीठ के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से यह कहना चाहता हूं कि इस दिशा में गंभीर प्रयास होना चाहिये और ऐसा प्रयास जिसका प्रभाव नीचे तक जाय। इसके ऊपर माननीय मुख्य मंत्री जी जरूर संज्ञान लेंगे। दूसरी बात, हमने पिछले 2012-13 का बजट यहां सुना, उसके बाद 2013-14 का बजट सुना और हम पिछले 26 बरस से यहां सुन रहे हैं। पिछले 26 बरस से हम इस विधान सभा में है। पिछले वर्ष जो घोषणायें की जाती है, उसका इस वर्ष क्या हुआ, कम से कम जो हाईलाइट्स होते हैं, उन हाईलाइट्स के बारे में यह बताना चाहिये कि हमने कि हमने पिछले वर्ष यह कहा था और हमने इसको 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत, 80 प्रतिशत पूरा किया या यह मजबूरी थी इसलिये हम इसे पूरा नहीं कर पाये। यह जरूर बताना चाहिये। मान्यवर, पीछे बजट में जो घोषणायें की गयी, उसमें कुछ चीजों में तो आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़े और इस बजट में वह चीजें मौन हैं लेकिन सबसे पहली शुरुआत वहीं से होनी चाहिये। क्या फर्क पड़ता था मान्यवर, यदि 50 पेज और बढ़ जाते, या 25 पेज में उन योजनाओं के बारे में बताते ताकि पूरे प्रदेश को यह मालूम पड़ता कि एक साल पहले जो हमने वायदे किये थे, उस पर हम कितना खरे उतरे और कितना हमने एचीवमेंट किया। तीसरी बात, मान्यवर, आपने चुनाव घोषणा-पत्र में यह वायदा किया था कि हम

बेरोजगारों को भत्ता देंगे। मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहता हूं कि आपने वायदा पूरा किया लेकिन आंशिक रूप से वायदा पूरा किया और आज वह बेरोजगार जो बरसों से इस आस में बैठे थे कि हमको रोजगार मिलेगा, उनको रोजगार नहीं मिला। कम से कम उनको बेरोजगारी भत्ता मिला, उनके बाप यह समझ थे यह समझते थे कि सब्जी भर का पैसा मेरा बेटा लाता है, भले ही वह बेरोजगार हो, ट्यूशन पढ़ाता हो, लेकिन बेरोजगार के हाथ से थाली छीनने का काम इस सरकार ने बीस जून को इसी सदन में किया आज सारे बेरोजगारों की थाली की रोटी छिन गयी। उनके सामने पूरी तरह से अंधेरा है और मैं यह जरूर चाहता हूं कि-

(सता पक्ष के सदस्यों की ओर से पुनः टोकाटाकी किये जाने पर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

आप जब बोलते हैं तो मैं टोकता नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी को बोलने दीजिये, आप लोग शान्त रहें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जितनी आपकी उम्र है उतने दिन से मैं इस विधान सभा में आता हूं। माननीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का जरूर इस बात पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि कम से कम बेरोजगारों की थाल की रोटी मत छीनिये। क्योंकि उनके सामने अंधेरा है और एक साल से उन्हें उम्मीद बंधी थी कि जिस दिन समाजवादी पार्टी की सरकार आई उन्होंने घोषणा-पत्र पढ़ा उसी दिन से उनकी उम्मीद बंध गई थी कि सरकार जब आयेगी तो कम से कम बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा। तो मान्यवर, बेरोजगारों को रोटी जरूर मिलनी चाहिए और इस योजना को बन्द नहीं किया जाना चाहिए। मान्यवर, अगली बात मैं मान्यवर, नगरीय क्षेत्र से आता हूं मा0 नगर विकास मंत्री यहां पर मौजूद हैं। पिछले बजट को देख लें क्या मंहगाई कम हो गई, आपने आदर्श नगर योजना में पिछले साल 156 करोड़ रुपया रखा था या तो योजना पूरी हो जाए या मंहगाई कम हो गई हो तभी पैसा घटाया जाता है या उद्देश्य पूरा जाए तब घटाया जाता है। मान्यवर, उद्देश्य पूरा नहीं हुआ और पैसा घट गया, 156 करोड़ रुपए के बाद 10 से 12 प्रतिशत तक मंहगाई बढ़ जाती है और आज बजट 150 करोड़ रुपए रह गया। नगरीय सीवरेज के लिए पिछले वर्ष 2013-14 में 120 करोड़ रुपए का बजट था इस साल घटकर 75 करोड़ रुपए रह गया है। आज उत्तर प्रदेश की 194 नगर पालिका परिषद् हैं, 13 महानगर पालिकाएं हैं, सवा चार सौ नगर पंचायतें हैं, अभी एक असेसमेंट निकला था कि 386 अरब रुपए की आवश्यकता है जल निकासी और सीवरेज के लिए। 120 करोड़ रुपए से घटाकर 75 करोड़ रुपये आपने कर दिया। 194 नगर पालिका परिषदों में मात्र 55 में आधी-अधूरी सीवरलाइन है और उसमें अगर सर्वे कराया जायेगा तो मान्यवर, उसमें से आधी से ज्यादा चोक निकलेंगी। मान्यवर, उसी दर्द से हम भी पीड़ित हैं, हम शाहजहांपुर में पिछले 20 साल से उम्मीद करते थे कि सीवर लाइन हमारी पूरी हो जायेगी। मुझे खुशी है कि परसों मा0 आजम खां साहब ने आश्वासन दिया है कि वह पूरा हो जायेगा और जो पैसा लगा है उसे बरबाद नहीं होने देंगे। सीवरेज के लिए पिछले साल दिया था 120 करोड़ रुपए और उसे घटाकर 75 करोड़ कर दिया है। मान्यवर, नगरीय जल निकासी के लिए 110 करोड़ रुपए पिछले साल दिया था और इस साल उसे घटाकर 75 करोड़ रुपए कर दिया है। नगरीय सड़क सुधार के लिए 150 करोड़ रुपए दिया था अब उसे घटाकर सौ करोड़ रुपए कर

दिया है। क्या सारे गड्ढे भर गये। मान्यवर, मैं पूछना चाहता हूं कि आखिरकार कौन सी मजबूरी थी कि नगरों पर इतना ज्यादा कुठाराघात कर दिया गया। मुझे नहीं मालूम कि नया सवेरा नई विकास योजना पर 900 करोड़ रुपए पिछली बार दिया था इसकी उपलब्धि क्या है, इसकी प्रोसेस क्या है किस स्थिति में है यह मान्यवर, यह मैं जरूर जानना चाहता हूं मा0 नगर विकास मंत्री जब अपना बजट भाषण दें तो कम से कम इस पर एक रोशनी जरूर डालें। तीसरी बात मान्यवर, बिजली आती है। मैं उन बातों को नहीं दोहराऊंगा जो सदन में आ चुकी है। राष्ट्रीय लाइनलॉस जो मैंने पढ़ा है, मैं कोई टेक्निकल इंजीनियर नहीं हूं विद्युत का लेकिन राष्ट्रीय लाइनलांस 15 प्रतिशत है और उत्तर प्रदेश का लाइनलांस जहां तक मेरी जानकारी है 25 परसेंट से ऊपर है अगर एक्जिक्ट फीगर दूं तो मेरी जानकारी के अनुसार यह 26.70 परसेंट है। उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर 16 हजार करोड़ रुपए बकाया है और जहां तक मेरी जानकारी है 10 हजार करोड़ रुपया उत्तर प्रदेश सरकार को पावर कारपोरेशन को देना है कुल 26 हजार करोड़ रुपये की देनदारी है उसके बाद भी नियामक आयोग टैरिफ बढ़ाने की बात करता है। हमने समाचार-पत्रों में पढ़ा था कि नियामक आयोग में इस प्रकार का असिस्मेंट हुआ है कि इतनी बड़ी बढ़ोत्तरी की जाए। 10 हजार करोड़ की बात थी लेकिन 15 हजार करोड़ का पैकेज देने की बात कही है, हो सकता है कि दे भी दिया हो, मुझे लेटेस्ट जानकारी नहीं है। लेकिन जो पैसा लोगों पर उधार है पहले वह वसूल किया जाना चाहिए। उसमें बहुत बड़े-बड़े लोग हैं जो हाईकोर्ट से और जनपदों से स्टे लेकर बैठे हुए हैं इसके ऊपर जरूर ध्यान दिया जाना चाहिए, आखिरकार वह पैसा कब वसूल होगा और अगर वह पैसा नहीं होता है तो बिजली न दे करके जनता के उपर अतिरिक्त बोझ डालना यह न्यायसंगत नहीं होगा। तीसरी और अंतिम बात हर क्षेत्र में पापूलेशन बढ़ रही है, अगर ट्रान्सफार्मर वहां 250 का लगा है तो वहां 400 का होना चाहिए रोज ट्रान्सफार्मर फुंक रहे हैं। एक मोटे असिस्मेंट के साथ मैंने एक प्रश्न लगाया था उसका जवाब पिछले साल आया था कि 8600 ट्रान्सफार्मर फुंके। ट्रान्सफार्मर में ऐसा मैकेनिज्म डेवलप होना चाहिए जिससे फ्यूज उड़ जाए मगर ट्रान्सफार्मर न फुंके, यह जरूर होना चाहिए। उस वक्त मैंने कहा था, मैंने प्रमुख सचिव, ऊर्जा से भी कहा लेकिन आज तक वह मैकेनिज्म डेवलप नहीं हुआ। अब मेरी मांग है कि यह जरूर होना चाहिए। इसके साथ-साथ चूंकि आबादी नगरों की बढ़ रही है, क्षेत्रों की आबादी बढ़ रही है, मांग बढ़ रही है इसलिए हर क्षेत्र में इस बात का असिस्मेंट करके बड़ी क्षमता का ट्रान्सफार्मर जरूर लगाया जाना चाहिए।

मान्यवर, कानून और व्यवस्था इस पर काफी चर्चा हो चुकी है।

श्री अध्यक्ष-

आप भी उस पर बोल चुके हैं।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं बोल चुका हूं लेकिन किसी बात को मैं दोहराउंगा नहीं। कोई भी सरकार नहीं चाहती कि उसके ऊपर धब्बा लगे, उसकी कानून-व्यवस्था खराब हो। मंशा के ऊपर, नीयत के ऊपर हरगिज शक नहीं है लेकिन मान्यवर, कार्यपद्धति पर शक है। जब से यह सरकार आयी है उत्तर प्रदेश में एक दर्जन घटनायें ऐसी हुई कि लोगों ने थाने में चढ़ाई करके सिपाही को मारा, दरोगा को मारा और यहां तक सहारनपुर के बेहटा थाने में सी0ओ0 से धक्का-मुक्की हुई, वह हमारे सदन के सदस्य हैं उनका नाम नहीं लेंगे। यह कब तक चलेगा, पुलिस का इकबाल समाप्त हो रहा है। इतना ज्यादा राजनीतिकरण

हो रहा कि पुलिस का इकबाल समाप्त हो रहा है। सिपाही और थानेदार अपने एस0पी0 की सुनते नहीं, वह कुछ भी कहता रहे। उनका काम केवल यह है कि रसगुल्ले वाली चौकी मिल जाए और उस रसगुल्ले वाली चौकी के लिए वह किसी भी सीमा तक जा सकते हैं, आखिरकार यह कब तक चलेगा ? नेशनल हाई-वेज और स्टेट हाई वेज की जो पुलिस चौकियां हैं कौन नहीं जानता कि उसके ऊपर अगर लकड़ी का ट्रक निकल जाए तो सिपाही दौड़कर उसे पकड़ लेता और किसी तरीके से उससे पैसा निकाल लेता है। आखिर वह कौन सा स्वर्णिम दिन आयेगा कि जिस दिन हम इस व्यवस्था को रोकेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी, अगर आपके दरवाजे से किसी को न्याय नहीं मिला, इस सदन से किसी को न्याय नहीं मिला तो उत्तर प्रदेश में वह कौन सा स्थान है, वह कौन सा दरवाजा है खटखटाये जहां उसको न्याय मिल जाये। मुख्य मंत्री जी मैं बड़े पीड़ा के साथ कह रहा हूं, मैं आलोचना नहीं करना चाहता इस बात के ऊपर, कानून-व्यवस्था के लिए यहां जितने लोग बैठे हैं किसी न किसी रूप में सब लोगों को इस बात को सोचना चाहिए कि आखिरकार ऐसे लोगों की सिफारिश करते हैं कि हम रसगुल्ले वाली चौकी पर उन्हें भेज दें, नेशनल हाई-वे की चौकी पर भेज दें क्यों? कौन नहीं जानता कि उस पर उगाही होगी। आज बालू खनन रुका है तो कोर्ट के माध्यम से। कहा यह जाता है कि जब तक ठेकेदार इन्वायरमेंटल क्लीयरेंस नहीं लेगा तब तक खनन की इजाजत नहीं मिल पायेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में, आखिरकार हम यहां पर बैठे हैं, बेहतर व्यवस्था देने के लिए, सुधार करने के लिए बैठे हैं। कब बालू आयेगी, जितने लोग निर्माण कार्य में लगे हैं सारे के सारे लोग प्रभावित हैं लेकिन मान्यवर, बालू का कोई समाधान नहीं है। हमने पिछले सत्र में भी इसे उठाया था, वर्ष 2013-14 में भी उठाया था और हम जरूर चाहेंगे माननीय मुख्य मंत्री जी कि आप अपने उत्तर भाषण में इस बात का जरूर ध्यान दें। आखिरकार वह कौन सा दिन आयेगा जब हम बालू का समाधान कर पायेंगे। मान्यवर, मैं उन चीजों को दोहराना नहीं चाहता।

श्री अध्यक्ष-

खन्ना जी, अब समाप्त करिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 34 प्रतिशत दवाई का बजट बढ़ा लेकिन किसी भी जनपद में किसी भी मरीज से जाकर यह पूछ लिया जाए कि तुमने बाहर से दवाई मंगाई या अस्पताल में भर्ती हो, अन्दर से तुम्हें दवाई मिलती है। मान्यवर, मैं इस्तीफा देकर विधान सभा से चला जाऊंगा यदि ऐसे 10 प्रतिशत लोग भी मिल जायेंगे। मान्यवर, मैं रोज इस समस्या से दो-चार होता हूं जिन लोगों के लिए अस्पताल खुला उनको दवाई सिफारिश से भले मिल जाए, वैसे नहीं मिलती है। किसी अधिकारी या नेता को भले ही मिल जायेगी लेकिन गरीब लोगों को नहीं मिलती है और वह गरीब जिसके पास सिवाय सरकारी अस्पताल के पास जाने के लिए कोई चारा नहीं है। बिना सिफारिश के दवाई नहीं दी जा रही है। आप हमारी बात मत काटें शाहजहांपुर चले हम वहां दिखा देंगे।

जरूर चाहता हूं कि-

(सता पक्ष के अनेक माननीय सदस्यों द्वारा एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा। मान्यवर आपने एक राम सरन दास ग्राम्य सड़क योजना चलाई बहुत अच्छी है राम सरन दास जी हमारे नेता रहे हैं हम उनका बहुत

सम्मान करते थे इसमें 50 करोड़ रुपया कम है मुख्य मंत्री जी उस बड़ी हस्ती के बेटे है जिन्होंने सिगरेट की डिब्बी पर भी अगर कोई चीज लिख दी तो उसका भी अनुपालन हो गया। मैंने पिछली बार भी कहा था कम से कम 500 करोड़ रुपया उसका होना चाहिये और जितने भी माननीय विधायक बैठे है कम से कम एक-एक करोड़ रुपये से उनके क्षेत्र की सड़कों की मरम्मत भी हो जायेगी और दोनों सदनों की यह मांग भी पूरी हो जायेगी और माननीय राम सरन दास जी को कम से कम इसी बहाने एक श्रद्धांजलि हो जायेगी। पूरे उत्तर प्रदेश में पत्थर तो आप ही के लगेंगे पत्थर कोई मेरा नहीं लगेगा लेकिन हमारे क्षेत्र की सड़कों के गड्ढे भर जायेंगे। एक दो सड़क हमको भी मिल जायेगी। हम भी कम से कम लोगों से कहेंगे कि मुख्य मंत्री जी ने हमारी बात को सुनकर यह मांग पूरी कर दी।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

शौचालय के लिये 359 करोड़ रुपया कम है 60 से 80 प्रतिशत ग्रामीण क्षेत्र के लोग बिना शौचालय के रहते हैं। इसके ऊपर जरूर विचार कर लें और अन्तिम बात हमने पिछली बार भी कहा था कि विधायकों की सेलरी मत बढ़ाइए भत्ते मत बढ़ाइए बदनामी होती है लोग कहते है कि अपना वेतन अपने आप बढ़ा लिया प्राइस इंडेक्स से इसको जोड़ दीजिये अगर प्राइस इंडेक्स बढ़ेगा तो हम लोगों का अपने आप कल्याण हो जायेगा। हिसाब लगाइये कि हमारा चीफ सेक्रेट्री से बड़ा स्तर है वारण्ट आफ प्रेसीडेंट क्या कहता है कि वी आर एबब द चीफ सेक्रेट्री और हमारी स्थिति क्या है हम एक चाय किसी को नहीं पिला सकते। प्राइस इंडेक्स से विधायकों का वेतन और भत्ता जोड़ दिया जाय रेलवे का किराया बढ़ा अभी 14 प्रतिशत कूपन कितने के हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, यह बात सारा सदन सुनना चाहता है कि इसमें अकेले सुरेश खन्ना का फायदा नहीं होगा न केवल शाहजहांपुर के लोगों का फायदा होगा। यह देखिये माननीय सदस्यगण भी कह रहे हैं कि बोलिये। मान्यवर, 100-100 नल मुख्य मंत्री जी ने दिये थे पिछले साल पूरे हाउस ने मेजें थपथपाकर स्वागत किया था हो सकता है कि मुख्य मंत्री जी आखिरी दिन 200 नल देने की घोषणा करने का मन बनाकर आये हों तो हम क्यों कटौती करें अगर आप ज्यादा देंगे तो हम ज्यादा मेजें थपथपाएंगे। आपका गुणगान ज्यादा होगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने और कुछ नहीं तो पीने के पानी की व्यवस्था कर दी।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी यहां पर एक सदस्य बैठा करते थे जिनका नाम हुआ करता था श्री माता प्रसाद पाण्डेय जी वह व्यवस्था के प्रश्न के माध्यम से उन्होंने बड़ी-बड़ी समस्याओं का हल करवा लिया। मान्यवर, यह पैसा सिद्धार्थनगर भी जायेगा इसलिये मान्यवर, व्यवस्था के प्रश्न के नाम

पर बड़ी-बड़ी समस्याओं का हल उन्होंने करवा दिया। अध्यक्ष जी मैं मुख्य मंत्री जी से जरूर चाहूंगा कि माननीय राम सरन दास के नाम से 500 करोड़ रुपया, नल और प्राइस इंडेक्स से विधायकों का वेतन जरूर जोड़ दिया जाय यह मैं जरूर कहना चाहूंगा। मान्यवर, आपने मुझे बजट की सामान्य चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद।

श्री दीप नारायण सिंह ''दीपक यादव''-

माननीय अध्यक्ष जी हम आपके आभारी है कि आपने माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा रखे गये बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया मैं काफी देर से कल से हमारे अपने सामने बैठे साथियों की बात गौर से सुन रहा था। मान्यवर, जिस बजट की प्रशंसा होनी चाहिये थी जिस मकसद के साथ एक शानदार बजट बनाकर उत्तर प्रदेश की जनता के लिये सौंपा गया है उसके समर्थन की बात की जानी चाहिये थी लेकिन हमारे साथियों ने बहुत सारी बातों को जोड़कर उपहास उड़ाने का काम किया। बल्कि प्रशंसा इस बात की होनी चाहिये थी कि हिन्दुस्तान की सरकार के बजट के बाद यह देश का दूसरा बजट है जो इतनी बड़ी धनराशि को लेकर आये हैं और इस पूरी धनराशि को उत्तर प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिये एक साफ सुथरे दिमाग के साथ, एक बड़ी सोच के साथ उत्तर प्रदेश की जनता के बीच में लाया गया है। हमारे साथियों ने, खास तौर से अभी खन्ना साहब ने बहुत सारी बातें कही है। मैं कहना चाहता हूं कि तात्कालिक बात सुनकर मुझे कुछ बातें समझ में आती है। मैं अपनी बात रखना चाहता हूं। खन्ना जी ने जिन बातों की चर्चा की उसमें जो पिछले दो साल की सरकार के कामों का जिक्र नहीं किया। माननीय अध्यक्ष जी, इन्हें अपने आप में अफसोस होना चाहिये कि उत्तर प्रदेश की दो साल की सरकार ने वह बड़े फैसले लिये जो हिन्दुस्तान में इनकी बहुत सारी सरकारें मिलकर नहीं ले पाई। वह फैसला था कि 2 साल के छोटे से कार्यकाल में 15 लाख किसानों के बच्चों को लैपटॉप पहुंचा दिया। इन्हें अफसोस इस बात पर होना चाहिये कि गुजरात के विकास के नाम पर जो हम वोट मांग रहे हैं, गुजरात की सरकार 15 साल में किसी एक किसान के बेटे को लैपटॉप नहीं दे पाई। इन्हें अफसोस होना चाहिये कि मध्य प्रदेश की सरकार 15 साल से चल रही है, गरीब पिछड़े इलाकों से जुड़ा पूरा प्रदेश है। वहां के प्रदेश की सरकार किसी एक किसान की बेटे को लैपटाप नहीं बांट पाई। राजस्थान की सरकार नहीं बांट पाई, गोवा की सरकार नहीं बांट पाई, छत्तीसगढ़ की सरकार नहीं बांट पाई। सारी सरकारों को मिलाकर भी अगर जोड़े तो एक योजना नहीं बना पाई। जिससे गरीब किसान के पढ़े लिखे बेटे की मदद हो जाती। इन्हें अफसोस इस बात का होना चाहिये कि 2 साल के अन्दर 1200 करोड़ रुपये गरीब किसानों की बेटियों को कन्या विद्या धन के रूप में बांट दिये। यह काम पूरे हिन्दुस्तान की कोई सरकार नहीं कर पाई इसके लिये माननीय मुख्य मंत्री जी को बधाई देना चाहिये था कि आपने गरीब किसान की बेटी को पढ़ाने के लिये 1200 करोड़ रुपये खर्च कर दिये। मान्यवर, इन्हें बधाई देना चाहिये था कि उत्तर प्रदेश की सरकार ने दो साल के अन्दर वह फैसला लिया कि हम अपने प्रदेश के किसान की सिंचाई माफ करेंगे। इन्हें अफसोस होना चाहिये था कि हम वर्षों से राज्य कर रहे है विभिन्न प्रान्तों में लेकिन उन प्रान्तों की सरकारों ने भी एक रुपया किसी किसान का सिंचाई के रूप में माफ नहीं करा पाये। मान्यवर, बजट का 70 फीसदी पैसा गांवों में खर्च हुआ, ऐतिहासिक फैसले हुये। इनके पास उन मुद्दों पर लड़ने की क्षमता नहीं है। इनके पास किसी प्रदेश में कोई काम नहीं है। इनकी सरकारों का कोई एक ऐसा फैसला नहीं है जिसका मुकाबला इन कामों से कर सकें इसलिये नई बातें पैदा करने का प्रयास कर रहे है। हमारे ब0स0पा0 के साथी भी बोल रहे थे, बहुत बड़ी-बड़ी बाते याद कर रहे थे। मैं इनको भी याद

दिलाना चाहता हूं कि आपकी सरकार का समय भी हमने देखा और उग्रवाद का समय भी हमने देखा कि छोटी-छोटी बातों को कहने के लिये, माननीय अध्यक्ष जी, आप भी हम लोगों के साथ बैठा करते थे, कई अवसर मांगा करते थे लेकिन पीठ पर बैठे व्यक्ति ने कभी प्रयास नहीं किया। संसदीय कार्य मंत्री ऐसा प्रयास करते थे कि पीठ को भी नीचे से चलाने का काम होता था और हमारी बातों को सुनने का मौका भी नहीं दिया जाता था। हम उन्हें याद दिलाना चाहते हैं कि इस बजट के बारे में तुम्हारी क्या राय है, तुम अपनी समझ से जानों लेकिन आप याद करो 5 साल की सरकार में आपने पी0डब्ल्यू0डी0 में सड़क निर्माण के नाम पर कितना पैसा खर्च किया ? जितना पैसा आपने पूरे 5 साल में खर्च किया उतना पैसा अकेले एक साल में सड़क और सिंचाई के नाम पर इस प्रदेश सरकार ने बजट में देने का काम किया है। (मेजें थपथपाई गई) मान्यवर, शिक्षा के विस्तार का बजट भी है। वह न केवल 15 फीसदी है पिछली सरकार के बजट से बल्कि अगर इनकी सरकारों से तुलना करें तो वह दुगुना है तब इन्हें शर्म आनी चाहिये कि हमारा जो पैसा, जनता की मेहनत की कमाई का पैसा, जो पैसा हमें सरकार के रूप में मिला था वह गरीबों की मदद करने के नाम पर मिला था तब हमारी उस सरकार ने वह गन्दे फैसले लिये। न सड़क बनाई, न बिजली बनाई, न सिंचाई के साधन बनाये, न शिक्षा का विस्तार किया बल्कि वह गरीबों का पैसा पार्कों में बर्बाद कर दिया था जिसके कारण आप आज वहां बैठे हैं। यह अफसोस आपके दिमाग में होना चाहिए था और प्रशंसा करनी चाहिए थी कि एक ऐसा नौजवान मुख्य मंत्री जो सबके हित की बात सोचता हो, जिसके मन का मकसद हो कि हम किसी तरह से सत्ता को गरीब की तरक्की का माध्यम बना दें। जो प्रयास करता हो कि एक एक पैसा ऐसी जगह खर्च हो कि हम उत्तर प्रदेश के देश में नहीं बल्कि दुनिया के विकसित प्रदेशों के बीच में खड़ा कर दें। एक ऐसी अच्छी सोच के साथ जो प्रदेश की सरकार काम कर रही है तो लोग कमियां निकालने का प्रयास कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं माननीय मुख्य मंत्री जी को कि आपने अपने बजट में बुन्देलखण्ड, जो कि एक पिछड़ा क्षेत्र, जिसके हालात पर लोगों ने बड़े-बड़े घड़ियाली आंसू बहाये। हमारे सामने बैठे साथी सत्ता में थे, बुन्देलखंड की बड़ी-बड़ी बातें किया करते थे। हमारे और साथी भी जिन्होंने बुन्देलखण्ड की बातें कही लेकिन बुन्देलखण्ड के विकास की बुनियाद कहां से शुरू होती है तो वह समय 1989 है जब माननीय मुलायम सिंह यादव पहली बार मुख्य मंत्री बना करते हैं।

हमारे नेता यह प्रयास करते हं कि बुन्देलखण्ड के विकास के लिए बुन्देलखण्ड विकास निधि की जरूरत है और बुन्देलखण्ड विकास निधि का निर्माण होता है और उसके बाद जब-जब समाजवादी पार्टी की सरकार को आदरणीय नेता जी को मौका मिला, हमेशा बुन्देलखण्ड को आगे बढ़ाने के लिए पैकेज मिले। मैं मा0 मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं कि हम भले ही 19 सीटों में 04 लोग जीत कर आए हों, लेकिन आप जब बजट देते हैं तो इस छोटे से पिछड़े प्रदेश को 758 करोड़ रुपये देने का काम किया है, यह उन सारे लोगों का जवाब है, आप अपने बजट की कापियां खोलो, आप अपने समय का प्रोजेक्ट देखो और तब देखो की आपने बुन्देलखण्ड के विकास के लिए क्या काम किये थे। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से एक बात और ध्यान दिलाना चाहता हूं। हमारे साथी कानून-व्यवस्था को लेकर बड़े गम्भीर दिखायी देते हैं, बड़ी-बड़ी बाते करते हैं। कानून-व्यवस्था की हनक की बात कर रहे थे, मान्यवर, वह लोग ऐसी बात कर रहे हैं जो सरकार में रहते लाखों लोगों की हत्या करके एक ही इमारत को गिराने के लिए किस हालत में प्रदेश को पहुंचा देते हैं। वह लोग कानून-व्यवस्था की बात कह रहे है जो गुजरात के अन्दर चार दिनों के अन्दर 2500 लोगों की हत्या करा देते हैं, जिन्दा जलवा देते हैं, सत्ता में बैठकर, वह कानून-व्यवस्था की बात कर रहे हैं। मान्यवर,

मैं इसलिए उनकी ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मान्यवर, वह अपने गिरेवान में झांकें और प्रयास करें कि जो गलतियां उनके पुरखों ने की हैं, जो गलतियां उनकी पूर्व की सरकारों ने की हैं, वह गलतियां प्रदेश में न हों। मान्यवर, बहुत सारी ऐसी बातें है जो बाते हमारे प्रदेश से जुड़ी है। मान्यवर, आंकड़े बताते है, आदरणीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने ऐसे आंकड़े रखे है, सबके सामने कि सारे लोगों के दिमाग खुल गए। मैं कहना चाहता हूं कि वह आंकड़े कहां के है, अगर इनकी सरकारों को जोड़ लें, अगर हम आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश को जोड़ें, अगर इनकी सरकारों को जोड़ लें, अगर भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में जहां-जहां सरकारें है, उनकी आबादी को जोड़ लें, अगर हम मध्य प्रदेश चलें तो मध्य प्रदेश की आबादी 7 करोड़ है, मान्यवर, वहां के आंकड़े आपके सामने है। राजस्थान की आबादी 6 करोड़ है, गुजरात की आबादी लगभग 6 करोड़ 80 लाख है, सारे इनके प्रान्तों की आबादी को जब हम जोड़ लेते है तब हम देखते है कि अकेला उत्तर प्रदेश उससे भारी दिखायी पड़ता है। मान्यवर, यह छोटे-छोटे प्रदेशों में कानून-व्यवस्था नहीं संभाल पा रहे है और इतने बड़े प्रदेश में ऐसी चीजों को कहकर कमेन्ट करने का काम कर रहे है, मैं चाहता हूं, साथियों, अच्छे दिमाग के साथ, अच्छी सोच के साथ, एक राजनैतिक बात करने के साथ जब हम इस सदन के सदस्य को अपना परिवार मानते है, सत्ता और विपक्ष तो हमारी भूमिका का काम है तो अच्छी बात का समर्थन भी करें और हमारी कमियों के लिए हमें सलाह दें, तब जाकर लोकतांत्रिक तरीके से पूरा काम होगा। मुझे विश्वास और भरोसा है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट रखा है, वह उत्तर प्रदेश की तस्वीर को बदल देगा, इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं, समर्थन करता हूं, धन्यवाद देता हूं।

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, बजट के सत्र में 2014-15 में माननीय नेता प्रतिपक्ष की बातों का समर्थन करते हुए, माननीय नेता भाजपा और माननीय नेता कांग्रेस का समर्थन करते हुए कहना चाहता हूं कि इस बजट सत्र में बहुत सारी अच्छाइयां है तो बहुत सारी कमी भी है। किसान दुर्घटना बीमा योजना जब पिछली बार इस सदन में आया तो मा0 मुख्य मंत्री जी ने इसे 01 लाख से बढ़ाकर 05 लाख रुपये तक बढ़ाया और इस पर सारे लोगों ने बड़ी मजबूती के साथ मा0 मुख्य मंत्री जी की हौसला अफजाई करते हुए मेज थपथपाकर इनका स्वागत किया था। लेकिन बड़े दुख का विषय है कि एक साल में लगभग 700 से अधिक लोगों का हमारे जिले जनपद कुशीनगर में किसान दुर्घटना बीमा योजना का एक पैसा नहीं पहुंच पाया है, जिला कुशीनगर में बकाया है, इस योजना का लाभ किसानों को अब तक नहीं मिल पाया है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

मान्यवर, माननीय सदस्य जितनी संख्या बता रहे है, कोई बचे भी ? (हंसी)

श्री अजय कुमार 'लल्लू'-

माननीय अध्यक्ष जी, किसान दुर्घटना बीमा योजना के बाद इस बजट सत्र में जिला साधन सहकारी समिति जिस पर लगभग हजारों करोड़ रुपये किसानों का बकाया है। गन्ना किसानों को अब तक उनके बकाये का भुगतान नहीं हो पाया है। उस बैंक में पैसा फंसा हुआ है। जिस पर इस सरकार ने इस बजट में कोई प्राविधान नहीं किया है। जहां तक नहरों की पुनर्स्थापना का मामला है। हमारे यहां मुख्य पश्चिमी गण्डक नहर जो वर्षों से सिल्ट से पटी है मेन कैनाल जिसकी सफाई होनी चाहिए

थी और सफाई पिछले कई वर्षों से न हो पाने के कारण और उन नहरों की पुनर्स्थापना न हो जाने के कारण हेड से टेल तक तमाम शाखाओं में माइनरों में पानी नहीं पहुंच पा रहा है। जिससे किसानों को भारी संकट का सामना करना पड़ रहा है। पुनर्स्थापना के क्रम में आज से लगभग वर्ष 2010 में जब बसपा की सरकार थी तो केन्द्र सरकार ने इनको एक करोड़ रुपये का और 272 करोड़ रुपये का पूरा प्रोजेक्ट था। एक करोड़ रुपया उस समय केन्द्र सरकार ने दिया था 75 प्रतिशत उसमें उत्तर प्रदेश सरकार को देना था। इस मुद्दे पर कई बार सदन में सवाल लगाया गया लेकिन अब तक उन नहरों की पुनर्स्थापना का कोई इंतजाम नहीं किया गया जिसके कारण से हमारा एक बहुत बड़ा क्षेत्र तमकुहीराज जो यू0पी0 और बिहार के अंतिम क्षेत्र पर पड़ता है उन नहरों के पुनर्स्थापना न होने के कारण किसानों को हेड से टेल तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है। मान्यवर, आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि हमारे यहां कालाजार से लगभग अब तक 14 से 15 बच्चे मर चुके हैं और लगातार उससे मौत हो रही है। इस मुद्दे को हमने सदन के पटल पर और मा0 स्वास्थ्य मंत्री जी के सामने भी रखा लेकिन इसके ठोस इंतजाम न हो पाने के कारण कालाजार जैसी गंभीर बीमारियों से निजात नहीं पाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में यह पहले बताया गया था कि यह बीमारी उत्तर प्रदेश में समाप्त हो गयी है। इसका इलाज बिहार में हो रहा है और बिहार में अगर कालाजार से कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसको मुआवजे के तौर पर बिहार सरकार दो लाख रुपये की राशि देती है। मान्यवर, कालाजार एक बुखार है। अब तक हमारे क्षेत्र में 11 से 12 व्यक्ति मर चुके हैं और आप लगातार प्रेस के माध्यम से पेपर के माध्यम से टी0वी0 के माध्यम से जिसको यहां पर संज्ञान नहीं लिया जाता है उनमें देख सकते है कि लगातार इससे मौतें हो रही है। मान्यवर, जिला मुख्यालय से तहसील मुख्यालयों को जोड़ने का एक सपना मा0 मुख्य मंत्री जी का था और इन्होंने तमाम जनपदों को तहसील से जोड़ने के लिए इस योजना में कई बार पैसा देने का काम किया। हमारे यहां जो जिला मुख्यालय से तमकुहीराज मुख्यालय तक जोड़ने की जो सड़क थी उसका निर्माण आधा गोड़रिया तक हुआ और गोड़रिया के बाद पिछले दो वर्षों में लगातार मैंने इसको सदन के पटल पर रखा और तमाम नियमों में इस चीज को उठाने का काम किया लेकिन अब तक उस पर पैसे न दे पाने के कारण वह सड़क का निर्माण अधूरा है। आपके माध्यम से मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उन सड़कों का पैसा देकर उन सड़कों का निर्माण पूरा करायें। फायर स्टेशन हमारे यहां कई वर्षो से बन रहा है और वह फायर स्टेशन अधूरा पड़ा हुआ है। आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा कि समय रहते उन फायर स्टेशनों को पूरा कर लिया जाये। हमारा इलाका काफी नदी और किनारे से बसा हुआ गांव है। काफी गरीब क्षेत्र है आज भी वहां झोपड़ियां है। आज भी हम लोग वहां तीन महीना तो बाढ़ की विभीषिका को झेलते है और चार महीना अग्नि की पीड़ा को झेलते है। शायद फायर स्टेशन के बनने से वहां फायर स्टेशन की गाड़ियां होने से शायद उन इलाकों का कल्याण हो जाये और जो आग लगती है भगवान न करे कि ऐसी कोई आपदा आये लेकिन समय रहते हम उस पर तुरन्त नियंत्रण पा सकें। मान्यवर, मैं कहना चाहूंगा कि पिछली बार भी मैंने इस चीज को उठाया था लेकिन हमारी बात पर सरकार ने ध्यान नहीं दिया था। मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी से भी कई बार कहा कि हमारे यहां एशिया स्तर का कृषि अनुसंधान केन्द्र है। 300 एकड़ की जमीन है। पहले उस अनुसंधान केन्द्र में डायरेक्टर बैठा करते थे और आज एक ज्वाइंट डायरेक्टर बैठते हैं। वह भी जीर्ण-शीर्ण अवस्था में है। यहां उस कृषि अनुसंधान केन्द्र से तमाम गन्ने के बीज शोध हो सकते है। अच्छी प्रजातियां पैदा हो सकती है और आज भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उस जीर्ण-क्षीर्ण

अवस्था में भी जो कृषि अनुसंधान बीज पैदा करता है वह पूरे प्रदेश में बड़ी महत्वपूर्ण गन्ने की उपज में सहायक होती है। मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी से कई बार कहा, इस बार भी मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि मा0 मुख्य मंत्री जी 300 एकड़ भूमि किसी कृषि अनुसंधान में नहीं होगी, आप कृषि विश्वविद्यालय बनाने जा रहे हैं, इसका हम स्वागत करते है, आप उसे भी कृषि विश्वविद्यालय का दर्जा देने का काम करें। मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नगर विकास मंत्री जी बैठे हुए है, आपको मैंने एक पत्र दिया था तमकुहीराज और दुदही को नगर पंचायत बनाने के लिए, मा0 अध्यक्ष जी आपने उस पर जांच कर के वहां की सारी स्थितियों का अवलोकन करना चाहा, सारी रिपोर्ट आ चुकी है, मैं मांग करता हूं मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मा0 नगर विकास मंत्री जी से कि उसे नगर पंचायत का दर्जा देने का काम करें। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां नदी के किनारे बहुत बड़ी आबादी रहती है, मैं पिछले दो वर्षों से जब से इस सदन में चुनकर के आया हूं, लगातार तमाम पत्रों के माध्यम से तमाम बार नियमों में कानूनों में उठाता रहा हूं इस सदन में, मैंने कई बार अनुरोध किया मा0 मुख्य मंत्री जी से भी मा0 पी0डब्ल्यू0डी0 मंत्री जी से भी, आपके माध्यम से मैं इस सदन में हाथ जोड़कर अनुरोध करना चाहता हूं, हमारे यहां एक हिस्सा गौरी-जगदीश का जो गौरी घाट के नाम से मशहूर है, टी0बी0 रोड जो बाबू गेंदा सिंह जी के जमाने में गेंदा सिंह जी को हर लोग जानते है, बड़े सम्मान के साथ जानते है, उनकी बनाई हुई तमकुही रोड बरवा-पट्टी मार्ग जो 1984 में बाढ़ के कारण कट गई थी, वहां पर पुल न होने के कारण करीब तीसों गांव उस पार है और यही बगल में गौरी घाट पर पुल न होने के कारण और पिपराघाट में वहां गोलाघाट पुल न होने के कारण वहां के हजारों-हजार लोग जो आजादी के इतने दशकों बाद भी आज भी एक अच्छा जीवन नहीं जी पाते है, उन लोगों को अगर कोई बीमारी होती है तो बिहार के रास्ते होते हुए 40 किमी0 दूर होके आते है। मैं आपके माध्यम से अनुरोध करूंगा उस पुल को बनवाने का। इतना ही नहीं मा0 अध्यक्ष जी, इन्सेफ्लाइटिस हमारे क्षेत्र में एक बहुत बड़ी समस्या है और इन्सेफ्लाइटिस पर मा0 मुख्य मंत्री जी ने 300 बेड का अस्पताल देने की घोषणा की, मैं स्वागत करता हूं, लेकिन मा0 मुख्य मंत्री जी उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं इन्सेफ्लाइटिस से सबसे ज्यादा बच्चे हमारे यहां मरते है तमकुहीराज विधान सभा क्षेत्र में और मैं आपसे कहना चाहता हूं वहां की जो सबसे बेसिक प्रॉब्लम है, वहां जो कर्मचारी है जो इन्सेफ्लाइटिस का वार्ड है, वह संविदा के कर्मचारी है, संविदा के तमाम वहां डाक्टर भी है जो देख-रेख इन्सेफ्लाइटिस वार्ड की करते है, उनकी लगातार यह शिकायत रहती है कि हमको समय से न तो तनख्वाह मिल पाती है न तो समय से जो भी हमको चीजें चाहिए वह मिल पाती है, तो मैं मा0 मुख्य मंत्री जी से आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि उनकी भी व्यवस्था को समाहित करते हुए उनकी समस्याओं का निराकरण करने का प्रयास करें। मा0 अध्यक्ष जी आपके माध्यम से मैं कहना चाहूंगा कि हमारे यहां छितौनी-तमकुही रोड एक रेलवे लाइन की परियोजना स्वीकृत हुई थी, वहां पर बिहार सरकार ने जमीन अधिग्रहण कर ली और मैंने आपके माध्यम से नियम-56 में भी इस मुद्दे को उठाया था, सरकार ने आश्वासन भी दिया, लेकिन अब तक उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा जो तमकुही इलाके की जमीन है वह अभी तक अधिग्रहीत नहीं हो पायी है, मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उस जमीन को तत्काल अधिग्रहीत कर के किसानों का जो भी मुआवजा हो सकता है, देकर कराने का कार्य किया जाय और अन्तिम बात कहते हुए मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि हमारा सेवरही सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र जो सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के नाम से है और वह एडीशनल पी0एच0सी0

के तौर पर ट्रीट होता है। उस सामुदायिक केन्द्र के डाक्टरों का पैसा कह रहे है कि पी0एच0सी0 से मिलता है। इस पर मैने तमाम बार पत्र भी लिखे लेकिन उसको सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का दर्जा नहीं दिया जा सका। मैं आपके माध्यम से मा0 मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि उस पर ध्यान दें और अन्तिम में मैं आप सबको धन्यवाद अर्पित करते हुये, क्षमा चाहते हुए चूंकि 700 नही था 70 था। मैं क्षमा चाहता हूं कि लिखने में कुछ गड़बड़ थी। 70 किसानों का किसान दुर्घटना बीमा योजना का बकाया है, उसको रिलीज कर दें। धन्यवाद।

श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, इस बजट पर हमको बोलने का मौका दिया। इसके लिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मान्यवर, हमारे मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्तुत किया। उस बजट का विरोध विरोधी पार्टी के हमारे नेता लोग विरोध के लिये कर रहे हैं। बजट पर उनकी कोई टिप्पणी नहीं है, बजट पर उनका कोई आरोप नहीं है। बजट में इनको कोई खामी दिखाई नहीं दे रही है। सिर्फ विरोध करने के लिये ये बजट का विरोध कर रहे हैं। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि जिस लैपटाप को हमारे विरोधी दल ने घुनघुना कहा था। वह बहुजन समाज पार्टी का घुनघुना नहीं है। वह भारतीय जनता पार्टी का अच्छे दिन आने का घुनघुना नहीं है। वह घुनघुना हमारे बच्चों को पढ़ाने का घुनघुना है। 15 लाख परिवारों को लैपटाप दिया गया, उसकी आपने कोई अच्छाई नहीं की। 15 लाख बच्चों की बात नहीं कर रहा हूं, 15 लाख परिवारों की बात कर रहा हूं, अगर एक परिवार को एक लैपटाप मिल गया तो वह 3 साल चलेगा, 4 साल चलेगा। वह बहुजन समाज पार्टी का घुनघुना नहीं है। मैंने पहले कह दिया कि एक लैपटाप अगर एक परिवार को मिल गया तो 15 लाख परिवारों को लैपटाप मिल गया। पहले हमारे जमाने में जब हम पढ़ते थे। एक में जो लड़का पढ़ता था, दो मैं जो पढ़ता था, तीन में पढ़ता था और जब चार में चला जाता था तो वह जो चार वाली किताब थी वह तीन वाले को दे दिया करता था। ये लैपटाप खराब होने वाली चीज नहीं है इसको आप घुनघुना बता रहे हैं परन्तु हमारे मुख्य मंत्री ने इसको हमारे, आपके समाज को सुधारने के लिये, हमारे बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिये दिया है, उसकी आपको बड़ाई करनी चाहिये थी। हम अपने मुख्य मंत्री जी की बजट के माध्यम से बड़ाई करना चाहते हैं इसलिये नहीं कि मैं उनके दल में हूं इसलिये कि पहली बार किसी मुख्य मुंत्री ने प्राइवेट ट्यूबवेल में, एक-एक किसान जो दो-दो तीन-तीन साल तक एक कनेक्शन के लिये मरा करता था, घूमा करता था, अधिकारियों के चक्कर लगाया करता था तो पहली बार हमारे मुख्य मंत्री ने कहा कि अगर किसान एप्लाई करेगा, एप्लीकेशन दे देगा प्राइवेट ट्यूबवेल के लिये तो उसको तुरन्त कनेक्शन मिल जायेगा। यह पहली बार हुआ है। यह आपको नहीं दिखायी दे रहा है। मैं तो आपसे विनती करना चाहता हूं कि इस बजट का जितना सम्मान होना चाहिये था, हमारे विरोधी दल के नेताओं को करना चाहिये। मैं केवल एक विनती करना चाहता हूं कि आप लोगों ने कहा कि सिर्फ कब्रिस्तान की बाउण्ड्री के लिये, कब्रिस्तान की बाउण्ड्री के लिये बहुत झगड़े हुये, गांव-गांव में लफड़े हुये। उसमें सुअर घुस जाते थे, उसमें तमाम जानवर घुस जाते थे, उस पर कब्जा हो जाता था। आज उसका काम जब शुरू हुआ तो आपने उसकी बड़ाई नहीं किया। जब हमारा शमशान घाट बनाने के लिये हमारी सरकार ने बजट में प्रावधान किया तो उसकी बड़ाई आपने नहीं की। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक भी जैसे लखनऊ में भैंसाकुण्ड बना हुआ है, उसी तरह से शमशान घाट बनारस में बनना चाहिये, इलाहाबाद में बनना चाहिये। बरसात में जब मिट्टी जाती है गंगा जी के किनारे तो आदमी किस किस तरह से प्रवाह करता है, उसकी भी जानकारी आपको है लेकिन उसकी

आपने कहीं बड़ाई नहीं की। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं मा0 अध्यक्ष जी, जिस तरह से बजट प्रस्तुत किया गया। यह बजट उत्तर प्रदेश का आईना है। इस बजट के माध्यम से गरीब किसान, मजदूर जितना लाभान्वित होगा वह कोई कर नहीं सकता है। मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपसे अपने क्षेत्र के लिये भी निवेदन करूंगा कि मैं इलाहाबाद से चलता हूं, चलकर आया हूं। मेरी विधान सभा में एक टाउन एरिया भारतगंज है जिसकी हालत पहाड़ पर हैं, गर्मी में वहां पानी सूख जाता है। उस टाउन एरिया के पास अपना कोई डिग्री कालेज नहीं है, लड़कियों का कोई इण्टर कालेज नहीं है। मैं अपने मुख्य मंत्री जी से कहूंगा कि इसको बजट में जोड़ लिया जाये कि उसमें एक डिग्री कालेज और एक इण्टर कालेज बनाने की व्यवस्था हमारे भारतगंज टाउन एरिया में की जाये। इलाहाबाद में आपने बहुत कुछ दिया है परन्तु हमारे टाउन एरिया जो अल्पसंख्यक बाहुल्य टाउन एरिया है, जिसमें 80 परसेण्ट अल्पसंख्यक बहुत एरिया मे एक डिग्री कालेज एक इण्टर कालेज देने की व्यवस्था की जाए। मैं चाहता हूं कि यह बजट में जोड़ा जाए। मैं इस बजट का पुरजोर समर्थन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मा0 अध्यक्ष महोदय, आपने वर्ष 2014-15 के बजट में हो रही साधारण चर्चा में हमें अपनी बात रखने का अवसर दिया, मैं आपका आभारी हूं। मा0 अध्यक्ष महोदय, यह बजट हो मा0 मुख्य मंत्री जी के द्वारा रखा गया, मैं इसके विरोध में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैंने पूरे बजट भाषण को सुना भी और इसको पढ़ने का काम भी किया। माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा इसमें यह चिंता जाहिर की गयी है कि गांवों से जो पलायन हो रहा है, उसको कैसे रोका जाये यह चिंता का विषय है। मान्यवर, हम जहां से चुनकर आते हैं, पूरा-का-पूरा ग्रामीण क्षेत्र है और गांवों में आज जरा सा भी जो व्यक्ति सम्पन्न होता है, वह शहर की तरफ जाने का इरादा बना लेता है। उसके पीछे तमाम मूलभूत कारण भी हैं और इस पूरे बजट में पलायन को कैसे रोका जाये, इसमें कोई ऐसी बात नहीं कही गई है। मैं मान्यवर, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि गांवों का विकास जरूरी है, जब तक गांवों का विकास नहीं होगा शायद पलायन न रुक पाये और गांवों का विकास करने के लिए हमारी सरकार ने जैसे अम्बेडकर ग्राम विकास योजना चलाई थी, उसी तरीके से इस सरकार के द्वारा लोहिया ग्राम विकास योजना चलाई जा रही है, लेकिन अभी कई सदस्यों ने भी रखा और यह यथार्थ भी है कि लोहिया ग्राम विकास योजना के अन्तर्गत जिन गांवों का चयन किया गया है, उन गांवों का समग्र विकास नहीं हो रहा है। आज हमारे गांव में रहने वाले लोग ज्यादातर कृषि पर आधारित हैं। गांवों में कृषि की कोई आधुनिक तकनीक के लिए संसाधन नहीं हैं कि जिससे उनको कुछ नई खेती करने के बारे में सलाह दी जाये। हमारे गांव में रहने वाले लोग अधिकतर किसानी करते हैं और किसानी करने के बाद वह चाहते हैं कि उनकी संताने पढ़ाई-लिखायी करें और आज इस सदन में स्कूलों की क्या स्थिति है बेसिक शिक्षा का क्या हाल है, इस पर भी सारा सदन चिन्तित था और मा0 मंत्री जी ने भी इसको स्वीकार किया कि स्थिति वाकई में खराब है। आज स्वास्थ्य की व्यवस्था ऐसी है कि हमारे यहां एक पी0एच0सी0 है, वहां कुछ ऐसे लोग हैं जो सरकारी धन को हड़पने के लिए बैठे हैं, उनको वहां से सी0एम0ओ0 हटाते हैं और वो फिर कहीं-न-कहीं से जुगाड़ लगाकर फिर उसी पोस्ट पर आने का काम करते हैं, अभी यह मामला जलालाबाद में हमारे यहां चल रहा है। जब तक ऐसी स्थितियां रहेंगी सड़कों का हाल यह है कि जब हम लोग सड़क पर चलते हैं तो लग रहा है कि गड्ड़े में सड़क है या सड़क में गड्ढ़ा है हालात इतनी खराब है कि आज मा0 मुख्य मंत्री जी के

द्वारा एक जिले से दूसरे जिले को जोड़ने के लिए जो फोरलेन की योजना है उसमें हमारे शाहजहांपुर से बदायूं को जो रोड जाती है। बदायूं के बार्डर तक रोड की यह हालत है कि उसमें आप तीन-चार किलोमीटर की स्पीड से चल सकते हैं। यह 43 नम्बर राजमार्ग है, फिर आगे बदायूं से वह सड़क बहुत अच्छी बन गई है तो यह ऐसा पता नहीं जानबूझकर किया गया है या क्या स्थिति है। मैं चाहूंगा कि उस राजमार्ग को जो फर्रुखाबाद-शाहजहांपुर और बदायूं को जोड़ता है। उसको भी अगर बदायूं की तरह बना दिया जाये तो लोगों को लगेगा कि हमारे क्षेत्र की सड़क भी अच्छी है। बिजली पर बहुत चर्चा हो चुकी है यहां पर बिजली के लिए जो बजट लाया गया है 23928 करोड़ का मान्यवर, आज ग्रामीण क्षेत्रों में नगरपालिकाओं में बिजली की जर्जर लाइनें हैं जो आज से बहुत पहले बनायी गयी थी। गांव में बिजली के संचालन के लिए एक जेई है जो पूरे ब्लाक को देखता है और उसकी देखरेख में लाइनमैन काम करते हैं वह परमानेंट नहीं है। वह दैनिक भोगी कर्मचारी हैं जो वहां पर कार्य कर रहे हैं। मान्यवर, स्थिति यह है हमारे यहां कि पावर हाउस में फोन करने पर वहां टेलीफोन नहीं उठता है। मैंने एक जगह पढ़ा था कि जब उत्तर प्रदेश में बिजली विभाग बना था तो करीब सवा लाख कर्मचारी कार्यरत थे आज स्थिति यह है कि शायद 25 हजार कर्मचारी ही कार्यरत हैं। अगर इन सब बातों पर ध्यान नहीं दिया गया, बिजली की पुरानी लाइनों को सही नहीं किया जायेगा तो उस स्थिति में बिजली की व्यवस्था को सुधार पाना सम्भव नहीं होगा। इस ओर माननीय मुख्य मंत्री जी को ध्यान देना होगा। मान्यवर, आज गांवों में शुद्ध पेयजल का अभाव उत्पन्न हो गया है जो इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प लग रहे हैं उनकी स्थिति को सब जानते हैं वह काम नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से लोग स्वयं की बोरिंग करवाते हैं। जो छोटे नल लग पा रहे हैं उनका पानी पीने योग्य नहीं है। इसलिए सरकार को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के बारे में सोचना होगा और कोई नीति बनानी पड़ेगी। मान्यवर, जो हमारे गांव में रहने वाले लोग हैं वह शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं। इससे शहरों की आबादी बढ़ रही है ऐसी स्थिति में शहरों पर भी लोड़ बढ़ रहा है। वह इसलिए है कि गांवों में स्थिति सुधर नहीं पा रही है इस पर आपको ध्यान देना होगा। मान्यवर, एक कौशल विकास योजना की बात कही गयी है। मेरा सुझाव है कि जो हाई स्कूल में पढ़ता है जैसे कि वह नवीं कक्षा में पढ़ता है तो उसको वहीं से रोजगार परक शिक्षा मिलनी चाहिए पढ़ाई के साथ-साथ, उनको रोजगार मुहैय्या कराने की बात होनी चाहिए। इससे रोजगार के अवसर उन छात्रों के लिए बढ़ेंगे और वह अपने पैरों पर खड़े हो सकेंगे। मान्यवर, हमारे क्षेत्र में जब बसपा की सरकार थी, अल्पसंख्यक बाहुल्य होने के नाते एक पालिटेक्निक आयी थी उसका शिलान्यास भी हो गया था। उसमें पिलर भी खड़े हो गये। वह हमारे मिर्जापुर क्षेत्र में है। जब से आपकी सरकार बनी है पता नही उसका काम रोक दिया गया है। वह बिल्डिंग अधूरी है। मैंने इस सम्बन्ध में प्रश्न भी लगाया था उसका माननीय नगर विकास मंत्री जी ने जवाब दिया था कि उसको दिखवा लेंगे। उसके बाद भी उसमें कोई प्रगति नहीं है। अगर सरकार उसको बनवा देगी तो वहां के नौजवानों को बहुत फायदा होगा।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय सदस्य, जो उसमें निर्माण हुआ है उसकी क्वालिटी इतनी खराब है, उसमें ओवर हैड टैंक जो बना है उसकी क्वालिटी बहुत ही खराब है जो पिलर बने है उसमें वह सफल नहीं हो पायेगा। मैं एक बात यह भी कहना चाहता हूं कि आपके समय में स्वजल योजना में जहां-जहां भी ओवर हैड टैंक बने है वह डांस करने लगे हैं। इसलिए वह शतप्रतिशत रुके हुए हैं। या तो आप कहें

तो हम उसकी जांच करायें और अपने अधिकारियों को उसमें दंडित करें। मैं माननीय सदस्य से कहूंगा कि आप कोई दूसरी जगह बता दें हम वहां पर बनवा देंगे।

श्री योगेश प्रताप सिंह 'योगेश भइया'-

मान्यवर, हमारे यहां भी आपके कार्यकाल में जो इंजीनियरिंग कालेज।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

और पालिटेक्निक बना है उसकी क्वालिटी बहुत खराब है। मान्यवर, लेकिन उस पालिटेक्निक के बारे में माननीय नगर विकास मंत्री जी आपको सोचना होगा। उसमें ओवर हैड टैंक की बात नहीं है बल्डिंग अधूरी पड़ी खड़ी है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

माननीय सदस्य आप लिखकर दे दीजिये हम उसको दिखवा लेंगे।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, मैं जरूर लिखकर दे दूंगा। मान्यवर, गांवों से पलायन इसलिए भी हो रहा है क्योंकि वहां भी कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। मान्यवर, मीडिया में बराबर कानून व्यवस्था को लेकर बातें चल रही है उसमें यह बात भी आ रही है यदि घर-घर में शौचालयों का निर्माण करा दिया जाये तो इसमें कुछ सुधार आ सकता है और तभी आप ऐसी घटनाओं पर अंकुश लगा सकते हैं। सरकार के द्वारा इस बजट में गांव के घरों में शौचालय निर्माण हेतु 359 करोड़ का प्राविधान किया गया लेकिन मान्यवर, मैं समझता हूं कि यह धनराशि बहुत कम है और इसके साथ मेरा एक सुझाव भी है कि जो गांव में सरकार की तरफ से शौचालय बनाने की जो योजनायें चल रही है वहां पर किस स्तर का शौचालय बन रहा है जिस तरह का बन रहा है शायद यह किसी से छिपा नहीं है। मैं चाहूंगा कि सरकार गांवों में सर्वे करा ले और जहां भी शौचालय की आवश्यकता हो यह सारा धन यहां से जैसे एलएण्डटी जैसी कम्पनी को देकर अगर उसका सही निर्माण कराया जायेगा तभी सही मायने में इस योजना को अमली जामा जमीनी स्तर पर पहनाया जा सकता है। मान्यवर, जो आज यहां पर कानून व्यवस्था की बात हो रही है।

श्री मोहम्मद आजम खां-

एक अधिकार हम आपके देते हैं मुख्य मंत्री जी ने भी इजाजत दे दी है कि अगर शौचालय बनाने के लिए एलएण्डटी तैयार हो जाय तो सरकार तैयार है।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, यह अधिकार आपके कहने से नहीं मिलने वाला। लेकिन मैं, चूंकि आप बैठे है आपके यहां पर आवास विकास काम करा रही है, एलडीए करा रहा है तो जब आवास विकास करा सकता है एलडीए करा सकता है तो यह विभाग भी करा सकता है बात करने की आवश्यकता है। मान्यवर, आपके पास अधिकारी है आप सरकार में है यह तो मेरा सुझाव है कि अच्छा काम हो।

आज कानून-व्यवस्था की बात उठती है मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारी पुलिस, जहां पुलिस में तमाम ऐसे लोग है जो भ्रष्टाचार से जुड़े है तो तमाम ऐसे जाबांज भी है जो अपनी जान से खेलने को तैयार है। मान्यवर, जमीनी हकीकत है कि पुलिस एक्ट 1861 के तहत यह पुलिस काम कर रही है। पुलिस आधुनिकीकरण के लिए आपने इसमें लगभग 12400 करोड़ रुपये का प्राविधान किया

है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो हमारा पुलिस बल है उसके लिए कुछ ऐसी प्लानिंग की व्यवस्था की जाय कि पुलिस पद के जो हमारे कांस्टेबिल हैं, सब-इन्सपेक्टर्स हैं पहले उनके अन्दर मानवता आये और साथ ही साथ उनको यह लगे कि हम अच्छा काम करेंगे तो हमको तरक्की मिलेगी। उनको जो वेतन है, उनकी जो सुविधाएं हैं आज थानों के अन्दर कहीं टूटी गाड़ी है कहीं डीजल का पैसा नहीं है और मुझे एक अधिकारी बता रहे थे कि सीओ को बोलेरो देने की बात थी पहले फेस में जो बोलेरो आई वह एयर कंडीशन थी पता नहीं दोबारा में क्या राय बनी और उसको रोक दिया गया। लेकिन अगर सीओ को एयर-कंडीशन बोलेरो दी जाती तो मैं समझता हूं कि वह दोपहर में भी निकलकर काम करता। तो जो यह आधुनिकीकरण का काम चल रहा है। मैं कोई आलोचना करने के लिए नहीं खड़ा हुआ हूं मैं तो सुझाव दे रहा हूं। मान्यवर, जैसे कि पुलिस सुधार के लिए जो यह बजट है यह नाकाफी है और सबसे पहला काम अगर हम कानून व्यवस्था को दुरूस्त नहीं करेंगे तो हमारी जितनी भी योजनायें है यह पीछे हो जायेगी इसके लिए बजट को बढ़ाया जाय। जो हमारा पुलिस का ढांचा है जो कार्यशैली है उसको बदलने का काम किया जाय और आज तमाम ऐसे नौजवान बेरोजगार जो एमबीए करके ग्रेजुएशन करके घूम रहे है ऐसे लोगों को, अगर जैसे हमारा जो सब-इंसपेक्टर है हमारे जो कांस्टेबिल हैं उनको अच्छी सुविधा दी जाय तो उसमें तमाम ऐसे नौजवान आने का काम करेंगे और जब पढ़ा लिखा व्यक्ति वहां बैठेगा तो मैं समझता हूं कि जो आज यहां शिकायत होती है कि एक गरीब आदमी थाने में एफआईआर कराने जाता है तो वह पीड़ित व्यक्ति वहां जा करके पहले गालियां खाता है फिर एफआईआर लिख ली तो लिख ली नहीं तो भगा दिया जाता है।

मान्यवर, मैं अंत में केवल एक बात आपके सामने कहते हुए बात खत्म करूंगा कि हमारा क्षेत्र नदियों से घिरा हुआ क्षेत्र है तीन-तीन नदियां हमारे क्षेत्र से निकलती हैं गंगा, रामगंगा और बहिबुल। माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे क्षेत्र में कई बार आने का काम भी करते हैं और वहां बाढ़ की समस्या को लेकर के लोगों ने आपको अवगत भी कराया। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि सन् 2011 में हमारे यहां रामगंगा का पूरा जो किनारा है उसका एक सर्वे हुआ था। वहां पर ठोकरें बनाने के लिए। उसके बाद कई बार मैंने यहां प्रश्न लगाया तो यह जवाब आया है कि धनाभाव के कारण अभी कार्य नहीं हो पा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि हर साल जितना पैसा आप वहां बांटते हैं, जब बाढ़ आती है, ऐसी बाढ़ आती है कि गांव के गांव डूब जाते हैं तो उस पैसे को अगर वाकई में एक बार वहां लगा दिया जाय तो मैं समझता हूं कि हमारे क्षेत्र की जनता को बाढ़ से निजात मिल जायेगी।

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी हमारे यहां पुवायां में चीनी मिल का उद्घाटन करने गये थे तो वहां पर आप घोषणा करके आये थे कि शाहजहांपुर में जो पुराना जिला अस्पताल है, उसको सिटी अस्पताल का दर्जा देकर हम चालू करेंगे। माननीय मुख्य मंत्री जी की घोषणा हो चुकी है लेकिन अभी वहां पर कोई कार्य नहीं हुआ, बिल्डिंग जस की तस खड़ी है। मैं चाहूंगा कि उसको सिटी अस्पताल का दर्जा देकर चालू कराने का काम करें।

श्री अध्यक्ष-

अब समाप्त करें।

श्री नीरज (कुशवाहा) मौर्य-

मान्यवर, आप समय नहीं दे रहे हैं, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्रीमती रूबी प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने 2014-15 के मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया, मैं आपकी आभारी हूं। सबसे पहले मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहती हूं कि उन्होंने जो बजट पेश किया है, उसमें समाज के सभी वर्गों दलित, पिछड़े, आदिवासी, कमजोर वर्गों का विशेष ख्याल रखा। हमारा प्रदेश, बल्कि पूरा भारत गांवों का देश है और 80 प्रतिशत जनता गांवों में निवास करती है। उन्होंने गांव की जनता के लिए, मजदूरों के लिये, रिक्शा चालकों के लिये, दलित आदिवासियों के लिये सभी कमजोर वर्गों के लिये बजट रखा है, हमारे माननीय मुख्य मंत्री जी इसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। विशेषकर मैं अपनी तरफ से इसलिये धन्यवाद देना चाहती हूं कि हमारा जनपद सोनभद्र एक गरीब आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है और हमारा विधान सभा क्षेत्र दुद्धी जो पूरे उत्तर प्रदेश में ऊर्जांचल के नाम से जाना जाता है और पूरे उत्तर प्रदेश में जनपद सोनभद्र ही एक ऐसा जिला है जो 10 हजार मेगावाट अकेले बिजली का उत्पादन करता है। मुझे बहुत खुशी है कि उन्होंने सबसे ज्यादा बिजली की मद में बजट देने का काम किया ताकि उत्तर प्रदेश की जनता को गांवों और शहरों में ज्यादा से ज्यादा बिजली मिल सके। मैं यह अनुरोध करना चाहती हूं कि हमारा दुद्धी विधान सभा और हमारा जनपद सोनभद्र जो सबसे ज्यादा बिजली उत्पादन करता है लेकिन हमारे यहां बिजली नहीं मिल पाती है। माननीय मुख्य मंत्री जी की यदि कृपादृष्टि होगी तो जैसे उन्होंने हमारे बगल के जनपद वाराणसी को 24 घण्टे बिजली देने का काम किया है यदि उसी प्रकार हमारे जनपद को भी 20-22 घण्टे बिजली देने का काम करेंगे तो हमारे यहां की जनता आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देगी।

दूसरी बात, मुख्य मंत्री जी ने हमारे क्षेत्र में एक इंजीनियरिंग कालेज देने का काम किया है, निश्चित तौर पर इसके लिये मैं अपने क्षेत्र की जनता की तरफ से आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि जनपद सोनभद्र पढ़ाई के क्षेत्र में बहुत ही पिछड़ा क्षेत्र है। उन्होंने पूरे प्रदेश में तीन इंजीनियरिंग कालेज देने का काम किया, कन्नौज, बदांयू और जनपद सोनभद्र। साथ ही साथ मैं अपनी तरफ से यह भी बताना चाहती हूं कि पूर्वांचल निधि जो पूर्वांचल के सारे विधायकों को अपने क्षेत्र के विकास के लिये मिलता था, अब इस समय तो नहीं कह सकते क्योंकि इस बार का बजट पेश हो चुका है, लेकिन जिस तरह बजट में बुन्देलखण्ड के विकास का ध्यान रखा गया है, उसी प्रकार हमारे पूर्वांचल का भी विशेष ध्यान रखेंगे तो पूर्वांचल का भी ज्यादा से ज्यादा विकास हो सकेगा। साथ ही साथ हम अपने जनपद सोनभद्र के लिये और अपनी विधान सभा के लिये, चूंकि हमारा विधान सभा आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र, दलित बाहुल्य क्षेत्र, गरीब क्षेत्र, नक्सल क्षेत्र और चार राज्यों की सीमाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है। हमारे यहां सिर्फ एक राजकीय डिग्री कालेज नहीं है यदि वहां पर तीनों ब्लाक में एक-एक कालेज देने का काम करेंगे तो हमारे क्षेत्र की जनता शिक्षा के क्षेत्र में और आगे बढ़ेगी। हम जानते हैं कि हमारे कर्मठ युवा मुख्य मंत्री ने गांव के उस अन्तिम व्यक्ति का ख्याल रखा जो वृद्ध और विवश होते हैं जिनके पास लाल, पीला और सफेद कार्ड कुछ भी नहीं है उनके लिए उन्होंने समाजवादी पेंशन देने का काम किया। निश्चित रूप से हम जानते हैं कि गरीब लोगों के लिए 5 सौ रुपये बहुत होता है। वृद्ध माताओं-बहनों के लिए और जो पुरुष भाई वृद्ध हैं जिनका कोई सहारा नहीं होता उनके लिए 5 सौ रुपये बहुत मायने रखता है और समाजवादी पार्टी ने उन्हें समाजवादी पेंशन देने का काम किया है और बजट में इसका ख्याल रखा गया है इसलिए मा0 मुख्य मंत्री जी को हम बहुत-बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि उन्होंने उन व्यक्तियों, माताओं-बहनों का ख्याल रखा जिसका कोई

सहारा नहीं होता। दूसरी बात हम बताना चाहते हैं कि हमारे विधान सभा दुद्धी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल की समस्या है क्योंकि यह क्षेत्र जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ है। यदि यहां से पानी की समस्या दूर कर दी जायेगी तो बहुत अच्छा होगा। हम जानते है कि मा0 मुख्य मंत्री जी बहुत ही नर्म और दयालु है और उत्तर प्रदेश की जनता का बहुत ख्याल रखते है। मान्यवर, आपने मुझे बोलने का समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

डॉ0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे हमारे नेता मा0 महाना जी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मा0 अध्यक्ष जी, यह बारहवीं पंचवर्षीय योजना का तीसरा वर्ष है, ढाई साल करीब-करीब बीत गया। भारत सरकार में परम्परा है मिड-प्लान एप्राइजल का। जब कोई पंचवर्षीय योजना आधी बीत जाती है तो योजना आयोग यह जानने का प्रयास करता है कि सरकार ने जो अढ़ाई साल में काम किया है उसका फल क्या मिला और उसके हिसाब से सरकार अपनी नीतियों में परिवर्तन करती है कि अगले अढ़ाई साल में हमें क्या करना है। यह सरकार भी आज इसी जंक्शन पर है, अढ़ाई साल करीब-करीब बीत गया, उचित तो यही रहा होता कि सरकार ने अपने कार्यकाल के अढ़ाई साल का एक मूल्यांकन किया होता, सदन के सामने खुलकर आये होते और बताते की हमने अढ़ाई साल काम किया है यह परिवर्तन दिखे है यह हमारी सफलताएं है यह हमारी असफलताएं हैं, अब हम अढ़ाई साल बाद इन-इन चीजों के करने जा रहे है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना मा0 मुख्य मंत्री जी ने प्रस्तुत किया था। योजना आयोग ने जब उत्तर प्रदेश को लक्ष्य दिया था विकास का तो 8.6 प्रतिशत का दिया था। मा0 मुख्य मंत्री जी नौजवान हैं और उत्साह से भरे है हम सभी कभी न कभी उनके समर्थक रहे है। मा0 मुख्य मंत्री जी ने तय किया कि हम 10 प्रतिशत की विकास दर देंगे। 5 प्रतिशत किसी से देंगे, साढ़े 11 प्रतिशत उद्योग से देंगे, साढ़े 11 प्रतिशत सेवा क्षेत्र से देंगे और 10 प्रतिशत की विकास दर देंगे। योजना आयोग की 8.6 प्रतिशत की जगह पर उत्तर प्रदेश सरकार ने 10 प्रतिशत की विकास दर का लक्ष्य निर्धारित किया। इतना ही नहीं यह भी तय किया कि इस 10 प्रतिशत की विकास दर को हम पंचवर्षीय योजना के अन्तिम वर्ष में लेंगे और इसका एक क्रम निर्धारित किया 2012, 2013, 2014 और 2015। हम आज वहां खड़े है जो 2014-15 की जोड़ है। आप उस कागज को पलट करके देखिये उत्तर प्रदेश के विकास की दर आज 7.7 प्रतिशत होनी चाहिए अगर प्रगति की दिशा वही रही होती जो सरकार ने तय की थी। मा0 मुख्य मंत्री जी ने भाषण पढ़ा है और हम लोगों ने देखा है, सरकार ने स्वीकार किया है कि 7.7 प्रतिशत की जगह पर प्रदेश के विकास की दर 5.2 प्रतिशत है यानी कि 37 प्रतिशत कम। मा0 मुख्य मंत्री जी ने उसका मुकाबला किया है भारत सरकार की विकास की दर से कोई औचित्य नहीं बनता है उसका मुकाबला होना चाहिए विभिन्न राज्यों के विकास की दर से। भारत सरकार के 4.8 प्रतिशत विकास दर के रहते हुए इस देश में बहुत से राज्य हैं, मैं किसी को नाम नहीं लूंगा, अनावश्यक उस विवाद में जाने की जरूरत नहीं है। औसत विकास दर 11 से 12 प्रतिशत के आसपास प्राप्त हो रही है अगर वह राज्य 11-12 प्रतिशत विकास दर प्राप्त कर सकते थे तो यह सरकार का मूल्यांकन होना चाहिए कि कौन से वह कारण थे जिसके नाते हम 5.5 प्रतिशत पर अटक गये। आज की स्थिति क्या है अध्यक्ष जी, एक वर्ष की वृद्धि दर में, अस्पतालों की संख्या में, साक्षरता की दर में और हाई स्कूल की संख्या में, 15 प्रदेशों में हमारा स्थान चौदहवां है। व्यावसायिक कृषि में, विद्युत के उपभोग में और ऋण-जमा अनुपात में 15 प्रदेशों में हमारा स्थान 13वां है। यह बताने के लिए काफी है कि देश के विभिन्न प्रान्तों

के विकास दर के अनुपात में हम कहां खड़े हैं ? 12वीं पंचवर्षीय योजना जब मा0 मुख्य मंत्री जी और सरकार ने जब प्रस्तुत किया तो लक्ष्य रखा था कि कुल मिलाकर 17 करोड़, 64 लाख हजार करोड़ रुपये का निवेश आने वाले पांच वर्षों में सुनिश्चित करायेंगे। उसमें निजी क्षेत्र से 12 लाख 51 हजार करोड़ रुपये, राज्य सरकार से 3 लाख 42 हजार करोड़, भारत सरकार के क्षेत्र से 1 लाख 71 हजार करोड़। अब प्रश्न यह है कि ढ़ाई साल बीत गये, सरकार को यह मूल्यांकन करना होगा कि अगर हमें 10 प्रतिशत का विकास दर चाहिए था तो इस प्रदेश में हमें 17 लाख 64 हजार करोड़ का निवेश कराना था तो ढ़ाई साल के बाद हमने वास्तव में निवेश कराया कितना ? सच्चाई कुछ इतर है हमारा जो ऋण-जमा अनुपात है वह 47 प्रतिशत है देश का औसत 75 प्रतिशत है, तमिलनाडु जैसे प्रान्त में 119 प्रतिशत यानी पैसा हमारे प्रदेश में आये इसकी जगह उलटकर हमारे प्रदेश से बाहर जा रहा है। हमारे मेहनतकश नागरिक जो 100 रुपया बैंक में जमा करते है उसका 59 रुपया दूसरे प्रदेशों में जा रहा है हम सिर्फ बच हुआ 41 रुपया हम अपने हित में उपयोग कर पा रहे हैं। अगर आप नई योजनाओं की सूची निकालें, प्रत्येक वर्ष लगभग 20 हजार, 30 हजार की नई योजनायें चल रही हैं अगर सारी नई योजनाओं को मान भी लिया जाए तो 05 साल में एक लाख करोड़ रुपया हुआ, लक्ष्य है 3 लाख 42 हजार करोड़ रुपया राज्य के स्रोतों से प्राप्त करेंगे। 2017 होते-होते कैसे प्राप्त करेंगे इसका चिन्तन किया जाना चाहिए। भारत सरकार की स्थिति क्या है ? भारत सरकार जब भी उत्तर प्रदेश को पैसा देती है तो देखती है कि उसकी वृद्धि दर क्या है, सरकार के बदलने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। भारत सरकार औसत 56 प्रतिशत देती है, बंगाल को 182 प्रतिशत बढ़कर दिया जाता है, गुजरात को 119 प्रतिशत बढ़ाकर दिया जाता है, मध्य प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश को 75 प्रतिशत बढ़ाकर दिया जाता है और उत्तर प्रदेश को सिर्फ 21 प्रतिशत। पूरे देश पांच साल लगातार कांग्रेस की सरकार को समर्थन देते आ रहे, आपको समर्थन के बदले में उत्तर प्रदेश को मिल क्या रहा है, जो 56 प्रतिशत प्रदेश का औसत है वह भी उत्तर प्रदेश को नहीं मिल रहा है। यह सरकार जो आज 2 लाख 74 हजार करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत करने की बात कर रही है जिसके बारे में मा0 सदस्य कह रहे थे चूंकि सदन में सत्य नहीं बताया गया है इसलिए वह मैं सरकार के सामने रख दे रहा हूं। इस सरकार को भारत सरकार से 88 हजार करोड़ रुपया मिला था, इस साल भारत सरकार 1 लाख 25 हजार करोड़ रुपया देने जा रही है अर्थात् 37 हजार 377 करोड़ रुपये भारत सरकार से अतिरिक्त पैसा राज्य सरकार के पास आ रहा है। यह जो हमें 2 लाख 74 हजार करोड़ रुपये बता रहे हैं उसमें 38 हजार करोड़ रुपया अतिरिक्त पैसा वह है जो भारत सरकार दे रही है अगर उसकी हटा दिया जाए, यह औसत मंहगाई की दर पर आ जाएगा। इसलिए यह जो वृद्धि है यह भारत सरकार द्वारा जो अधिक सहायता दी जाने वाली है उसके नाते है। अध्यक्ष जी, जो तथ्य हैं उन्हें तथ्यों से यह नकार सकते हैं मैं स्वागत करूंगा। अगर मैंने एक्जेक्ट तथ्य बताए हैं तो आप एक्जेट तथ्यों को नकार दीजिए मैं स्वीकार कर लूंगा। तीसरी चीज आखिर यह पैसा हम खर्च क्यों कर रहे हैं क्या इससे हम क्षेत्रीय सम विकास सुनिश्चित कर पा रहे हैं। अभी सोनभद्र की बहन बोल रही थीं उनकी पीड़ा का एहसास करिए एक और माननीय सदस्य बोल रहे थे उनकी पीड़ा का एहसास करिए। यह पीड़ा है उत्तर प्रदेश की यह 40 प्रतिशत जनसंख्या की पीड़ा है। प्रदेश के सबसे पिछड़े 15 जिलों में 14 जिले पूर्वी उत्तर प्रदेश के हैं। 40 प्रतिशत जनसंख्या पर 291 करोड़ और बुन्देलखण्ड की 4 प्रतिशत जनसंख्या को 758 करोड़ आपने बुन्देलखण्ड को दिया अच्छा किया अगर 4 प्रतिशत को 758 करोड़ तो 40 प्रतिशत जनसंख्या को 7580 करोड़ आप ईमानदारी के साथ बांट दीजिए हम आपका स्वागत

करेंगे मेजें थपथपाएंगे। लेकिन आप केन्द्र सरकार से पैसा पाते हैं जनसंख्या के आधार पर आर्थिक विषमता के आधार पर भौगोलिक क्षेत्र के आधार पर मुखर्जी गाडगिल फार्मूला जब आप इससे पैसा पाते हैं तो आपने प्रदेश को चार आर्थिक जोनों में बांटा हुआ है आप वैसे ही पैसा 4 आर्थिक जोनों में बांट दीजिए हमारी जितनी जनसंख्या होगी हमारा जितना भौगोलिक क्षेत्रफल होगा हमारा जितना आर्थिक पिछड़ापन होगा अम्बिका चौधरी जी मुख्य मंत्री जी के पीछे बैठे हुए हैं वह खुश भी हैं और सहमत भी।

श्री मोहम्मद आजम खां-

डाक्टर साहब आपका सदन में इतना सम्मान है कि आपके 100 कत्ल भी माफ हैं। इसलिए आप जो चाहिए कहिए हमें तो सुनना ही है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

पूरे सदन में अगर कोई बोला तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का बोला अन्यथा सहमति तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के सारे विधायकों की है। अध्यक्ष जी, हमने पिछली बार भी इस सदन में कहा था।

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

जो एनुअल प्लान का पैसा है उसके बारे में आपने जो केन्द्र सरकार की मदद की बात कही तो उसे केन्द्र सरकार की मदद न कहिए और कुछ कहिए।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

अध्यक्ष जी, वह एनुअल प्लान का पैसा नहीं है आप आंकड़े निकाल लीजिए। दो दिन बाद जवाब देने वाले हैं उस तथ्य को रख दीजिए। तीसरी चीज हम कितना पैसा निवेश करते हैं इसका कोई मतलब नहीं है। वह जमाना गुजर गया जब सकल घरेलू उत्पादन से हम आर्थिक समृद्धि को मापते थे क्योंकि सकल घरेलू उत्पादन का मतलब देश और प्रदेश ने कितनी सम्पत्ति खड़ी की अब उस सम्पत्ति से आम जनता को क्या लेना देना है। आज की सच्चाई यह है कि हम प्रति व्यक्ति आय से भी समृद्धि नहीं मापते। वृद्धि और विकास में जमीन और आसमान का फर्क होता है हमें यह तय करना होगा कि जो पैसा हमने खर्च किया उससे हम साक्षरता बढ़ा पाए हम नागरिकों का स्वास्थ्य बेहतर कर पाए हम अधिक विद्यालय और अस्पताल खोल पाए हम अधिक सड़कों, पानी और बिजली की व्यवस्था कर पाए ग्रामीण क्षेत्रों से जो हमारे नागरिकों का पलायन शहर की ओर हो रहा है हम उसको रोक पाए। शहर के जो बाहरी क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र नए जुड़ते हैं उनके पुराने शहरी क्षेत्रों के बराबर सुविधा दे पाए। इसे कहते हैं फिजिकल क्वालिटी आफ लाइफ इंडेक्स जीवन की गुणवत्ता का सूचकांक आज मुकाबला यहां है अगर हमारा सारा काम आम नागरिकों की जीवन की गुणवत्ता को बेहतर कर दे तो हम सफल हैं न कर दे तो हम असफल हैं। इसलिए मैं फिर माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस साल का बजट तो हो गया जब अगले साल बजट आए तो हम यह जानने का प्रयास करें कि जब हम शासन में आए थे तो इन्फैंट मार्टेलिटी क्या थी हम जब शासन में आए तो लिटरेसी क्या थी हम जब शासन में आए तो मैटरनल मार्टेलिटी क्या थी हम बताएं कि हमने तीन साल काम किया हमारे काम के नाते इतना-इतना इंडेक्स में परिवर्तन आ गया जानने की कोशिश कीजिएगा मैं कह नहीं सकता लेकिन हो सकता है कि आपके समर्थन में इसमें से बहुत सी बातें निकल आएं। यह तथ्य निकाले जाने चाहिए और जनता के सामने और पूरे देश के सामने रखे जाने चाहिए। क्योंकि अगर कोई यह आरोप लगाता है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश पिछड़ता चला जा रहा है तो राजनीति के

नाम पर कोई खुश हो सके लेकिन उत्तर प्रदेश के नागरिक के नाम पर हर नागरिक को दुःखी होना चाहिए प्रदेश का जिम्मा सत्ता का तो है ही हम लोगों का भी है। अगर असफलता आपके नाम पर आती है, इस सदन में हम बहस कर लेंगें। सदन के बाहर यह असफलता हमारे माथे पर भी लिखी जायेगी इसलिये अध्यक्ष महोदय, प्राथमिकता तय होनी चाहिए। कुछ बातें मैं कहना चाहूंगा। एक बहुत अच्छी योजना चल रही थी कन्या विद्या धन। माननीय मुलायम सिंह यादव जी के समय में वह शुरू हुई थी पिछली सरकार ने उसे बन्द कर दिया, आपको पीड़ा का एहसास हुआ। 2012-13 का माननीय मुख्य मंत्री जी का बजट भाषण पढ़ियेगा, यह आरोप लगाया गया है कि बसपा की सरकार ने कन्या विद्या धन बन्द कर दिया, हम इसे पुनः शुरू करने जा रहे हैं। क्या बुराई थी इस योजना में। हम जो धन बच्चियों को दे रहे थे वह धन कहीं न कहीं बच्चियों की पढ़ाई में प्रयोग हो रहा था। आज जितने केसेज हो रहे हैं, अगर हम स्त्री सशक्तीकरण कर सकें, बच्चियों को साक्षर कर सकें, उनको आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बना सकें, उनके अन्दर आत्म स्वाभिमान की भावना भर सकें, उनके साहस पैदा कर सकें तो शायद बाकी सारी योजनाएं भूली जा सकती हैं आज के दिन। कन्या विद्या धन क्यों बन्द हो गया, समझ में नहीं आता। बेरोजगारी भत्ते की बात आती है। (किसी माननीय सदस्य के कहने पर कि आपने बन्द की) मैंने नहीं कहीं। अभी मैं उस पर भी आ जाता हूं जो आपने कहा कि आपने खत्म की। बेरोजगारी भत्ता, मैंने वह पहली बार जब यह बेरोजकारी भत्ता सदन में आया था, तो मैंने अध्यक्ष जी, आप को पता नहीं स्मरण है या नहीं, बहुत सारी बातें यहां सदन में आती हैं, मैंने कहा था कि 1000 रुपया महीना न बांटिये 10-10 लोगों का एक ग्रुप बनाइये। स्वयं सहायता समूह बना दीजिये। 1000 रुपये महीने के हिसाब से इन 10 लोगों को दीजियेगा सवा लाख रुपया इकट्ठा हो जायेगा। सवा लाख की सीज पूंजी पर आप अपनी सहायता दे दीजिये, बैंक ऋण दे देंगें और यह जो 10 लोगों का समूह तैयार होगा वह पनप कर के 5 साल के अन्दर इस प्रदेश का उद्योगपति बन जायेगा। हमने उनको बेरोजगारी भत्ता दे करके उनके अंदर जो स्वावलम्बन का भाव पैदा होना चाहिए उस भाव को छीनने का प्रयास किया। आज हमने वह वापस किया। वापस किया, लेकिन ईमानदारी से बता रहा हूं कि इस देश का लोकतंत्र बड़ा अजीब है, एक बार सुविधाएं दे दीजिये और फिर उन सुविधाओं को छीनने का प्रयास करिये जो कुछ आपका बना होता है वह भी चला जाता है। प्याज भी खाते है और कोड़े भी खाते है। इसलिये इस काम को होना नहीं चाहिए था। लैपटॉप की योजना चलाई गई। याद करिये अध्यक्ष जी, मैंने कहा था कि लैपटॉप की योजना को लेकर हम लोगों की कुछ रिजर्वेशन है। शायद इसका शिक्षा में जितना अधिक उपयोग नहीं होगा, शिक्षणेत्तर गतिविधियों में उपयोग हो जायेगा। आज डेढ़ साल बाद आप इसे बंद कर रहे हैं। क्यों बंद कर रहे हैं ? क्या आपने कोई मूल्यांकन किया कि लोक सभा का जो चुनाव हुआ, जैसा भी हुआ। बार-बार माननीय संसदीय कार्य मंत्री उस पर इंगित कर रहे है, मैं उस विषय पर नहीं जाना चाहता। लेकिन क्यों ऐसा हो रहा है ? क्या कन्या विद्या धन के नाते आप चुनाव हार गये ? क्या बेरोजगारी भत्ते के नाते आप हार गये ? क्या लैपटॉप के नाते आप हार गये। नहीं, हारे आप किसी और चीज के नाते। आप कह सकते हैं, हमारे ऊपर आरोप लगा सकते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है ? आप हारे इसलिए क्योंकि सत्ता में आये तो आपने कहा कि चाहे जो कुछ भी हो जाय हम मुकदमे वापस करके छोड़ेगें। क्यों कहा ? आप हारे इसलिये कि आपने कहा कि जो हमको वोट नहीं देगा हम उसका डी0एन0ए0 टेस्ट करायेंगे। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी कहा गया आपकी ओर से कि जो हमको वोट नहीं देगा हम उसका डी0एन0ए0 टेस्ट करा देंगे। (व्यवधान) आप हारे किसलिये ? आप मुझे रोक सकते है, मुझे कोई

समस्या नहीं है। 2012 में आपको याद होगा, मैंने कहा था एक सुनाम व्यक्ति को आपने लेने से इंकार किया, दूसरे सुनाम व्यक्ति को हम लोगों ने लिया, हमारी भीषण बदनामी हुई। नौजवानों में आपके प्रति एक नया उत्साह पैदा हो गया। लोगों को लगा एक नई लहर आने वाली है एक नौजवान नेता के रूप में और उस लहर ने आपको सत्ता में ला दिया। आपने किया क्या ? 2012 में एक आदमी को लेने से मना किया और आपकी इज्जत समाज में इतनी अधिक बढ़ गई और अब आपने क्या किया ? उनके जैसे ढेर सारे लोगों को अपने यहां अतिथि बनाकर बैठा लिया। आपने सोचा नहीं कि यह जनता अब कुछ और हो चुकी है। आप इसे कन्या विद्या धन से जोड़िये, बेरोजगारी भत्ते से जोड़िये, आपका विषय है। सच्चाई यह है कि कहीं न कहीं मैं जो माननीय आजम खां जी कहते हैं, मैं उससे बहुत इंकार नहीं करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

डा0 साहब अब आपका समय समाप्त हो गया है।

डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल-

मान्यवर, बस समाप्त करता हूं। लेकिन सच्चाई का वह एक पहलू भी है जिसकी ओर हम लोगों को ध्यान देना चाहिए। आने वाले समय में यह महत्वपूर्ण होगा। माननीय राधे श्याम सिंह ने अध्यक्ष महोदय, इन्सेफ्लाइटिस के लिये, मेडिकल कालेज के लिये, इंजीनियरिंग कालेज के लिये, गोरखपुर के विकास के लिये बहुत सारी बातें कही। उससे हम लोग अपने आपको सम्बद्ध न करें, किसी भी काम करने वाले व्यक्ति के साथ यह अन्याय होगा। मैं यहां बैठकर उसके लिए जो कुछ भी किया गया है, उससे सम्बद्ध करता हूं लेकिन एक आग्रह करना चाहता हूं। माननीय खन्ना जी जाने-अनजाने कुछ बातें कह रहे थे, उन्हें लग सकता है कि वह अपने पक्ष की बात कह रहे है, सच्चाई यह है कि पिछले 3 दिनों से यह जितने भी माननीय विधायक लोग पीछे बैठे हैं, वह अपनी बातें नहीं कह पाते है, कहीं न कहीं उनके मन में वह तड़प है। वह चाहते है कि जो खन्ना जी ने कहा, उन चीजों को जमीन पर लाकर कर दिया जाए। में इससे अधिक बात कहूं यह शोभा नहीं देता, लेकिन मा0 मुख्य मंत्री से मैं उम्मीद करता हूं कि कम से कम समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, उनकी जो इच्छा है, उस इच्छा को पूरा करेंगे, हम लोगों की इच्छा उसमें अपने आप पूरी हो जायेगी, धन्यवाद।

श्री गुलाम मोहम्मद-

माननीय अध्यक्ष जी, आपने मुझे बजट के पक्ष में बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

(कुछ सदस्यों के टोका-टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बालते रहें।

श्री गुलाम मोहम्मद-

मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं इस शेर के साथ-'मैं कहां रुकता हूं, अर्श-ओ-फर्श की आवाज से, मुझको उड़ना है बहुत ऊंचा, हद-ओ-परवाज से।' मान्यवर, मैंने दरख्वाश्त की है, जिस शख्सियत ने, यह बजट पेश किया है, मा0 मुख्य मंत्री जी ने, वह इस तरह की शख्सियत है कि चाहे सामने बैठे हुए, बसपा के साथी हों, जिन्होंने कुछ वर्गों के लिए काम किया और जो कुछ काम किया

वह सब के सामने है, जनता ने उनको उसका नतीजा भी दे दिया। इधर बीच में जो लोग कानून-व्यवस्था की बात कर रहे हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, जहां-जहां पब्लिक इन्ट्रेस्ट होगा, मा0 मुख्य मंत्री जी के कदम वहां आगे बढ़ेंगे, उन लोगों के दुख को दूर करने का काम मा0 मुख्य मंत्री जी करेंगे, समाजवादी पार्टी करेगी। आप की तरह नहीं है कि लाशों की राजनीति करते हैं, जहां-जहां मौका मिला, आपने साम्प्रदायिकता की बात की है और हमेशा साम्प्रदायिकता का जहर घोल करके इस देश में फंसाद कराने का काम किया है। आप लोगों से भी कहना चाहता हूं, इस तरह का माहौल और इस तरह की टोका-टाकी से न यह शख्सियत रुकने वाली है और बहुत ऊंची उड़ान आपकी है। इसी तरीके से मैं अपने कांग्रेस के साथियों से कहना चाहता हूं कि कांग्रेस की जो दुर्गति हुई है, उसी वजह से कि दोनों हाथों में लड्डू रखा है और उन्हीं की बगल में 4-5 लोग जो रेल के डिब्बे की तरह लाइन में बैठे हैं, राष्ट्रीय लोकदल के लोग, वह भी कहते हैं कि हम किसानों के हमदर्द है, आप अपने घर में अपनी हालत देखिए। मैं आप लोगों से सिर्फ यह अर्ज करना चाहता हूं, जो बजट मा0 मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है, उसमें कोई भी वर्ग हो, चाहे एस0सी0/एस0टी0 के लोग हों, उनके लिए भी बढ़ोत्तरी की बात की गयी है, इस बजट को 82 परसेण्ट बढ़ाकर पेश किया गया है। अनुसूचित जाति के लिए 26 परसेण्ट बजट को बढ़ाया गया है। इसी तरह से गन्ना किसानों के पेमेण्ट के लिए व्यवस्था की गयी है और मैं कहना चाहता हूं कि हमारा महिला वर्ग जिसको 1090 का लाभ दे करके और उनको सबला योजना दे करके और उसमें 320 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। लोहिया समग्र विकास और जितनी भी योजनाएं है, उनमें हर वर्ग का ख्याल रख करके बात की गयी है और उसके लिए बजट में प्राविधान किया गया है। मैं आप लोगों से अर्ज करना चाहता हूं कि एक संवेदनशील सरकार आप लोगों के सामने यह बजट लेकर आयी है, जो हर कमजोर वर्ग के लिए काम करना चाहती है। ठीक है, आप अपोजीशन के नाते टोका-टाकी जरूर करेंगे, इसे कोई रोक भी नहीं सकता, यह आपका अधिकार है लेकिन इस बजट में कहीं भी उंगली रखने की जगह नहीं है और यह जनसाधारण का बजट है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने क्षेत्र की कुछ बातें कहकर अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, अब पांच बज गया है, नियम-51.1 अब आप बैठ जायें।

अब आप बैठ जायें। अब समाप्त हो गया।

(मा0 सदस्य श्री गुलाम मोहम्मद के माइक आफ होने पर उनका भाषण सुना नहीं जा सका।)

मा0 गुलाम मोहम्मद जी आप लिखकर मा0 मुख्य मंत्री जी को दे दीजिएगा। बैठिये।

[05.06] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 24-06-2014 को नियम-51 की कुल 73 सूचनायें प्राप्त हुईं जिसमें निम्नलिखित सूचनाएं वक्तव्य हेतु स्वीकृत हुईं :-

पहली सूचना श्री प्रभूदयाल वाल्मीकि की जनपद मेरठ के हस्तिनापुर के गन्ना किसानों के बकाया मूल्य का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में।

दूसरी सूचना श्री रामहेत भारती की जनपद आजमगढ़ की तहसील निजामाबाद के ग्राम छाऊं में दबंग व्यक्तियों द्वारा अवैध खनन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

तीसरी सूचना श्री स्वामी प्रसाद मौर्य की वृहद कनहर सिंचाई परियोजना अमवार दुद्धी सोनभद्र को पूर्ण कराकर चालू कराये जाने के सम्बन्ध में।

चौथी सूचना श्री प्रदीप माथुर की मथुरा क्षेत्र के गोकुल बैराज के डूब क्षेत्र में आने वाले ग्रामों के किसानों को मुआवजा दिये जाने के सम्बन्ध में।

पांचवी सूचना श्रीमती सीमा की जनपद जौनपुर के बादशाहपुर से तरेहटी सम्पर्क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में।

छठवीं सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की डी0आई0आर0 तथा मीसा में बंद रहे लोकतंत्र सेनानियों की पेंशन राशि बढ़ाये जाने तथा बसों में सुविधा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में।

सातवीं सूचना श्री दलवीर सिंह की यू0पी0बोर्ड हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट की परीक्षा में सही तथ्यों को छिपाकर शिक्षा माफियाओं के साथ मिलकर अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा की गई धांधली से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

आठवीं सूचना श्री संगीत सिंह सोम की किसान इण्टर कालेज, कंकरखेड़ा, मेरठ की अवैध प्रबन्ध समिति के कारण हो रही अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

नौवी सूचना श्री बृजेश कुमार की हरदोई के बिलग्राम मल्लावां अन्तर्गत प्रधानाध्यापक श्री बृजलाल पुत्र स्व0 परसाद निवासी ग्राम रूकनापुर के सेवानिवृत्त होने के उपरान्त उनके पेंशन सम्बन्धी भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में।

दसवीं सूचना श्री राम चन्द्र यादव की जनपद फैजाबाद के अन्तर्गत रूदौली सामुदयिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं जिला अस्पताल पर गम्भीर रोग से ग्रसित मरीजों की लापरवाही के कारण हुई मौतों के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित सूचना पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है :-

ग्यारहवीं सूचना डा0 धर्मपाल सिंह की आगरा के एतमादपुर विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत खाली पड़ी पानी की टंकियों को चालू किये जाने के सम्बन्ध में।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गईं :-

क्र0	नाम
1	श्री गुलाब चन्द्र सरोज
2	श्री के0के0 ओझा
3	श्री ओम कुमार
4	श्री उदयलाल मौर्या
5	श्री नीरज कुशवाहा मौर्या
6	श्री रोशन लाल वर्मा
7	श्री कालीचरन सुमन
8	श्री उमाशंकर
9	डा0 धर्मसिंह सैनी
10	श्री कृष्णपाल सिंह राजपूत

क्र0	नाम
11	श्री अवस्थी बाला प्रसाद
12	श्री उमेश पाण्डेय
13	श्री संजय प्रताप जयसवाल
14	श्री धर्मपाल सिंह
15	श्री सतीश महाना
16	श्री प्रदीप चौधरी
17	डा0 मो0 मुस्लिम
18	श्री मनीष असीजा
19	डा0 अरुण कुमार
20	श्री मनबोध प्रसाद
21	श्री अराधना मिश्रा 'मोना'
22	श्री पंकज गुप्ता
23	श्री विक्रम सिंह
24	श्री दिलनवाज खां
25	श्री अजय कुमार 'लल्लू'
26	श्री संजय कपूर
27	श्री भीम प्रसाद सोनकर
28	श्री त्रिलोकी राम
29	श्री वीरपाल राठी
30	श्री राधेलाल रावत
31	श्री सिनोद कुमार शाक्य
32	श्री मुकुट बिहारी वर्मा
33	श्री सुदेश शर्मा
34	श्री राधेश्याम सिंह
35	श्री गिरीश चन्द्र उर्फ गामा पाण्डेय
36	श्री सत्य प्रकाश अग्रवाल
37	श्री पूरन प्रकाश 'एडवोकेट'
38	श्री रघुनन्दन सिंह भदौरिया
39	श्री लोकेन्द्र सिंह
40	श्री रामचन्द्र यादव
41	श्री सुरेश बंसल

क्र0	नाम
42	श्री रवीन्द्र भड़ाना
43	श्री हाजी मुसर्रत अली बिट्टन
44	श्री राकेश बाबू
45	श्री जयप्रकाश अंचल
46	श्री उत्कर्ष वर्मा
47	श्री रवीन्द्र कुमार मोल्हू
48	डा0 राधा मोहन दास अग्रवाल
49	श्री राजेश त्रिपाठी
50	श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भईया
51	डा0 रमेश चन्द्र बिन्द
52	श्री सुखदेव प्रसाद वर्मा
53	श्री दीपक पटेल 'एडवोकेट'
54	श्री राजनारायण बुधौलिया उर्फ रज्जू महाराज
55	श्री चन्द्र भान सिंह पटेल
56	श्री गजेन्द्र सिंह
57	श्री अनिल कुमार
58	श्री भगवान सिंह कुशवाहा
59	श्री जगन प्रसाद गर्ग
60	श्री इन्द्रजीत सरोज
61	श्री अगयश राम सरन वर्मा
62	श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी
63	श्री गेंदालाल चौधरी

जनपद प्रतापगढ़ के ग्राम देउरम तथा थरिया आदि में सिंचाई विभाग द्वारा लिफ्ट कैनाल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती अराधना मिश्रा ''मोना'' द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सिंचाई मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्र में .....

पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[रहने वाले निवासियों का सम्पूर्ण जीवन कृषि पर निर्भर रहता है, चाहे भरण-पोषण का हो, उनके बच्चों की शादी हो, बच्चों की शिक्षा हो आदि उनकी समस्त अर्थव्यवस्था मात्र कृषि पर आधारित है। कृषि कार्य के लिये सिंचाई की व्यवस्था सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बगैर किसान खेती करने की कल्पना भी नहीं सकता है। मेरे निर्वाचन क्षेत्र रामपुर खास जनपद प्रतापगढ़ का एक बहुत बड़ा भू-भाग सिंचाई से वंचित रहता है क्योंकि यह अंचल सुल्तानपुर एवं रायबरेली से आने वाली नहरों के 'टेल' पर पड़ता है। विगत 15-20 वर्षों से सात-आठ किमी0 के इस क्षेत्र में नहरों का पानी नहीं पहुंचता है। विभाग ने प्रस्तावित किया था कि तहसील लालगंज, जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत ग्राम देउम, ग्राम थरिया अथवा घुइसरनाथ आदि में से किसी एक स्थान पर लिफ्ट कैनाल बनाकर सई नदी का पानी ऊपर उठाकर इसमें डाला जाय, जिससे किसानों को फसलों की सिंचाई के लिये पानी मिल सके। इसका सर्वे कर लिया गया था किन्तु उसके बाद अभी तक कोई सार्थक कार्यवाही नहीं की गयी, इससे जहां किसानों की हजारों एकड़ भूमि सिंचाई से वंचित रह जाती है वहीं उनके एवं उनके परिजनों के समक्ष भरण-भोषण, बच्चों की शिक्षा आदि की भी गम्भीर समस्या उनके सामने बनी रहती है, जनहित में समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कराकर उपरोक्त में से (ग्राम-देउम, ग्राम-थरिया अथवा घुड़सरनाथ) किसी एक स्थान पर लिफ्ट कैनाल का निर्माण किया जाय जिससे किसानों को अपनी फसलों की सिंचाई के लिये पानी सुलभ हो सके, इससे लगभग 40 ग्रामों की सिंचाई हो सकेगी। लिफ्ट कैनाल का निर्माण अभी तक न होने के कारण इस क्षेत्र की जनता का जीवन जहां अंधकारमय है वहीं उनमें घोर निराशा, चिन्ता एवं कुण्ठा व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए वक्तव्य की मांग करता हूं।''

2-श्रीमती आराधना मिश्र, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19-06-2014 को नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना में उठाये गये बिन्दुओं के सम्बन्ध में स्थिति निम्नवत् है :-

जनपद प्रतापगढ़ की तहसील लालगंज के विकास खण्ड-सांगीपुर के ग्राम देउम पूरब में सई नदी के बाएं तट पर 40 क्यूसेक क्षमता की नवीन पम्प नहर के निर्माण के सम्बन्ध में परियोजना का गठन किया गया है, जिसकी अनुमानित लागत रु0 1461.87 लाख है, जिसका परीक्षण प्रायोजना रचना एवं मूल्यांकन प्रभाग से कराया जा रहा है। उक्त परियोजना की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

जिला सहकारी बैंक देवरिया, कसया से किसी प्रकार का भुगतान न होने से उत्पन्न विषम वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में डा0 पूर्णमासी देहाती द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, जिला सहकारी बैंक देवरिया कसया का कार्यक्षेत्र देवरिया.....

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[एवं कुशीनगर जनपद से सम्बद्ध है। बैंक की 45 शाखाएं हैं तथा 330 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियां (पैक्स) बैंक से सम्बद्ध हैं। जिला सहकारी बैंक देवरिया, कसया से किसी प्रकार का भुगतान न होने से उत्पन्न विषम वित्तीय स्थिति के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 31-3-1997 से भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सहकारी बैंकों पर विवेकपूर्ण मापदण्ड लागू किये गये। उक्त व्यवस्था के लागू होने के पश्चात् बैंकों को आस्तियों के वर्गीकरण के आधार पर निर्धारित व्यवस्थानुसार प्राविधान करना पड़ा तथा समय-समय पर भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राविधानित धनराशि के प्रतिशत में वृद्धि की गयी। इस व्यवस्था से बैंक को दिनांक 31-3-2013 तक रु0 15652.65 लाख का प्राविधान करना पड़ा। उक्त प्राविधान से बैंक की हानियों में वृद्धि हुई जिससे बैंक के आन्तरिक संसाधनों में निरन्तर कमी आती गयी तथा नाबार्ड द्वारा पुनर्वित्त भी बन्द कर दिया गया। परिणामस्वरूप बैंक के पास पर्याप्त संसाधन अपने व्यवसाय के लिये उपलब्ध नहीं रहा और अर्जित आय के सापेक्ष व्यय की धनराशि दिनों-दिन बढ़ती गयी। उल्लेखनीय है कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जब यह मापदण्ड व्यवसायिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक पर लागू किये गये थे तब भारत सरकार द्वारा इन बैंकों की हानियों की प्रतिपूर्ति हेतु वित्तीय सहायता प्रदान कर की गयी थी परन्तु जिला सहकारी बैंकों को इस प्रकार की कोई भी वित्तीय सहायता भारत सरकार से प्राप्त नहीं हुई। वर्ष 1997 में उक्त मापदण्ड के लागू होने से पूर्व बैंक संकलित लाभ पर रहा है।

सहकारी बैंकों के पुनरुद्धार हेतु लागू वैद्यनाथन कमेटी की संस्तुतियों के क्रम में रिवाइवल पैकेज के अन्तर्गत प्रदेश की अल्पकालीन सहकारी साख व्यवस्था के पुनरुद्धार हेतु भारत सरकार से केन्द्रांश के रूप में रु0 154569.00 लाख की धनराशि अवमुक्त की जानी थी। उक्त धनराशि में जिला सहकारी बैंक लि0, देवरिया को रु0 16359.76 लाख एवं पात्र समितियों की रु0 659.38 लाख की धनराशि सन्निहित थी। भारत सरकार द्वारा केवल पात्र समितियों से सम्बन्धित रु0 659.38 लाख की धनराशि ही अवमुक्त की गयी है। जिला सहकारी बैंक लि0, देवरिया को उक्त पैकेज के अन्तर्गत कोई भी वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं हुई है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2008 में केन्द्र सरकार की ''कृषि ऋण माफी एवं ऋण राहत योजना, 2008'' लागू की गयी। वर्ष 1997 से 2007 के मध्य वितरित ऋण की माफी के परिणामस्वरूप वर्ष 1997 से पूर्व का वितरित समस्त ऋण वसूल नहीं हो सका। अतः वर्ष 1997 से पूर्व तक वितरित समस्त ऋण नाकाबिले वसूल हो गया जिससे रु0 4467.21 लाख की धनराशि अवरुद्ध हो गयी जिसके कारण बैंक का नकद प्रवाह (कैश-इनफ्लो) प्रभावित हुआ। दिनांक 31-3-2013 को बैंक का विभिन्न मदों में कुल लगा ऋण रु0 16387.20 लाख था। वसूली न होने से उक्त धनराशि बकाये की श्रेणी में

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वर्गीकृत है। दिनांक 15 मई, 2012 को भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंक के ऊपर बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा-35-क के प्राविधानों को लागू किये जाने के फलस्वरूप नये निक्षेप स्वीकार किये जाने पर रोक लगा दी गयी है। उक्त रोक लगाये जाने के कारण बैंक का नकद प्रवाह (कैश इनफ्लो) प्रभावित हुआ।

उपर्युक्त वर्णित कारणों के फलस्वरूप ही बैंक की वित्तीय स्थिति में निरन्तर गिरावट आती गयी और वर्तमान में बैंक तरलता के अभाव से ग्रसित है और निक्षेपकर्ताओं के जमा निक्षेपों का भुगतान उनकी मांग के अनुरूप करने में असमर्थ है। यदि भारत सरकार से रिवाइवल पैकेज के अनुसार रु0 16359.76 लाख धनराशि प्राप्त हो जाती है तो बैंक की वित्तीय स्थिति प्रतिकूल न होती। उक्त विषम स्थिति के निराकरण हेतु वैद्यनाथन पैकेज के अन्तर्गत बैंक को अनुमन्य वित्तीय सहायता रु0 16359.76 लाख भारत सरकार से शीघ्र अवमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में प्रयास किया जा रहा है।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया में बंधा बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश अंचल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूं....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[मेरे विधान सभा क्षेत्र बैरिया जनपद बलिया अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-31 के बलिया माझी घाट के बीच में पचसोखिया रामगढ़ के पास बरसात के दिनों में पूर्व से भयंकर रूप से कटान होती है। चूंकि बंधा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त है और बीच-बीच में बुरी तरह से टूट गया है। जिसके कारण गहरा कुण्ड बन गया है। एन0एस0-31 अगर टूट गया तो लगभग तीन दर्जन गांव बाढ़ की चपेट में आ जायेंगे। तत्काल कटान रोकने व बीच-बीच में ठोकर आदि का निर्माण बरसात से पहले कराये जाने की आवश्यकता है। इसी प्रकार विकास खण्ड मुरली छपरा पर घाघरा नदी के दायें तट पर ग्राम इब्राहिमाबाद, नौबरार (अठगांवा), जिसके अन्तर्गत नौका टोला, छक्कूटोला, धूरी टोला, राजेश्वर टोला, रामनगर, सुफल टोला आदि आते हैं जिसकी आबादी लगभग पन्द्रह हजार से अधिक है। वर्ष 2013 में उक्त उपरोक्त सारे गांव बाढ़ की चपेट में आ गये थे और काफी भूमि व धन-जन की हानि हुई थी। जिसके फलस्वरूप सरकार द्वारा कुछ धनराशि स्थानीय लोगों को मुहैया तो करायी, परन्तु बंधे का निर्माण न होने के कारण स्थिति अब भी भयावह हो रही है। इसी प्रकार तुर्तीपार, श्रीनगर तटबन्ध के कि0मी0 65.200 से 69300 के मध्य ग्राम दतहा के पास घाघरा नदी के कटान के कारण श्रीनगर तटबन्ध टूटने के आसार पहले भी बने थे और वर्तमान समय में भी वही स्थिति है। चूंकि बरसात का

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मौसम आने वाला है और उक्त तटबन्ध को कटने से बचाने के उपाय किये जाने व तटबन्ध की मरम्मत भी कराये जाने की आवश्यकता है। यह प्रकरण स्थानीय गरीब, पिछड़े तबके के लोगों से भी जुड़ा है और तत्काल सरकार द्वारा धनराशि देकर बचाव कार्य कराने व तटबन्धों का पुनर्निर्माण कराये जाने की आवश्यकता है।''

अतः इस पर तत्काल कार्यवाही किये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूं।

2-श्री जय प्रकाश अंचल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना पर वक्तव्य निम्नवत् है :-

''जनपद बलिया के बैरिया विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग-31 के बलिया माझाघाट के बीच पच्चरूखिया रामगढ़ के पास गत वर्ष की बाढ़ अवधि में बलिया बैरिया बांध व नदी के मध्य कुछ कटान हुई थी तथा इस तटबन्ध के कि0मी0 28.300 एवं कि0मी0 28.500 पर पुनर्निर्मित स्पर संख्या-21 एवं 22 गंगा नदी की कटान से क्षतिग्रस्त हुए थे। जनपद बलिया में गंगा नदी के बायें तट पर बलिया बैरिया बांध के कि0मी0 24.650 से 25.900 के मध्य कटान सुरक्षा की परियोजना लागत रु0 776.83 लाख (केन्द्र पुरोनिधानित) पर रु0 387.49 लाख धनावंटन से लगभग 60 प्रतिशत कार्य सम्पन्न कराया जा चुका है। इस तटबन्ध कि0मी0 26.300 से 26.700 के मध्य पिचिंग व लाचिंग एप्रन के निर्माण एवं स्पर संख्या-16, 19 एवं 20 की पुनर्स्थापना हेतु परियोजना रु0 1140.88 लाख स्वीकृत की गयी है तथा स्थल की संवेदनशीलता के दृष्टिगत सुरक्षा हेतु कार्यवाही की जा रही है।

बैरिया विधान सभा के विकास खण्ड मुरली छपरा अन्तर्गत घाघरा नदी के दायें तट पर ग्राम-इब्राहिमबाद (अठगावां) स्थित है। जिसके अन्तर्गत नक्का टोला, दलजीत टोला, राजेश्वर टोला, रामनगर, सुफल टोला आदि ग्राम आते हैं। घाघरा नदी व कबुलहां संसार टोला के मध्य ये ग्राम फ्लड प्लेन जोन में बसे हैं। विगत बाढ़ काल में नदी कटान करते हुए ग्राम व बस्ती के समीप आ गयी है तथा तटबन्ध व नदी के बीच की दूरी लगभग 285 मी0 रह गयी है। तटबन्ध एवं इन ग्रामों को बचाने हेतु जनपद बलिया में घाघरा नदी के दायें तट पर स्थित बकुलहां संसार टोला के तट बंध के कि0मी0 5.175 से 6.500 के मध्य तटबन्ध एवं ग्राम समूह इब्राहिमबाद नौबरार (अठगावां) की सुरक्षा हेतु एक-एक अदद परियोजना लागत रु0 1701.00 लाख की स्वीकृति जी0एफ0सी0सी0 पटना से दिनांक 16-6-2014 को प्राप्त हो गयी है संवेदनशीलता के दृष्टिगत वांछित बाढ़ सुरक्षा हेतु कार्यवाही प्रगति में है।

बलिया स्थित तुर्तीपार श्रीनगर तटबन्ध के कि0मी0 67.800, 68.600 एवं 70.200 पर क्षतिग्रस्त स्पर एवं कि0मी0 69.325 से कि0मी0 69.640 पर क्षतिग्रस्त लांचिंग एप्रन की पुनर्स्थापना एवं कि0मी0 67.800 से 67.900, 68.600 से 68.700 एवं 69.100 से 69.200 तक जी0ओ0 टेक्सटाइल्स बैग्स एवं नई खाली सीमेंट की बोरियों में आर0बी0एम0 भर कर नये लांचिंग एप्रन एवं स्लोप पिचिंग तथा कि0मी0 67.900 किमी0 68.400 एवं किमी0 68.800 पर 3 अदद स्पर के निर्माण व बाढ़ कार्य की परियोजना लागत रु0 828.56 लाख का धनावंटन किया जा चुका है व कार्य समाप्ति पर है। इसके अतिरिक्त इस तटबन्ध की सुरक्षा हेतु कि0मी0 68.200 से 68.600, कि0मी0 68.800 पर स्पर के अपस्ट्रीम एवं डाउनस्ट्रीम कि0मी0 69.00 तक एवं कि0मी0 68.200 से कि0मी0 68.300 के मध्य रिक्यूपमेंट के कार्य की परियोजना लागत रु0 1095.77 लाख की स्वीकृत हुयी है।]

जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में स्थित श्रमिक उद्योगों के कच्चे माल के रूप में प्रयोग होने वाली मिट्टी की आपूर्ति में हो रही बाधाओं के सम्बन्ध में श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, मा0 सदस्य, विधान सभा.....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

श्रीमती बिमला सिंह सोलंकी, माननीय सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 19-6-2014 को दी गयी सूचना पर वक्तव्य

श्री मोहम्मद आजम खां-

[द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दिनांक 19-6-2014 को दी गयी सूचना कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद जनपद बुलन्दशहर में टाइल्स निर्माण करने वाली कई सिरेमिक्स इकाइयां स्थापित हैं जिनमें प्रदेश तथा केन्द्र सरकार का करोड़ों रुपये का राजस्व प्राप्त होता है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के हजारों लोगों को प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त हो रहा है। उक्त इकाइयों में कच्चे माल के रूप में मिट्टी का उपयोग किया जाता है लेकिन पिछले दो वर्ष से सरकार द्वारा खनन पर प्रतिबन्ध लगा देने के कारण उक्त इकाइयों का उत्पादन प्रभावित हो रहा है, इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा अनेक औपचारिकताएं पूर्ण कराने के नाम पर इन इकाइयों का सुविधा शुल्क के नाम पर उत्पीड़न किया जा रहा है। मेरे द्वारा मा0 मुख्य मंत्री जी को पत्र लिखकर तथा मिलकर अनेक बार उक्त उद्योगों को कच्चे माल के लिये मिट्टी उपलब्ध कराने को शासन से एक स्पष्ट नीति बनाने का अनुरोध किया जा चुका है, लेकिन अभी तक कोई स्पष्ट नीति नहीं बनी है।

अतः उक्त सुनिश्चित विषय पर माननीय सदन में वक्तव्य दिये जाने की मांग की गयी है।

<u>वक्तव्य</u>

इस सम्बन्ध में निदेशक, भू-तत्व एवं खनिकर्म उ0 प्र0 लखनऊ से सूचना प्राप्त की गयी। प्राप्त सूचनानुसार रिट याचिका संख्या-9416 (एम/बी)/2010 मो0 कौसर जहां बनाम यूनियन आफ इण्डिया व अन्य में पारित आदेश दिनांक 29-4-2011 के द्वारा भारत सरकार वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना दिनांक 14-9-2006 के अनुसार उप खनिजों के खनन पट्टों/खनन संक्रिया के लिये पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने के आदेश दिये गये हैं। उक्त के क्रम में अधिसूचना दिनांक 14-9-2006 के अनुसार 05 हे0 से बड़े क्षेत्रफल के उपखनिजों के खनन पट्टों के लिये पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता लागू की गयी। परन्तु एस0एल0पी0 संख्या-(19628-629/2009) में पारित आदेश दिनांक 27-2-2012 के द्वारा समस्त उपखनिज क्षेत्रों के लिये चाहे उनका क्षेत्रफल जो भी हो, भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय की अधिसूचना के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनुसार पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की अनिवार्यता लागू की गयी है। टाइल्स निर्माण हेतु उपयोग में लायी जाने वाली मिट्टी उत्तर प्रदेश उप खनिज परिहार नियमावली, 1963 के अन्तर्गत उप खनिजों की श्रेणी में आता है, जिस पर अन्य उप खनिजों की भांति पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र की अनिवार्यता लागू है। जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में 1-कजारिया सिरामिक्स, 2-ओरियेण्टन्स टाइल्स सिरामिक्स दो इकाइयां स्थापित हैं। इन इकाइयों में टाइल्स निर्माण में उपयुक्त मिट्टी का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। कच्चे माल हेतु उपयुक्त मिट्टी के लिये इकाई या इकाई में सप्लाई करने वाले एजेन्सी द्वारा खनन अनुज्ञा प्राप्त किया जाता है। उक्त इकाइयों द्वारा मिट्टी खनन के लिये वर्तमान में कोई आवेदन नहीं किया गया है और न ही कोई आवेदन लम्बित है। अतः औपचारिकताएं पूर्ण कराने के नाम पर उत्पीड़न का प्रश्न ही नहीं उठता है। मिट्टी आपूर्ति करने वाले अनुज्ञा-पत्र धारकों द्वारा पर्यावरण विभाग से स्वच्छता प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर नियमानुसार अनुज्ञा-पत्र जारी किये जा रहे हैं, जिसमें किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं किया जाता है। यदि औद्योगिक इकाइयां मिट्टी खनन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र के लिये खनन अनुज्ञा हेतु आवेदन-पत्र पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करते हैं तो टाइल्स निर्माण हेतु मिट्टी के खनन की अनुमति नियमानुसार प्रदान की जायेगी।]

जनपद गाजियाबाद के अन्तर्गत किराना मण्डी में खाली पड़े प्लाट में कूड़े को हटाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश बंसल द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

श्री सुरेश बंसल, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[दिनांक 19-6-2014 को सूचना दी गयी है कि गाजियाबाद के किराना मण्डी में जो सड़क बाग भटियारी से मण्डी के अन्दर जाती है, उस सड़क पर एक खाली पड़े प्लाट में कूड़े के ढेर/अम्बार लगे हुए हैं। चारों तरफ गन्दगी है, बदबू फैली हुई है, बीमारी फैलने का अंदेशा है, कूड़े के ढेर के न उठने से यहां के लोगों में आक्रोश व्याप्त है। लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न पर वक्तव्य दिये जाने की मांग मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा की गयी है।

2-मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दी गयी उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि किराना मण्डी बाग भटियारी रोड पर निजी स्वामित्व का लगभग 2000 वर्ग गज का खाली प्लाट है, जिसका निरीक्षण कराया गया है। उक्त प्लाट खुला हुआ है एवं उसमें मकानों की टूट-फूट का मलबा पड़ा हुआ है। नगर निगम द्वारा निजी खाली प्लाट की सफाई व्यवस्था नहीं की जाती है। नगर निगम अधिनियम, 1959 के प्राविधानों के अनुसार नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थलों की सफाई व्यवस्था एवं

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कूड़े के उठान का कार्य कराया जाता है। उक्त के सम्बन्ध में सम्बन्धित प्लाट मालिक को नोटिस निर्गत कराकर कार्यवाही की जा रही है।]

जनपद चन्दौली के मुगलसराय अन्तर्गत ग्राम सभा अमोधपुर विकास खण्ड नियमताबाद में चकिया मेन रोड से पंचायत भवन अमोधपुर तथा पिच रोड का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बब्बन सिंह चौहान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर ग्राम्य विकास मंत्री का केवल वक्तव्य का स्थगन

श्री अध्यक्ष-

मद संख्या-22 स्थगित है।

जनपद मुरादाबाद के कांठ क्षेत्र में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनीसुर्रहमान द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर मा0 मुख्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा अवगत कराया गया है कि.....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[विधान सभा क्षेत्र 25-कांठ, मुरादाबाद में कोई भी अग्निशमन केन्द्र नहीं है तथा तहसील मुख्यालय कांठ, मुरादाबाद से लगभग 40 कि0मी0 दूर है तथा कांठ और मुरादाबाद के बीच दो रेलवे फाटक हैं। किसी भी अग्निशमन दुर्घटना के समय अग्निशमन की गाड़ियां समय से न पहुंचने के कारण सब कुछ नष्ट हो जाता है। उन्होंने पूर्व में मा0 मुख्य मंत्री जी को कांठ में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना के लिये प्रार्थना-पत्र दिया था। उसके क्रम में तहसील प्रशासन ने ग्राम रसूलपुर गुजर में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना के लिये मानक के अनुसार भूमि आवंटित कर दी है, परन्तु अभी तक भूमि आवंटित होने के बावजूद अग्निशमन केन्द्र की स्थापना न होने के कारण क्षेत्रीय जनता आक्रोशित है। मा0 सदस्य द्वारा उपरोक्त लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना के लिये सदन के माध्यम से वक्तव्य की मांग की गयी है।

2-इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जनपद मुरादाबाद की तहसील कांठ में अग्निशमन केन्द्र की स्थापना के लिये अग्निशमन मुख्यालय द्वारा प्रस्ताव उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्रस्ताव पर शासन में कार्यवाही प्रचलित है। इसके अतिरिक्त यह भी अवगत कराना है कि जनपद स्तर पर उपलब्ध संसाधनों/जनशक्ति के द्वारा तहसील कांठ में किसी भी अग्निशमन दुर्घटना पर नियंत्रण किया जाता है।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद लखीमपुर के धौरहरा क्षेत्र अन्तर्गत निलम्बित/निरस्तीकृत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को नजदीक की दुकानों से सम्बद्ध किये जाने के सम्बन्ध में श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर खाद्य एवं रसद मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, श्री शमशेर बहादुर उर्फ शेरू भैय्या, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 19-6-2014 को नियम-51 के अन्तर्गत.....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा मान लेते हैं।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[निम्न सूचना दी गयी :-

''जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा के अन्तर्गत सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानों को निलम्बित, निरस्तीकरण व पुनः बहाल किये जाने की कार्यवाही विगत दो वर्षों में लगभग 80 प्रतिशत तक की गयी है जिसके फलस्वरूप गरीबों के मिलने वाला अनाज महीनों नहीं मिल पाया है तथा निलम्बित दुकानों को नजदीक सम्बद्ध न करके 10-12 कि0मी0 दूर तथा एक-एक दुकानदार को चार-पांच दुकानें सम्बद्ध करने का अनैतिक कार्य किया गया है, जिससे क्षेत्रीय जनता में अत्यधिक रोष व आक्रोश है।''

2-नियम-51 के अन्तर्गत दी गई उक्त सूचना के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि प्रकरण में जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी से प्राप्त सूचना के अनुसार जनपद लखीमपुर खीरी की तहसील धौरहरा में कुल 217 उचित दर दुकानें हैं। विगत दो वर्षों में उचित दर विक्रेताओं के विरुद्ध प्राप्त शिकायतों में जांचोपरान्त 60 उचित दर विक्रेताओं के अनुबन्ध-पत्र निलम्बित किये गये। निलम्बित अनुबन्ध-पत्रों की संख्या, कुल दुकानों की संख्या का लगभग 28 प्रतिशत है। निलम्बित विक्रेताओं के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही के उपरान्त 22 अनुबन्ध-पत्र बहाल किये गये तथा 29 अनुबन्ध-पत्र निरस्त किये गये। 09 उचित दर विक्रेताओं के अनुबन्ध-पत्र अब भी निलम्बित चल रहे हैं, जिनके सम्बन्ध में विभागीय कार्यवाही प्रचलित है। निरस्त 29 अनुबन्ध-पत्रों के सापेक्ष 07 उचित दर विक्रेताओं द्वारा सक्षम अपीलीय न्यायालय में अपील/मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर कर अनुतोष प्राप्त कर लिया गया, जिसके क्रम में उक्त 07 दुकानें बहाल की गयीं।

3-वर्तमान में 11 उचित दर दुकानें रिक्त चल रही हैं, जिनके सापेक्ष नवीन उचित दर विक्रेताओं के चयन की कार्यवाही प्रचलित है। किसी भी निलम्बित/निरस्त उचित दर विक्रेता की दुकान का सम्बद्धीकरण 10-12 कि0मी0 दूर स्थित दुकान से नहीं किया गया है, बल्कि उसी ग्राम पंचायत के दूसरे उचित दर विक्रेता की दुकान से सम्बद्ध किया गया है। 05 रिक्त उचित दर विक्रेताओं, जिनके साथ निलम्बित उचित दर विक्रेता के कार्ड सम्बद्ध किये गये हैं, द्वारा कार्डधारकों की सुविधा के दृष्टिगत

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

उनकी ग्राम सभा में ही सार्वजनिक स्थल पर पर्यवेक्षणीय अधिकारी की उपस्थिति में खाद्यान्न का वितरण कराया जा रहा है। किसी भी उचित दर विक्रेता की दुकान के साथ एक से अधिक निलम्बित/निरस्त दुकान को सम्बद्ध नहीं किया गया है। इस प्रकार तहसील धौरहरा में समस्त कार्डधारकों को मिलने वाली अधिसूचित वस्तुएं नियमानुसार प्राप्त हो रही हं।]

नगरपालिका परिषद् गाजियाबाद की अध्यक्ष नगर पालिका के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर भी उनके द्वारा अध्यक्ष के पद पर कार्य करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री सुदेश शर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर नगर विकास मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गई है कि ''श्रीमती सरोज शर्मा, अध्यक्षा, नगरपालिका परिषद्, गाजियाबाद के विरुद्ध गम्भीर आरोप की जांच शासन स्तर से कराई जाय....

पिछड़ा वर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा माना जाता है।

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[जिसमें अध्यक्षा के खिलाफ आरोप सिद्ध होने पर प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार से वंचित कर दिया गया था। इसके विरुद्ध अध्यक्षा द्वारा मा0 उच्च न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया गया।

उक्त के उपरान्त इनके ऊपर अन्य गम्भीर आरोप लगे थे जिनकी जांच शासन द्वारा जिलाधिकारी गाजियाबाद से करायी गयी थी जिस पर मा0 उच्च न्यायालय का उक्त स्थगनादेश प्रभावी नहीं होता है। जिस जांच में अनेकों वित्तीय अनियमितताएं, सरकारी जमीन कब्जा कराना, अधिशासी अधिकारियों के साथ मार-पीट करना व अनेकों अन्य गम्भीर आरोपों की पुष्टि हुयी थी। जिलाधिकारी गाजियाबाद के पत्रांक सं0-1262/एल0बी0एल0-21/2013-14 दिनांक 11 अगस्त, 2013 द्वारा जांच आख्या प्रमुख सचिव, नगर विकास उ0प्र0 शासन को प्रेषित की गयी। जिसमें अध्यक्षा के खिलाफ गम्भीर आरोपों को प्रथम दृष्टया सही पाते हुए जिलाधिकारी गाजियाबाद ने लिखा है कि इन पर लगे आरोप गम्भीर प्रकृति के हैं। ऐसे में इनको इस संवैधानिक पद पर बने रहने का औचित्य प्रतीत नहीं होता है। इसके बावजूद अध्यक्षा अपने पद पर बनी हुई हैं। जिलाधिकारी के द्वारा प्रेषित आख्या के 10 माह व्यतीत होने के उपरान्त भी शासन द्वारा आज तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है। यह प्रकरण अति गम्भीर है।"

इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी, गाजियाबाद की जांच आख्या दिनांक 11-08-2013 के परीक्षणोपरान्त श्रीमती सरोज शर्मा, अध्यक्षा, नगरा पालिका परिषद्, मोदीनगर जनपद गाजियाबाद के विरुद्ध सिद्ध पायी गयी शिकायतों के सन्दर्भ में शासन के पत्र दिनांक 21-2-2014 द्वारा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जिलाधिकारी, गाजियाबाद को श्रीमती शर्मा का स्पष्टीकरण प्राप्त कर अपनी सुस्पष्ट संस्तुति सहित आख्या शासन को उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया था। श्रीमती शर्मा द्वारा अपना स्पष्टीकरण दिनांक 24-3-2014 जिलाधिकारी के माध्यम से न देकर सीधे शासन को प्रस्तुत कर दिया गया अतः जिलाधिकारी गाजियाबाद को पत्र दिनांक 15-5-2014 एवं पत्र दिनांक 9-6-2014 द्वारा पुनः संस्तुति सहित आख्या शासन को उपलब्ध कराने हेतु अनुस्मृत कराया गया। आख्या दिनांक 20-6-2014 को प्राप्त हो गयी है जो परीक्षणाधीन है।

जहां तक विलम्ब का प्रश्न है, जिलाधिकारी, गाजियाबाद के स्तर से संस्तुति/आख्या उपलब्ध कराने में विलम्ब हेतु शासन के पत्र दिनांक 20-6-2014 द्वारा उत्तरदायित्व निर्धारित करने के निर्देश जिलाधिकारी, गाजियाबाद को दिये जा चुके हैं। जिलाधिकारी, गाजियाबाद की आख्या प्राप्त होने पर तद्नुसार कार्यवाही की जायेगी।]

जनपद, इलाहाबाद के मेजा क्षेत्रान्तर्गत कतिपय स्वास्थ्य केन्द्रों में डाक्टरों की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश चन्द्र पाण्डेय उर्फ गामा पाण्डेय द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य एवं नगर विकास मंत्री (श्री मोहम्मद आजम खां)-

मान्यवर, श्री गिरीश पाण्डेय, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा दिनांक 19-06-2014 को † नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी कि जनपद इलाहाबाद की मेजा विधान सभा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरसा.....

पिछड़ावर्ग कल्याण तथा विकलांग कल्याण मंत्री (श्री अम्बिका चौधरी)-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

(पढ़ा हुआ माना गया वक्तव्य संलग्न है।)

(वक्तव्य संसदीय कार्य मंत्री ने दिया जो पढ़ा हुआ माना गया।)

श्री मोहम्मद आजम खां-

[टाउन एरिया, शुकुलपुर, चिलबिला, महेवा, भारतगंज टाउन एरिया, महिला स्वास्थ्य केन्द्र पर कोई डाक्टर नहीं जाता है। छोटी-छोटी बीमारियों के लिए जनता झोलाछाप डाक्टस पर निर्भर हो जाती हैं और उनका शोषण होता है।

इस सम्बन्ध में मुख्य चिकित्साधिकारी, इलाहाबाद से आख्या प्राप्त की गयी। मुख्य चिकित्साधिकारी इलाहाबाद द्वारा अवगत कराया गया कि प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र सिरसा टाउन एरिया में डा0 सरल कुमार, चिकित्साधिकारी एवं डा0 राजेन्द्र कुमार चिकित्साधिकारी (सामु0 स्वा0) तैनात हैं, राजकीय महिला चिकित्सालय सिरसा टाउन एरिया में डा0 रेनुका जायसवाल तैनात हैं, जो वर्तमान में अनुपस्थित चल रही हैं। अनुपस्थिति के सम्बन्ध में डा0 जायसवाल के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र-शुकुलपुर में तैनात चिकित्सक का स्थानान्तरण अन्य जनपद में होने के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

कारण पद रिक्त चल रहा था। वर्तमान में अन्य प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र से चिकित्सक की तैनाती कर दी गयी है। चिलबिला में डा0 प्रभु प्रकाश, चिकित्साधिकारी तैनात हैं। महेवा कला में डा0 कृष्णकान्त मिश्र, चिकित्साधिकारी तैनात हैं। राजकीय महिला चिकित्सालय भारतगंज में महिला चिकित्साधिकारियों की कमी के कारण तैनाती नहीं की जा सकी है। उक्त चिकित्साधिकारियों में से समय-समय पर किये गये निरीक्षणों के दौरान जो चिकित्सक ड्यूटी से अनुपस्थित पाये गये हैं, उनकी अनुपस्थित अवधि का वेतन रोका गया है तथा उनको चेतावनी भी निर्गत की गयी है।

चिकित्सकों के चयन हेतु लोक सेवा आयोग को अधियाचन भेजे गये हैं। चयनित चिकित्सकों की सूची लोक सेवा आयोग से प्राप्त होने पर उपलब्धता के आधार पर चिकित्सकों की तैनाती पर विचार किया जायेगा।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं, कल पूर्वाह्न 11.00 बजे फिर मिलेंगे।

(इसके बाद सदन का उपदेशन अपराह्न 05 बजकर 10 मिनट पर वार 2014/अगले दिन के 11 बजे तक लिए स्थगित हो गया।)

लखनऊ :

दिनांक-24 जून, 2014

प्रदीप कुमार दुबे

प्रमुख सचिव, विधान सभा,

उत्तर प्रदेश।

नत्थी (क)

वर्ष	चयनित ग्राम का नाम	योजनान्तर्गत कराये गये विकास कार्यक्रम का नाम	अवशेष कार्यक्रम
1	2	3	4
2012-13	मीरपुर, रतनपुर, पैनिया हिम्मत, हरूनगला उर्फ नऊआ नगला एवं ओडाझार	मीरपुर रतनपुर ग्राम में विद्युतीकरण, इन्दिरा आवास, तालाबों का जीर्णोद्धार, एस0जी0एस0वाई0, मनरेगा, समस्त प्रकार की पेंशन एवं छात्रवृत्ति, मछली पालन हेतु तालाब आवंटन, बेरोजगारी भत्ता वितरण, पशुओं का टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा परीक्षण, बीज प्रतिस्थापन, ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय राशन कार्ड व लैपटाप वितरण आदि कार्य लक्ष्य के अनुसार कराये जा चुके हैं।	मीरपुर रतनपुर में आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण, स्वच्छ शौचालय निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्र आदि का कार्य पूर्ण कराया जा रहा है।
		पैनिया हिम्मत ग्राम में विद्युतीकरण, इन्दिरा आवास, एस0जी0एस0वाई0, मनरेगा, समस्त प्रकार की पेंशन एवं छात्रवृत्ति, निःशुल्क बोरिंग, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा परीक्षण, ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदन राशन कार्ड वितरण आदि कार्य लक्ष्य के अनुसार कराये जा चुके हैं।	पैनिया हिम्मत में आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण, स्वच्छ शौचालय निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्र आदि का कार्य पूर्ण कराया जा रहा है।
		हरूनगला उर्फ नऊआ नगला ग्राम में विद्युतीकरण, स्वच्छ शौचालय निर्माण, इन्दिरा आवास, तालाबों का जीर्णोद्धार, एस0जी0एस0वाई0, मनरेगा, समस्त प्रकार की पेंशन एवं छात्रवृत्ति, वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था, निःशुल्क बोरिंग, बेरोजगारी भत्ता वितरण, पशुओं का टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, किसान, क्रेडिट कार्ड, मृदा परीक्षण, ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय राशन कार्ड वितरण आदि कराये जा चुके हैं।	हरूनगला उर्फ नऊआ नगला ग्राम में आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण, आंगनबाड़ी केन्द्र आदि का कार्य कराये जा रहे हैं।

1	2	3	4
		ओडाझार ग्राम में इन्दिरा आवास, तालाबों का जीर्णोद्धार, एस0जी0एस0वाई0 मनरेगा, समस्त प्रकार की पेंशन, वैकल्पिक मार्ग प्रकाश व्यवस्था, निःशुल्क बोरिंग, बेरोजगारी भत्ता वितरण, पशुओं का टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा परीक्षण, ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदन राशन कार्ड वितरण, विद्युतीकरण, लैपटाप वितरण, स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना आदि कार्य कराये जा चुके हैं।	ओडाझार ग्राम में आन्तरिक गलियां एवं नालियों का निर्माण, स्वच्छ शौचालय निर्माण एवं आंगनबाड़ी केन्द्र की स्थापना आदि कार्य पूर्ण कराये जा रहे हैं।
2013-14	बढेपुरा मरौरी, राठ, अण्डहा, उमरिया, गौहनियां	बढेपुरा मरौरी ग्राम में सम्पर्क मार्ग की मरम्मत, सम्पर्क मार्ग नवनिर्माण, एस0जी0एस0वाई0 मनरेगा, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्माण, टैबलेट, पी0सी0 वितरण, लैपटाप वितरण, स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना, समस्त प्रकार की पेंशन, बेरोजगारी भत्ता वितरण, अल्पसंख्यक/सामान्य जाति, बी0पी0एल0 के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण, पशुओं का टीकाकरण, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा परीक्षण, ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय राशन कार्ड वितरण व निःशुल्क बोरिंग, कृषि भूमि एवं सीलिंग से सरप्लस भूमि का आवंटन, आवास हेतु भूमि का आवंटन, मछली पालन हेतु तालाब का आवंटन, तालाब सुधार कार्यक्रमों को पूर्ण कराया जा चुका है। विद्युतीकरण, इन्दिरा आवास, तालाबों का जीर्णोद्धार, समस्त प्रकार के पेंशन एवं छात्रवृत्ति, मछली पालन हेतु तालाब आवंटन, बेरोजगारी भत्ता वितरण, पशुओं का टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, किसान क्रेडिट कार्ड, बीज प्रतिस्थापन, मृदा परीक्षण लक्ष्य के अनुसार कराये जा चुके हैं।	बढेपुरा मरौरी ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण, आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण, माध्यमिक विद्यालय निर्माण, वैकल्पिक विद्युत एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि का कार्य धनराशि की उपलब्धता के आधार पर कराया जा सकेगा। स्वच्छ शौचालय निर्माण, इन्दिरा आवास, तालाबों का जीर्णोद्धार आदि कार्य निर्माणाधीन हैं।

1	2	3	4
		राठ ग्राम में सम्पर्क मार्ग की मरम्मत, सम्पर्क मार्ग नवनिर्माण, एस0जी0एस0वाई0, मनरेगा, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्माण, टैबलेट, पी0सी0 वितरण, लैपटाप वितरण, स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना, समस्त प्रकार की पेंशन, बेरोजगारी भत्ता वितरण, अल्पसंख्यक/सामान्य जाति, बी0पी0एल0 के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण, पशुओं का टीकाकरण, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा परीक्षण, ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय राशन कार्ड, निःशुल्क बोरिंग, कृषि भूमि एवं सीलिंग से सरप्लस भूमि का आवंटन, आवास हेतु भूमि का आवंटन, मछली पालन हेतु तालाब का आवंटन, तालाब सुधार कार्यक्रमों का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। विद्युतीकरण, इन्दिरा आवास, तालाबों का जीर्णोद्धार, समस्त प्रकार के पेंशन एवं छात्रवृत्ति, मछली पालन हेतु तालाब आवंटन, बेरोजगारी भत्ता वितरण, पशुओं का टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, किसान क्रेडिट कार्ड, बीज प्रतिस्थापन, मृदा परीक्षण लक्ष्य के अनुसार कराये जा चुके हैं।	राठ ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण, आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण, माध्यमिक विद्यालय निर्माण, वैकल्पिक विद्युत एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि का कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जायेगा। स्वच्छ शौचालय निर्माण, इन्दिरा आवास, तालाबों का जीर्णोद्धार आदि कार्य निर्माणाधीन हैं।
		अण्डहा ग्राम में सम्पर्क मार्ग की मरम्मत, एस0जी0एस0वाई0, मनरेगा, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्माण, टैबलेट, पी0सी0 वितरण, लैपटाप वितरण, स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना, समस्त प्रकार की पेंशन, बेरोजगारी भत्ता वितरण, अल्पसंख्यक/सामान्य जाति, बी0पी0एल0 के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण, पशुओं का टीकाकरण, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा परीक्षण, ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय राशन कार्ड, निःशुल्क बोरिंग, कृषि	अण्डहा ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण, आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण, सम्पर्क मार्ग नवनिर्माण, माध्यमिक विद्यालय निर्माण, वैकल्पिक विद्युत एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था, आदि का कार्य धन की उपलब्धता के आधार

1	2	3	4
		भूमि एवं सीलिंग से सरप्लस भूमि का आवंटन, आवास हेतु भूमि का आवंटन, मछली पालन हेतु तालाब का आवंटन, तालाब सुधार कार्यक्रमों का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। विद्युतीकरण, इन्दिरा आवास, तालाबों का जीर्णोद्धार, समस्त प्रकार के पेंशन एवं छात्रवृत्ति, मछली पालन हेतु तालाब आवंटन, बेरोजगारी भत्ता वितरण, पशुओं का टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, किसान क्रेडिट कार्ड, बीज प्रतिस्थापन, मृदा परीक्षण एवं लैपटाप वितरण आदि कार्य लक्ष्य के अनुसार कराये जा चुके हैं।	पर कराया जायेगा। स्वच्छ शौचालय निर्माण, इन्दिरा आवास, तालाबों का जीर्णोद्धार आदि कार्य निर्माणाधीन हैं।
		उमरिया ग्राम में सम्पर्क मार्ग की मरम्मत, सम्पर्क मार्ग नवनिर्माण एस0जी0एस0वाई0, मनरेगा, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्माण, टैबलेट, पी0सी0 वितरण, लैपटाप वितरण, स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना, समस्त प्रकार की पेंशन, बेरोजगारी भत्ता वितरण, अल्पसंख्यक/सामान्य जाति, बी0पी0एल0 के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण, पशुओं का टीकाकरण, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा परीक्षण, ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय राशन कार्ड, निःशुल्क बोरिंग, कृषि भूमि एवं सीलिंग से सरप्लस भूमि का आवंटन, आवास हेतु भूमि का आवंटन, मछली पालन हेतु तालाब का आवंटन, तालाब सुधार कार्यक्रमों का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। विद्युतीकरण, इन्दिरा आवास, तालाबों का जीर्णोद्धार, समस्त प्रकार के पेंशन एवं छात्रवृत्ति, मछली पालन हेतु तालाब आवंटन, बेरोजगारी भत्ता वितरण, पशुओं का टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, किसान क्रेडिट कार्ड, बीज प्रतिस्थापन, मृदा परीक्षण एवं लैपटाप वितरण आदि कार्य लक्ष्य के अनुसार कराये जा चुके हैं।	उमरिया ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण, आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण, माध्यमिक विद्यालय निर्माण, वैकल्पिक विद्युत एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि का कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जायेगा। स्वच्छ शौचालय निर्माण, इन्दिरा आवास, तालाबों का जीर्णोद्धार आदि कार्य निर्माणाधीन हैं।

1	2	3	4
		गौहनियां ग्राम में सम्पर्क मार्ग की मरम्मत, सम्पर्क मार्ग नवनिर्माण, एस0जी0एस0वाई0, मनरेगा, स्वच्छ पेयजल आपूर्ति, प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्माण, टैबलेट, पी0सी0 वितरण, लैपटाप वितरण, स्वास्थ्य उपकेन्द्र की स्थापना, समस्त प्रकार की पेंशन, बेरोजगारी भत्ता वितरण, अल्पसंख्यक/सामान्य जाति, बी0पी0एल0 के छात्रों को छात्रवृत्ति वितरण, पशुओं का टीकाकरण, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा परीक्षण, ए0पी0एल0, बी0पी0एल0 एवं अन्त्योदय राशन कार्ड, निःशुल्क बोरिंग, कृषि भूमि एवं सीलिंग से सरप्लस भूमि का आवंटन, आवास हेतु भूमि का आवंटन, मछली पालन हेतु तालाब का आवंटन, तालाब सुधार कार्यक्रमों का कार्य पूर्ण कराया जा चुका है। विद्युतीकरण, इन्दिरा आवास, तालाबों का जीर्णोद्धार, समस्त प्रकार के पेंशन एवं छात्रवृत्ति, मछली पालन हेतु तालाब आवंटन, बेरोजगारी भत्ता वितरण, पशुओं का टीकाकरण, कृत्रिम गर्भाधान, किसान क्रेडिट कार्ड, मृदा परीक्षण, बीज प्रतिस्थापन एवं लैपटाप वितरण आदि कार्य लक्ष्य के अनुसार कराये जा चुके हैं।	गौहनियां ग्राम में आंगनबाड़ी केन्द्र का निर्माण, आन्तरिक गलियों एवं नालियों का निर्माण, माध्यमिक विद्यालय निर्माण, वैकल्पिक विद्युत एवं मार्ग प्रकाश व्यवस्था, ग्रामीण विद्युतीकरण आदि का कार्य धन की उपलब्धता के आधार पर कराया जायेगा। स्वच्छ शौचालय निर्माण, इन्दिरा आवास, तालाबों का जीर्णोद्धार आदि कार्य निर्माणाधीन हैं।

पी0एस0यू0पी0-एल0 179 विधान सभा (313)-11-11-2014-813 प्रतियां।